SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2026 की प्रतिवेदन सं. 1

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2026 की प्रतिवेदन सं. 1

विषय-सूची

विवरण	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना		ix
विहंगावलोकन		xi
अध्याय I: राजस्व क्षेत्र		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1.1	1
राजस्व का बकाया	1.1.2	4
लेखापरीक्षा पर सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया	1.1.3	4
स्वीकृत मामलों की वसूली	1.1.4	7
लेखापरीक्षा योजना	1.1.5	7
लेखापरीक्षा के परिणाम: वर्ष 2022-23 के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति	1.1.6	8
राजस्व अध्याय की व्याप्ति	1.1.7	8
राजस्व विभाग		
स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में ₹ 1.91 करोड़ का अल्प भुगतान	1.2	9
व्यापार और कर विभाग		
वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1.3	10
वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए वस्तु एवं सेवा कर भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी पर अनुपालन लेखापरीक्षा	1.4	34
इनपुट कर क्रेडिट का अनियमित दावा	1.5	71

विवरण	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
अध्याय II: आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्र		
योजना, लेखापरीक्षा का संचालन और रिपोर्टिंग	2.1.1	74
लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया	2.1.2	76
पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई	2.1.3	78
राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखे जाने की स्थिति	2.1.4	80
राज्य विधानमंडल में संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों सहित वार्षिक प्रतिवेदन/लेखे रखे जाने की स्थिति	2.1.5	80
लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली	2.1.6	80
आभार	2.1.7	80
निष्कर्ष	2.1.8	81
अनुपालन लेखापरीक्षा		
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड		
कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिए परीक्षा आयोजित करने पर ₹ 1.05 करोड़ का निष्फल व्यय	2.2	82
ऊर्जा विभाग		
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा विद्युत सब्सिडी के प्रबंधन पर अनुपालन लेखापरीक्षा	2.3	84
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
त्रुटिपूर्ण संविदा के कारण ₹ 1.93 करोड़ का परिहार्य भुगतान	2.4	105

विवरण	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
उद्योग विभाग		
₹ 29.45 करोड़ का निष्फल व्यय	2.5	108
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग		
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा ई-खरीद प्रणाली के कार्यान्वयन पर अनुपालन लेखापरीक्षा	2.6	111
लोक निर्माण विभाग		
जल निकासी से संबंधित विचलित मात्राओं पर ₹ 5.63 करोड़ का परिहार्य भुगतान	2.7	137
परिवहन विभाग		
अधिशेष निधियों के निवेश में विलंब के कारण ₹ 5.50 करोड़ के ब्याज की हानि	2.8	139
शहरी विकास विभाग		
₹ 1.56 करोड़ का परिहार्य भुगतान	2.9	141

अनुलग्नक

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
1.1	निरीक्षण रिपोर्टों की स्थिति	1.1.3	145
1.2	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित पैराग्राफ, विभागों द्वारा स्वीकार किए गए पैराग्राफ और वसूल की गई राशि की स्थिति	1.1.4	146
1.3	स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की अल्प उगाही	1.2	147
1.4	ईडब्ल्यूबी के बनने की प्रवृत्ति	1.3.8	149
1.5	प्रमुख समस्या क्षेत्रों के नमूने	1.3.8	150
1.6	क्रॉस पैन विश्लेषण नमूना	1.3.8	151
1.7	चयनित उच्च मूल्य वाले मामले का विवरण	1.3.8	151
1.8	120 मामलों (ईडब्ल्यूबी) का विवरण	1.3.8	152
1.9	नमूने में शामिल 45 करदाताओं का विवरण	1.3.8	156
1.10	शून्य फाइलर्स द्वारा ईडब्ल्यूबी बनाना	1.3.10.1(ii)	157
1.11	नॉन-फाइलर्स द्वारा ईडब्ल्यूबी बनाना	1.3.10.1(iii)	158
1.12	निरस्त करदाताओं द्वारा ईडब्ल्यूबी बनाना	1.3.10.1(iv)	159
1.13	एक ही/समान इनवॉइस के द्वारा आपूर्ति	1.3.10.1(v)	161
1.14	संदिग्ध वाहनों के द्वारा की गई आपूर्ति	1.3.10.1(vi)	162
1.15	अमान्य पिन कोड का उपयोग करके ईडब्ल्यूबी बनाना	1.3.10.1(vii)	163
1.16	इनपुट कर क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना और उपयोग करना	1.3.10.2(i)	163
1.17	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अत्यधिक लाभ और उपयोग	1.3.10.2(ii)	164

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
1.18	अस्वीकार्य आईटीसी का लाभ उठाना और उसका उपयोग	1.3.10.2(iii)	165
1.19(ए)	केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए नमूना	1.4.4	166
1.19(बी)	विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित करदाताओं की सूची	1.4.4	179
1.20	विस्तृत सत्यापन के लिए एएसएमटी 3.1 से चयनित नमूना	1.4.6.1(ए)	185
1.20(ए)	एएसएमटी-10 जारी होने के बाद कार्रवाई लंबित	1.4.6.1(ए)	190
1.20(बी)	डीआरसी-01 को अंतिम रूप देने में विलंब	1.4.6.1(ए)	195
1.20(सी)	डीआरसी-07 जारी होने के बाद वसूली के लिए लंबित	1.4.6.1(ए)	196
1.20(डी)	न्यायनिर्णय की कार्यवाही पूरी होने में विलंब	1.4.6.1(ए)	197
1.21	विस्तृत सत्यापन के लिए एएसएमटी-3.2 से चयनित नमूना	1.4.6.1(बी)	198
1.21(ए)	एएसएमटी-10 जारी होने के बाद कार्रवाई लंबित	1.4.6.1(बी)	203
1.21(बी)	डीआरसी-01 को अंतिम रूप देने विलंब	1.4.6.1(बी)	208
1.21(सी)	डीआरसी-07 जारी होने के बाद वसूली के लिए लंबित	1.4.6.1(बी)	208
1.21(डी)	न्यायनिर्णय की कार्यवाही पूरी होने में विलंब	1.4.6.1(बी)	209
1.21(ई)	शून्य मांग के साथ निरस्त करदाता जिनके प्रति मांग नोटिस लंबित थी	1.4.6.1(सी)	210
1.22(ए)	निरस्त नमूना मामलों की सूची (अपने आप से)	1.4.6.1(ii)	212
1.22(बी)	निरस्त नमूना मामलों की सूची (आवेदन पर)	1.4.6.1(ii)	216
1.22(सी)	अंतिम रिटर्न फाइल न करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई	1.4.6.1(ii)	220

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
1.22(डी)	करदाताओं को निरसन के बाद एएमएमटी-10 जारी किया गया (खंड-I)	1.4.6.1(ii)	228
1.23	लेखापरीक्षा आयामों/पैरामीटरों का सारांश	1.4.6.2	231
1.24	ऐसे मामले जिनमें उत्तर प्राप्त नहीं हुआ	1.4.6.2(ए)	237
1.25	ऐसे मामले जिनमें उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (टर्नओवर मामले)	1.4.6.2(ए)	238
1.26	कमियों का सारांश	1.4.6.2(बी)	239
1.27	कमियों का सारांश (टर्नओवर मामले)	1.4.6.2(बी)	242
1.28	प्रत्येक आयाम के अंतर्गत एक मामला जहां विभाग ने एएसएमटी-10/एससीएन के रूप में सुधारात्मक कार्रवाई की है	1.4.6.2(बी)	243
1.29	करदाताओं की सूची जिन्हे एससीएन जार किए गए	1.4.6.2(सी)(i)(ए)	244
1.30	करदाताओं की सूची जिन्हें एएसएमटी-10 जारी किए गए	1.4.6.2(सी)(i)(ए)	247
1.31	उन मामलों की सूची जहाँ विभाग का उत्तर बिना सहायक दस्तावेज़ या उसकी टिप्पणियों के था	1.4.6.2(सी)(i)(बी)	248
1.32	आंकड़ा प्रविष्टि में त्रुटि करने वाले करदाताओं की सूची	1.4.6.2(सी)(ii)	248
1.33	उन करदाताओं की सूची जहाँ लेखापरीक्षा परिप्रश्न जारी होने से पहले कार्रवाई की गई	1.4.6.2(सी)(ii)	249
1.34	उन मामलों की सूची जहाँ करदाताओं के पास वैध स्पष्टीकरण था	1.4.6.2(सी)(iii)	250
1.35	ब्याज का गैर-भुगतान	1.4.6.3(ए)(I)(ए)	251

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
1.36	उत्क्रम प्रभार प्रक्रिया (आरसीएम) के अंतर्गत आईटीसी का अधिक लाभ उठाना	1.4.6.3(ए)II	252
1.37	इनपुट सेवा वितरण (आईएसडी) के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल	1.4.6.3(ए)II	253
1.38	आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल	1.4.6.3(ए)II	255
1.38(ए)	आईटीसी का बेमेल (जीएसटीआर-9 तालिका 8डी)	1.4.6.3(ए)II	260
1.38(बी)	आईटीसी का बेमेल (जीएसटीआर-9 तालिका 6जे)	1.4.6.3(ए)II	264
1.38(सी)	आईटीसी का बेमेल (जीएसटीआर-9सी तालिका 12एफ)	1.4.6.3(ए)II	266
1.39	करयोग्य और छूट प्राप्त/शून्य आपूर्तियों के लिए सामान्य इनपुट के बदले में आईटीसी का अल्प/गैर-उत्क्रम	1.4.6.3(ए)II	267
1.40	कर योग्य और छूट प्राप्त/शून्य आपूर्तियों के लिए उपयोग की गई पूंजीगत वस्तुओं के बदले में आईटीसी का अल्प/गैर-उत्क्रमण	1.4.6.3(ए)II	270
1.41	कर देयता का बेमेल	1.4.6.3(ए)III	271
1.42	उत्क्रम प्रभार प्रक्रिया (आरसीएम) के अंतर्गत कर देयता के भुगतान में बेमेल	1.4.6.3(ए)III	274
1.43	आई-जीएसटीआर-9सी तालिका 9आर के अनुसार दत्त कर में बेमेल	1.4.6.3(ए)III	275
1.44	टर्नओवर में कमी	1.4.6.4 (i)	276
1.45	पिछले वर्ष के बिल न किए गए राजस्व को शामिल न करने के कारण टर्नओवर में कमी	1.4.6.4 (i)	278
1.46	टर्नओवर का बेमेल	1.4.6.4 (i)	279

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
2.1	विभागों और संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण	2.1.1	280
2.2	31 मार्च 2023 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को दिए गए लेखाओं का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण	2.1.5	287
2.3	2021-22 के ट्रू-अप के अनुसार बीआरपीएल और बीवाईपीएल के विनियामक परिसंपत्तियां	2.3.5.1	289
2.4	नमूना चयन में चयनित निविदाओं की संख्या	2.6.2	290
2.5	चयनित टीआईए	2.6.2	291
2.6	समान ईमेल आईडी वाले अनेक बोलीदाताओं के पंजीकरण का विवरण	2.6.4(ii)	292
2.7	2020-23 के दौरान एक्सिस बैंक से केनरा बैंक खाते में अंतरित निधियों का विवरण	2.7	293
2.8	अधिशेष निधियों के निवेश में विलंब के कारण ब्याज की संभावित हानि का विवरण	2.7	294
2.9	बिजली के बढ़े हुए शुल्क के भुगतान का विवरण	2.8	297

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि रा.रा.क्षे. दिल्ली की विधान सभा के समक्ष रखा जा सके। इस प्रतिवेदन में दो अध्याय हैं।

इस प्रतिवेदन का ***अध्याय-I*** सरकार के राजस्व क्षेत्र के विभागों की लेखापरीक्षा से संबंधित है। प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन का ***अध्याय-II*** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभागों की लेखापरीक्षा से संबंधित है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो वर्ष 2022-23 के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान दृष्टिगत हुए और साथ ही वे भी मामले शामिल हैं जो पिछले वर्षों में देखे गए थे, परंतु पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे। जहाँ भी आवश्यक था, 2022-23 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में राजस्व एवं आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्रों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाले दो अध्याय शामिल हैं। राजस्व क्षेत्र से संबंधित अध्याय I में "*वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल (ई-वे बिल) प्रणाली*" पर निष्पादन लेखापरीक्षा और "*वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए वस्तु एवं सेवा कर भुगतान एवं रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी*" पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और दो अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं, जिनका कुल मौद्रिक मूल्य ₹ 1,985.04 करोड़ है। सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित अध्याय II में दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षाएं शामिल हैं - एक "*रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा विद्युत सब्सिडी का प्रबंधन*" और दूसरी "*रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा ई-खरीद प्रणाली का कार्यान्वयन*" तथा छह अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ भी शामिल हैं जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 45.12 करोड़ है। इस प्रतिवेदन में वर्णित कुछ प्रमुख निष्कर्षों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

अध्याय I: राजस्व क्षेत्र

परिचय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.र.क्षे.दि.स.) की वर्ष 2022-23 की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 62,703 करोड़ थीं, जब कि वर्ष 2018-19 में यह ₹ 43,112.60 करोड़ थीं। वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्ति में से ₹ 47,363 करोड़ (75.53 *प्रतिशत*) कर राजस्व था, जब कि गैर-कर राजस्व ₹ 581 करोड़ (0.93 *प्रतिशत*) और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 14,759 करोड़ (23.54 *प्रतिशत*) था।

(पैराग्राफ 1.1.1)/पृष्ठ-1

वर्ष 2023-24 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क, मोटर वाहन कर और राज्य उत्पाद शुल्क से संबंधित 22 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 145 मामलों में ₹ 220.59 करोड़ के कर/शुल्क की गैर/अल्प उगाही या तथा अन्य अनियमितताएं पाई गई। संबंधित विभागों ने इन लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कोई उत्तर नहीं दिया।

(पैराग्राफ 1.1.6)/पृष्ठ-8

अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ

राजस्व विभाग

₹ 1.91 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का अल्प भुगतान - औद्योगिक/आवासीय दरों के बजाय कृषि- दर के गलत तरीके से लगाए जाने के कारण ₹ 1.91 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का अल्प भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 1.2)/पृष्ठ-9

निष्पादन लेखापरीक्षा

व्यापार और कर विभाग

वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली

1 अप्रैल 2018 से लागू किया गया इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल (ईडब्ल्यूबी), वस्तुओं की आवाजाही के लिए आवश्यक एक दस्तावेज़ है और इसे वस्तुओं की आवाजाही से पहले उसके विवरण को दर्ज करने के लिए अभिकल्पित गया है। "वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई, जिसमें 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 की अवधि सम्मिलित थी। लेखापरीक्षा में राजस्व हितों की रक्षा में ईडब्ल्यूबी तंत्र और इसकी प्रभावशीलता की जांच के लिए 2018-19 से 2021-2022 की अवधि के लिए 36 करदाताओं के 120 ईडब्ल्यूबी का चयन किया गया, आठ करदाताओं के आठ अन्य ईडब्ल्यूबी को परस्पर पैन विश्लेषण के लिए चुना गया और उच्च मूल्य वाले एक ईडब्ल्यूबी का भी चयन किया गया। लेखापरीक्षा में ईडब्ल्यूबी का सत्यापन करने वाली एकमात्र कर-वंचन निरोधक इकाई का भी चयन किया गया और ईडब्ल्यूबी से संबंधित प्रवर्तन गतिविधियों की दक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए चयनित इकाई से 50 दर्ज किए गए मामलों की जांच की गई।

लेखापरीक्षा में ईडब्ल्यूबी प्रणाली की जांच करने में प्रणालीगत कमियां पाई गईं, जैसे कि 'अयोग्य करदाताओं का प्रशमन उगाही योजना के अंतर्गत बने रहना' और ई-वे बिल जारी होने के बावजूद करदाताओं द्वारा शून्य रिटर्न फाइल करना या रिटर्न फाइल न करना'। 'निरस्त करदाताओं द्वारा ई-वे बिल तैयार करना और एक ही इनवॉइस पर कई ईडब्ल्यूबी तैयार करना' जैसी श्रेणियों में अनुपालन

विचलन देखा गया। करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ईडब्ल्यूबी प्रणाली में उपलब्ध जानकारी का उपयोग करने में विभाग की दक्षता में भी कमियां पाई गईं।

(पैराग्राफ 1.3)/पृष्ठ-10

प्रतिवेदन में शामिल किए गए मौद्रिक मूल्य वाले कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- 759 इलेक्ट्रॉनिक वे बिल (ईडब्ल्यूबी) तैयार करने वाले पांच करदाताओं ने इन ईडब्ल्यूबी में शामिल ₹ 33.89 करोड़ की जावक आपूर्ति के प्रति ₹ 4.68 करोड़ की कर देयताओं का भुगतान नहीं किया था, क्योंकि जीएसटीएन पोर्टल पर संबंधित महीनों के आंकड़ों की संवीक्षा से पता चला है कि करदाताओं ने शून्य जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल किया था।
- 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान 15 करदाताओं ने 580 ईडब्ल्यूबी तैयार किए जिनका निर्धारण योग्य मूल्य ₹ 252.66 करोड़ और कर ₹ 31.46 करोड़ था, परंतु संबंधित महीनों में जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल नहीं किया, इसलिए कर देयता का कोई भुगतान नहीं किया गया था।
- जुलाई 2017 से जनवरी 2021 के बीच 28 करदाताओं का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया था। इन करदाताओं ने पंजीकरण निरस्त होने से पहले ₹ 734.75 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य वाले 3,629 ईडब्ल्यूबी बनाए थे, जिनका कर प्रभाव ₹ 99.39 करोड़ था, जैसा कि जीएसटीएन पोर्टल पर ईडब्ल्यूबी एमआईएस रिपोर्ट से पता चला, और इन करदाताओं को जीएसटीआर-10 रिटर्न फाइल करके अपनी अंतिम कर देयताओं का भुगतान करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निरस्त 28 करदाताओं में से किसी ने भी पंजीकरण निरस्त करने के बाद जीएसटीआर-10 रिटर्न फाइल नहीं किया था और विभाग ने करदाताओं की लंबित कर देयताओं का निर्धारण करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी।
- दिल्ली एसजीएसटी आयुक्तालय के अंतर्गत सात करदाताओं ने 32 इनवॉइसों के आधार पर ₹ 1.79 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य और ₹ 0.32 करोड़ के कर से जुड़े 65 ईडब्ल्यूबी तैयार किए थे। प्रत्येक इनवॉइस संख्या का उपयोग दो से तीन ईडब्ल्यूबी तैयार करने के लिए किया गया था। चूंकि

करदाताओं ने एक ही इनवॉइस का उपयोग करके कई ईडब्ल्यूबी तैयार किए थे, इसलिए करदाताओं द्वारा उनके जीएसटीआर-1 रिटर्न में जावक आपूर्ति की कम रिपोर्टिंग का संभावित जोखिम था। यह भी देखा गया कि संबंधित करदाताओं ने या तो किसी भी परेषण के बारे में रिपोर्ट नहीं किया था या अपने जीएसटीआर-1 रिटर्न में केवल एक परेषण की सूचना दी थी। यह एक ही या समान इनवॉइस का प्रयोग करके कई ईडब्ल्यूबी तैयार करने पर रोक लगाने के लिए ईडब्ल्यूबी सामान्य पोर्टल में सत्यापन नियंत्रण की कमी को इंगित करता है।

- 11 करदाताओं द्वारा ₹ 4.72 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य वाले 18 ईडब्ल्यूबी संदिग्ध वाहनों का उपयोग करके, अर्थात् स्क्रैप, चोरी के, परित्यक्त, पंजीकरण निरस्त किए गए और निलंबित वाहनों आदि का उपयोग करके तैयार किए गए थे, अतः विभाग द्वारा इन लेन-देन की सत्यता की जांच की जानी थी, जो कि नहीं की गई थी।
- तीन करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी में ₹ 14.99 करोड़ के आईटीसी का दावा किया था, जब कि जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी केवल ₹ 5.29 करोड़ था। इस प्रकार इन तीनों करदाताओं ने ₹ 9.70 करोड़ के अतिरिक्त आईटीसी का लाभ उठाया था।
- परस्पर पैन विश्लेषण के लिए आठ मामलों का चयन किया गया था। आईटीसी का लाभ उठाए जाने की सत्यता की जांच के लिए इन आठ करदाताओं के रिटर्न की संवीक्षा की गई थी। यह पाया गया कि आठ में से तीन करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी के माध्यम से ₹ 109.77 करोड़ के आईटीसी का लाभ उठाया था। तथापि, जीएसटीआर-2ए के अनुसार केवल ₹ 106.44 करोड़ ही उपलब्ध था। इस प्रकार, इन करदाताओं द्वारा ₹ 3.33 करोड़ के आईटीसी का अतिरिक्त लाभ उठाया गया था।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए वस्तु एवं सेवा कर भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए "जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी" पर अनुपालन लेखापरीक्षा की गई। यह लेखापरीक्षा मुख्य रूप से वर्ष डाटा विश्लेषण पर आधारित थी, जिसमें 2018-21 के लिए फाइल

किए गए जीएसटी रिटर्न में जोखिम वाले क्षेत्रों, खतरे के संकेत और कुछ मामलों में, नियम-आधारित विचलनों और तार्किक विसंगतियों को उजागर किया गया। एसएससीए में दिल्ली राज्य कर विभाग के आधिकारिक फार्मेशनों (क्षेत्र) के निरीक्षण कार्यों का दो स्तरों पर, अर्थात् राज्य-व्यापी डाटा प्रश्नों के माध्यम से डाटा स्तर पर और वार्डों, जीएसटी रिटर्न और आंतरिक लेखापरीक्षा जिसमें करदाताओं के अभिलेखों की अभिप्राप्ति सम्मिलित है, की विस्तृत लेखापरीक्षा के साथ कार्यात्मक स्तर पर आकलन करना सम्मिलित था।

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में, 487 उच्च मूल्य की विसंगतियों में से विभाग ने केवल 127 मामलों में उत्तर दिए, जिनमें से विभाग ने 74 मामलों में ₹ 2,656.65 करोड़ के लिए एससीएन और 17 मामलों में ₹ 273.87 करोड़ के लिए एएसएमटी-10 जारी करके 91 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की थी। जीएसटी रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा में करदाताओं के जीएसटी रिटर्न में महत्वपूर्ण बेमेल का भी पता चला है। चयनित 70 करदाताओं में से, लेखापरीक्षा में इन करदाताओं के 344 मामलों में गैर-अनुपालन/कमियां देखी गईं, जिनमें राजस्व प्रभाव ₹ 3071.92 करोड़ था और टर्नओवर का बेमेल ₹ 3,710.17 करोड़ था।

(पैराग्राफ 1.4)/पृष्ठ-34

इनपुट कर क्रेडिट का अनियमित दावा - निर्धारण प्राधिकारी ने विक्रेता व्यापारी द्वारा जमा किए गए कर के विवरण को सत्यापित किए बिना एक निर्धारिती को ₹ 89.35 लाख के इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 89.35 लाख के कर की अल्प उगाही हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 72.70 लाख का ब्याज और ₹ 89.35 लाख का जुर्माना भी देय था।

(पैराग्राफ 1.5)/पृष्ठ-71

अध्याय II: आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्र

परिचय

वर्ष 2022-23 के दौरान, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा, दिल्ली के कार्यालय द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के 49 विभागों के कुल 784 लेखापरीक्षा योग्य

इकाइयों में से 240 इकाइयों[1] (30.61 *प्रतिशत*) की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई। इस प्रतिवेदन के अध्याय-II में दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं- एक "रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा विद्युत सब्सिडी का प्रबंधन" और दूसरा "रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा ई-खरीद प्रणाली का कार्यान्वयन" और ₹ 45.12 करोड़ के मौद्रिक मूल्य वाले छह अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ भी हैं।

अनुपालन लेखापरीक्षा

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड

कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिए परीक्षा आयोजित करने पर ₹ 1.05 करोड़ का निष्फल व्यय - डीएसएसएसबी ने विज्ञापित रिक्तियों को वापस लेने की अगली सूचना और इस संबंध में बाद में भेजे गए अनुस्मारकों की अनदेखी करते हुए, दिल्ली जल बोर्ड में कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिए एक परीक्षा आयोजित की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.05 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.2)/पृष्ठ-82

ऊर्जा विभाग

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा विद्युत सब्सिडी का प्रबंधन-

वर्ष 2019-20 से 2022-23 की अवधि को सम्मिलित करते हुए "रा.र.क्षे.दि.स. द्वारा विद्युत सब्सिडी का प्रबंधन" पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी। इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य, उपभोक्ताओं को सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया की जांच करना, इस तरह के वितरण को नियंत्रित करने वाले लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन का आकलन करना और उपभोक्ता शुल्कों पर निरंतर सब्सिडी के दीर्घकालिक प्रभावों का विश्लेषण करना था।

दिल्ली में वर्ष 2003-04 से विद्युत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। दिल्ली में विद्युत के बड़े उपभोक्ता घरेलू उपभोक्ता है, जो कुल विद्युत खपत का लगभग 60 *प्रतिशत* हिस्सा है। 2019-20 में, विद्युत सब्सिडी के रूप में ₹ 2,405.59 करोड़ की राशि दी गई थी, जो बाद में तीन वर्षों में 31 *प्रतिशत* बढ़कर 2022-23 में ₹ 3,161 करोड़ हो गई।

[1] इनमें 15 शीर्ष लेखापरीक्षा संस्थाएं शामिल हैं, जिसका व्यय ₹ 7,128.72 करोड़ है।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि विद्युत क्षेत्र के लिए रा.र.क्षे.दि.स. की सब्सिडी नीति ने आबादी के पात्र और वंचित वर्ग को लक्षित नहीं किया और इसका लगभग समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को आधार बनाकर भुगतान किया गया।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि उच्च उपभोग श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए प्रति उपभोक्ता वास्तविक सब्सिडी व्यय बहुत अधिक था। 0 से 200 यूनिट उपभोग श्रेणी के अंदर आने वाले 30 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को प्रति कनेक्शन प्रति वर्ष औसतन ₹ 6,000 की सब्सिडी प्राप्त हुई, जब कि 200 यूनिट से अधिक उपभोग वाले लगभग 16.60 लाख उपभोक्ताओं को प्रति कनेक्शन प्रति वर्ष औसतन ₹ 10,000 से अधिक की सब्सिडी मिली, जो लगभग 70 *प्रतिशत* अधिक थी।

- पचास हज़ार से अधिक उपभोक्ताओं को 12 महीने से अधिक समय तक लगातार शून्य खपत थी और उन्हें ₹ 17.81 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई, नब्बे हज़ार से अधिक उपभोक्ताओं को 6 से 11 महीने तक लगातार शून्य खपत पर ₹ 11.88 करोड़ की सब्सिडी मिली और 1 लाख 70 हज़ार से अधिक उपभोक्ताओं ने 3 से 5 महीने तक लगातार शून्य विद्युत का उपयोग किया और उन्हें ₹ 12.57 करोड़ की सब्सिडी प्राप्त हुई। यह खराब नीतिगत ढांचे का संकेत है और विद्युत उपभोग पर डाटा का आवधिक विश्लेषण केवल जरूरतमंद उपभोक्ताओं को विद्युत सब्सिडी देने के लिए एक विवेकपूर्ण नीति बनाने के लिए सरकार को अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सहायक हो सकता है। लंबे समय तक निष्क्रिय/बंद पड़े कनेक्शनों पर सब्सिडी खर्च करना व्यर्थ है और इससे कोई तर्कसंगत आर्थिक उद्देश्य पूरा नहीं होता है।

- रा.र.क्षे.दि.स. का फोकस लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर विचार किए बिना विद्युत सब्सिडी प्रदान करना था। मौजूदा सब्सिडी व्यवस्था के जारी रहने को देखते हुए, अनिवार्य टैरिफ वृद्धि का सीधा प्रभाव रा.रा.क्षे.दि.स. के सब्सिडी बिल पर पड़ेगा, जो सरकार के लिए असंधारणीय हो सकता है, यदि नीति को केवल एक लक्षित उपभोक्ता श्रेणी के लिए संशोधित नहीं किया जाता है। 400 यूनिट खपत के उच्च अवसीमा मूल्य का औचित्य अभिलेख में नहीं पाया गया, जिसमें लगभग 80 *प्रतिशत* घरेलू उपभोक्ता सम्मिलित हैं।

- सब्सिडी रा.र.क्षे.दि.स. के कुल राजस्व व्यय का लगभग 10 *प्रतिशत* थी। 2019-20 से 2022-23 के दौरान कुल सब्सिडी में केवल विद्युत सब्सिडी का हिस्सा 66.96 से 70.39 *प्रतिशत* था, जो उपभोक्ताओं को विद्युत सब्सिडी प्रदान करने की प्रक्रिया और इसकी प्रभावशीलता का आकलन करने की आवश्यकता पर बल देता है।

- 2014-15 के बाद टैरिफ में वृद्धि नहीं की गई है और इसलिए वर्तमान टैरिफ में विद्युत की खरीद और वितरण की वास्तविक लागत नहीं दिखाई गई है। लागत और वसूली के बीच इस बेमेल के कारण अप्राप्त खर्चों का निरंतर संचय हुआ, जिन्हें वर्ष दर वर्ष "नियामक परिसंपत्तियों" के रूप में ट्रू-अप किया गया है और डिस्कॉम के तुलन-पत्र में एक परिसंपत्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यह डिस्कॉम द्वारा की गई लागतों का प्रतिनिधित्व करता है जो भविष्य में विनियमित दरों या टैरिफ के माध्यम से ग्राहकों से वसूल किए जा सकते हैं। दिल्ली डिस्कॉम की नियामक परिसंपत्तियां, जो 2019-20 में ₹ 9,063 करोड़ थीं, 31 मार्च 2021 तक ₹ 27,200.37 करोड़ हो गई हैं।

(पैराग्राफ 2.3)/पृष्ठ-84

सिफारिश: *सरकार को चाहिए कि:*

- *योग्य लाभार्थियों को विद्युत सब्सिडी को लक्षित करने के लिए डिस्कॉम के उपभोक्ता बिलिंग डाटा की समीक्षा करें।*
- *संपन्न उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने वाली व्युत्क्रमित सब्सिडी की स्थिति को रोकने के लिए सब्सिडी को 3 किलोवाट तक स्वीकृत लोड से जोड़ने के लिए डीईआरसी की वैधानिक सलाह पर विचार करें।*
- *सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए डीबीटी शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाए।*
- *बढ़ती नियामक परिसंपत्ति देयता के कारण भावी टैरिफ शुल्कों पर प्रभाव का आकलन करें, साथ ही अस्वीकृत उपभोक्ता शुल्कों के कारण राज्य के वित्त पर छोड़े गए राजस्व के प्रभाव का आकलन करें।*

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

त्रुटिपूर्ण संविदा के कारण ₹ 1.93 करोड़ का परिहार्य भुगतान - जीटीबी अस्पताल ने प्रशासनिक विभाग के निर्देश पर 11 अक्टूबर 2014 को 224 नर्सिंग अर्दली और ग्रुप 'डी' कर्मचारी प्रदान करने के लिए मैसर्स सर्वेश सिक्योरिटीज़ सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स एसएसएसपीएल) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और अनुबंध को 15 मार्च 2016 तक बढ़ा दिया गया। इस अनुबंध में अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम मज़दूरी के भुगतान का प्रावधान था। अस्पताल ने अनुबंध के बाद समय-समय पर सरकार द्वारा अनुमोदित न्यूनतम मज़दूरी की संशोधित दर के अनुसार भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप संविदाकार के साथ विवाद हुआ और यह न्यायलय के हस्तक्षेप के बाद और ₹ 1.93 करोड़ का परिहार्य भुगतान करने के बाद समाप्त हुआ।

(पैराग्राफ 2.4)/पृष्ठ-105

उद्योग विभाग

दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी)

₹ 29.45 करोड़ का निष्फल व्यय - डीएसआईआईडीसी ने ग्रामीण विकास विभाग, रा.र.क्षे.दि.स. से रत्न एवं आभूषण पार्क और फैशन डिजाइन हब स्थापित करने के लिए बापरोला में 137.63 एकड़ भूमि पर 99 वर्षों के लिए पट्टा अधिकार प्राप्त किए (दिसंबर 2006)। भूमि आबंटन के 18 वर्ष बीत जाने के बावजूद, आबंटित भूमि के 59 *प्रतिशत* (81.42 एकड़) के इच्छित/परिकल्पित उपयोग में अनिर्णय और निरंतर परिवर्तन के परिणामस्वरूप ₹ 29.45 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, डीएसआईआईडीसी पर आबंटित भूमि के लंबित वार्षिक भू-किराए के रूप में ₹ 15.79 करोड़ की अभुक्त देयता बनी।

(पैराग्राफ 2.5)/पृष्ठ-108

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा ई-खरीद प्रणाली का कार्यान्वयन

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1,185 निविदाओं को मैन्युअल रूप से जारी करने के अतिरिक्त, मॉड्यूल की कुछ प्रमुख विशेषताएं पूर्ण रूप से कार्यात्मक नहीं थीं। ई-खरीद पोर्टल में ईएमडी भुगतान गेटवे के एकीकृत

न होने के कारण बयाना राशि जमा को ऑफ़लाइन एकत्रित किया गया था। निविदाओं के तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन में मैनुअल हस्तक्षेप और मॉड्यूल में व्यावसायिक नियमों की मैपिंग न होना पाया गया, जो डिज़ाइन स्तरीय नियंत्रण की कमी और प्रणाली में उचित सत्यापन नियंत्रण के आभाव को दर्शाता है।

- डाटा विश्लेषण से पता चला कि कुल 50,903 पंजीकृत बोलीदाताओं में से, प्रणाली ने अनिवार्य पैन संख्या के बिना 66 बोलीदाताओं को पंजीकरण की अनुमति दी, जिनमें से 12 बोलीदाताओं ने 28 वैध बोलियों में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, ₹ 530.25 करोड़ के निविदा मूल्य वाली 45 निविदाओं में, सामान्य पैन के साथ पंजीकृत बोलीदाताओं ने एक ही निविदा में बोली प्रस्तुत की, जिससे बोलीदाताओं के बीच दुरभिसंधि का संदेह उत्पन्न होता है। इसी तरह, 12,283 बोलीदाताओं ने केवल 5,658 ईमेल आईडी का उपयोग किया, जो इंगित करता है कि प्रणाली द्वारा एक ही ईमेल आईडी से कई बोलीदाताओं के पंजीकरण की अनुमति दी गई है। विशेष रूप से, 38 निविदाओं (₹ 2.52 करोड़ के निविदा मूल्य वाले) में, सभी बोलियां एक ही ईमेल आईडी से पंजीकृत बोलीदाताओं द्वारा लगाई गईं, जो संदिग्ध कवर बोली का संकेत देती है।

- लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि विभागीय उपयोगकर्ताओं और बोलीदाताओं द्वारा अमान्य/समान मोबाइल नंबर से पंजीकरण किया गया है जो इनपुट सत्यापन नियंत्रण के अभाव को दर्शाता है।

- डाटा विश्लेषण से पता चला कि ₹ 3,217.44 करोड़ के निविदा मूल्य वाली 7,181 निविदाओं से संबंधित 14,527 वैध बोलियों के मामले में, बोलीदाताओं ने एक ही आईपी पते का उपयोग किया, जो विभागीय उपयोगकर्ताओं और बोलीदाताओं के बीच हितों के टकराव का संकेत है। लेखापरीक्षा के दौरान जन्म तिथि के विवरण के बिना पंजीकरण, सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय उपयोगकर्ताओं का प्रणाली में लॉग इन करने, बोलीदाताओं का अनुचित पंजीकरण, अमान्य डीएससी के साथ दस्तावेज़ों को अपलोड करने और तकनीकी मूल्यांकन से पहले वित्तीय पैकेटों को डीक्रिप्ट करने के मामले भी देखे गए।

- लेखापरीक्षा में प्रणाली की डाटा की प्रमाणिकता पर आश्वासन प्रदान करने के लिए विभाग के नियंत्रण तंत्र में कमियां देखी गईं। यह पता चला कि 1.55 लाख निविदाओं में से ₹ 3,254.68 करोड़ के निविदा मूल्य वाले केवल 5,363 निविदाओं (3.47 *प्रतिशत)* में संविदा आबंटन विवरण था। लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान प्रणाली में केवल लगभग 34 *प्रतिशत* निविदाओं के वित्तीय मूल्यांकन विवरण का अद्यतनीकरण, गलत टीआईए के प्रति ₹ 1,106.04 करोड़ की निविदा मूल्य वाली सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की 497 निविदाओं की गलत मैपिंग, निविदा मूल्यांकन के दौरान अप्रासंगिक और अपूर्ण दस्तावेज़ों को अपलोड करना आदि को भी देखा गया, जो अपर्याप्त आतंरिक नियंत्रण तंत्र को दर्शाता है।

(पैराग्राफ 2.6)/पृष्ठ-111

सिफारिशें:

1. *प्रणाली के उपयोग को इष्टतम बनाने के लिए एक निर्दिष्ट समयावधि के अंदर सभी मॉड्यूल को सभी विभागों की आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित अनुकूलन के साथ कार्यात्मक किया जाना चाहिए।*
2. *विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निविदा आमंत्रण प्राधिकारी (टीआईए) केवल ई-खरीद प्रणाली पर ही निविदाएं जारी करें, जिनका मूल्य अवसीमा से अधिक है।*
3. *मौजूदा व्यावसायिक नियमों जैसे जीएफआर, खरीद मैनुअल आदि को ई-खरीद प्रणाली में सख्ती से मैप किया जाना चाहिए।*
4. *खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मज़बूत सत्यापन नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बोलीदाताओं की साझा साख को उजागर करने के लिए प्रणाली स्तर के अलर्ट तैयार किए जाने चाहिए।*
5. *मज़बूत और सुरक्षित ई-खरीद प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करने के लिए, सरकार को ई-खरीद प्रणाली में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और जांच बिंदु स्थापित करके डाटा की पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करनी चाहिए।*

लोक निर्माण विभाग

जल निकासी से संबंधित विचलित मात्राओं पर ₹ 5.63 करोड़ का परिहार्य भुगतान - अनुमानित मात्रा का पता लगाने में वित्तीय विवेक और उचित सावधानी न बरतने के कारण अनुबंध के अनुसार अनुमेय सीमा से अधिक विचलन हुआ और इसके कारण जल निकासी से संबंधित तीन मदों की विचलित मात्राओं पर बाज़ार दरों में ₹ 5.63 करोड़ का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

(पैराग्राफ 2.7)/पृष्ठ-137

परिवहन विभाग

अधिशेष निधियों के निवेश में विलंब के कारण ₹ 5.50 करोड़ के ब्याज की हानि - डीटीसी ईपीएफ ट्रस्ट अप्रैल 2020 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान की अधिशेष निधि का समय पर निवेश करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.50 करोड़ के ब्याज की संभावित हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.8)/पृष्ठ-139

शहरी विकास विभाग

दिल्ली जल बोर्ड

₹ 1.56 करोड़ का परिहार्य भुगतान - संचालन और रखरखाव कार्य के लिए सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसी के नाम पर विद्युत कनेक्शन लेने के परिणामस्वरूप डीजेबी जैसी सार्वजनिक उपयोगिता के लिए निर्धारित कम दर (₹ 6.25 प्रति केवीएएच) के प्रावधान के बावजूद विद्युत बिलों का भुगतान (गैर-घरेलू श्रेणी के अंतर्गत) ₹ 8.50 प्रति केवीएएच की उच्च दर पर किया गया। विद्युत की लागत में वृद्धि के लिए एजेंसी को ₹ 1.56 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ 2.9)/पृष्ठ-141

****

अध्याय I

राजस्व क्षेत्र

अध्याय-I

राजस्व क्षेत्र

1.1 परिचय

1.1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा जुटाए गए कर और गैर-कर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त सहायता अनुदान और पिछले चार वर्षों के संबंधित आंकड़ों को **चार्ट 1.1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.1.1: राजस्व प्राप्तियों की वर्ष-वार प्रवृत्ति

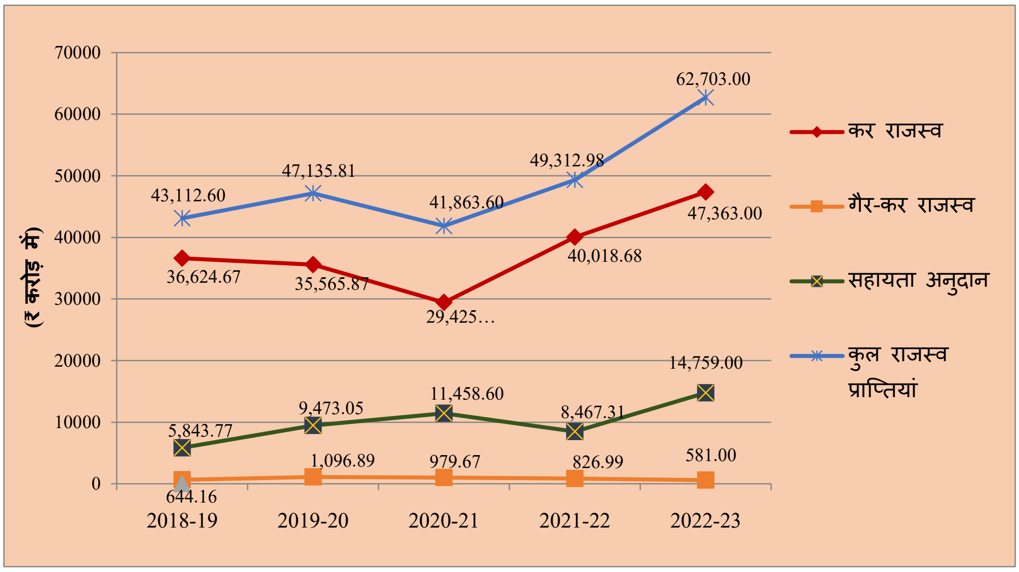

राजस्व प्राप्तियां 2018-19 के ₹ 43,113 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 62,703 करोड़ हो गईं जो 45.44 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्शाती हैं। औसत वार्षिक वृद्धि दर1 1 *प्रतिशत* रही, जिसमें से रा.रा.क्षे.दि.स. की राजस्व प्राप्तियों (कर और गैर-कर) में पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में ₹ 7,098.33 करोड़ (17.38 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

2022-23 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 27.15 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से स्वयं कर राजस्व में

₹ 7,344 करोड़ (18.35 *प्रतिशत)* की वृद्धि और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में ₹ 6,291.69 करोड़ (74.31 *प्रतिशत*) की वृद्धि के कारण थी।

रा.रा.क्षे.दि.स. की कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 2018-19 के 84.95 *प्रतिशत* से घटकर 2022-23 में 75.53 *प्रतिशत* हो गया। 2018-19 के दौरान, लगभग 86.38 *प्रतिशत* राजस्व प्राप्तियां रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से आईं, जब कि सहायता अनुदान ने 13.55 *प्रतिशत* का योगदान दिया। वर्ष 2022-23 में, लगभग 76.46 *प्रतिशत* राजस्व प्राप्तियां रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से आईं, जब कि सहायता अनुदान ने 23.54 *प्रतिशत* का योगदान दिया।

- **कर राजस्व का विश्लेषण**

2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान जुटाए गए कर राजस्व का विवरण **चार्ट-1.1.2** में दिया गया है।

चार्ट-1.1.2: जुटाए गए कर राजस्व की वर्ष-वार प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

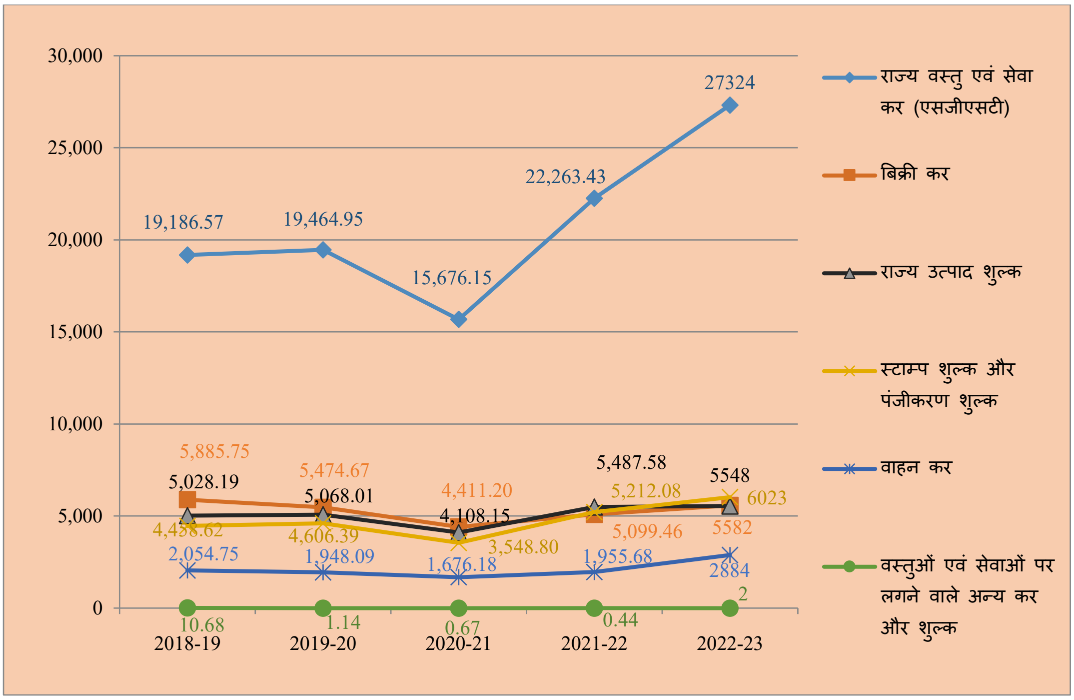

राजस्व प्राप्तियों में प्रमुख योगदान राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) का था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में ₹ 5,060.57 करोड़ (22.73 *प्रतिशत*) बढ़ गया। वर्ष 2022-23 के लिए 'राज्य उत्पाद शुल्क', 'स्टाम्प

और पंजीकरण शुल्क' और 'वाहन कर' शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियों में क्रमशः ₹ 60.42 करोड़ (1.10 *प्रतिशत*), ₹ 810.92 करोड़ (15.56 *प्रतिशत*) और ₹ 928.32 करोड़ (47.47 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जब कि 'भू-राजस्व' शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

- **गैर-कर राजस्व का विश्लेषण**

2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान जुटाए गए गैर- कर राजस्व का विवरण **चार्ट-1.1.3** में दिया गया है।

चार्ट-1.1.3: जुटाए गए गैर-कर राजस्व की वर्ष-वार प्रवृत्ति

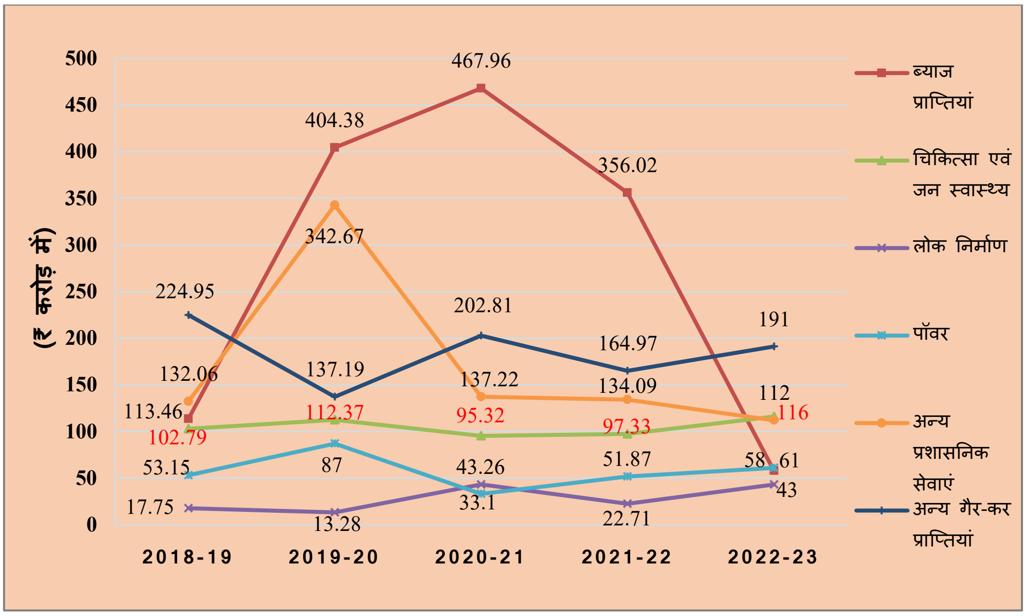

रा.रा.क्षे.दि.स. की गैर-कर प्राप्तियों में 2018-19 से 2022-23 की अवधि में उतार-चढ़ाव देखा गया। इसमें पिछले वर्ष में प्राप्त राजस्व की तुलना में 2022-23 में ₹ 246 करोड़ (29.75 *प्रतिशत*) की कमी आई जिसका मुख्य कारण 'ब्याज प्राप्तियों' में ₹ 298 करोड़ (83.71 *प्रतिशत*) की कमी थी, जो मुख्य रूप से 'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों से ब्याज' में 2021-22 के ₹ 335.85 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹ 45.46 करोड़ हो जाने के कारण थी। गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में प्रमुख योगदान 'चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य', 'अन्य गैर-कर प्राप्तियों' और 'अन्य प्रशासनिक सेवाओं' से था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान क्रमशः ₹ 18.67 करोड़ (19.18 *प्रतिशत*), ₹ 26.03 करोड़ (15.78 *प्रतिशत*) की वृद्धि और ₹ 22.09 करोड़ (16.47 *प्रतिशत)* की कमी आई।

वर्ष 2022-23 में 'लोक निर्माण' और 'विद्युत' शीर्ष के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 20.29 करोड़ (89.34 *प्रतिशत*) और ₹ 9.13 करोड़ (17.60 *प्रतिशत*) बढ़ गईं।

1.1.2 राजस्व का बकाया

राजस्व का बकाया सरकार को प्राप्य/देय राजस्व की प्राप्ति में विलंब को इंगित करता है। व्यापार और कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मुख्य शीर्ष '0040-बिक्री, व्यापार पर कर' आदि के अंतर्गत 31 मार्च 2023 तक राजस्व का बकाया ₹ 70,410 करोड़ था, जिसमें से ₹ 46,037 करोड़ (65 *प्रतिशत*) पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया था।

1.1.3 लेखापरीक्षा पर सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली, लेन-देन की नमूना-जांच करने और नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित लेखाओं और अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण को सत्यापित करने के लिए सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। इन निरीक्षणों पर निरीक्षण रिपोर्टों (आईआर) के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है, जिसमें निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं, जिनका उसी अवसर पर निपटारा नहीं किया जाता है, को सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें निरीक्षण किए गए कार्यालयों के प्रमुखों को और उसकी प्रतियां अगले उच्चतर प्राधिकारियों को जारी की जाती हैं ताकि वे त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई कर सकें। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निरीक्षण रिपोर्टों में निहित अभ्युक्तियों का तुरंत अनुपालन करें, त्रुटियों और चूकों को सुधारें और निरीक्षण रिपोर्टों की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के अंदर महालेखाकार को अनुपालन की रिपोर्ट दें। विभागाध्यक्षों और सरकार को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की सूचना दी जाती है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी की गई आईआर, इन रिपोर्टों में शामिल पैराग्राफ और 31 मार्च 2023 तक उनकी स्थिति का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक 1.1** में दर्शाया गया है।

तथापि, लंबित पैराओं की संख्या 2013-14 में ₹ 11,595.76 करोड़ की राशि वाले 11,941 (558 आईआर में से) से घटकर वर्ष 2022-23 के अंत में ₹ 7,382.06 करोड़ की राशि वाले 10,659 (1090 आईआर में से) हो गई, परंतु तथ्य यह था कि बड़ी संख्या में पर्याप्त मौद्रिक मूल्य वाले पैरा लंबित थे। यह इंगित करता है कि विभागों ने बकाया पैराग्राफों को निपटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं/सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।

उत्तर प्राप्त न होने के कारण बड़ी संख्या में पैराओं का लंबित रहना इस तथ्य का संकेत है कि कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों ने आईआर में लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई त्रुटियों, चूक और अनियमितताओं को सुधारने के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की है। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अधिकारियों द्वारा कार्रवाई का अभाव जवाबदेही को कमज़ोर करता है और राजस्व की परिहार्य हानि का जोखिम बढ़ाता है। बड़ी संख्या में लंबित लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अनुपालन और निपटारे की नियमित निगरानी और समीक्षा करने के लिए प्रभावी तंत्र सुनिश्चित किया जा सके।

- **विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें**

सरकार आईआर में मौजूद लेखापरीक्षा पैराग्राफों के निपटारे की प्रगति की निगरानी और उसमें तेज़ी लाने के लिए लेखापरीक्षा समितियों का गठन करती है। तथापि, वर्ष 2022-23 के दौरान विभागों द्वारा लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

- **लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए अभिलेखों की गैर-प्रस्तुति**

सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 18 (1) (बी) के अनुसार, कोई भी लेखा, बही, कागज़ात और अन्य दस्तावेज़ जो लेन-देन से संबंधित हैं या आधार बनते हैं या अन्यथा उन लेन-देनों से संबंधित हैं, जिन पर लेखापरीक्षा के संबंध में उनके कर्तव्यों को बढ़ाया गया है, उन्हें ऐसे स्थान पर भेजा जाएगा जिसे वह अपने निरीक्षण के लिए नियुक्त कर सकता है। कर राजस्व कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम काफी पहले तैयार किया जाता है और सामान्यतः लेखापरीक्षा शुरू होने से एक महीना पहले विभागों को सूचना जारी

की जाती है ताकि वे लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए संबंधित अभिलेखों को तैयार रख सकें।

व्यापार और कर विभाग के डीवीएटी और बीओडब्ल्यूईबी प्रणाली में विक्रेताओं के प्राथमिक अभिलेख उपलब्ध थे, तथापि, कुछ मामलों में इन अभिलेखों को किसी भी लेखापरीक्षा निष्कर्ष के लिए पर्याप्त नहीं माना गया था। लेखापरीक्षा ने गहन संवीक्षा के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान 126 विक्रेताओं के भौतिक अभिलेखों की मांग की, परंतु विभाग ने 77 विक्रेताओं (61.11 *प्रतिशत*) के संबंध में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया, जो सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त सीएजी की शक्तियों का उल्लंघन है। 60 *प्रतिशत* से अधिक मामलों में मांगे गए अभिलेखों को उपलब्ध न कराना चिंता का विषय है। अभिलेख उपलब्ध न होने के परिणामस्वरूप, इन मामलों में सम्मिलित राजस्व का पता नहीं लगाया जा सका। परिवहन विभाग ने वर्ष 2022-23 के दौरान मांगे गए 82 मामलों में से 80 मामलों (97.56 *प्रतिशत*) के अभिलेख उपलब्ध कराए।

- **लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई: संक्षिप्त स्थिति**

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिपादित मुद्दों के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों और निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कृत कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) जारी करनी होती हैं, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि वे लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा चर्चा के लिए उठाए गए हैं या नहीं। ये एटीएन दिल्ली विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से चार माह की अवधि के अंदर महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली द्वारा विधिवत पुनरीक्षण करके लोक लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाना होता है।

तथापि, अप्रैल 2018 और जुलाई 2022 के बीच राज्य विधानसभा के समक्ष रखे गए 31 मार्च 2017, 2018 और 2019 को समाप्त वर्षों के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित 22 पैराग्राफ के संबंध में प्रतिवेदनों पर एटीएन जारी करने में विलंब हुआ। 31 मार्च 2020, 2021 और 2022 को समाप्त वर्षों के

प्रतिवेदन मार्च 2025 तक राज्य विधानसभा के समक्ष नहीं रखे गए हैं। संबंधित विभागों से एटीएन विलंब से प्राप्त हुए थे, जिनमें से प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में औसतन छह माह का विलंब हुआ था। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के सात पैराग्राफ में से पांच के संबंध में एटीएन विभागों से प्राप्त नहीं हुए थे। लोक लेखा समिति ने उपर्युक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से किसी भी पैराग्राफ पर चर्चा नहीं की।

1.1.4 स्वीकृत मामलों की वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफ, विभागों द्वारा स्वीकार किए गए पैराग्राफ और वसूल की गई राशि की स्थिति **अनुलग्नक 1.2** में दर्शाई गई है।

वर्ष 2012-13 से 2021-22 के प्रतिवेदनों में ₹ 4,430.88 करोड़ के लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल थे, जिनमें से ₹ 2,561.03 करोड़ के मौद्रिक मूल्य से संबंधित अभ्युक्तियों को विभागों द्वारा स्वीकार किया गया था। तथापि, विभाग द्वारा 31 मार्च 2022 तक केवल ₹ 0.16 करोड़ (0.01 *प्रतिशत*) की राशि वसूल की गई थी, जो नगण्य थी। स्वीकृत मामलों की वसूली की अल्प राशि अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई और खराब निगरानी को दर्शाती है।

1.1.5 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की पूर्व प्रवृत्तियों और अन्य मापदंडों के अनुसार उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम वाली इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना एक जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग (केंद्रीय और राज्य) की रिपोर्टें, कराधान सुधार समिति की सिफारिशें, पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व आय का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के कारक और लेखापरीक्षा व्याप्ति तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान इसके प्रभाव में उजागर किए गए मामलों को ध्यान में रखा गया है।

1.1.6 लेखापरीक्षा के परिणाम: वर्ष 2022-23 के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2022-23 के दौरान 165 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों[1] में से 22 इकाइयों[2] की लेखापरीक्षा की गई जिनमें ₹ 24,286.33 करोड़ की कर राजस्व प्राप्तियां शामिल थीं। अभिलेखों की नमूना जांच से 145 पैराग्राफों में ₹ 220.59 करोड़ के कर/शुल्क की गैर/अल्प उगाही और अन्य अनियमितताओं का पता चला। संबंधित विभागों ने इन लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कोई उत्तर नहीं दिया।

1.1.7 राजस्व अध्याय की व्याप्ति

राजस्व क्षेत्र से संबंधित इस अध्याय में "ई-वे बिल प्रणाली" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और तीन अन्य अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं, जिनका वित्तीय प्रभाव ₹ 1,985.04 करोड़ है। संबंधित विभागों ने ₹ 1,867.77 करोड़ से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है। इन पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

[1] जीएसटी/वैट-126, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क-22, मोटर वाहन कर-16, राज्य उत्पाद शुल्क-1

[2] जीएसटी/वैट-2, राज्य उत्पाद शुल्क-शून्य, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क-14, मोटर वाहन कर-6

राजस्व विभाग

1.2 स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में ₹ 1.91 करोड़ का अल्प भुगतान

औद्योगिक/आवासीय दरों के स्थान पर कृषि- दर के गलत प्रयोग के कारण ₹ 1.91 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का अल्प भुगतान

राजस्व विभाग रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ए से एच के बीच वर्गीकृत, रा.रा.क्षे. दिल्ली के विभिन्न स्थानों में स्थित संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए न्यूनतम दरें निर्धारित करती है। रा.रा.क्षे. दिल्ली में आने वाली संपत्तियों के पंजीकरण के समय, इन दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क लगाया जाना है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने 26 फरवरी 2021 के आदेशों के अंतर्गत, दिल्ली में भूमि और अचल संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए न्यूनतम दरों (सर्किल दरें) में छूट को तत्काल प्रभाव से और 30 सितंबर 2021 तक अधिसूचित किया। इसके अतिरिक्त, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 27 में अवधारणा है कि शुल्क को प्रभावित करने वाले तथ्यों को प्रपत्र में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रतिफल (यदि कोई हो) और शुल्क के साथ किसी भी लिखत की प्रभार्यता या शुल्क की राशि जिसके साथ यह प्रभार्य है, को प्रभावित करने वाले सभी अन्य तथ्य और परिस्थितियां पूर्णतः और वस्तुतः इसमें निर्धारित की जाएंगी।

ई-सब रजिस्ट्रार VI ई, लिबासपुर, दिल्ली (कार्यालय) के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के अल्प भुगतान के दो मामले देखे गए। विवरण नीचे दिया गया है:

1. उत्तरी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हमीदपुर गाँव की राजस्व संपदा में स्थित कृषि भूमि[3] की बिक्री हेतु कार्यालय में दिनांक 06.04.2021 को ₹ 84.00 लाख के विक्रय मूल्य पर एक विक्रय विलेख पंजीकृत किया गया। तदनुसार, कुल ₹ 4.20 लाख का स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान, बेची गई संपत्ति की वास्तविक प्रकृति की उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के ऑनलाइन पोर्टल से फिर से जांच की गई और पाया

[3] खसरा सं. 40/8/2 (0-14),9/2(2-15),12 मिनट (3-06, 13 (0-17)

गया कि समान खसरा संख्या और समान विक्रेता के नाम वाली भूमि को पोर्टल पर "औद्योगिक भू-खंडित संपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अतः सर्किल दर के अनुसार, स्टाम्प प्रयोजन हेतु संपत्ति की लागत/मूल्य ₹ 2,366.95 लाख परिकलित किया गया गया, जब कि विक्रय विलेख में स्वीकृत मूल्य ₹ 84.00 लाख था। इस प्रकार, विचाराधीन भूमि को 'औद्योगिक भूमि' के स्थान पर 'कृषि भूमि' के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत करने के कारण, ₹ 114.15 लाख (देय ₹ 118.35 लाख - दत्त ₹ 4.20 लाख) के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का अल्प उगाही हुई, जिसका विवरण नीचे **अनुलग्नक-1.3** में दिया गया है।

2. दिल्ली के अलीपुर गांव में स्थित एक अन्य संपत्ति भी कृषि भूमि के रूप में पंजीकृत थी यद्यपि, जिला मजिस्ट्रेट (उत्तर) द्वारा जारी और दस्तावेज़ों के साथ संलग्न प्रमाणपत्र से पता चला कि संपत्ति का उपयोग हस्तांतरिती द्वारा 'आवासीय' प्रयोजन के लिए किया जाना था। इस मामले में, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की गलत दरें लागू करने के के के परिणामस्वरूप ₹ 76.87 लाख (विवरण **अनुलग्नक-1.3** में दिया गया है) का अल्प भुगतान हुआ।

इस प्रकार, दोनों मामलों में स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की अल्प उगाही ₹ 1.91 करोड़ की हुई। मामला विभाग को सूचित किया गया (21 जून 2024)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (जनवरी, 2025)।

व्यापार और कर विभाग

1.3 वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा

1.3.1 ई-वे बिल का परिचय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया गया है, जिसमें 'एक राष्ट्र एक कर' की अवधारणा पर आधारित कई तरह के अप्रत्यक्ष करों को अपने में समाहित कर लिया गया है। जीएसटी प्रणाली के अभिप्रेत उद्देश्यों में से एक प्रक्रिया-संबंधी समय-विलंब को कम करके वस्तुओं एवं सेवाओं की आवाजाही में दक्षता में सुधार करना था।

वे बिल एक ऐसी सुविधा थी जो जीएसटी से पहले की प्रणालियों में भी मौजूद थी, जहाँ वस्तुओं की आवाजाही मैन्युअल रूप से संचालित (राजस्व) जांच चौकियों के माध्यम से नियंत्रित होती थी। किसी विशेष राज्य में प्रवेश करने वाली वस्तु पर 'प्रवेश कर' लगाया जाता था, जिसे अब जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल (ईडब्ल्यूबी) को सरकार द्वारा निगरानी वाले कर प्रशासन मॉडल से करदाता द्वारा स्वयं-रिपोर्टिंग मॉडल में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया गया है।

ईडब्ल्यूबी लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ईडब्ल्यूबी वस्तुओं के आवाजाही के लिए आवश्यक दस्तावेज़ है और इसे वस्तुओं की आवाजाही से पहले उसका विवरण दर्ज करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। पूरी प्रक्रिया के स्वचालन और मानकीकरण का उद्देश्य कर अपवंचन पर रोक लगाना और जीएसटी संग्रहण को बढ़ाना है। ईडब्ल्यूबी को गैर-व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए भी अभिकल्पित किया गया है, ताकि पारगमन समय कम हो और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार हो।

₹ 50,000 से अधिक मूल्य की सभी वस्तुओं की अंतर-राज्यीय आवाजाही के लिए 01 अप्रैल 2018 से ई-वे बिल लागू किया गया था। अंतः-राज्यीय आवाजाही के लिए, ई-वे बिल को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य कर दिया गया था, जिसकी अवसीमा[4] संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर नियमावली (डीजीएसटी नियमावली), 2017 (समय-समय पर संशोधित) के नियम 138 में ईडब्ल्यूबी तंत्र का प्रावधान है। वस्तु की आवाजाही से पहले परेषण की जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए और यह जानकारी प्रदान की जानी चाहिए, चाहे यह आवाजाही आपूर्ति के संबंध में हो या आपूर्ति के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए हो।

1.3.2 विभाग का संगठनात्मक ढांचा

दिल्ली में, जीएसटी का प्रशासन व्यापार एवं कर विभाग द्वारा किया जाता है। इसमें आयुक्त की अध्यक्षता में एक आयुक्तालय है। आयुक्तालय को विशेष

4 दिल्ली के मामले में अंतःराज्यीय/संघ शासित प्रदेश आवाजाही के लिए परेषण मूल्य की अवसीमा ₹ 1 लाख है।

आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/अपर आयुक्त की अध्यक्षता में 12 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें आगे 124 वार्ड (क्षेत्रीय फार्मेशन) और सहायक आयुक्त की अध्यक्षता में दो कर कर-वंचन निरोधक प्रकोष्ठों में विभाजित किया गया है।

1.3.3 ईडब्ल्यूबी के लिए प्रयुक्त सूचना प्रणालियाँ

ईडब्ल्यूबी कॉमन पोर्टल (पोर्टल) का प्रबंधन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा कर्नाटक में स्थित उनके कार्यालयों द्वारा किया जाता है। फरवरी 2020 में, ईडब्ल्यूबी पोर्टल को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 'वाहन' प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया था, ताकि ईडब्ल्यूबी बनाते करते समय वाहन पंजीकरण संख्या की पुष्टि की जा सके। इसके अलावा, 01 जनवरी 2021 से फास्टैग प्रणाली को ईडब्ल्यूबी प्रणाली के साथ एकीकृत कर दिया गया था। ईडब्ल्यूबी कॉमन पोर्टल पर, ईडब्ल्यूबी बनाने, विस्तार करने, निरस्त करने और अस्वीकार करने के लिए करदाता का एक बार पंजीकरण आवश्यक है। केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश दोनों के सक्षम अधिकारी (पीओ), प्रदत्त लॉगिन प्रत्यायक का उपयोग करके उसके वेब ब्राउज़र में लॉग-इन करके या जीएसटी ईडब्ल्यूबी प्रणाली मोबाइल ऐप में लॉग-इन करके पोर्टल तक पहुँच सकते हैं।

1.3.4 ईडब्ल्यूबी प्रणाली में शामिल प्रक्रियाएं

ईडब्ल्यूबी प्रणाली में विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं जैसे पोर्टल पर अपेक्षित व्यक्तियों का नामांकन, ई-वे बिल का सृजन, विस्तार, बनाए गए ईडब्ल्यूबी का निरसन और अस्वीकृति आदि। जीएसटी के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली के प्रक्रिया प्रवाह को **चित्र-1** में दर्शाया गया है।

चित्र 1: ई-वे बिल तंत्र - प्रक्रिया प्रवाह चार्ट

1.3.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) के लेखापरीक्षा उद्देश्य निम्नलिखित की जांच करना था:

(i) क्या ईडब्ल्यूबी तंत्र सरकार के राजस्व हितों की रक्षा करने में प्रभावी था; और

(ii) ईडब्ल्यूबी प्रावधानों को लागू करने में विभाग की निवारक/प्रवर्तन गतिविधियां कुशल और प्रभावी थीं।

1.3.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत में डीजीएसटी अधिनियम 2017 और उसके अंतर्गत बनाई गई डीजीएसटी नियमावली 2017 में निहित प्रावधान शामिल थे। इसके

अतिरिक्त, दिल्ली जीएसटी विभाग, जीएसटी परिषद, एनआईसी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं, परिपत्र, परामर्श और मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी लेखापरीक्षा मानदंड का हिस्सा थीं।

1.3.7 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

01 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2022 के बीच की अवधि से संबंधित ईडब्ल्यूबी पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्तियों के ईडब्ल्यूबी लेन-देन को निष्पादन लेखापरीक्षा में सम्मिलित किया गया। लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा उद्देश्यों के संदर्भ में जीएसटी प्रणाली में ईडब्ल्यूबी प्रणाली के समग्र निष्पादन की जांच की गई। लेखापरीक्षा अवधि के ईडब्ल्यूबी डाटा को जीएसटीएन[5] से प्राप्त किया गया है और उसका विश्लेषण किया गया है। इस लेखापरीक्षा के लिए केवल सड़क मार्ग से वाहनों की आवाजाही पर विचार किया गया है और रेल मार्ग/वायु मार्ग/समुद्री मार्ग से संबंधित ईडब्ल्यूबी को इस लेखापरीक्षा की परिधि से बाहर रखा गया है।

लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में ईडब्ल्यूबी के संदर्भ में विभाग के निवारक कार्यों का मूल्यांकन भी शामिल था, जैसे वाहनों को रोकना, दस्तावेज़ों का सत्यापन, वस्तुओं का निरीक्षण और उसके संबंध में की गई कार्रवाई।

1.3.8 लेखापरीक्षा नमूना चयन पद्धति

लेखापरीक्षा अवधि (2018-19 से 2021-22) के दौरान, 5,98,16,939 जावक और 11,80,046 आवक ईडब्ल्यूबी बनाए गए। विस्तारित, निरस्त और अस्वीकृत ईडब्ल्यूबी की संख्या क्रमशः 7,50,548, 12,03,175 और 15,981 थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 97 *प्रतिशत* से अधिक ईडब्ल्यूबी में वस्तुओं की आवाजाही सड़क मार्ग से हुई और तीन *प्रतिशत* से भी कम में अन्य माध्यमों से हुई थी। विवरण **अनुलग्नक-1.4** में दिया गया है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए एक समस्या-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया गया था क्योंकि अवसीमा के अधीन किसी भी वस्तु की आवाजाही के लिए ईडब्ल्यूबी का बनाया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 के लिए नमूने पहचाने गए प्रमुख समस्या क्षेत्रों (केपीए) के आधार पर तैयार किए गए थे। सरकार की

[5] वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क

राजस्व प्राप्ति में बाधा डालने वाले के केपीए **अनुलग्नक-1.5** में दिए गए हैं। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित नमूना निम्न प्रकार है:

लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 के लिए, कुल 129 ईडब्ल्यूबी (आठ करदाताओं के परस्पर पैन विश्लेषण के आठ मामले, उच्च मौद्रिक मूल्य का एक मामला और 36 करदाताओं के 120 मामले) नमूने के रूप में लिए गए थे। इसका विवरण **अनुलग्नक-1.6** से **1.9** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, जहाँ करदाता के किसी ईडब्ल्यूबी में विसंगतियां पाई गईं, वहाँ अनुपालन को सत्यापित करने हेतु करदाता द्वारा तैयार किए गए सभी ईडब्ल्यूबी की समीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 में प्रचालन तत्परता, कर-वंचन निरोधक उपायों की प्रभावशीलता और अतः विभागीय एवं अंतर्विभागीय समन्वय, जैसे प्रवर्तन/निवारक गतिविधियों का मूल्यांकन किया गया। लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 के लिए, कर-वंचन निरोधक II (एई II) प्रकोष्ठ (केवल ईडब्ल्यूबी का सत्यापन करने वाली निवारक इकाई) का चयन किया गया और इकाई द्वारा सत्यापित 50 मामलों का विस्तृत परीक्षण हेतु यादृच्छिक रूप से चयन किया गया।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रवेश सम्मेलन 06 जुलाई 2023 को व्यापार एवं कर विभाग के विशेष आयुक्त (लेखापरीक्षा) के साथ आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक की गई और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां विभाग को जारी की गईं। तथापि, विभाग से उत्तर प्रतीक्षित हैं।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का निर्गम सम्मेलन 03 फरवरी 2025 को व्यापार एवं कर विभाग के आयुक्त के साथ आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विस्तार से चर्चा की गई।

1.3.9 आभार

लेखापरीक्षा के सुचारु संचालन के लिए समय-समय पर अभिलेख, सूचना और स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने में राज्य कर विभाग द्वारा दिए गए सहयोग और समर्थन के लिए लेखापरीक्षा आभारी है।

1.3.10 सरकार के राजस्व हितों की रक्षा में ईडब्ल्यूबी तंत्र

डाटा विश्लेषण के दौरान पहचाने गए प्रमुख समस्या क्षेत्रों के आधार पर नमूना ईडब्ल्यूबी का चयन किया गया और विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में संबंधित अभिलेखों का विस्तृत सत्यापन किया गया। क्षेत्रीय दौरे के दौरान, करदाताओं के अभिलेख, जैसे क्रय/बिक्री रजिस्टर, स्टॉक लेखे आदि मंगवाए गए और उनकी जांच की गई।

1.3.10.1 मूल लेखापरीक्षा निष्कर्ष

मूल लेखापरीक्षा[6] के दौरान पाए गए प्रणालीगत और अनुपालन मुद्दों पर प्रत्येक केपीए लेखापरीक्षा के अंतर्गत चर्चा की गई है, ताकि पहचाने गए जोखिमों के प्रभाव का पता लगाया जा सके।

(i) प्रशमन उगाही योजना के अंतर्गत जारी रहने वाले अयोग्य करदाता

डीजीएसटी अधिनियम की धारा 10(1) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति जिसका पिछले वित्त वर्ष में टर्नओवर अवसीमा[7] से अधिक नहीं था, प्रशमन उगाही योजना (सीएलएस) के अंतर्गत कर भुगतान का विकल्प चुन सकता है। धारा 10(2)(बी) में प्रावधान है कि यदि वह वस्तुओं की अंतर-राज्यीय जावक आपूर्ति में संलग्न है, तो वह सीएलएस का विकल्प चुनने के लिए योग्य नहीं होगा और धारा 10(3) के अनुसार, यह योजना उस दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन किसी वित्त वर्ष के दौरान उसका टर्नओवर निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 61 में प्रावधान है कि करदाताओं द्वारा फाइल किए गए विभिन्न रिटर्न की संवीक्षा सक्षम अधिकारी द्वारा की जा सकती है ताकि रिटर्न की परिशुद्धता का सत्यापन किया जा सके और रिटर्न में दिखाई देने वाली विसंगतियों या असंगतियों पर उचित कार्रवाई की जा सके।

दिल्ली एसजीएसटी आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले 45 करदाताओं से संबंधित 129 ईडब्ल्यूबी की मूल लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि एक करदाता वस्तुओं की अंतर-राज्यीय जावक आपूर्ति करते हुए भी सीएलएस के अंतर्गत बना रहा तथा उसका टर्नओवर भी अवसीमा से अधिक था।

---

6 मूल लेखापरीक्षा- विस्तृत संवीक्षा

7 सीएलएस के लिए योग्य बनने हेतु प्रति वर्ष अवसीमा 1 अप्रैल 2018 से 31 जनवरी 2019 के बीच की अवधि के लिए ₹ एक करोड़ और उसके बाद ₹ 1.5 करोड़ थी। विशेष श्रेणी के राज्यों के संबंध में यह ₹ 75 लाख है।

इस मामले को नीचे दर्शाया गया है:

ईडब्ल्यूबी डाटा के विश्लेषण से पता चला कि सीएलएस के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन-07XXXXX9177XXXX) ने उत्तर प्रदेश राज्य में अंतर-राज्यीय आपूर्ति हेतु ₹ 63.89 करोड़ के ईडब्ल्यूबी तैयार किए थे। ये सभी आपूर्तियां वित्त वर्ष 2019-20 में की गई थीं जो न केवल निर्दिष्ट अवसीमा ₹ 1.5 करोड़ से अधिक थी बल्कि अंतर-राज्यीय आपूर्ति करके सीएलएस के प्रावधान का उल्लंघन भी करती थीं। फर्म सीएलएस के अंतर्गत बना रहा। इसके अतिरिक्त, जीएसटीएन पोर्टल से प्राप्त जानकारी की जांच से पता चला कि करदाता ने इस अवधि के लिए कोई रिटर्न फाइल नहीं किया और इस संबंध में, सरकार के राजस्व हितों की रक्षा के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। इन आपूर्तियों के प्रति सरकार को देय एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) ₹ 7.52 करोड़ है। इंगित किए जाने पर (जुलाई 2023), विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (मई 2025)।

सिफारिश 1.3.1: विभाग ईडब्ल्यूबी प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल कर सकता है, ताकि सीएलएस के अंतर्गत करदाताओं के साथ-साथ विभागीय अधिकारियों को अवसीमा पार करने के बारे में सचेत किया जा सके और सीएलएस करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए ईडब्ल्यूबी बनाने से रोका जा सके।

(ii) 'शून्य' रिटर्न फाइल करने वाले करदाताओं द्वारा ईडब्ल्यूबी तैयार करना

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अनुसार, सीएलएस करदाताओं के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को एक कर अवधि के दौरान की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्ति का विवरण जीएसटीआर-1 रिटर्न में प्रस्तुत करना होगा और उस पर कर देयता का भुगतान जीएसटीआर-3बी रिटर्न में करना होगा। सीएलएस करदाताओं के मामले में कर देयता का भुगतान जीएसटीआर-4/जीएसटी-सीएमपी-08 रिटर्न में किया जाना है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 61 में प्रावधान है कि करदाताओं द्वारा फाइल किए गए विभिन्न रिटर्न की जांच सक्षम अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए ताकि रिटर्न

की परिशुद्धता का सत्यापन किया जा सके और रिटर्न में पाई गई विसंगतियों या असंगतियों पर उचित कार्रवाई की जा सके।

यह पाया गया कि पांच करदाताओं, जिन्होंने 759 ईडब्ल्यूबी तैयार किए थे, ने इन ईडब्ल्यूबी में शामिल ₹ 33.89 करोड़ की जावक आपूर्ति के प्रति ₹ 4.68 करोड़ की कर देयताओं का भुगतान नहीं किया था **(अनुलग्नक 1.10)** क्योंकि संबंधित महीनों के लिए जीएसटीएन पोर्टल पर डाटा की संवीक्षा से पता चला कि करदाताओं ने शून्य जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल किया था।

इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023 और जनवरी 2024), विभाग ने एक मामले में डीआरसी-01 और तीन मामलों में डीआरसी-07 जारी किए थे (मई 2025)। शेष एक मामले में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2025)।

नीचे एक मामला दर्शाया गया है:

दिल्ली एसजीएसटी आयुक्तालय के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXX7189XXXX वाले एक करदाता ने मार्च 2019 से जुलाई 2019 की अवधि के दौरान ₹ 4.49 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य वाले और ₹ 0.80 करोड़ की कर देयता वाले 548 ईडब्ल्यूबी तैयार किए थे, परंतु मार्च, मई और जून 2019 के लिए शून्य जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल किया और इस प्रकार अपनी कर देयता का भुगतान नहीं किया। यह भी देखा गया कि विभाग ने 05 जून 2019 से करदाता के आवेदन पर उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया। करदाता ने 06 जून 2019 से 01 जुलाई 2019 की अवधि के दौरान ₹ 1.48 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य वाले 203 ईडब्ल्यूबी तैयार किए थे और पंजीकरण निरस्त होने के बाद ₹ 0.27 करोड़ की कर देयता थी, परंतु विभाग ने करदाता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार, विभाग ने ईडब्ल्यूबी एमआईएस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी का उपयोग नहीं किया था और करदाता से बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने में विफल रहा। इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023), विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (मई 2025)।

(iii) जीएसटी रिटर्न फाइल न करने वालों द्वारा ईडब्ल्यूबी तैयार करना

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अनुसार, सीएलएस करदाताओं के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को एक कर अवधि के दौरान की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्ति का विवरण जीएसटीआर-1 रिटर्न में प्रस्तुत करना होगा और उस पर कर देयता का भुगतान जीएसटीआर-3बी रिटर्न में करना होगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 62 में यह प्रावधान है कि जहाँ कोई पंजीकृत व्यक्ति नोटिस प्राप्त होने के बाद भी रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वहाँ सक्षम अधिकारी उपलब्ध या एकत्रित सभी संबंधित सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उक्त व्यक्ति की कर देयता का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ सकता है और एक निर्धारण आदेश जारी कर सकता है। ऐसे मामलों में, जहाँ एक कर योग्य व्यक्ति जिसका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है परंतु जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, सक्षम अधिकारी अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के अनुसार अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुरूप ऐसे कर योग्य व्यक्ति की कर देयता का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 15 करदाताओं **(अनुलग्नक 1.11)** ने 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान 580 ईडब्ल्यूबी तैयार किए, जिनका निर्धारण योग्य मूल्य ₹ 252.66 करोड़ और कर ₹ 31.46 करोड़ था, परंतु उन्होंने संबंधित महीनों में जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल नहीं किए, इसलिए कर देयता का कोई भुगतान नहीं किया गया।

रिटर्न फाइल न करने के कारण, विभाग ने डीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत इन करदाताओं का पंजीकरण निरस्त कर दिया। तथापि, डीजीएसटी अधिनियम की धारा 62 और 63 के अंतर्गत निर्दिष्ट कर देयता का निर्धारण करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई और इस प्रकार सरकार के राजस्व हितों की रक्षा करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, जीएसटीएन पोर्टल से यह देखा गया कि इन निरस्त किए गए करदाताओं ने जीएसटीआर-10[8] रिटर्न फाइल नहीं किया था।

[8] जीएसटीआर-10 - प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है, उसे निरसन की तिथि या निरसन आदेश की तिथि, जो भी बाद में आता हो, से तीन महीने के अंदर जीएसटीआर-10 फॉर्म में अंतिम रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।

इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023 और जनवरी 2024), विभाग ने सात मामलों में डीआरसी-01 और छह मामलों में डीआरसी-07 जारी किए (मई 2025)। शेष दो मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2025)।

नीचे एक मामला दर्शाया गया है:

दिल्ली एसजीएसटी आयुक्तालय के अंतर्गत जीएसटीआईएन - 07XXXXX2772XXXX वाले एक करदाता ने जुलाई 2019 में जावक आपूर्तियों के लिए ₹ 3.46 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य वाले और ₹ 0.36 करोड़ के कर देयता वाले नौ ईडब्ल्यूबी तैयार किए। इसके अतिरिक्त, जीएसटीएन पोर्टल से जानकारी की जांच से पता चला कि अगस्त 2019 के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न करदाता द्वारा फाइल नहीं किया गया था, इसलिए कर देयता का भुगतान नहीं हुआ। करदाता का पंजीकरण 15 सितंबर 2020 को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए निरस्त कर दिया गया, जो कि 30 जुलाई 2019 से प्रभावी था। तथापि, सक्षम अधिकारी द्वारा डीजीएसटी अधिनियम की धारा 62 और 63 के अंतर्गत निर्दिष्ट कर देयता का निर्धारण करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023), विभाग ने करदाता को डीआरसी-07 जारी करने की सूचना दी (मई 2025)।

इससे यह संकेत मिलता है कि विभाग के अधिकारी निरस्त करदाताओं की कर देयताओं की गणना/निर्धारण करते समय उनके पास उपलब्ध ईडब्ल्यूबी से संबंधित जानकारी का उचित उपयोग नहीं कर रहे हैं।

(iv) निरस्त करदाताओं की बकाया कर देयता के लिए अनुवर्ती कार्रवाई न करना

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 45 के अनुसार, निरस्त करदाता के लिए निरसन की तिथि या निरसन के आदेश की तिथि, जो भी बाद में आता हो, से तीन महीने की अवधि के अंदर जीएसटीआर-10 फॉर्म में अंतिम रिटर्न फाइल करना और अपनी कर देयताओं का भुगतान करना अनिवार्य है। यदि निरस्त करदाता निर्धारित अवधि के अंदर अंतिम जीएसटीआर-10 रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा एक नोटिस जारी किया जाना चाहिए जिसमें निरस्त करदाता को 15 दिनों

के अंदर अपना जीएसटीआर-10 रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। यदि निरस्त करदाता नोटिस दिए जाने के बाद भी अपना जीएसटीआर-10 रिटर्न फाइल करने में विफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी को अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत सभी प्रासंगिक सामग्री, जो उपलब्ध है या जो उसने एकत्र की है, को ध्यान में रखते हुए अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उक्त व्यक्ति की कर देयता का निर्धारण करने और जिस वर्ष के संबंध में कर का भुगतान नहीं किया गया है, उस वित्त वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न फाइल करने की निर्धारित तिथि से पांच वर्ष की अवधि के अंदर निर्धारण आदेश जारी करने के लिए आगे बढ़ने का अधिकार है। यदि निरस्त करदाता अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत निर्धारण आदेश पारित होने के तीन महीने के अंदर अपनी कर देयताओं का भुगतान नहीं करता है, तो सक्षम अधिकारी अधिनियम की धारा 78 के अंतर्गत वसूली संबंधी कार्यवाही शुरू करेगा और अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत निर्धारित एक या अधिक तरीकों से लंबित कर देयता वसूल करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जुलाई 2017 और जनवरी 2021 के बीच 28 करदाताओं **(अनुलग्नक 1.12)** का पंजीकरण निरस्त किया गया था। इन करदाताओं ने पंजीकरण निरस्त होने से पहले ₹ 734.75 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य के 3,629 ईडब्ल्यूबी तैयार किए थे, जिन पर ₹ 99.39 करोड़ का कर प्रभाव था, जैसा कि जीएसटीएन पोर्टल पर ईडब्ल्यूबी एमआईएस रिपोर्ट से पता चलता है, तथा उन्हें जीएसटीआर-10 रिटर्न फाइल करके अपनी अंतिम कर देयताओं का भुगतान करना था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि निरस्त 28 करदाताओं में से किसी ने भी पंजीकरण निरस्त होने के बाद जीएसटीआर-10 रिटर्न फाइल नहीं किया था और विभाग ने करदाताओं की लंबित कर देयताओं का निर्धारण करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी।

इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023 और जनवरी 2024), विभाग ने 13 मामलों में डीआरसी-01 और आठ मामलों में डीआरसी-07 जारी किए (मई 2025)। सात मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2025)।

सिफारिश 1.3.2: विभाग पंजीकरण निरस्त करने से पहले करदाता द्वारा तैयार किए गए ईडब्ल्यूबी पर पूर्वव्यापी रूप से विचार करने और जहाँ भी लागू हो,

कर की वसूली के लिए कार्रवाई करने के लिए सक्षम अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है।

(v) एक ही/समान इनवॉइस पर एकाधिक ईडब्ल्यूबी तैयार करना

डीजीएसटी नियमावली के नियम 46 के अनुसार, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक कर इनवॉइस जारी किया जाएगा, जिसमें क्रमागत क्रम संख्या होगी, जो सोलह अंक से अधिक नहीं होगी, तथा एक वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट होगी।

एनआईसी द्वारा जारी उपयोगकर्ता पुस्तिका के पैरा 5(1) के अनुसार, ईडब्ल्यूबी बनाते समय करदाता को परेषण से संबंधित विशिष्ट दस्तावेज़ संख्या दर्ज करने की आवश्यकता है। इनवॉइस संख्या, आपूर्ति से संबंधित परेषण के संबंध में दस्तावेज़ संख्या होती है। इसलिए, प्रत्येक इनवॉइस के आधार पर केवल एक ईडब्ल्यूबी तैयार करना आवश्यक है।

यह देखा गया कि दिल्ली एसजीएसटी आयुक्तालय के अंतर्गत सात करदाताओं ने 32 इनवॉइस के आधार पर ₹ 1.79 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य और ₹ 0.32 करोड़ के कर **(अनुलग्नक 1.13)** वाले 65 ईडब्ल्यूबी तैयार किए थे। प्रत्येक इनवॉइस संख्या का उपयोग दो से तीन ईडब्ल्यूबी तैयार करने के लिए किया गया था। चूँकि करदाताओं ने एक ही इनवॉइस का उपयोग करके कई ईडब्ल्यूबी तैयार किए थे, इसलिए करदाताओं द्वारा अपने जीएसटीआर-1 रिटर्न में जावक आपूर्ति की कम रिपोर्टिंग का संभावित जोखिम था। आगे यह देखा गया कि संबंधित करदाताओं ने अपने जीएसटीआर-1 रिटर्न में या तो किसी परेषण की सूचना नहीं दी या केवल एक परेषण की सूचना दी।

इससे ईडब्ल्यूबी कॉमन पोर्टल में सत्यापन नियंत्रण की कमी का संकेत मिलता है, जिससे एक ही/समान इनवॉयस का उपयोग करके अनेक ईडब्ल्यूबी तैयार करने पर प्रतिबंध लग सके।

इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023 और जनवरी 2024), विभाग ने पांच मामलों में डीआरसी-01 और एक मामले में एएसएमटी-10 जारी किया (मई 2025)। शेष एक मामले में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2025)।

नीचे एक मामला दर्शाया गया है:

दिल्ली एसजीएसटी आयुक्तालय के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXX2617 XXXX वाले एक करदाता ने अप्रैल 2018 से जनवरी 2019 के दौरान डीजीएसटी नियमों का उल्लंघन करते हुए एक ही इनवॉइस संख्या (12 इनवॉइस), परंतु अलग-अलग वाहन संख्या का उपयोग करते हुए 24 ईडब्ल्यूबी तैयार किए। जीएसटीएन पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों की आगे जांच से पता चला कि करदाता द्वारा संबंधित महीनों के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल नहीं किया गया था, इसलिए कोई कर देयता नहीं चुकाई गई। इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023), विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (मई 2025)।

सिफारिश 1.3.3: विभाग ईडब्ल्यूबी प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल कर सकता है, ताकि एकल इनवॉइस से अनेक ईडब्ल्यूबी तैयार करने पर करदाता और विभागीय अधिकारियों को सचेत किया जा सके।

(vi) संदिग्ध वाहनों के माध्यम से किए गए लेन-देन के लिए ईडब्ल्यूबी तैयार करना

डीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 138(2) के अनुसार, जहाँ वस्तुओं को पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक परेषक के रूप में सड़क मार्ग से परिवहन किया जाता है, चाहे वह उसके अपने वाहन से या किराए के वाहन या सार्वजनिक वाहन के माध्यम से हो, वह व्यक्ति फॉर्म के भाग-बी में जानकारी प्रस्तुत करने के बाद सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जीएसटी-ईडब्ल्यूबी-01 फॉर्म में ई-वे बिल तैयार करेगा। जहाँ वस्तुओं को सड़क मार्ग से परिवहन के लिए एक परिवाहक को सौंप दिया जाता है, पंजीकृत व्यक्ति परिवाहक से संबंधित जानकारी सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा और ई-वे बिल को परिवाहक द्वारा उक्त पोर्टल पर जीएसटी-ईडब्ल्यूबी-01 फॉर्म के भाग-ए में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर तैयार किया जाएगा। फॉर्म के भाग-बी में वाहन संख्या प्रदान करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में 45 करदाताओं से संबंधित 129 ईडब्ल्यूबी के नमूने में शामिल वाहनों के ई-वाहन डाटा का विश्लेषण किया गया, ताकि चोरी के वाहनों, स्क्रैप

किए गए, परित्यक्त, निरस्त और निलंबित पंजीकरण वाले वाहनों, दो पहिया वाहनों, एक ही दिन में राज्यों में एक ही वाहन का उपयोग करने वाले कई ईडब्ल्यूबी जैसे जोखिमपूर्ण लेन-देन की पहचान की जा सके।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि 11 करदाताओं द्वारा संदिग्ध वाहनों, अर्थात् स्क्रैप किए गए, चोरी किए गए, परित्यक्त, निरस्त और निलंबित पंजीकरण वाले वाहनों आदि का उपयोग करके ₹ 4.72 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य के 18 ईडब्ल्यूबी तैयार किए गए थे, जैसा कि **अनुलग्नक 1.14** में वर्णित है। अतः इन लेन-देनों की सत्यता की जांच विभाग द्वारा की जानी थी, जो कि नहीं की गई।

इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023 और जनवरी 2024), विभाग ने पांच मामलों में डीआरसी-01 और पांच मामलों में डीआरसी-07 जारी किए (मई 2025)। शेष एक मामले में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2025)।

नीचे एक मामला दर्शाया गया है:

दिल्ली एसजीएसटी आयुक्तालय के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXX2772XXXX वाले एक करदाता ने एक ईडब्ल्यूबी तैयार किया, इसे ईडब्ल्यूबी पोर्टल और ई-वाहन के साथ फिर से सत्यापित किया गया। यह देखा गया कि 01 अगस्त 2019 को रात्रि 09.48 बजे वस्तुओं (₹ 39,88,051 मूल्य की) के परिवहन के लिए उपयोग किए गए वाहन (वाहन संख्या यूपी14डीटी9895) को 26 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन विभाग, गाज़ियाबाद द्वारा निलंबित/अयोग्य घोषित किया गया था। इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023), विभाग ने करदाता को डीआरसी-07 जारी करने की सूचना दी (मई 2025)।

सिफारिश 1.3.4: विभाग ईडब्ल्यूबी तैयार करने और वस्तुओं के परिवहन के लिए संदिग्ध वाहनों के उपयोग को रोकने के लिए ईडब्ल्यूबी प्रणाली में उपयुक्त सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने पर विचार कर सकता है।

(vii) गलत पिन कोड का उपयोग करके ईडब्ल्यूबी तैयार करना

डीजीएसटी नियमावली के नियम 138 (9) में यह प्रावधान है कि जहाँ इस नियम के अंतर्गत ईडब्ल्यूबी तैयार किया गया है, परंतु वस्तुओं का परिवहन

नहीं किया गया है या ईडब्ल्यूबी में दिए गए विवरण के अनुसार परिवहन नहीं किया गया है, तो ई-वे बिल तैयार होने के चौबीस घंटे के अंदर ईडब्ल्यूबी को सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरस्त किया जाना है।

यह देखा गया कि चार करदाताओं **(अनुलग्नक 1.15)** से संबंधित ₹ 0.80 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य और ₹ 0.14 करोड़ के कर वाले आठ ईडब्ल्यूबी अमान्य पिन कोड का उपयोग करके तैयार किए गए थे, अर्थात् वे ईडब्ल्यूबी में उल्लिखित पते से संबंधित नहीं थे और जिन्हें डीजीएसटी नियमावली के नियम 138(9) के अनुसार ईडब्ल्यूबी तैयार होने के समय से 24 घंटे के अंदर निरस्त किया जाना था।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि अमान्य पिन कोड का उपयोग करके वस्तुओं के परिवहन को रोकने के लिए ईडब्ल्यूबी पोर्टल में आवश्यक वैधता नियंत्रण उपलब्ध नहीं हैं।

इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023 और जनवरी 2024), विभाग ने एक-एक मामले में एएसएमटी-10, डीआरसी-01 और डीआरसी-07 जारी करने की सूचना दी (मई 2025)। शेष एक मामले में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2025)।

1.3.10.2 अन्य मुद्दे

(i) आईटीसी का अनियमित लाभ उठाना और उपयोग

डीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर आईटीसी का हकदार होगा, जिसका उपयोग उसके व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है या किया जाना है और उक्त राशि ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही में जमा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, आईटीसी का दावा अन्य बातों के साथ इस शर्त के अधीन है कि ऐसी आपूर्ति के संबंध में प्रभारित कर वास्तव में सरकार को चुकाया गया हो।

लेखापरीक्षा ने आईटीसी लिए जाने जाने की परिशुद्धता की जांच के लिए 45 करदाताओं के रिटर्न की नमूना जांच की। यह पाया गया कि एक करदाता ने उन आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 1.47 लाख के अनियमित आईटीसी का लाभ उठाया था जिनका पंजीकरण पहले ही निरस्त किया गया था **(अनुलग्नक 1.16)**।

इस मामले को नीचे दर्शाया गया है:

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 41 की उप-धारा (2) के अनुसार, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की ऐसी आपूर्ति के संबंध में उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट, जिस पर देय कर का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा नहीं किया गया है, उक्त व्यक्ति द्वारा निर्धारित तरीके से लागू ब्याज के साथ उत्क्रमित किया जाएगा।

दिल्ली एसजीएसटी आयुक्तालय के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXX3559XXXX वाले एक करदाता के संबंध में, यह देखा गया कि करदाता ने जुलाई 2018 में एक ऐसे करदाता से ₹ 0.75 लाख के अनियमित आईटीसी का लाभ उठाया और उसका उपयोग किया, जिसका पंजीकरण 01 जुलाई 2017 से निरस्त किया गया था। साथ ही, उस करदाता ने जुलाई 2020 में एक अन्य करदाता से ₹ 0.72 लाख के अनियमित आईटीसी का लाभ उठाया और उसका उपयोग किया, जिसका पंजीकरण 01 दिसंबर 2019 से निरस्त किया गया था। इस प्रकार, करदाता ने उन करदाताओं से कुल ₹ 1.47 लाख आईटीसी का लाभ उठाया और उसका उपयोग किया, जिनका पंजीकरण निरस्त किया गया था। यह आईटीसी उस पर लागू ब्याज सहित वापस किया जाना था।

इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023), विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (मई 2025)।

(ii) आईटीसी का अतिरिक्त लाभ उठाना और उपयोग करना

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अनुसार, इनपुट सेवा वितरक, अनिवासी कराधेय व्यक्ति और प्रशमन करदाता या स्रोत पर कर कटौती करने वाला करदाता या स्रोत पर कर संग्रह करने वाले करदाता के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को, किसी कर अवधि के दौरान की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्ति का विवरण, निर्धारित प्रारूप और तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, उक्त कर अवधि के बाद आने वाले महीने की दसवीं तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, जीएसटीआर-2ए रिटर्न प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का एक प्रणाली-जनित विवरण है, जो

आपूर्तिकर्ता करदाताओं द्वारा प्रस्तुत जावक आपूर्ति के विवरण के आधार पर स्वतः भरा जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी में ₹ 14.99 करोड़ आईटीसी का दावा किया था, जब कि जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी केवल ₹ 5.29 करोड़ था। इस प्रकार, इन तीनों करदाताओं ने ₹ 9.70 करोड़ के अतिरिक्त आईटीसी का लाभ उठाया।

इसके अतिरिक्त, परस्पर पैन विश्लेषण के लिए आठ मामलों का चयन किया गया। प्राप्त किए जाने वाले आईटीसी की परिशुद्धता की जांच करने हेतु इन आठ करदाताओं के रिटर्न की संवीक्षा की गई। यह पाया गया कि आठ में से तीन करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी के माध्यम से ₹ 109.77 करोड़ का आईटीसी प्राप्त किया था। तथापि, जीएसटीआर-2ए के अनुसार केवल ₹ 106.44 करोड़ ही उपलब्ध था। इस प्रकार, इन करदाताओं द्वारा ₹ 3.33 करोड़ का अतिरिक्त आईटीसी प्राप्त किया गया **(अनुलग्नक 1.17)**।

इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023 और जनवरी 2024), विभाग ने दो मामलों में डीआरसी-07 जारी किया (मई 2025)। शेष चार मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2025)।

नीचे एक मामला दर्शाया गया है:

दिल्ली एसजीएसटी आयुक्तालय के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXX3874 XXXX वाले एक करदाता ने अप्रैल 2018 और जुलाई 2018 के दौरान जीएसटीआर-3बी रिटर्न में ₹ 5.88 करोड़ के आईटीसी का उपयोग किया, जब कि जीएसटीआर-2ए रिटर्न (तुलनात्मक सारांश के अनुसार) के अनुसार आईटीसी शून्य था। इस प्रकार, जीएसटी रिटर्न के अनुसार प्राप्त और उपलब्ध आईटीसी के बीच ₹ 5.88 करोड़ का अंतर था। इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023), विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (मई 2025)।

(iii) अस्वीकार्य आईटीसी का लाभ उठाना

आठ करदाताओं के रिटर्न को परस्पर पैन विश्लेषण के लिए चुना गया। एक मामले में यह पाया गया कि ₹ 34.40 लाख का आईटीसी प्राप्त किया गया था,

यद्यपि डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) के अनुसार आईटीसी को अवरुद्ध कर दिया गया था **(अनुलग्नक 1.18)**।

इस मामले को नीचे दर्शाया गया है:

(i) डीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5)(सी) के अनुसार, कार्य संविदा सेवाओं के संबंध में आईटीसी उपलब्ध नहीं होगा जब उन्हें किसी अचल संपत्ति (संयंत्र और मशीनरी को छोड़कर) के निर्माण के लिए आपूर्ति की जाती है, सिवाय इसके कि जहाँ यह कार्य संविदा सेवा की आगे आपूर्ति के लिए एक इनपुट सेवा है।

करदाता के 2018-19 से 2021-22 तक की अवधि के लिए अभिलेखों की जांच से पता चला कि करदाता ने कार्य संविदा सेवाओं के लिए ₹ 34.40 लाख के अस्वीकार्य आईटीसी का लाभ उठाया था और उसका उपयोग किया था। करदाता की अधिक जांच से पता चला कि उसने कार्य संविदा सेवाओं के अंतर्गत किसी भी आउटपुट सेवा की घोषणा नहीं की थी। इस प्रकार, प्राप्त अस्वीकार्य आईटीसी को लागू ब्याज के साथ वसूल करना आवश्यक है।
इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023), विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (मई 2025)।

1.3.10.3 ईडब्ल्यूबी के डाटा विश्लेषण में पाई गई अभ्युक्तियां (समग्र अभ्युक्तियां)

ईडब्ल्यूबी से संबंधित डाटा-बेस से जोखिम आधारित नमूने चुने गए और कुल 28,198 करदाताओं (सीएलएस करदाताओं सहित) का चयन किया गया। लेखापरीक्षा में केपीए के आधार पर अप्रैल 2018 से मार्च 2022 तक की अवधि के दौरान तैयार किए गए ईडब्ल्यूबी के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इन केपीए के अंतर्गत निकाले गए आंकड़ों को समग्र अभ्युक्तियों के रूप में विभाग को आगे की सुधारात्मक कार्रवाई पर विचार करने के लिए भेजा गया और कृत कार्रवाई पर सारांश रिपोर्ट मांगी गई। विभाग के साथ साझा की गई समग्र अभ्युक्तियों और उन पर प्राप्त उत्तर का विवरण **तालिका 1.3.1** में दिया गया है।

तालिका 1.3.1: संपूर्ण विभाग की समग्र अभ्युक्तियां

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समग्र अभ्युक्ति की प्रकृति	करदाताओं की संख्या (टीपी)	सम्मिलित निर्धारण योग्य मूल्य	विभाग का उत्तर			उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है
				स्वीकृत		स्वीकार नहीं किया गया	
				टीपी की संख्या	सम्मिलित कर	टीपी की संख्या	
1	प्रशमन करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय ईडब्ल्यूबी तैयार करना	93	82.67	-	-	-	--
2	निर्धारित अवसीमा पार कर चुके प्रशमन करदाताओं द्वारा ईडब्ल्यूबी तैयार करना	2	80.20	-	-	-	--
3	जीएसटी रिटर्न फाइल न करने वालों द्वारा ईडब्ल्यूबी तैयार करना	4076	11,635.36	-	-	-	--
4	निरस्त करदाताओं द्वारा ईडब्ल्यूबी तैयार करना	8334	68,680.88	-	-	-	--
5	एक ही इनवॉइस का उपयोग करके डुप्लिकेट ईडब्ल्यूबी तैयार करना	15,693	1664.55	-	-	-	--
कुल		**28,198**	**82,143.66**	**-**	**-**	**-**	**--**

स्रोत: जीएसटीएन डाटा

करदाताओं द्वारा तैयार किए गए ईडब्ल्यूबी के संबंध में अखिल राज्यीय डाटा विश्लेषण ने पर्याप्त मौद्रिक मूल्य वाले कई विचलन दर्शाए। उदाहरण के लिए, 8,334 निरस्त करदाताओं द्वारा ईडब्ल्यूबी तैयार किए गए, जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 68,680.88 करोड़ था। इसी प्रकार, 4,076 जीएसटी रिटर्न फाइल न करने वालों द्वारा ईडब्ल्यूबी तैयार किए गए, जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 11,636.36 करोड़ था। इन बड़े मौद्रिक मूल्य के आँकड़ों से संकेत मिलता है कि जीएसटी प्रणाली और ईडब्ल्यूबी प्रणाली में डाटा इनपुट और सत्यापन के नियंत्रण ठीक से काम नहीं कर रहे हैं।

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि ₹ 82,143.66 करोड़ का निर्धारण योग्य मूल्य होने के बावजूद, जिसे इंगित किया गया था (दिसंबर 2023), 28,198 करदाताओं से संबंधित अभ्युक्तियों के संबंध में विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (मई 2025)।

1.3.11 विभाग के निवारक कार्य

लेखापरीक्षा ने निवारक इकाइयों के ईडब्ल्यूबी संबंधी कार्यों का अध्ययन किया, जिसमें (i) प्रचालन तत्परता, और (ii) कर-वंचन निरोधक उपायों की प्रभावशीलता

पर विशेष ध्यान दिया गया। यह देखा गया कि एनआईसी ई-वे बिल लेन-देन पर विश्लेषणात्मक रिपोर्टें, जैसे कि कुल ईडब्ल्यूबी, अंतर-राज्यीय ईडब्ल्यूबी, ईडब्ल्यूबी की तैयारी और निरसन की रिपोर्टें आदि तैयार करता है और इसे केंद्र और राज्य फार्मेशनों के अंतर्गत जीएसटी विभागों के साथ साझा करता है। इस प्रयोजन के लिए, कर-वंचन निरोधक II -प्रकोष्ठ (निवारक इकाई) के 50 मामलों का चयन किया गया था। लेखापरीक्षा में कर-वंचन निरोधक-II प्रकोष्ठ (निवारक इकाई) द्वारा की गई गतिविधियों में कई कमियाँ देखि गईं, जिनका विवरण आगामी पैराग्राफों में दिया गया है।

1.3.11.1 विभाग की प्रचालन तत्परता

(i) जनशक्ति की पर्याप्तता

निवारक/कर-वंचन निरोधक शाखा के लिए आबंटित जनशक्ति संसाधनों का ईडब्ल्यूबी से संबंधित निवारक कार्यों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। निवारक इकाई की लेखापरीक्षा के दौरान, यह बताया गया कि आयुक्तालय की कर-वंचन निरोधक शाखा में ईडब्ल्यूबी की जांच के लिए कोई पृथक/समर्पित इकाई (जनशक्ति) नहीं थी। यह भी बताया गया कि सहायक आयुक्त की अध्यक्षता में कार्यात्मक कर-वंचन निरोधक प्रकोष्ठ अधिकारियों की कमी के कारण विभिन्न अन्य प्रभार/शाखाओं का कार्यभार भी संभालता है। यह भी बताया गया कि ईडब्ल्यूबी के सत्यापन के लिए कोई संवर्ग-वार स्वीकृत कर्मचारी संख्या और पदस्थ कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं थी।

(ii) पर्याप्त गश्ती वाहनों का अभाव

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयुक्तालय के ए.ई.-II (निवारक इकाई) ने केवल ईडब्ल्यूबी के सत्यापन के लिए आबंटित गश्ती वाहनों की स्थिति की जानकारी नहीं दी। इन फार्मेशनों में, सत्यापन कार्य आमतौर पर आयुक्तालय में अन्य प्रयोजनों के लिए किराए पर लिए गए वाहनों का उपयोग करके किया जाता था।

(iii) लक्ष्य और उपलब्धियां

लेखापरीक्षा ने आयुक्तालय के ए.ई.-II (निवारक इकाई) द्वारा वाहन अंतर-अवरोधन के माध्यम से ईडब्ल्यूबी के सत्यापन हेतु निर्धारित लक्ष्यों और उनके

प्रति उपलब्धियों का विवरण माँगा। विभाग ने कहा कि ईडब्ल्यूबी के सत्यापन हेतु फार्मेशन के पास कोई विशिष्ट या सामान्य लक्ष्य नहीं है।

1.3.12 कर-वंचन निरोधक उपायों की प्रभावशीलता

1.3.12.1 निवारक इकाई द्वारा तैयार किए गए ईडब्ल्यूबी और दर्ज किए गए मामले

दिल्ली आयुक्तालय की निवारक इकाई, वस्तुओं की आवाजाही के दौरान निरीक्षण, प्रतिधारण, छुड़ाई और ऐसी वस्तुओं व वाहनों की ज़ब्ती के लिए वाहनों को रोकती है। निवारक इकाई द्वारा 2018-19 से 2021-22 के दौरान किए गए निरीक्षणों और दर्ज मामलों का विवरण **तालिका 1.3.2** में दिया गया है।

तालिका 1.3.2: निवारक इकाई द्वारा तैयार किए गए ईडब्ल्यूबी और दर्ज किए गए मामलों की संख्या का विवरण

वर्ष	ईडब्ल्यूबी की संख्या (जावक)	ईडब्ल्यूबी की संख्या (आवक)	सत्यापित ईडब्ल्यूबी की संख्या	दर्ज मामलों की संख्या (भाग-बी)
2018-19	1,48,40,095	3,43,405	1,067	20
2019-20	1,61,71,084	2,94,206	2,187	271
2020-21	1,34,71,591	2,37,760	28,118	997
2021-22	1,53,34,169	3,04,675	31,911	1,046
कुल	**5,98,16,939**	**11,80,046**	**63,283**	**2,334**
सकल योग	**6,09,96,985**			

स्रोत: जीएसटीएन डाटा और विभाग का उत्तर

जीएसटीएन डाटा की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान दिल्ली में 6.10 करोड़ ईडब्ल्यूबी (जावक और आवक दोनों आपूर्तियों सहित) तैयार किए गए। इन 6.10 करोड़ ईडब्ल्यूबी में से केवल 63,283 को निवारक इकाई द्वारा सत्यापित किया गया था, जो तैयार किए गए कुल ईडब्ल्यूबी का 0.10 *प्रतिशत* था। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि 63,283 सत्यापित ईडब्ल्यूबी (भाग-ए) में से केवल 2,334 मामले दर्ज किए गए (भाग-बी) जो वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान दिल्ली में सत्यापित कुल ईडब्ल्यूबी का 3.69 *प्रतिशत* और तैयार किए गए कुल ईडब्ल्यूबी का 0.004 *प्रतिशत* था।

सिफारिश 1.3.5: विभाग को ईडब्ल्यूबी के सत्यापन के लिए समर्पित व्यवस्था, पर्याप्त जनशक्ति तथा गश्ती वाहनों की उपलब्धता की जांच करनी चाहिए।

1.3.13 निष्कर्ष

ईडब्ल्यूबी वस्तुओं की आवाजाही के लिए आवश्यक एक दस्तावेज़ है और इसे वस्तुओं की आवाजाही से पहले उसका विवरण दर्ज करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। संपूर्ण प्रक्रिया के स्वचालन और मानकीकरण का उद्देश्य कर-अपवंचन पर अंकुश लगाना और जीएसटी संग्रहण को बढ़ाना है। ईडब्ल्यूबी को 01 अप्रैल 2018 से ₹ 50,000 से अधिक मूल्य के सभी अंतर-राज्यीय वस्तुओं की आवाजाही के लिए लागू किया गया था। दिल्ली में अंतः राज्यीय आवाजाही के लिए, अवसीमा के रूप में ₹ एक लाख तक के परेषण के लिए ईडब्ल्यूबी को अनिवार्य कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने ईडब्ल्यूबी तंत्र और राजस्व संरक्षण में इसकी प्रभावशीलता की जाँच के लिए 2018-19 से 2021-2022 की अवधि से संबंधित 36 करदाताओं के 120 ईडब्ल्यूबी का चयन किया, आठ करदाताओं के आठ अन्य ईडब्ल्यूबी को परस्पर पैन विश्लेषण के लिए चुना गया और उच्च मौद्रिक मूल्य वाले एक ईडब्ल्यूबी का भी चयन किया गया। लेखापरीक्षा ने ईडब्ल्यूबी का सत्यापन करने वाली एकमात्र कर-वंचन निरोधक इकाई का भी चयन किया और ईडब्ल्यूबी से संबंधित प्रवर्तन गतिविधियों की दक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए चयनित इकाई से 50 दर्ज मामलों की जांच की।

लेखापरीक्षा ने ईडब्ल्यूबी प्रणाली की जांच में प्रणालीगत कमियां पाईं, जैसे 'प्रशमन उगाही योजना के अंतर्गत बने रहने वाले अपात्र करदाता'; और 'करदाताओं ने शून्य रिटर्न फाइल किया या ई-वे बिल तैयार करने के बावजूद रिटर्न फाइल नहीं किया।' लेखापरीक्षा जांच से 'निरस्त करदाताओं द्वारा तैयार किए गए ई-वे बिल' की श्रेणियों में अनुपालन विचलन और एक ही इनवॉइस पर कई ईडब्ल्यूबी तैयार करने का भी पता चला। लेखापरीक्षा निष्कर्ष करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ईडब्ल्यूबी प्रणाली में उपलब्ध जानकारी का उपयोग करने में विभाग की प्रभावशीलता में कमियों को भी उजागर करते हैं।

लेखापरीक्षा में कर-वंचन निरोधक इकाई द्वारा की गई निवारक और प्रवर्तन गतिविधियों के संबंध में विभाग की प्रचालन तत्परता में कमियां भी पाई गईं, जैसे कि पृथक कर्मचारियों का न होना, समर्पित गश्ती वाहनों की अनुपलब्धता, कर-वंचन निरोधक इकाई के लिए ईडब्ल्यूबी के सत्यापन के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित न किया जाना आदि।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान तैयार किए गए कुल 6.10 करोड़ ईडब्ल्यूबी में से केवल 63,283 ईडब्ल्यूबी का सत्यापन किया, जो कुल तैयार किए गए ईडब्ल्यूबी का 0.10 *प्रतिशत* था। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि 63,283 सत्यापित ईडब्ल्यूबी (भाग-ए) में से केवल 2,334 मामले दर्ज किए गए (भाग-बी), जो वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान दिल्ली में सत्यापित कुल ईडब्ल्यूबी का 3.69 *प्रतिशत* और तैयार किए गए कुल ईडब्ल्यूबी का 0.004 *प्रतिशत* था।

तदनुसार, लेखापरीक्षा ने विभाग की ईडब्ल्यूबी प्रणाली और अनुपालन सत्यापन तंत्र को मज़बूत करने के लिए निम्नलिखित पांच सिफारिशें दीं।

1.3.14 सिफारिशें- एक दृष्टि में

1. *विभाग ईडब्ल्यूबी प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल कर सकता है, ताकि सीएलएस के अंतर्गत करदाताओं के साथ-साथ विभागीय अधिकारियों को अवसीमा पार करने के बारे में सचेत किया जा सके और सीएलएस करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए ईडब्ल्यूबी बनाने से रोका जा सके।*

2. *विभाग पंजीकरण निरस्त करने से पहले करदाता द्वारा तैयार किए गए ईडब्ल्यूबी पर पूर्वव्यापी रूप से विचार करने और जहाँ भी लागू हो, कर की वसूली के लिए कार्रवाई करने के लिए सक्षम अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है।*

3. *विभाग ईडब्ल्यूबी प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल कर सकता है, ताकि एकल इनवॉइस से अनेक ईडब्ल्यूबी तैयार करने पर करदाता और विभागीय अधिकारियों को सचेत किया जा सके।*

4. *विभाग ईडब्ल्यूबी तैयार करने और वस्तुओं के परिवहन के लिए संदिग्ध वाहनों के उपयोग को रोकने के लिए ईडब्ल्यूबी प्रणाली में उपयुक्त सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने पर विचार कर सकता है।*

5. *विभाग को ईडब्ल्यूबी के सत्यापन के लिए समर्पित व्यवस्था, पर्याप्त जनशक्ति तथा गश्ती वाहनों की उपलब्धता की जांच करनी चाहिए।*

1.4 वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए वस्तु एवं सेवा कर भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी पर अनुपालन लेखापरीक्षा

1.4.1 परिचय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले कई करों का स्थान ले लिया है। जीएसटी 01 जुलाई 2017 से लागू हुआ। यह वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाने वाला गंतव्य-आधारित उपभोग कर है। केंद्र और राज्य एक साथ एक समान कर आधार पर जीएसटी लगाते हैं। केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)/केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी (यूटीजीएसटी) अंतः राज्यीय आपूर्ति पर लगाए जाते हैं और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है।

दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर (डीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 59 जीएसटी को स्व-निर्धारण-आधारित कर के रूप में निर्धारित करती है, जिसके अंतर्गत कर देयता की गणना करने, गणना की गई कर देयता का भुगतान करने और रिटर्न फाइल करने का उत्तरदायित्व करदाता में निहित है। जीएसटी रिटर्न को सामान्य जीएसटी पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन फाइल किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर जुर्माना देय होगा। यहाँ तक कि अगर व्यवसाय में किसी विशेष कर अवधि के दौरान कोई कर देयता नहीं है, तो उसे अनिवार्य रूप से शून्य रिटर्न फाइल करना होगा। इसके अतिरिक्त, डीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 99 के साथ पठित अधिनियम की धारा 61 में प्रावधान है कि सक्षम अधिकारी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्न और संबंधित विवरणों की संवीक्षा कर सकता है, करदाताओं को विसंगतियों के बारे में अवगत करा सकता है और स्पष्टीकरण मांग सकता है।

इस नई कर व्यवस्था में कर अनुपालन के लिए परिकल्पित नियंत्रण तंत्र और व्यापार और कर विभाग (विभाग), रा.रा.क्षे.दि.स. दिल्ली के निगरानी तंत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) को लिया गया था।

1.4.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत कर अनुपालन के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने की दिशा में थी। निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ 'जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' की लेखापरीक्षा की गई:

(i) क्या नियमों और प्रक्रियाओं को कर अनुपालन पर प्रभावी संवीक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित किया गया था और करदाताओं द्वारा इसका विधिवत पालन किया जा रहा था; और

(ii) क्या क्षेत्रीय फार्मेशनों की संवीक्षा प्रक्रियाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त और प्रभावी थे।

1.4.3 लेखापरीक्षा पद्धति और कार्यक्षेत्र

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि से संबंधित डाटा विश्लेषण के आधार पर की गई थी, जिसमें जोखिम क्षेत्रों और खतरे के संकेतों को उजागर किया गया। डाटा विश्लेषण के माध्यम से, इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी), कर देयता के भुगतान, पंजीकरण और रिटर्न फाइल करने के क्षेत्रों में 17 विचलनों की पहचान की गई। इस प्रकार के विचलनों की एक ***केंद्रीकृत लेखापरीक्षा*** (सीमित लेखापरीक्षा)[9] के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी, जिसके द्वारा इन विचलनों के बारे में संबंधित विभागीय क्षेत्रीय फार्मेशनों (वार्डों) को सूचित किया गया था और क्षेत्र के दौरों को सम्मिलित किए बिना पहचाने गए विचलनों पर आधिकारिक फार्मेशनों द्वारा की गई कार्रवाई का पता लगाया गया था। केंद्रीकृत लेखापरीक्षा (सीमित लेखापरीक्षा) को एक विस्तृत लेखापरीक्षा द्वारा संपूरित किया गया था जिसमें आधिकारिक क्षेत्रीय फार्मेशनों के पास उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के लिए क्षेत्र दौरों को सम्मिलित किया गया था। करदाताओं से संबंधित डाटा/दस्तावेज़ों (जैसे पंजीकरण, कर भुगतान, रिटर्न और अन्य विभागीय कार्यों) की जांच करने के लिए जितना संभव हो, उतना जीएसटीएन पोर्टल एप्लिकेशन - राज्य कर

[9] केंद्रीकृत लेखापरीक्षा (सीमित लेखापरीक्षा) में करदाता के सूक्ष्म अभिलेख जैसे वित्तीय विवरणों से संबंधित खाता बही, इनवॉइस, करार आदि की मांग करना भी सम्मिलित नहीं था।

विभाग के एप्लीकेशन (बीओवेब) की बैक-एंड प्रणाली के माध्यम से रिटर्न और संबंधित अनुलग्नकों और सूचनाओं तक पहुंची। ***विस्तृत लेखापरीक्षा*** में करदाताओं से संबंधित क्षेत्रीय फार्मेशनों के माध्यम से इनवॉइस जैसे प्रासंगिक सूक्ष्म अभिलेख तक पहुंच बनाना भी सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त, चयनित वार्डों में रिटर्न की संवीक्षा जैसे विभागीय फार्मेशन के अनुपालन कार्यों की भी समीक्षा की गई।

विभाग द्वारा रिटर्न की संवीक्षा की समीक्षा और करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन में अप्रैल 2018 से मार्च 2021 तक की अवधि सम्मिलित थी, जब कि चयनित वार्डों के कार्यों के लेखापरीक्षा में अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि सम्मिलित थी। एसएससीए में केवल राज्य प्रशासित करदाताओं को सम्मिलित किया गया था।

इस एसएससीए का प्रवेश सम्मेलन 06 जुलाई 2023 को विशेष आयुक्त (लेखापरीक्षा) के साथ आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। फील्ड लेखापरीक्षा सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक की गई थी।

इस एसएससीए का निर्गम सम्मेलन 26 नवंबर 2024 को व्यापार और कर विभाग के आयुक्त के साथ आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विस्तार से चर्चा की गई थी।

1.4.4 लेखापरीक्षा नमूना

योजना बनाने के साथ-साथ मूल लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा को निर्धारित करने के लिए डाटा-आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया। इस एसएससीए के नमूने में केंद्रीकृत लेखापरीक्षा (सीमित लेखापरीक्षा) के लिए डाटा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए विचलनों का एक समूह सम्मिलित था जिसमें क्षेत्र का दौरा सम्मिलित नहीं था; विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना जिसमें विभागीय परिसरों में क्षेत्र का दौरा और करदाताओं के अभिलेखों की संवीक्षा सम्मिलित थी; और वार्डों के अनुपालन कार्यों के मूल्यांकन के लिए वार्डों का एक नमूना सम्मिलित था।

इस एसएससीए के तीन अलग-अलग भाग निम्नानुसार थे:

भाग I - वार्डों की लेखापरीक्षा

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए मामलों के एक से अधिक चयनित नमूनों पर क्षेत्राधिकार वाले दस वार्डों[10] पर उनके निरीक्षण कार्यों के मूल्यांकन के लिए विचार किया गया था।

भाग II - केंद्रीकृत लेखापरीक्षा

डाटा विश्लेषण के माध्यम से नियमों से उच्च-मूल्य या उच्च-जोखिम विचलनों और रिटर्न के बीच विसंगतियों की पहचान करके 285 करदाताओं से संबंधित 487 उच्च मूल्य विसंगतियों के एक नमूने का चयन किया गया था।

भाग III - विस्तृत लेखापरीक्षा

अतिरिक्त आईटीसी, कर देयता बेमेल, कुल टर्नओवर में अनुपातहीन छूट प्राप्त टर्नओवर और अनियमित आईटीसी उत्क्रमण आदि जैसे जोखिम मापदंडों के आधार पर 70 करदाताओं का चयन किया गया था।

इस एसएससीए के लिए चयनित केंद्रीकृत लेखापरीक्षा और विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए नमूनों का विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-1.19(ए)** और **अनुलग्नक-1.19(बी)** में दिया गया है।

1.4.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोतों में डीजीएसटी अधिनियम, आईजीएसटी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधान सम्मिलित थे। महत्वपूर्ण उपबंध **तालिका-1.4.1** में दिए गए हैं:

तालिका-1.4.1: मानदंड के स्रोत

क्रम सं.	विषय	अधिनियम और नियम
1	उगाही और संग्रहण	डीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 9
2	उत्क्रम प्रभार प्रक्रिया (आरसीए)	डीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(3) और आईजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 5 (3)
3	आईटीसी का लाभ उठाना और उपयोग करना	डीजीएसटी अधिनियम 2017 के अध्याय V के अंतर्गत धारा 16 से 21; डीजीएसटी नियमावली 2017 के अध्याय V के अंतर्गत नियम 36 से 45
4	पंजीकरण	डीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 22 से 25; डीजीएसटी नियमावली के नियम 8 से 26

10 1, 2, 7, 64, 94, 201, 203, 204, 207 और 208

क्रम सं.	विषय	अधिनियम और नियम
5	आपूर्ति	डीजीएसटी अधिनियम की धारा 7 और 8, डीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची I, II और III
6	आपूर्ति का स्थान	आईजीएसटी अधिनियम की धारा 10-13
7	आपूर्ति का समय	डीजीएसटी अधिनियम की धारा 12 से 14
8	आपूर्ति का मूल्यांकन	डीजीएसटी अधिनियम की धारा 15; डीजीएसटी नियमावली के नियम 27-34
9	कर का भुगतान	डीजीएसटी अधिनियम के अध्याय X के अंतर्गत धारा 49 से 53; डीजीएसटी नियमावली के अध्याय IX के अंतर्गत नियम 85 से 88ए
10	जीएसटी रिटर्न फाइल करना	अध्याय IX के अंतर्गत धारा 37 से 47; डीजीएसटी अधिनियम के अध्याय VIII के अंतर्गत नियम 59 से 68 और 80 से 81; डीजीएसटी नियमावली के भाग बी में रिटर्न का प्रारूप निर्धारित किया गया है।
11	ज़ीरो-रेटेड आपूर्ति	आईजीएसटी अधिनियम की धारा 16
12	निर्धारण और लेखापरीक्षा कार्य	डीजीएसटी अधिनियम 2017 के अध्याय XII और XIII के अंतर्गत धारा 61, 62, 65 और 66; डीजीएसटी नियमावली 2017 के अध्याय XI के अंतर्गत नियम 99 से 102

इसके अतिरिक्त, सीबीआईसी/राज्य कर विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं और परिपत्र जो रिटर्न फाइल करने, विभिन्न रिटर्न फाइल करने की प्रभावी तिथियों को अधिसूचित करने, रिटर्न फाइल करने की नियत तिथियों को बढ़ाने, वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें, कर का भुगतान, आईटीसी का लाभ उठाने और उपयोग करने, रिटर्न की संवीक्षा और कर अनुपालन की निगरानी और रिटर्न फाइल करने संबंधी विभिन्न पहलुओं पर विभागीय अधिकारियों के निर्देशों वाली मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी), रिटर्न की संवीक्षा, पंजीकरण का निरसन और डीजीएआरएम रिपोर्टों का सत्यापन आदि से संबंधित थे, लेखापरीक्षा मानदंड के भाग थे।

1.4.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् (क) वार्डों की लेखापरीक्षा, (ख) केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा, और (ग) विस्तृत लेखापरीक्षा, जैसा कि आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

1.4.6.1 वार्डों की लेखापरीक्षा

वार्डों (विभागीय क्षेत्रीय फार्मेशन) का कार्य करदाताओं द्वारा विभिन्न अनुपालनों पर निगरानी प्रदान करना है। वार्डों में प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की जांच की गई।

(i) रिटर्न की संवीक्षा के बाद अनुवर्ती कार्रवाई में विलंब

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 (अधिनियम) की धारा 61 और डीजीएसटी नियमावली, 2017 (नियम) के नियम 99 में सक्षम अधिकारी (वार्ड अधिकारी)

द्वारा रिटर्न की संवीक्षा का प्रावधान है ताकि उनकी सटीकता का सत्यापन किया जा सके और विसंगतियों की सूचना, यदि कोई हो, तो करदाताओं को स्पष्टीकरण हेतु प्रेषित की जा सके। इसके अतिरिक्त, धारा 61(3) में सूचित किए जाने के 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में पंजीकृत व्यक्ति की विफलता या विसंगति को स्वीकार करने के बाद सुधारात्मक उपाय करने में विफलता की स्थिति में कार्रवाई का प्रावधान है।

क) चयनित वार्डों ने करदाताओं की संवीक्षा के संबंध में अभिलेख और सूचना (जून 2023 से मार्च 2024) प्रदान नहीं की। तथापि, एमआईएस रिपोर्ट एएसएमटी-3.1 (संवीक्षित मामलों की सूची और उन पर की गई कार्रवाई) से पता चला कि 10 चयनित वार्डों में पंजीकृत 66,671 करदाताओं में से 2020-21 की अवधि के दौरान 5,979 मामलों की संवीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा ने 100 करदाताओं से संबंधित 102 मामलों **(अनुलग्नक-1.20)** की संवीक्षा की ताकि यह पता लगाया जा सके कि रिटर्न की संवीक्षा के बाद उचित कार्रवाई की गई थी या नहीं। पाई गई अभ्युक्तियां **तालिका 1.4.2** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 1.4.2: एएसएमटी-3.1 एमआईएस रिपोर्ट से चयनित नमूने में पाई गई अभ्युक्तियां

क्रम सं.	नोटिस/आदेश जारी किया गया	मामलों की संख्या	विचलन राशि (₹ करोड़ में)	लंबित दिनों की संख्या (फरवरी 2024 तक)
1	एएसएमटी-10	61	78.24	183 से 1,295
2	डीआरसी-01	07	82.55	353 से 1,151
3	डीआरसी-07 (वसूली के लिए लंबित मामले)	05	32.12	868 से 1,123
4	19 मामलों में, न्यायनिर्णय की शुरुआत के बाद अंतिम मांग जारी करने के लिए वार्डों द्वारा 1,015 से 1,172 दिन का समय लिया गया।			

उपर्युक्त तालिका से, यह देखा गया है कि 61 मामलों में, ₹ 78.24 करोड़ की विचलन राशि वाली एएसएमटी-10 नोटिस (विसंगतियों की सूचना देने वाली नोटिस) जारी करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये नोटिस आगे की कार्रवाई के लिए लंबित थीं और लंबित दिनों की संख्या 183 से 1,295 तक थी **(अनुलग्नक-1.20(ए))**। इन 61 मामलों में से 26 मामलों में करदाता द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया है, तथापि वार्ड द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई

(दिसंबर 2023 से मार्च-2024)। सात मामलों में, ₹ 82.55 करोड़ की राशि के डीआरसी-01/कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए गए थे। तथापि, ये मामले अंतिम आदेश के लिए लंबित थे, और लंबित दिनों की संख्या 353 से 1,151 तक थी **(अनुलग्नक-1.20(बी))**। पांच मामलों में, ₹ 32.12 करोड़ की राशि के डीआरसी-07 (मांग का सारांश) जारी किए गए थे, तथापि ये मामले 868 से 1,123 दिनों की अवधि के बाद भी एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार वसूली के लिए लंबित थे **(अनुलग्नक-1.20(सी))**। 19 मामलों में, वार्डों को न्यायनिर्णय होने के बाद डीआरसी-07 जारी करने में 1,015 से 1,172 दिन लगे, जिससे वसूली की प्रक्रिया में और विलंब हुआ **(अनुलग्नक-1.20(डी))**।

इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023 से मार्च 2024), विभाग ने निम्नलिखित उत्तर दिया (जुलाई 2025):

अनुलग्नक **1.20(ए)** के संबंध में, विभाग ने चार मामलों में डीआरसी-07, दो मामलों में डीआरसी-01, तीन मामलों में एएसएमटी-12 (करदाता के उत्तर का स्वीकृति आदेश) जारी किए, दो मामलों में कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया। एक मामले में विभाग ने लेखापरीक्षा परिप्रश्न जारी करने से पहले ही डीआरसी-07 जारी कर दिया था। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित तीन मामलों में, विभाग ने कहा कि आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है क्योंकि मामला समय बाधित है। ₹ 71.73 करोड़ की विचलन राशि वाले शेष 46 मामलों का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

अनुलग्नक **1.20(बी)** के संबंध में, विभाग ने एक मामले में डीआरसी-07 जारी किया। ₹ 66.02 करोड़ की विचलन राशि वाले शेष छह मामलों का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

अनुलग्नक **1.20 (सी)** और **1.20(डी)** के संबंध में, सभी मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

2017-18 के तीन मामलों के समय-बाधित होने के परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की संभावित हानि हुई। विभाग को शेष मामलों में कार्यवाही को शीघ्रता से पूरा करने की आवश्यकता है, अन्यथा ये मामले भी समय-बाधित हो सकते हैं।

ख) लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा संवीक्षित, परंतु कार्रवाई के लिए लंबित मामलों की सूची (एमआईएस रिपोर्ट एएसएमटी-3.2) का भी विश्लेषण किया। यह पाया गया कि 7,994 संवीक्षित मामले 120 दिनों से लेकर 1,567 दिनों तक की अवधि के लिए कार्रवाई हेतु लंबित थे। इनमें से, लेखापरीक्षा ने 100 करदाताओं से संबंधित 102 मामलों में जारी कि गई एएसएमटी-10 नोटिस और करदाताओं के उत्तरों की जांच की **(अनुलग्नक-1.2.1)**। इसके परिणाम नीचे **तालिका 1.4.3** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.4.3: एएसएमटी-3.2 एमआईएस रिपोर्ट से चयनित नमूने में पाई गई अभ्युक्तियां

क्रम सं.	नोटिस/आदेश जारी किया गया	मामलों की संख्या	विचलन राशि (₹ करोड़ में)	नोटिस/अंतिम मांग जारी होने के बाद (फरवरी-2024) वार्डों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से संबंधित दिनों की संख्या
1	एएसएमटी-10	76	54.07	120 से 1567
2	डीआरसी-01	03	0.46	958 से 1119
3	डीआरसी-07 (वसूली के लिए लंबित मामले)	1	18.70	702
4	8 मामलों में न्यायनिर्णय शुरू होने के बाद अंतिम मांग जारी करने के लिए वार्डों द्वारा 391 से 1171 दिन का समय लिया गया।			

उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया है कि ₹ 54.07 करोड़ की विचलन राशि वाले 76 मामलों में, एएसएमटी-10 नोटिस जारी करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। लंबित होने की अवधि 120 से 1,567 दिनों तक थी **(अनुलग्नक-1.21(ए))**। इन 76 मामलों में से 32 मामलों में, करदाताओं ने उत्तर दिया था, परंतु वार्ड द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तीन मामलों में, ₹ 0.46 करोड़ की विचलन राशि वाले डीआरसी-01 जारी किए गए थे और अंतिम आदेश जारी करने के लिए लंबित थे। लंबित होने की अवधि 958 से 1,119 दिनों तक थी **(अनुलग्नक-1.21(बी))**। यद्यपि इन मामलों में करदाताओं द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया है, वार्ड द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। एक मामले में, ₹ 18.70 करोड़ की राशि का डीआरसी-07 (अंतिम मांग) जारी किया गया था और यह मामला 702 दिनों से वसूली के लिए लंबित था **(अनुलग्नक-1.21(सी))**। आठ मामलों में, वार्डों को न्यायनिर्णय होने के बाद

डीआरसी-07 जारी करने में 391 दिन से 1,171 दिन लगे, जिससे वसूली की प्रक्रिया में और विलंब हुआ **(अनुलग्नक-1.21(डी))**।

ग) आगे यह पाया गया कि उपर्युक्त 200 करदाताओं में से 26 करदाताओं का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया था **(अनुलग्नक-1.21(ई))** और निरसन आदेशों में 'शून्य' मांग निर्धारित की गई थी, जो इस तथ्य के बावजूद था कि इन करदाताओं को ₹ 164.68 करोड़ की विचलन राशि वाली नोटिस जारी की गई थी।

इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023 से मार्च 2024) विभाग ने निम्नलिखित उत्तर दिया (जुलाई 2025):

अनुलग्नक **1.21(ए)** के संबंध में, 11 मामलों में, विभाग ने डीआरसी-07 जारी किया और एक मामले में विभाग ने एएसएमटी-12 जारी किया। ₹ 44.47 करोड़ की विचलन राशि वाले शेष 64 मामलों का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

अनुलग्नक **1.21(बी)** से **1.21(ई)** के संबंध में, सभी मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

(ii) जीएसटी पंजीकरण निरस्त किए जाने पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई

आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के अंदर पंजीकरण निरस्त करने के लिए पीओ द्वारा आदेश जारी करना डीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 22 (3) के प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा निरसन की तिथि से या निरसन आदेश की तिथि से, जो भी बाद में आता हो, इस आशय का अंतिम रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता, डीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 100 के साथ पठित धारा 62 (1) और नियम 81 के साथ पठित डीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 45 के प्रावधानों के अंतर्गत आएगी।

लेखापरीक्षा ने पंजीकरणों के निरसन के लिए सत्यापन तंत्र की समीक्षा करने हेतु 196 करदाताओं का चयन किया, जिनका पंजीकरण 2020-21 में निरस्त कर दिया गया था (120 करदाता (अपने आप से) **(अनुलग्नक-1.22(ए))** और 76 करदाता (आवेदन के आधार पर) **(अनुलग्नक-1.22(बी))**। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 76 करदाताओं में से 45 मामलों में आवेदन प्राप्त होने के

30 दिनों के अंदर निरसन आदेश जारी नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, कुल चयनित 196 करदाताओं में से केवल 31 करदाताओं (दो करदाताओं ने अपने आप से निरस्त कर दिया और 29 करदाताओं ने आवेदन पर निरस्त कर दिया) ने पंजीकरण निरस्त करने के बाद जीएसटीआर-10 रिटर्न फाइल किया। दो करदाताओं के पंजीकरण का निरसन वापस ले लिया गया था और शेष 163 करदाताओं (116 करदाताओं ने अपने आप से निरस्त कर दिया और 47 करदाताओं ने आवेदन पर निरस्त कर दिया) के लिए अंतिम रिटर्न फाइल करना 90 दिनों से अधिक समय से लंबित था। अंतिम रिटर्न फाइल करने में विलंब 1,036 से 1,394 दिन तक था (जनवरी-2024) **(अनुलग्नक-1.22(सी))**। तथापि, रिटर्न फाइल करने की वैधानिक अवधि समाप्त होने के बाद भी वार्डों द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित करदाताओं में से, 51 मामलों में, निरसन आदेश जारी होने के बाद ₹ 646.16 करोड़ की विचलन राशि वाली नोटिस अर्थात् एएसएमटी-10/डीआरसी-01/डीआरसी-07 **(अनुलग्नक-1.22(डी))** जारी की गई थीं और वे अगली आवश्यक कार्रवाई यानी, न्यायनिर्णय, वसूली आदि के लिए लंबित थे। इनमें से 13 मामलों में, ₹ 3.28 करोड़ की राशि की एएसएमटी-10 नोटिस निरसन आदेश की तिथि के बाद जारी की गई थी, जिसमें 29 से 343 दिनों का विलंब हुआ था। 22 मामलों में, निरसन आदेश की तिथि के बाद ₹ 205.77 करोड़ की राशि का डीआरसी-01/1ए जारी किया गया था, जिसमें 100 से 1,317 दिनों तक का विलंब था। 16 मामलों में, निरसन आदेश की तिथि के बाद ₹ 437.11 करोड़ की राशि के डीआरसी-07 आदेश जारी किए गए, जिसमें 447 से 1,311 दिनों का विलंब हुआ। लेखापरीक्षा का मत है कि मांग को पंजीकरण निरस्त करने के समय ही निर्धारित किया जा सकता था और आदेश में निर्धारित राशि के रूप में दर्शाया जा सकता था, क्योंकि जिस जानकारी के आधार पर एससीएन जारी किया गया था, वह पंजीकरण निरस्त करने के समय उपलब्ध थी। इस प्रकार, लंबित सरकारी बकाया की वसूली संबंधित करदाताओं से सक्रिय रूप से की जा सकती थी।

जनवरी-फरवरी 2024 में इस के बारे में इंगित किए जाने पर, विभाग ने निम्नलिखित उत्तर दिया (जुलाई 2025):

अनुलग्नक 1.22(सी) के संबंध में, नौ मामलों में, विभाग ने डीआरसी-07 जारी किया। 20 मामलों में, विभाग ने करदाताओं के प्रति कोई देयता नहीं पाई, 16 मामलों में विभाग को जीएसटी पोर्टल में कोई विवरण नहीं मिला। तीन मामलों में, विभाग को करदाता द्वारा फाइल किया गया कोई रिटर्न नहीं मिला। शेष 115 मामलों में, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

अनुलग्नक 1.22(ए), 1.22(बी) और 1.22(डी) के संबंध में, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

सिफ़ारिश 1.4.1:

- ***विभाग यह सुनिश्चित करे कि करदाताओं को नोटिस और मांगों की सूचना जारी करने में विलंब से बचा जाए।***
- ***विभाग पंजीकरण निरस्त करने के समय देयता का निर्धारण सुनिश्चित करे और चूककर्ता करदाताओं के साथ सरकारी बकाया राशि की वसूली के लिए सक्रिय रूप से कार्य करे।***

(iii) आंतरिक लेखापरीक्षा

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अनुसार, आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी, एक सामान्य या विशिष्ट आदेश के माध्यम से, किसी भी पंजीकृत व्यक्ति का ऐसी अवधि के लिए, इतनी आवृत्ति पर और ऐसे तरीके से लेखापरीक्षा कर सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जाए। डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (13) "लेखापरीक्षा" को घोषित कुल टर्नओवर, भुगतान किए गए करों, दावा किए गए प्रतिदाय और प्राप्त आईटीसी की सटीकता की जांच करने हेतु पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत अनुरक्षित या प्रस्तुत किए गए अभिलेखों, रिटर्न और अन्य दस्तावेज़ों की जांच के रूप में परिभाषित किया जाता है और इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उसके द्वारा अनुपालन का आकलन करने के लिए किया जाता है।

आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चयनित करदाताओं की सूची लेखापरीक्षा विंग और लेखापरीक्षा के लिए चयनित वार्डों से लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ मांगी गई थी।

विभाग के लेखापरीक्षा विंग ने अपने उत्तर (अप्रैल 2024) में बताया कि 2021-22 से 2022-23 की अवधि के दौरान 43 वार्डों के 101 करदाताओं को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। तथापि, विभाग ने चयनित करदाताओं से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। इस प्रकार, लेखापरीक्षा आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावोत्पादकता और प्रभावकारिता के बारे में राय नहीं बना सका।

सितंबर 2024 में विभाग को इसके संबंध में बताया गया है, परंतु विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है (जुलाई 2025)।

1.4.6.2 जीएसटी रिटर्न में विसंगतियां - केंद्रीकृत लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने 2018-19 से 2020-21 से संबंधित जीएसटी रिटर्न डाटा का विश्लेषण किया और करदाताओं द्वारा फाइल किए गए जीएसटी रिटर्न के बीच नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों की पहचान 17 मापदंडों के एक सेट पर डाटा प्रश्नों के साथ की गई, जिसे मोटे तौर पर दो डोमेन- आईटीसी और कर भुगतान में वर्गीकृत किया जा सकता है।

13 निर्धारित जीएसटी रिटर्न[11] में से, सामान्य करदाताओं पर लागू होने वाले निम्नलिखित मूल रिटर्न पर जीएसटी रिटर्न/डाटा के बीच विचलनों, विसंगतियों और बेमेल की पहचान करने के उद्देश्य से विचार किया गया था।

- जीएसटीआर-1: वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्ति करने वाले सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा मासिक रिटर्न फाइल किया जाना है और इसमें वस्तुओं और सेवाओं की जावक आपूर्ति का विवरण होता है।
- जीएसटीआर-2(ए): प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का सिस्टम-जनित रिटर्न। इसमें आपूर्तिकर्ताओं के फॉर्म जीएसटीआर-1/जीएसटीआर-5 में

[11] जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4 (सीएलएस के अंतर्गत करदाता), जीएसटीआर-5 (अनिवासी कर योग्य व्यक्ति), जीएसटीआर-5ए (अनिवासी ओआईडीएआर सेवा प्रदाता), जीएसटीआर-6 (इनपुट सेवा वितरक), जीएसटीआर-7 (टीडीएस काटने वाले करदाता), जीएसटीआर-8 (ई-कॉमर्स ऑपरेटर), जीएसटीआर-9 (वार्षिक रिटर्न), जीएसटीआर-10 (अंतिम रिटर्न), जीएसटीआर-11 (यूआईएन रखने वाला और प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति), सीएमपी-08 और आईटीसी-04 (एक प्रिंसिपल/जॉब-वर्कर द्वारा एक जॉब-वर्कर को भेजे गए/प्राप्त किए गए सामानों के विवरण के बारे में फाइल किया जाने वाला विवरण)

घोषित सभी बी2बी[12] लेन-देन, जीएसटीआर-6 से आईएसडी विवरण, दूसरे पक्ष द्वारा क्रमशः जीएसटीआर-7 और जीएसटीआर-8 से विवरण और आगम पत्र पर विदेशों से वस्तुओं के आयात का विवरण सम्मिलित है, जैसा कि भारतीय सीमा शुल्क के आईसीईजीएटीई[13] पोर्टल से प्राप्त होता है।

- जीएसटीआर-3(बी): यह अधिनियम की धारा 39 (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट करदाताओं को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा जमा किए जाने वाले कर के भुगतान के साथ-साथ जावक आपूर्ति और दावा किए गए आईटीसी का मासिक सारांश विवरण है। यह वह रिटर्न है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही में क्रेडिट और डेबिट और इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाता-बही में डेबिट को भर देता है।
- जीएसटीआर-5: अनिवासी करदाताओं द्वारा फाइल किया जाने वाला मासिक रिटर्न जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की जावक आपूर्ति सम्मिलित हैं।
- जीएसटीआर-6: इनपुट सेवा वितरकों के लिए मासिक रिटर्न जो उनके वितरित आईटीसी और आवक आपूर्ति का विवरण प्रदान करता है।
- जीएसटीआर-7: उन व्यक्तियों द्वारा फाइल किया जाने वाला मासिक रिटर्न जो प्राप्त आवक आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने/जमा करने के समय कर की कटौती करते हैं।
- जीएसटीआर-8: ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा फाइल किया जाने वाला मासिक रिटर्न जिन्हें जीएसटी, जो अक्टूबर 2018 में लागू किया गया था, के अंतर्गत टीसीएस (स्रोत पर संगृहीत कर) की की कटौती की आवश्यकता होती है।
- जीएसटीआर-9: इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी), स्रोत पर कर कटौतीकर्ता/स्रोत पर कर संग्रहकर्ता, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी करदाता को छोड़कर सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा वार्षिक रिटर्न फाइल किया जाएगा। इस दस्तावेज़ में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्षों

[12] बिज़नेस टू बिज़नेस

[13] भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज गेटवे

(सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी) के अंतर्गत की गई और प्राप्त की गई सभी आपूर्तियों के साथ-साथ कुल बिक्री और उससे संबंधित लेखापरीक्षा विवरण भी सम्मिलित हैं।

- जीएसटीआर-9सी: यह किसी विशेष वित्त वर्ष में ₹ 5 करोड़ से अधिक कुल बिक्री वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा फॉर्म है। यह मूल रूप से जीएसटीआर-9 में फाइल किए गए वार्षिक रिटर्न और करदाता के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच एक समाधान विवरण है।

चिह्नित किए गए 17 मापदंडों और उन पर पड़े प्रभावों के डाटा विश्लेषण का विवरण **तालिका 1.4.4 (ए)** और **1.4.4 (बी)** में दिया गया है।

तालिका 1.4.4 (ए): किए गए डाटा विश्लेषण का विवरण

क्रम सं.	उपयोग किया गया एल्गोरिथ्म	जोखिम जिनका विश्लेषण किया गया
	डोमेन: आईटीसी	
1.	अपने सभी संशोधनों के साथ जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी की तुलना तालिका 4ए (5) (घरेलू आपूर्ति पर उपार्जित) में जीएसटीआर-3बी में प्राप्त आईटीसी के साथ की गई थी, जिसमें तालिका 4बी (2) में उत्क्रमण को छोड़कर, लेकिन जीएसटीआर-9 की तालिका 8सी से बाद के वर्ष में प्राप्त आईटीसी और अवरुद्ध क्रेडिट सम्मिलित थे।	जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के बीच आईटीसी बेमेल
2.	जीएसटीआर-2ए से उपलब्ध आईटीसी की तुलना जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए से की गई थी, जो जीएसटीआर-2ए (स्वचालित रूप से भरे जाने वाले गैर-संपादन योग्य क्षेत्र के रूप में) से उपलब्ध आईटीसी दर्ज किया जाता है, लेकिन जीएसटीआर-2ए में उन प्रविष्टियों को सम्मिलित नहीं करती है, जहाँ आपूर्तिकर्ता ने अपनी फाइलिंग की नियत तारीख तक जीएसटीआर-1 फाइल नहीं किया है और उस अवधि के लिए आईटीसी को भी सम्मिलित नहीं करता है, जिसके दौरान प्राप्तकर्ता करदाता कम्पोजीशन लेवी योजना (सीएलएस) के अंतर्गत था।	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर जमा किए बिना आईटीसी हस्तांतरित कर दिया गया
3.	वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि से संबंधित जीएसटीआर-3बी की तालिका 4 के माध्यम से अगले वर्ष अक्टूबर के बाद फाइल किए गए आईटीसी का लाभ उठाया गया	विच्छेदक अवधि के बाद फाइल किए गए जीएसटीआर-3बी में आईटीसी का लाभ उठाया गया।
4.	प्राप्तकर्ता की जीएसटीआर-9 तालिका 6जी या जीएसटीआर-3बी तालिका 4(ए)(4) में प्राप्त आईएसडी आईटीसी की तुलना वितरक जीएसटीआईएन की तालिका 5ए, तालिका 8ए और तालिका 9ए के योग से की गई थी	आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ उठाना
	डोमेन: वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण (एफएस)	
5.	जीएसटीआर-9सी तालिका 12एफ में सकारात्मक आंकड़ा और बेमेल के लिए तालिका 13 में दिए गए कारणों की जांच	वार्षिक रिटर्न और बहीखातों के बीच प्राप्त आईटीसी का बेमेल
6.	जीएसटीआर-9सी तालिका 14टी में सही आंकड़ा और बेमेल के लिए तालिका 15 में दिए गए कारणों की जांच	वित्तीय विवरणों में खर्च के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त आईटीसी के बीच समाधान
7.	जीएसटीआर-9सी तालिका 9 आर में नकारात्मक आंकड़ा और बेमेल के लिए तालिका 10 में दिए गए कारणों की जांच	लेखा पुस्तकों और रिटर्न के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल

क्रम सं.	उपयोग किया गया एल्गोरिथ्म	जोखिम जिनका विश्लेषण किया गया
	डोमेन: कर और ब्याज भुगतान	
8.	जीएसटीआर-9 तालिका 4जी (देय कर) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-9 तालिका 6सी, 6डी और 6एफ (प्राप्त आईटीसी) में प्राप्त आईटीसी के साथ की गई थी। ऐसे मामलों में जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर-3बी तालिका 3.1 (डी) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-3बी 4(ए)(2) और 4ए(3) से की गई थी। जहाँ दोनों जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-3बी उपलब्ध थे, वहाँ दोनों के अंतर में से जो अधिक या उसे माना गया।	जीएसटीआर-3ख/जीएसटीआर-9 में प्राप्त आरसीएम बनाम आईटीसी के अंतर्गत कर का अल्प भुगतान
9.	अग्रिम और संशोधनों पर विचार करते हुए, जीएसटीआर-1 (तालिका 4 से 11) और जीएसटीआर-9 (तालिका 4एन, 10 और 11) में से जो भी अधिक कर देयता थी की तुलना जीएसटीआर-3बी तालिका 3.1 (ए) और 3.1 (बी) में कर भुगतान किए गए विवरण के साथ की गई थी। ऐसे मामलों में जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, भुगतान किए गए जीएसटीआर-3बी कर की तुलना जीएसटीआर-1 देयता से की गई थी।	अभुक्त देनदारियां
10.	जीएसटीआर-3बी तालिका 3.1(ए)+(बी) की तुलना ई-वे बिल (ईडब्ल्यूबी) में घोषित कर देयता के साथ की गई थी और ऐसे मामलों की पहचान की गई है जहाँ जीएसटीआर-3बी ईडब्ल्यूबी से कम हैं।	ईडब्ल्यूबी सत्यापन के आधार पर कर देयता का दमन
11.	ई-कॉमर्स जीएसटीआर-8 1 अक्टूबर 2018 से प्रभावी हो गया जब टीसीएस प्रावधान प्रभावी हुए। जीएसटीआर-8 में घोषित जीएसटीआईएन जो सीएलएस के अंतर्गत जीएसटीआर-4/सीएमपी-08 भी फाइल कर रहे हैं।	सीएलएस करदाता भी ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठा रहे हैं
12.	सीएलएस करदाताओं की पहचान की गई, जिनके एक ही पैन के सभी जीएसटीआईएन के अंतर्गत अखिल भारतीय आधार (केंद्रीय और राज्य क्षेत्राधिकार) पर कुल बिक्री 2018-19 में ₹ 1 करोड़ और 2019-20 में ₹ 1.5 करोड़ की कुल बिक्री सीमा को पार कर गया है।	सीएलएस के अंतर्गत बने रहने के लिए अपात्र करदाता
13.	जिन करदाता ने जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं किया है, लेकिन जीएसटीआर-1 फाइल किया है या जहाँ जीएसटीआर-2ए उपलब्ध है, वे करदाताओं को कर का भुगतान किए बिना व्यवसाय करने का संकेत देते हैं।	जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है।
14	जीएसटीआर-3बी को विलंब से फाइल करने पर कर भुगतान के नकद हिस्से पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की जाती है, अर्थात जीएसटीआर-3बी में घोषित ब्याज	ब्याज का कम भुगतान

तालिका 1.4.4 (बी): किए गए डाटा विश्लेषण का विवरण (टर्नओवर बेमेल)

क्रम सं.	उपयोग किया गया एल्गोरिथ्म	जोखिम जिनका विश्लेषण किया गया
15.	जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1 (ए) की तुलना जीएसटीआर-2ए की तालिका 9 के कॉलम 6 से की गई। ऐसे मामलों की पहचान की जाती है जहाँ जीएसटीआर-3बी मूल्य जीएसटीआर-2ए से कम हैं।	कर योग्य आपूर्तियों की कम घोषणा का पता लगाने के लिए टीडीएस रिटर्न की तुलना करना
16.	जीएसटीआर-9सी तालिका 5बी में वर्ष की शुरुआत में बिल रहित राजस्व तालिका 5एच में दिखाए गए पिछले जीएसटीआर-9सी के बिल रहित राजस्व के साथ मेल खाना चाहिए। कोई भी बेमेल कर योग्य टर्नओवर के छिपाने का संकेत है।	जीएसटीआर-9सी में घोषित बिल रहित राजस्व के आधार पर कर योग्य मूल्य के छिपाना
17.	जीएसटीआर-9सी तालिका 7जी में नकारात्मक आंकड़ा और बेमेल के लिए तालिका 8 में दिए गए कारणों की संवीक्षा	जीएसटीआर-9सी तालिका 7जी में घोषित कर योग्य कुल बिक्री में बेमेल

राज्यव्यापी डाटा विश्लेषण ने पर्याप्त मौद्रिक मूल्यों के साथ विचलन का पता चला जो बुनियादी सत्यापन नियंत्रणों की कमी को इंगित करता है।

दिल्ली राज्य क्षेत्राधिकार से संबंधित 17 चिह्नित किए गए मापदंडों पर आधारित आंकड़ों का राज्यव्यापी विश्लेषण और देखी गई विचलन/विसंगतियों की सीमा को **अनुलग्नक 1.23** में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

(ए) विभाग द्वारा उत्तर की गैर-प्रस्तुती

2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए 17 मापदंडों के प्रति विचलन/विसंगतियों को दर्शाने वाले 285 करदाताओं से संबंधित 487 मामलों में संबंधित वार्डों (जून 2023 से नवंबर 2023) को लेखापरीक्षा प्रश्न जारी किए गए थे।

360 विसंगतियों (टर्नओवर में बेमेल से संबंधित 41 विसंगतियों सहित) के लिए प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा (दिसंबर 2024) की जा रही थी जिनमें 319 मामलों में देय कर आईटीसी में ₹ 5,293.68 करोड़ की राशि के बेमेल **(अनुलग्नक-1.24)** और 41 विसंगतियों से संबंधित ₹ 9,742.01 करोड़ के टर्नओवर का बेमेल **(अनुलग्नक-1.25)** शामिल हैं।

सिफ़ारिश 1.4.2: विभाग लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए जीएसटी रिटर्न में विसंगतियों और विचलन के 360 मामलों को तत्काल आगे बढ़े, जिनके लिए प्रतिक्रियाएं प्रदान नहीं की गई हैं और परिणामों को लेखापरीक्षा को सूचित करे।

(बी) केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा संबंधी प्रश्नों के लिए विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर, अनुपालन विचलन में परिवर्तित 17 मापदंडों में से प्रत्येक को **अनुलग्नक-1.26** और **अनुलग्नक-1.27** में पैरामीटर वार दर्शाया गया है।

केंद्रीय लेखापरीक्षा का सारांश

लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए 487 मामलों में से, विभाग ने 127 मामलों (26.07 प्रतिशत) में प्रतिक्रिया प्रदान की, जिसमें कर भुगतान के लिए आईटीसी के ₹ 3,224.43 करोड़ **(अनुलग्नक-1.26)** के बेमेल के 115 मामले और ₹ 1,977.80 करोड़ के कारोबार के बेमेल के 12 मामले सम्मिलित हैं **(अनुलग्नक-1.27)**। इन 127 मामलों में से, विभाग ने 91 मामलों (71.65 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और

74 मामलों में एससीएन जारी करने के रूप में सुधार की कार्रवाई शुरू की और 17 मामलों में एएसएमटी-10 जारी किया। 28 मामलों में, जो 22.04 प्रतिशत है, विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा के लिए स्वीकार्य था। इन मामलों में डाटा प्रविष्टि त्रुटियों से संबंधित मामले और ऐसे मामले सम्मिलित थे जहाँ लेखापरीक्षा प्रश्न आदि से पहले कार्रवाई की गई थी। शेष आठ मामलों (6.30 प्रतिशत) में, विभाग ने केवल दस्तावेजों या अपनी टिप्पणियों के बिना करदाताओं के स्पष्टीकरण को अग्रेषित किया।

प्रत्येक आयाम के अंतर्गत एक मामला, जहाँ विभाग ने सुधारात्मक उपाय शुरू किए हैं, का विवरण **अनुलग्नक-1.28** में दिया गया है। इन मामलों का सार नीचे दिया गया है।

(i) जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के बीच आईटीसी बेमेल

जीएसटीआर-2ए एक खरीद से संबंधित गतिशील कर रिटर्न है जो जीएसटी पोर्टल द्वारा प्रत्येक व्यवसाय के लिए स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है, जबकि जीएसटीआर-3बी एक मासिक रिटर्न है जिसमें घोषित आईटीसी के साथ बाह्य आपूर्ति का सारांश और करदाता द्वारा स्व-घोषित कर का भुगतान किया जाता है।

प्राप्त आईटीसी की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए से संबंधित डाटा निकाला गया था, और आपूर्तिकर्ताओं के विवरण के अनुसार भुगतान किए गए आईटीसी का करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी क्रेडिट के साथ मिलान किया गया था। अपनाई गई पद्धति जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी की तुलना इसके सभी संशोधनों के साथ करना था और आईटीसी को तालिका 4 ए (5) में जीएसटीआर-3बी में प्राप्त किया गया था, जिसमें 4 (डी) अवरुद्ध क्रेडिट और बाद के वर्ष जीएसटीआर-9 की तालिका 8 सी से सम्मिलित थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वार्ड 12 के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX1जेडएच के मामले में, जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 'शून्य' था और जीएसटीआर-3बी की तालिका 4ए (5) में प्राप्त आईटीसी ₹ 33.18 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 के दौरान

₹ 33.18 करोड़ की आईटीसी का लाभ नहीं हुआ, जिसके बारे में विभाग को सूचित किया गया था (जुलाई 2023)। इसके उत्तर में, विभाग ने कहा (मई 2025) कि करदाता को ₹ 70.17 करोड़ की मांग का निर्धारण करने वाले फॉर्म डीआरसी-07 (अप्रैल 2024) में आदेश का सारांश जारी किया गया था।

(ii) आपूर्तिकर्ता द्वारा कर जमा किए बिना आईटीसी का लाभ उठाया गया

प्राप्तकर्ता करदाता का जीएसटीआर-2ए आपूर्तिकर्ता करदाताओं द्वारा उनके जीएसटीआर-1 में प्रकटीकरण के आधार पर तैयार किया जाता है। आपूर्तिकर्ता करदाताओं को जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल करके अपनी कर देनदारियों का निर्वहन करना आवश्यक है। जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए में अगले वित्तीय वर्ष के 31 अक्टूबर तक लिए गए आंकड़ों की तुलना जीएसटीआर-2ए की तालिका 3 से 6 के साथ की गई थी[14]। विचलन जोखिम को इंगित कर सकते हैं जहाँ करदाता द्वारा कर का वास्तविक भुगतान किए बिना ही आईटीसी आगे बढ़ा दिया गया हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वार्ड 02 के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX1जेडसी के मामले में, जीएसटीआर-2क के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 15.09 करोड़ था और तालिका 8ए जीएसटीआर-9 में दर्शाया गया आईटीसी ₹ 5.05 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 10.04 करोड़ की आईटीसी का लाभ नहीं हुआ, जिसके बारे में विभाग को सूचित किया गया (अगस्त 2023)। उत्तर में, विभाग ने कहा (अगस्त 2023) कि फॉर्म एएसएमटी-10 (अगस्त 2023) में विसंगति की सूचना देने वाला नोटिस जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही थी (जुलाई 2025)।

(iii) सीमा अवधि के बाद आईटीसी का लाभ लिया गया

डीजीएसटी अधिनियम में आईटीसी का लाभ केवल उस वित्तीय वर्ष के अंत के बाद सितंबर महीने के लिए जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक, जिससे ऐसा आईटीसी संबंधित है या प्रासंगिक वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने से संबंधित है, जो भी पहले हो, का प्रावधान है। तदनुसार, यदि ऐसे समय के

[14] पुराने जीएसटीआर-2ए प्रारूप की तालिका 3 और 5।

बाद कोई जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत किया जाता है, तो उसमें प्राप्त आईटीसी अस्वीकार्य हो जाता है। इस खाते पर प्राप्त अतिरिक्त/अनियमित आईटीसी की सीमा की समीक्षा करने के लिए, करदाता द्वारा अगले वर्ष सितंबर जीएसटीआर-3बी रिटर्न की अंतिम तिथियों के बाद 2018-19 से 2020-21 तक जीएसटीआर-3बी की तालिका 4 के माध्यम से प्राप्त आईटीसी की पहचान डाटा स्तर पर की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्ड 98 के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX1ज़ेडजी के मामले में, करदाता द्वारा अगले वर्ष के सितंबर जीएसटीआर-3बी रिटर्न की नियत तारीखों के बाद प्राप्त आईटीसी ₹ 24.12 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 24.12 करोड़ की आईटीसी का लाभ नहीं उठाया गया, जिसके बारे में विभाग को सूचित किया गया था (जून 2023)। इसके उत्तर में, विभाग ने कहा (नवंबर 2023) कि फॉर्म डीआरसी-01ए (नवंबर 2023) में पूर्व कारण बताओ प्री कॉज शो नोटिस (एससीएन) सूचना, करदाता को ₹ 51.39 करोड़ की मांग का निर्धारण करते हुए जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही थी (जुलाई 2025)।

(iv) आईएसडी क्रेडिट का लाभ उठाने में बेमेल

यह विश्लेषण करने के लिए कि करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) द्वारा अंतरित राशि से अधिक है या नहीं, करदाता के जीएसटीआर-3बी रिटर्न में घोषित आईटीसी की तुलना आईएसडी द्वारा उनके जीएसटीआर-6 में हस्तांतरित आईटीसी से की जाती है। अपनाई गई पद्धति इस राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्तकर्ता करदाताओं के जीएसटीआर-9 की तालिका 6[15] जी या जीएसटीआर-3 बी की तालिका 4(ए)(4)[16] की तुलना संबंधित आईएसडी की तालिका 5ए[17], तालिका 8ए[18] और जीएसटीआर-6 की तालिका 9ए[19] के योग के साथ करना था।

[15] आईएसडी से आईटीसी प्राप्त हुआ।

[16] आईएसडी से आवक आपूर्ति।

[17] कर अवधि के लिए पात्र आईटीसी की राशि का वितरण।

[18] आईटीसी के बेमेल को पुनः प्राप्त और वितरित किया गया।

[19] गलत प्राप्तकर्ता को वितरित आईटीसी का पुनर्वितरण।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्ड 96 के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX1जेडके के मामले में, जीएसटीआर-9 की तालिका 6जी में प्राप्त आईटीसी ₹ 2.46 करोड़ था और जीएसटीआर-6 की तालिका (5ए+8ए+9ए) में आईएसडी द्वारा अंतरण आईटीसी ₹ 2.01 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 0.45 करोड़ की आईटीसी का बेमेल पाया गया, जिसके बारे में विभाग को (जुलाई 2023) सूचित किया गया। इसके उत्तर में, विभाग ने कहा (नवंबर 2023) कि फॉर्म डीआरसी-01 (नवंबर 2023) में कारण बताओ (एससीएन), करदाता को ₹ 0.99 करोड़ की मांग का निर्धारण किस प्रकार से जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही थी (जुलाई 2025)।

(v) कर के भुगतान में बेमेल

वित्तीय विवरणों की तुलना में वार्षिक रिटर्न में भुगतान किए गए कर में चिह्नित किए गए बेमेल की सीमा की समीक्षा करने के लिए, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए डीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80 (3) के अंतर्गत करदाता द्वारा प्रस्तुत जीएसटीआर-9सी समाधान विवरण की तालिका 9 से संबंधित प्रासंगिक डाटा बिंदुओं का आंकड़ों के स्तर पर विश्लेषण किया गया था। जीएसटीआर-9सी में कर भुगतान की गई राशि के गलत प्रकटीकरण की संभावना को दूर करने के लिए, राशि की तुलना जीएसटीआर-9 में वास्तविक कर भुगतान विवरण के साथ भी की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्ड 101 के अंतर्गत 07XXXXXXXXXX1जेडक्यू के मामले में, वर्ष 2019-20 के दौरान जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर में घोषित कर का भुगतान असंगत था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.40 करोड़ की राशि का कर बेमेल पाया गया, जिसे विभाग (जुलाई 2023) को सूचित किया गया था। इसके उत्तर में, विभाग ने कहा (जनवरी 2024) कि डीआरसी-01 (जनवरी 2024), ₹ 11.06 करोड़ की मांग का निर्धारण करते हुए करदाता को जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही थी (जुलाई 2025)।

(vi) आरसीएम के अंतर्गत कर के भुगतान में बेमेल

आरसीएम में, डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 (3) या धारा 9 (4) के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं की कुछ श्रेणियों के संबंध में आपूर्तिकर्ता या प्रदाता

के बजाय माल या सेवाओं की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता पर कर का भुगतान करने की देयता तय की जाती है।

आरसीएम के अंतर्गत भुगतान किए गए कर पर प्राप्त आईटीसी की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, जीएसटीआर-3बी और वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 से संबंधित डाटासेट की तुलना यह जांचने के लिए की गई थी कि क्या आरसीएम पर प्राप्त आईटीसी भुगतान किए गए कर की निर्धारित सीमा तक सीमित है या नहीं। अपनाई गई कार्यप्रणाली जीएसटीआर-9 की तालिका 4जी में आरसीएम भुगतानों की तुलना जीएसटीआर-9 तालिका 6सी[20], 6डी[21] और 6एफ[22] में प्राप्त आईटीसी के साथ की गई थी। जिन मामलों में जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, वहाँ जाँच को जीएसटीआर-3बी तक सीमित रखा गया, जहाँ जीएसटीआर-3बी तालिका 3.1 (डी) में कर मुक्ति वाले भाग की तुलना जीएसटीआर-3बी 4ए (2)[23] और 4ए (3)[24] के आईटीसी प्राप्त करने वाले भाग से की गई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्ड 88 के अंतर्गत करदाता 07XXXXXXXXXX1जेडआई के मामले में, जीएसटीआर-9 की तालिका 4जी में उपलब्ध आईटीसी ₹ 'शून्य' था, लेकिन जीएसटीआर-9 की तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त आईटीसी ₹ 7.30 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त आईटीसी राशि ₹ 7.30 करोड़ के बीच थी बेमेल पाया गया, जिसकी सूचना विभाग को दी गई (जुलाई 2023)। इसके उत्तर में, विभाग ने बताया (मई 2025) कि करदाता को ₹ 12.48 करोड़ की मांग का निर्धारण करते हुए डीआरसी-07 (नवंबर 2024) जारी किया गया था।

(vii) कर देयता की संक्षिप्त घोषणा

जीएसटीआर-1 में वस्तुओं या सेवाओं की जावक आपूर्ति का मासिक विवरण दर्शाया गया है। इस विवरण का करदाता द्वारा भी मूल्यांकन किया जाता है और वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 संबंधित कॉलम में उल्लेख किया जाता है।

---

[20] उत्क्रमण प्रभाव के लिए उत्तरदायी अपंजीकृत व्यक्तियों से आवक आपूर्ति प्राप्त होती है।

[21] उत्क्रमण प्रभाव के लिए उत्तरदायी पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक आपूर्ति।

[22] सेवाओं का आयात।

[23] सेवाओं का आयात।

[24] आवक आपूर्ति (उत्क्रमण प्रभाव के लिए उत्तरदायी)।

इसके अतिरिक्त, कर योग्य मूल्य और उसके भुगतान किए गए कर को भी जीएसटीआर-3बी में दिखाया गया है।

अप्राप्त-कर देयता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 से प्रासंगिक डाटा निकाला गया था और इस रिटर्न में देय कर की तुलना जीएसटीआर-9 में घोषित कर से की गई थी। जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, वहाँ जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के बीच देय कर की तुलना की गई। इस उद्देश्य के लिए जीएसटीआर-1 और 9 में घोषित संशोधनों और अग्रिम समायोजन पर भी विचार किया गया। कर के कम भुगतान की पहचान करने के लिए जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के बीच कर देनदारी की तुलना जीएसटीआर-9 की तालिका 9 और 14 में घोषित कर से की गई थी। जीएसटीआर-3बी के मामले में, **तालिका 6.1** घटाकर **तालिका 3.1 (डी)** को घटाकर गणना की गई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्ड 79 के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX1जेडयू के मामले में, जीएसटीआर-1 की तालिका 4 से 11 में देय कर ₹ 76.86 करोड़ था और जीएसटीआर-9 के अनुसार दिखाई गई देयता शून्य थी। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 76.86 करोड़ की कर देयता में बेमेल पाया गया, जिसके बारे में विभाग को सूचित किया गया (जुलाई 2023)। उत्तर में, विभाग ने कहा (मई 2025) कि करदाता को ₹ 129.32 करोड़ की मांग निर्धारित करते हुए डीआरसी-07 (अगस्त 2024) जारी किया गया था।

(viii) ईडब्ल्यूबी की तुलना में कर योग्य मूल्य को छिपाना

कर के कम-भुगतान की सीमा का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष **2018**-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर-3बी में घोषित कर देयता से संबंधित प्रासंगिक डाटा की तुलना ईडब्ल्यूबी में किए गए प्रकटीकरण से की गई थी। एल्गोरिथ्म के लिए, ऐसे मामले जहाँ जीएसटीआर-3बी की **तालिका 3.1 (ए) + (बी)** में घोषित कर देय ईडब्ल्यूबी में घोषित कर देयता से कम थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्ड 77 के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX4जेडजी के मामले में, जीएसटीआर-3बी की **तालिका 3.1**

(ए) + (बी) में देय कर ₹ 0.91 करोड़ था और ईडब्ल्यूबी की देयता ₹ 97.24 **करोड़ थी।** इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 96.33 करोड़ की कर देयता का बेमेल पाया गया, जिसकी सूचना विभाग को (जून 2023) दी गई। उत्तर में, विभाग ने कहा (मई 2025) कि ₹ 186.06 करोड़ की मांग का निर्धारण करते हुए डीआरसी-07 (अगस्त 2024) करदाता को जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जुलाई 2025)।

(ix) सीएलएस के अंतर्गत ई-कॉमर्स लाभार्थी

आंकड़ों के स्तर पर, लेखापरीक्षा ने उन सीएलएस करदाताओं की पहचान करने का प्रयास किया, जिन्होंने अपनी आपूर्ति करने के लिए ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठाया है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा फाइल जीएसटीआर 8 और सीएलएस करदाताओं द्वारा फाइल सीएमपी-08 से संबंधित डाटासेट की तुलना यह संवीक्षा ने के लिए की गई थी कि क्या जीएसटीआर 8 में उल्लिखित प्राप्तकर्ता जीएसटीआईएन ने भी सीएमपी-08 फाइल किया है। सीएलएस के लाभ का अनियमित रूप से लाभ उठाने के अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि इनमें से अधिकांश करदाताओं से संबंधित जीएसटीआर 8 रिटर्न में ई-कॉमर्स सेवा प्रदाता द्वारा घोषित टर्नओवर सीएलएस के लिए करदाताओं द्वारा उनके सीएमपी-08 में घोषित टर्नओवर से अधिक है, इसलिए कर के कम भुगतान की भी संभावना हो सकती है।

वार्ड 84 के अंतर्गत जीएसटीआईएन- 07XXXXXXXXXX1जेडबी के मामले में, लेखापरीक्षा ने विभाग (अगस्त 2023) को सूचित किया कि सीएलएस करदाता ने वर्ष 2020-21 के दौरान अपनी आपूर्ति करने के लिए ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठाया। इसके उत्तर में, विभाग ने कहा (मई 2025) कि करदाता को ₹ 1.29 करोड़ की मांग का निर्धारण करते हुए डीआरसी-01 (मई 2025) जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जुलाई 2025)।

(x) जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं किया गया है लेकिन जीएसटीआर-1/2ए उपलब्ध है

आंकड़ों के स्तर पर यह पता चला है कि करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं किया है लेकिन जीएसटीआर-1 फाइल किया है। जीएसटीआर-3बी रिटर्न

एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से देयता की भरपाई की जाती है और आईटीसी का लाभ उठाया जाता है। जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2ए की उपलब्धता और जीएसटीआर-3बी फाइल न करना यह दर्शाता है कि करदाताओं ने इस अवधि के दौरान व्यवसाय किया था, लेकिन उन्होंने अपनी कर देयता का भुगतान नहीं किया है। इसमें आईटीसी के अनियमित हस्तांतरण के मामले भी सम्मिलित हो सकते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्ड 41 के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX2जेडटी के मामले में, 2019-20 में जारी चालान से संबंधित बाद के वर्षों में किए गए संशोधनों सहित जीएसटीआर-1 में करदाता द्वारा घोषित देयता ₹ 16.77 करोड़ बनती है, तथापि, जीएसटीआर-3बी में दिए गए कर आरसीएम के अंतर्गत भुगतान किए गए कर को छोड़कर शून्य रुपये था (जिसे जीएसटीआर-1 में घोषित नहीं किया गया है)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.77 करोड़ की कर देयता में बेमेल पाया गया, जिसके बारे में विभाग को सूचित किया गया (जुलाई 2023)। उत्तर में, विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि एएसएमटी-10 (जुलाई 2023) विसंगति के कारणों की मांग करते हुए जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही थी (जुलाई 2025)।

(xi) विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, उसे उस अवधि के लिए, कर या उसके किसी भी भाग का भुगतान नहीं किया गया है, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान कर के प्रेषण में विलंब के कारण ब्याज के कम भुगतान की सीमा की पहचान जीएसटीआर-3बी में कर भुगतान के विवरण और जीएसटीआर-3बी फाइल करने की तारीख का उपयोग करके की गई थी। देय ब्याज की गणना के लिए केवल शुद्ध कर देयता (नकद घटक) पर विचार किया गया है।

वार्ड 101 के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX1जेड5 के मामले में, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018-19 के दौरान जीएसटीआर-3बी को विलंब से फाइल करने के कारण ₹ 1.12 करोड़ का ब्याज का कम भुगतान पाया, जिसकी सूचना विभाग को (अगस्त 2023) दी गई। इसके उत्तर में, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2023) कि करदाता को ₹ 1.12 करोड़ की मांग का निर्धारण करते हुए डीआरसी-01 (अक्टूबर 2023) जारी कर दिया गया। इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षित है (जुलाई 2025)।

(xii) टीडीएस/टीसीएस घोषणा के माध्यम से पहचान किए गए कर योग्य मूल्य को छुपाना

वस्तु एवं कर में टीडीएस से तात्पर्य खरीददार द्वारा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करते समय स्रोत पर काटे गए कर से है। यह लेनदेन को ट्रैक करने में मदद करता है और अनुपालन सुनिश्चित करता है। वस्तु एवं कर में टीसीएस ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा स्रोत पर एकत्र किया गया कर है। एकत्रित राशि सरकार के पास जमा की जाती है।

टीडीएस[25] और टीसीएस[26] का विवरण क्रमशः जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 में घोषित किए जाते हैं और जीएसटीआर-2ए की तालिका 9 में पंजीकृत व्यक्ति को सूचित किए जाते हैं। ऐसे मामलों की पहचान की गई जहाँ जीएसटीआर-3बी में कर योग्य आपूर्ति (शून्य रेटेड, शून्य रेटेड और छूट के अतिरिक्त) के कारण घोषित कर योग्य मूल्य जीएसटीआर-2 की तालिका 9 के अनुसार टीसीएस और टीडीएस क्रेडिट के लिए उत्तरदायी देय राशि से कम थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वार्ड 03 के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX1जेड3 के मामले में, कर योग्य आपूर्तियों का बाह्य मूल्य ₹ 32.80 करोड़ था और जिस मूल्य पर टीडीएस/टीसीएस वसूला गया उसका मूल्य ₹ 67.27 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 34.47 करोड़ की कर योग्य मूल्य का बेमेल हुआ, जिसके बारे में विभाग को सूचित किया गया (जुलाई 2023)। इसके उत्तर में, विभाग ने कहा (जून 2025)

25 स्रोत पर कर कटौती

26 स्रोत पर एकत्र किया गया कर

कि डीआरसी-07 (अगस्त 2024) करदाता को ₹ 13.85 करोड़ की मांग का निर्धारण करता है.

(xiii) कर योग्य मूल्य को छिपाना (राजस्व जिसके लिए बिल जारी करना शेष है)

वित्त वर्ष विवरणों की तुलना में वार्षिक रिटर्न में रिपोर्ट किए गए कर योग्य टर्नओवर में चिह्नित किए गए बेमेल की सीमा की समीक्षा करने के लिए, वर्ष 2018-19 और 2020-21 के लिए डीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80 (3) के अंतर्गत करदाता द्वारा प्रस्तुत राजस्व जिसके लिए बिल जारी करना शेष है के प्रकटीकरण से संबंधित जीएसटीआर-9सी समाधान विवरण की तालिका 5 से संबंधित प्रासंगिक डाटा बिंदुओं के आंकडों के स्तर पर विश्लेषण किया गया था।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर-9सी की तालिका 5बी[27] के आंकड़े, जो वित्त वर्ष की शुरुआत में राजस्व जिसके लिए बिल जारी करना शेष है को दर्शाते हैं, की तुलना पिछले वर्ष के तालिका 5एच[28] जीएसटीआर-9सी रिटर्न से की गई थी, जो वर्ष के अंत में राजस्व जिसके लिए बिल जारी करना शेष है को दर्शाता है ताकि वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक रिटर्न में घोषित टर्नओवर में चिन्हित गए बेमेल की सीमा की समीक्षा की जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्ड 52 के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX2जेडO के मामले में, वर्ष 2017-18 के अंत में राजस्व जिसके लिए बिल जारी करना शेष है ₹ 30.47 करोड़ था, जबकि वर्ष 2018-19 की शुरुआत में राजस्व जिसके लिए बिल जारी करना शेष है शून्य था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.48 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 30.47 करोड़ के टर्नओवर में बेमेल पाया गया, जिसे विभाग को (जुलाई 2023) सूचित किया गया था। इसके उत्तर में, विभाग ने कहा (नवंबर 2023) कि डीआरसी-01 (दिसंबर 2023) ₹ 10.97 करोड़ की मांग का निर्धारण करते हुए करदाता को जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही थी (जुलाई 2025)।

---

27 वित्त वर्ष की शुरुआत में राजस्व जिसके लिए बिल जारी करना शेष है

28 वित्त वर्ष के अंत में राजस्व जिसके लिए बिल जारी करना शेष है

(xiv) असमायोजित कर योग्य टर्नओवर

वित्तीय विवरणों की तुलना में वार्षिक रिटर्न में रिपोर्ट किए गए कर योग्य टर्नओवर में चिह्नित किए गए बेमेल की सीमा की समीक्षा करने के लिए, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए डीजीएसटी नियम, 2017 के 80(3) के अंतर्गत करदाता द्वारा प्रस्तुत जीएसटीआर-9सी समाधान विवरण की **तालिका 5** और **7** से संबंधित प्रासंगिक डाटा बिंदुओं के आकड़ों के स्तर पर विश्लेषण किया गया था।

वार्ड 28 के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX2जेडके के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में कर योग्य टर्नओवर का भुगतान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 15 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 83.31 करोड़ के टर्नओवर में बेमेल पाया गया, जिसके बारे में विभाग को (जुलाई 2023) सूचित किया गया। इसके उत्तर में, विभाग ने कहा (नवंबर 2023) कि डीआरसी-01 (नवंबर 2023), ₹ 24.54 करोड़ की मांग का निर्धारण करते हुए करदाता को जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही थी (जुलाई 2025)।

(सी)कारण कारकों का विश्लेषण

487 डाटा विचलन/विसंगतियों के नमूने में से 127 मामलों पर विभाग की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, डाटा विचलन/विसंगतियों के कारण बनने वाले कारक निम्नानुसार हैं:

(i) जीएसटी कानून और नियमों से विचलन

(ए) ऐसे मामले जहाँ विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार किया

जिन 127 मामलों में प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं, उनमें से विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया है और 91 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की है, जिसमें ₹ 2,930.52 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है। इनमें से, विभाग ने 74 मामलों **(अनुलग्नक-1.29)** में ₹ 2,656.65 करोड़ के लिए एससीएन जारी किया है और ₹ 273.87 करोड़ की राशि के 17 मामलों में फॉर्म एएसएमटी-10 में करदाता को बेमेल से अवगत कराते हुए नोटिस जारी की है **(अनुलग्नक-1.30)**। एक उदाहरण के मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

- लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्ड 65 के अंतर्गत जीएसटीआईएन 07XXXXXXXXXX1जेडई के मामले में, जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 की तुलना के कारण बकाया कर देयता का कम भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 72.47 करोड़ की कर देयता में बेमेल पाया गया, जिसके बारे में विभाग को सूचित किया गया (जुलाई 2023)। उत्तर में, विभाग ने कहा कि करदाता को ₹ 138.36 करोड़ की मांग का निर्धारण करने के लिए डीआरसी-01ए (कारण बताओ नोटिस) जारी किया गया था (अक्टूबर 2023)। इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही थी (जुलाई 2025)।

(बी) ऐसे मामले जहाँ विभाग का उत्तर सहायक दस्तावेजों या उसकी टिप्पणियों के बिना था

जिन 127 मामलों में विभाग ने उत्तर दिया था, उनमें से विभाग ने ₹ 86.79 करोड़ की राशि के आठ मामलों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया। इन मामलों में, विभाग ने दस्तावेजों या अपनी टिप्पणियों का समर्थन किए बिना केवल करदाताओं के स्पष्टीकरण को अग्रेषित किया। इन मामलों का ब्यौरा **अनुलग्नक-1.31** में दिया गया है।

उदाहरणात्मक मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

- लेखापरीक्षा ने जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी में बेमेल पाया और आईटीसी ने जीएसटीआर-3बी में ₹ 50.14 करोड़ (वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए ₹ 13.89 करोड़, ₹ 15.70 करोड़ और ₹ 20.55 करोड़) का लाभ उठाया, जो वार्ड 206 के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX1जेडO के संबंध में प्राप्त किया गया था, जिसे विभाग को सूचित किया गया था (जुलाई 2023)। उत्तर में, विभाग ने करदाता के उत्तर (अक्टूबर 2023) को उस पर अपनी टिप्पणी दिए बिना अग्रेषित कर दिया। करदाता ने अपने उत्तर में केवल जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए के 4ए (5) के अंतर्गत प्राप्त आईटीसी पर विचार किया था। करदाता ने ₹ 4.70 करोड़ के जीएसटीआर-3बी के अवरुद्ध आईटीसी क्रेडिट (4डी) और जीएसटीआर-9 की तालिका 8सी के अंतर्गत

₹ 57.38 करोड़ के आईटीसी का लाभ उठाने का विवरण प्रस्तुत नहीं किया। इस पर दोबारा (अक्टूबर 2023) बताया जा रहा है, विभाग से कोई उत्तर नहीं मिला (जुलाई 2025)।

(ii) करदाताओं द्वारा डाटा प्रविष्टि में त्रुटियाँ

प्राप्त कुल प्रतिक्रियाओं में 3.93 प्रतिशत (127 मामलों में से पांच) डाटा प्रविष्टि त्रुटियाँ थी। इन डाटा प्रविष्टि त्रुटियों का कोई राजस्व निहितार्थ नहीं था। ये डाटा प्रविष्टि त्रुटियां आईएसडी, आरसीएम, द्वारा भुगतान किए गए कर और सीएलएस से संबंधित हैं जैसा कि **अनुलग्नक-1.32** में दिया गया है।

(iii) लेखापरीक्षा संबंधी प्रश्न जारी करने से पहले की गई कार्रवाई

जिन 127 मामलों में विभाग ने उत्तर प्रस्तुत किया था, उनमें से सात मामलों में विभाग ने पहले ही कार्रवाई कर ली थी **(अनुलग्नक-1.33)।**

(iv) अन्य वैध स्पष्टीकरण

जिन 127 उदाहरणों में विभाग ने उत्तर प्रस्तुत किया था, उनमें से विभाग ने 16 उदाहरणों में वैध स्पष्टीकरण दिए थे **(अनुलग्नक-1.34)।**

1.4.6.3 वस्तु एवं कर रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा

स्व-मूल्यांकन व्यवस्था में, कानून के अनुपालन का दायित्व करदाता पर होता है। विभाग की भूमिका निरीक्षण प्रदान करने के लिए एक कुशल कर प्रशासन तंत्र स्थापित करना और बनाए रखना है। संसाधनों के सीमित स्तर के साथ, एक प्रभावी कर प्रशासन के लिए, कानून का अनुपालन और राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने के लिए, एक कुशल शासन तंत्र आवश्यक है। एक आईटी संचालित अनुपालन मॉडल बड़े पैमाने पर शासन की एक गैर-विवेकाधीन व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम बनाता है और अनुपालन को लागू करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है।

बाह्य लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण से, लेखापरीक्षा ने डाटा-संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार, राज्यव्यापी डाटा विश्लेषण के माध्यम से जीएसटी रिटर्न में विसंगतियों/विचलन की पहचान करने के अतिरिक्त, इस समीक्षा के एक भाग के रूप में जीएसटी रिटर्न का एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी किया गया था। समीक्षा के इस भाग के लिए

70 करदाताओं का जोखिम-आधारित नमूना चुना गया था। अपनाई गई कार्यप्रणाली शुरू में जीएसटीआर-9सी के भाग के रूप में करदाताओं द्वारा फाइल किए गए जीएसटी रिटर्न और वित्तीय विवरणों की डेस्क समीक्षा करने और संभावित जोखिम क्षेत्रों, विसंगतियों/विचलन और लाल झंडों की पहचान करने के लिए बैक-एंड सिस्टम में उपलब्ध अन्य अभिलेख की समीक्षा करना था। डेस्क समीक्षा परिणामों के आधार पर, पहचाने गए जोखिमों के प्रेरक कारकों की पहचान करने करदाता द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय बहीखाता, चालान आदि जैसे करदाताओं के संबंधित विस्तृत अभिलेख की मांग करके वार्डों में विस्तृत लेखापरीक्षा की गई।

विभिन्न चरणों में करदाताओं द्वारा अनुपालन न करने से अंततः फाइल की गई रिटर्न की सत्यता, आईटीसी के उपयोग और कर भुगतान पर प्रभाव पड़ता है। चयनित 70 करदाताओं में से, लेखापरीक्षा में नियमों के पालन में 344 कमियां पाई गईं, जिनसे राजस्व कर ₹ 3,071.92 करोड़ का प्रभाव पड़ा और करों के विवरण में बेमेल पाया गया। टर्नओवर में ₹ 3,710.17 करोड़ का अंत पाया गया।

(ए) कार्यक्षेत्र सीमा (अभिलेखों की गैर-प्रस्तुति/आंशिक प्रस्तुति)

लेखापरीक्षा ने विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुने गए 70 मामलों की डेस्क समीक्षा की और विस्तृत संवीक्षा के लिए अतिरिक्त आईटीसी और कर देयता बेमेल आदि से संबंधित जोखिमों को चिह्नित किया। ताकि उनका विस्तृत परीक्षण किया जा सके। जीएसटीआर-3बी की तुलना जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-9 के साथ करके और जीएसटीआर-9सी की तालिका 12 और 14 में की गई घोषणाओं से आईटीसी बेमेल को चिह्नित किया गया। जीएसटीआर-3बी की तुलना जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के साथ और जीएसटीआर-9सी की तालिका 5, तालिका 7 और तालिका 9 में की गई घोषणाओं से लेखे और कर देयता पर बेमेलों को चिह्नित किया गया।

तथापि, आईटीसी लाभ, कर देयता और टर्नओवर के बेमेल जोखिम वाले 66 मामलों में, विभाग ने विशिष्ट करदाता अभिलेख (विस्तृत अभिलेख) यानी बिक्री और खरीद चालान, क्रेडिट और डेबिट नोट, विविध देनदारों और लेनदारों का विवरण, समझौते की प्रतियां आदि प्रस्तुत नहीं किए, जबकि तीन मामलों में, विस्तृत अभिलेख आंशिक रूप से प्रदान किए गए थे। इन मामलों में अभिलेख

की प्रस्तुति न करने/आंशिक रूप से प्रस्तुत करने के कारण, आईटीसी के बेमेल, कर देयता और डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से चिह्नित किए गए कुल बिक्री को विस्तार से सत्यापित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। I. रिटर्न, II. आईटीसी का उपयोग और III. कर देयता का निर्वहन।

I. रिटर्न

70 करदाताओं द्वारा फाइल किए गए रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा से पता चला है कि करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(ए) करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान न करना

लेखापरीक्षा ने पाया कि 16 मामलों में, करदाताओं ने अपने रिटर्न को विलंब से फाइल किया था, लेकिन उनके द्वारा ₹ 4.46 करोड़ की नकद राशि के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था **(अनुलग्नक-1.35)।** यह बताया गया (जनवरी-मार्च-2024) और सभी मामलों में विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा की गई थी (जुलाई 2025)।

एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

- वार्ड-202 के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक करदाता (जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX2जेडक्यू) ने वर्ष 2018-19 और 2020-21 की अवधि के लिए मासिक रिटर्न को देर से फाइल किया। तथापि, करदाता ने डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 (1) के अंतर्गत निर्धारित कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 4.21 करोड़ की राशि के ब्याज का भुगतान नहीं किया। इस ओर ध्यान दिया गया (दिसंबर 2023) तथा विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही थी (जुलाई 2025)।

II. करदाताओं द्वारा आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल

डीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 और 17 आईटीसी का लाभ उठाने के लिए पात्रता और शर्तें निर्धारित करती हैं। सीजीएसटी के क्रेडिट का उपयोग एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है और

एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के क्रेडिट का उपयोग सीजीएसटी के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। डीजीएसटी नियमों के नियम 36 से 45 में आईटीसी का लाभ उठाने और उसे वापस लेने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

लेखापरीक्षा ने चयनित करदाताओं के संबंध में जीएसटीआर-2ए रिटर्न के साथ-साथ करदाताओं द्वारा फाइल किए गए रिटर्न जीएसटीआर3बी, जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी का विश्लेषण किया और रिटर्न के बीच आईटीसी के बेमेल को देखा। लेखापरीक्षा बेमेल की विस्तार से जांच नहीं कर सकी क्योंकि विभाग द्वारा प्रासंगिक सूक्ष्म अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे। आईटीसी में बेमेल का विवरण **तालिका 1.4.5** में दिया गया है:-

तालिका 1.4.5: करदाताओं द्वारा दावा किए गए आईटीसी में बेमेल

क्रम सं.	लेखापरीक्षा मापदंड	मामलों की संख्या	वार्डों की संख्या	बेमेल की राशि (₹ करोड़ में)
1.	**आरसीएम के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल** जीएसटीआर-3बी तालिका 4ए(2)+4ए(3) के अनुसार आरसीएम के अंतर्गत प्राप्त आईटीसी और जीएसटीआर-3बी तालिका 6.1(बी) के अनुसार आरसीएम के अंतर्गत भुगतान किए गए कर के बीच बेमेल। **(अनुलग्नक-1.36)**	15	08	9.06
	एक मामले में, विभाग ने करदाता को डीआरसी-07 जारी किया। एक मामले में, विभाग ने करदाता को एएसएमटी-10 जारी किया। एक मामले में, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया, तथापि, उत्तर के साथ कोई सहायक दस्तावेज़ प्रदान नहीं किए गए थे। शेष 12 मामलों में, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			
2.	**इनपुट सेवा वितरण के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल** जीएसटीआर-3बी तालिका 4ए(4)-4बी(2) के अनुसार आईएसडी के अंतर्गत प्राप्त आईटीसी और जीएसटीआर-2ए के अनुसार आईएसडी के अंतर्गत उपलब्ध आईटीसी के बीच बेमेल। **(अनुलग्नक-1.37)**	20	06	296.43
	सभी मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था(जुलाई 2025)।			
3.	**आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल** जीएसटीआर-3बी तालिका 4ए(5)+4डी और जीएसटीआर-9 रिटर्न की तालिका 8सी के अंतर्गत प्राप्त आईटीसी की तुलना जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी के साथ की गई थी। **(अनुलग्नक-1.38)**	62	24	1,334.67
	दो मामलों में, विभाग ने करदाताओं को डीआरसी-07 जारी किया। दो मामलों में, विभाग ने करदाताओं को डीआरसी-01 जारी किया। एक मामले में, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया, तथापि, कोई सहायक दस्तावेज़ प्रदान नहीं किए गए थे। शेष 57 मामलों में, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			
4.	**जीएसटीआर-9 तालिका 8डी के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल** जीएसटीआर-9 की तालिका 8डी में ऋणात्मक आंकड़े, जीएसटीआर-9 तालिका 8ए में दिखाए गए उपलब्ध आईटीसी और जीएसटीआर-9 तालिका 8बी में दिखाए गए प्राप्त आईटीसी के बीच बेमेल को दर्ज किया गया है, जो जीएसटीआर-9 तालिका 8सी के अंतर्गत बाद की अवधि के समायोजन पर विचार करने के बाद जीएसटीआर-9 तालिका 8बी में दिखाया गया है। **(अनुलग्नक-1.38(ए))**	57	22	164.69
	एक मामले में, विभाग ने करदाता को डीआरसी-07 जारी किया। एक मामले में, विभाग ने करदाता को डीआरसी-01 जारी किया। दो मामलों में, विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एएसएमटी-10 जारी किया और कहा कि			

क्रम सं.	लेखापरीक्षा मापदंड	मामलों की संख्या	वार्डों की संख्या	बेमेल की राशि (₹ करोड़ में)
	आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये मामले डीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत आगे की कार्रवाई करने के लिए समय बाधित हो गए हैं। शेष 53 मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			
5.	**जीएसटीआर-9 तालिका 6जे के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल** करदाता जीएसटीआर-9 तालिका 6बी से 6एच के अंतर्गत इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल के रूप में प्राप्त आईटीसी का विभाजन प्रदान करता है। जीएसटीआर-9 तालिका 6ए के साथ इन तालिकाओं की तुलना करने से अतिरिक्त आईटीसी का लाभ उठाने की संभावना का पता चलेगा। जीएसटीआर-9 तालिका 6जे में भी यही दर्शाया गया है। **(अनुलग्नक-1.38 (बी))**	24	14	69.49
	तीन मामलों में, विभाग ने करदाताओं को डीआरसी-07 जारी किया। एक मामले में, विभाग ने एएसएमटी-10 जारी किया और कहा कि आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि अवधि समय बाधित हो रही है। शेष 20 मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			
6.	**जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ में दर्शाए गए आईटीसी में बेमेल** जीएसटीआर-9सी तालिका 12एफ में दिखाया गया धनात्मक अंतर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों या खाता बहियों (जीएसटीआर-9सी तालिका 12डी) के अनुसार प्राप्त आईटीसी और वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9सी तालिका 12ई में दावा किए गए आईटीसी के बेमेल को दर्शाता है। **(अनुलग्नक-1.38 (सी))**	2	2	3.68
	दोनों मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			
7.	कर योग्य और छूट प्राप्त/शून्य आपूर्तियों के लिए सामान्य इनपुट के बदले आईटीसी का अल्प/गैर-उत्क्रमण कर योग्य और छूट प्राप्त/शून्य आपूर्ति के लिए सामान्य इनपुट के बदले डीजीएसटी नियमावली के नियम 42 के अंतर्गत आईटीसी के सही उत्क्रमण की जांच: जीएसटीआर-3बी तालिका 4बी(1) की तुलना शून्य/छूट प्राप्त आपूर्तियों से संबंधित उत्क्रमित किए जाने वाले आईटीसी के साथ की गई थी। उत्क्रमित किए जाने वाले आईटीसी की गणना एल्गोरिथम (जीएसटीआर-9 तालिका (5डी+5ई)/जीएसटीआर-9 तालिका (5एन-5एफ)x[जीएसटीआर-9 तालिका 6बी+6सी+6डी+6ई+6एफ+6जी (आईटीसी [जीएसटीआर-9 तालिका 6बी+6सी+6डी+6ई+6एफ+6जी (केवल इनपुट और इनपुट सेवाओं के आईटीसी पर विचार किया गया) + तालिका 8सी(-) (जीएसटीआर-3बी की तालिका 4डी(2) + जीएसटीआर-9 तालिका 7ई + तालिका 12 का योग) का उपयोग करके की गई थी। **(अनुलग्नक--.39)**	50	11	881.71
	एक मामले में, विभाग ने करदाता को डीआरसी-01 जारी किया। शेष 49 मामलों में, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			
8.	कर योग्य और छूट प्राप्त/शून्य आपूर्ति के लिए पूंजीगत वस्तुओं के बदले आईटीसी का अल्प/गैर-उत्क्रमण। कर योग्य और छूट प्राप्त/शून्य आपूर्ति के लिए पूंजीगत वस्तुओं के बदले डीजीएसटी नियमावली के नियम 43 के अंतर्गत आईटीसी के सही उत्क्रमण की जांच: जीएसटीआर-9 तालिका 7डी(आईटीसी पूंजीगत वस्तुएं) की तुलना शून्य/छूट प्राप्त आपूर्तियों से संबंधित उत्क्रमित किए जाने वाले आईटीसी के साथ की गई थी। उत्क्रमित किए जाने वाले आईटीसी की गणना एल्गोरिथम (जीएसटीआर-9 तालिका (5डी+5ई)/जीएसटीआर-9 तालिका (5एन-5एफ) X [जीएसटीआर-9 तालिका 6बी+6सी+6डी+6ई+6एफ+6जी (केवल पूंजीगत वस्तुओं के आईटीसी पर विचार किया गया) का उपयोग करके की गई थी। **(अनुलग्नक-1.40)**	10	4	21.95
	सभी मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			

III. कर देयता के भुगतान से संबंधित बेमेल

जीएसटी के मामले में कर योग्य घटना वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति है। डीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 कर लगाने का अधिकार प्रदान करती है, जो मानव उपभोग के लिए मादक पेय पदार्थों की आपूर्ति को छोड़कर, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी अंतः-राज्यीय आपूर्ति पर केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर की उगाही और संग्रहण का अधिकार देती है। यह कर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निर्धारित मूल्य पर और ऐसी दरों पर लगाया जाता है जो प्रत्येक अधिनियम- अर्थात् सीजीएसटी अधिनियम और एसजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत 20 *प्रतिशत* से अधिक न हों।

डीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(4) और आईजीएसटी अधिनियम की धारा 5(3) और 5(4) कुछ वस्तुओं या सेवाओं पर उत्क्रम प्रभार लगाने का प्रावधान करती हैं, जिसमें आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

लेखापरीक्षा में वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए करदाताओं द्वारा फाइल किए गए जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी रिटर्न की संवीक्षा की गई और रिटर्न में घोषित कर देयता और टर्नओवर की तुलना करके कर देयता के भुगतान और टर्नओवर में बेमेल पाया गया। लेखापरीक्षा इन बेमेल की विस्तार से जांच नहीं कर सकी क्योंकि विभाग द्वारा संबंधित सूक्ष्म अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे। कर देयता और टर्नओवर के बेमेल का विवरण **तालिका 1.4.6 और तालिका 1.4.6(ए)** में दिया गया है।

तालिका 1.4.6: कर देयता के भुगतान से संबंधित बेमेल

क्रम सं.	लेखापरीक्षा मापदंड	मामलों की संख्या	वार्डों की संख्या	बेमेल की राशि (₹ करोड़ में)
1.	**जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-3बी के बीच कर देयता बेमेल** जीएसटीआर-1 या जीएसटीआर-9 में प्रस्तुत राशियों की अधिक राशि के आधार पर कर देयता की तुलना जीएसटीआर-3बी तालिका 6.1 (ए) और जीएसटीआर-9 तालिका 14 के अनुसार किए गए वास्तविक भुगतान के साथ की गई थी। **(अनुलग्नक-1.41)**	45	15	255.02
	दो मामलों में, विभाग ने करदाताओं को डीआरसी-07 जारी किया। शेष 43 मामलों में, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			

क्रम सं.	लेखापरीक्षा मापदंड	मामलों की संख्या	वार्डों की संख्या	बेमेल की राशि (₹ करोड़ में)
II.	**आरसीएम के अंतर्गत कर देयता के भुगतान में बेमेल** रिटर्न जीएसटीआर-2ए, जीएसटीआर-9 की तालिका 4जी और जीएसटीआरबी की तालिका 3.1डी में दर्शाए गए आरसीएम के अंतर्गत अधिकतम देयता की तुलना जीएसटीआर-3बी की तालिका 6.1(बी) के अनुसार आरसीएम के अंतर्गत भुगतान की गई वास्तविक कर देयता के साथ की गई थी। **(अनुलग्नक1.4-2)**	07	4	10.69
	सभी मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			
III.	**जीएसटीआर-9सी और जीएसटीआर-9 में दर्शाए गए भुगतान किए गए कर का बेमेल** क) जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर में दिखाए गए भुगतान किए गए कर का बेमेल। **(अनुलग्नक-1.43 खंड-I)** ख) जीएसटीआर-9सी तालिका 9क्यू और जीएसटीआर-9 तालिका 9 के अनुसार भुगतान किए गए कर का बेमेल। **(अनुलग्नक-1.43 खंड-II)**	5	5	20.07
	सभी मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			

तालिका 1.4.6(ए): टर्नओवर का बेमेल

क्रम सं.	लेखापरीक्षा मापदंड	मामलों की संख्या	वार्डों की संख्या	बेमेल की राशि (₹ करोड़ में)
1.	**जीएसटीआर-9सी की तालिका 5ओ में समायोजन के माध्यम से टर्नओवर में कमी** चूंकि तालिका 5ओ में किए गए समायोजनों के लिए जीएसटीआर-9सी रिटर्न में कोई कारण नहीं दिया गया है और उक्त तालिका में ऋणात्मक मूल्य इंगित करता है कि करदाताओं ने उस राशि से अपना टर्नओवर कम कर दिया होगा। **(अनुलग्नक-1.44)**	27	11	3,573.33
	तीन मामलों में, विभाग ने एएसएमटी-10 जारी किया और जिनमें से दो मामलों में विभाग ने कहा कि आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि अवधि समय बाधित हो गई है। एक मामले में, विभाग ने करदाता को डीआरसी-01 जारी किया। शेष 23 मामलों में, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			
2.	**बिना बिल वाले राजस्व पर कर योग्य टर्नओवर को छिपाना** पिछले वर्ष के जीएसटीआर-9सी की तालिका 5एच के साथ एक वर्ष के जीएसटीआर-9सी की तालिका 5बी की तुलना। **(अनुलग्नक-1.45)**	2	2	11.95
	दोनों मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			
3.	**लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार असमायोजित टर्नओवर।** जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर, 7जी के अनुसार। **(अनुलग्नक-1.46)**	2	2	124.89
	दोनों मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			

सिफ़ारिश 1.4.3: विभाग सभी बेमेल मामलों को आगे बढ़ाए और उनके समय बाधित होने से पहले सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करे।

1.4.6.4 अन्य अभ्युक्तियां

(i) जनशक्ति की अपर्याप्तता

विभाग के कुशल संचालन और इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उचित जनशक्ति नियोजन और उसका उचित विन्यास आवश्यक है।

वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान न्यायनिर्णयन अधिकारी (सहायक आयुक्त और जीएसटीओ) और अन्य सहायक कर्मचारियों (निरीक्षक) के संबंध में विभाग में जनशक्ति की स्वीकृत और कार्यरत संख्या **तालिका 1.4.7** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.4.7: स्वीकृत और कार्यरत कार्मिक संख्या

वर्ष	पदों के नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वास्तविक संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों की प्रतिशतता
2018-19	न्यायनिर्णयन अधकारी	300	230	70	23.33
	सहायक कर्मचारी (निरीक्षक)	127	99	28	22.05
2019-20	न्यायनिर्णयन अधिकारी	300	189	111	37.00
	सहायक कर्मचारी (निरीक्षक)	127	74	53	41.73
2020-21	न्यायनिर्णयन अधिकारी	300	207	93	31.00
	सहायक कर्मचारी (निरीक्षक)	127	77	50	39.37
2021-22	न्यायनिर्णयन अधिकारी	304	199	105	34.54
	सहायक कर्मचारी (निरीक्षक)	129	90	39	30.23

स्रोत: व्यापार और कर विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

यह देखा जा सकता है कि 2018-19 से 2021-22 के दौरान, न्यायनिर्णयन अधिकारी के संबंध में रिक्त पद 23.33 *प्रतिशत* और 37.00 *प्रतिशत* के बीच थे। इसके अतिरिक्त, सहायक कर्मचारियों के संबंध में रिक्त पद 22.05 *प्रतिशत* से 41.73 *प्रतिशत* के बीच थे। पर्याप्त जनशक्ति के आभाव ने विभाग की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जो रिटर्नों की संवीक्षा में सुधारात्मक कार्रवाई की धीमी गति, पंजीकरणों के निरसन के मामलों में कार्रवाई की कमी आदि से स्पष्ट है।

1.4.7 निष्कर्ष

जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी पर यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान की निगरानी में प्रणाली की पर्याप्तता, अनुपालन की सीमा और विभागीय निरीक्षण कार्यों का आकलन करने के उद्देश्य से की गई थी।

यह एसएससीए मुख्य रूप से डाटा विश्लेषण पर आधारित थी, जिसमें 2018-21 के लिए फाइल किए गए जीएसटी रिटर्न में जोखिम वाले क्षेत्रों, खतरे के संकेत और कुछ मामलों में, नियम-आधारित विचलनों और तार्किक विसंगतियों को उजागर किया गया। एसएससीए में दिल्ली राज्य कर विभाग के आधिकारिक फार्मेशनों (क्षेत्र) के निरीक्षण कार्यों का दो स्तरों पर, अर्थात् राज्य-व्यापी डाटा प्रश्नों के माध्यम से डाटा स्तर पर और वार्डों, जीएसटी रिटर्न और आंतरिक लेखापरीक्षा जिसमें करदाताओं के अभिलेखों की अभिप्राप्ति सम्मिलित है, की विस्तृत लेखापरीक्षा के साथ कार्यात्मक स्तर पर आकलन करना सम्मिलित था। इसलिए, लेखापरीक्षा नमूने में 10 वार्ड, डाटा प्रश्नों के माध्यम से चयनित 17 मापदंडों में 285 करदाताओं को सम्मिलित करते हुए 487 उच्च मूल्य की विसंगतियां और वर्ष 2018-21 के लिए जीएसटी रिटर्न के विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए जोखिम मूल्यांकन पर चयनित 70 करदाता सम्मिलित थे।

वार्डों की लेखापरीक्षा से रिटर्नों की संवीक्षा और पंजीकरण के निरसन की अनुवर्ती कार्रवाई में विलंब का पता चला।

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में, 487 उच्च मूल्य की विसंगतियों में से विभाग ने केवल 127 मामलों में उत्तर दिए, जिनमें से विभाग ने 74 मामलों में ₹ 2,656.65 करोड़ के लिए एससीएन और 17 मामलों में ₹ 273.87 करोड़ के लिए एएसएमटी-10 जारी करके 91 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की थी।

जीएसटी रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा में करदाताओं के जीएसटी रिटर्न में महत्वपूर्ण बेमेल का भी पता चला है। 66 मामलों में करदाताओं के अभिलेख (सूक्ष्म अभिलेख) प्रदान नहीं किए गए थे और तीन मामलों में आंशिक रूप से प्रदान किए गए थे, इसलिए, इन मामलों की विस्तार से जांच नहीं की जा सकी।

केंद्रीकृत और विस्तृत लेखापरीक्षा में पहचाने गए महत्वपूर्ण बेमेल को ध्यान में रखते हुए, विभाग को उनके समय बाधित होने से पहले सुधारात्मक उपाय शुरू करने चाहिए।

1.4.8 *एक नज़र में सिफारिशें*

1. *विभाग यह सुनिश्चित करे कि करदाताओं को नोटिस और मांगों की सूचना जारी करने में विलंब से बचा जाए।*

2. *विभाग पंजीकरण निरस्त करने के समय देयता का निर्धारण सुनिश्चित करे और चूककर्ता करदाताओं के साथ सरकारी बकाया राशि की वसूली के लिए सक्रिय रूप से कार्य करे।*

3. *विभाग लेखापरीक्षा द्वारा जीएसटी रिटर्न में इंगित किए गए विसंगतियों और विचलनों के 360 मामलों को तुरंत आगे बढ़ाए, जिनके लिए उत्तर प्रदान नहीं किए गए हैं और परिणामों के बारे में लेखापरीक्षा को सूचित करे।*

4. *विभाग सभी बेमेल मामलों को आगे बढ़ाए और उनके समय बाधित होने से पहले सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करे।*

1.5 इनपुट कर क्रेडिट का अनियमित दावा

निर्धारण प्राधिकारी ने विक्रेता व्यापारी द्वारा जमा किए गए कर के विवरण को सत्यापित किए बिना एक निर्धारिती को ₹ 89.35 लाख के इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 89.35 लाख के कर की अल्प उगाही हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 72.70 लाख का ब्याज और ₹ 89.35 लाख का जुर्माना भी देय था।

दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004 (डीवीएटी अधिनियम) की धारा 9(2)(जी) में कहा गया है कि विक्रेता को तब तक कोई कर क्रेडिट नहीं दिया जाएगा जब तक कि क्रेता व्यापारी द्वारा भुगतान किया गया कर विक्रेता व्यापारी द्वारा वास्तव में सरकार के पास जमा नहीं किया गया हो या आउटपुट कर देयता के प्रति विधिवत समायोजित नहीं किया गया हो और संबंधित कर अवधि के लिए फाइल किए गए रिटर्न में सही ढंग से दिखाया नहीं गया हो। डीवीएटी अधिनियम की धारा 86(10) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत रिटर्न प्रस्तुत करता है, जो किसी विशेष मद में झूठा, भ्रामक या कपटपूर्ण है, वह जुर्माने के रूप में ₹ दस हज़ार रुपये या कर की कमी की राशि, जो भी अधिक हो, जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा। किसी भी राशि का भुगतान करने में चूक के लिए डीवीएटी अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत ब्याज भी लगेगा।

लेखापरीक्षा में व्यापार और कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के निर्धारण प्राधिकारी (वार्ड 208) के अभिलेखों की नमूना जांच की गई और पाया गया कि एक निर्धारिती (टीआईएन-07XXXXXX409) ने अनुलग्नक-2ए (फॉर्म डीवीएटी-30) में विक्रेता (टीआईएन-07XXXXXX813) से ₹ 4.47 करोड़ की स्थानीय खरीद दिखाई थी और वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही के लिए 27 फरवरी 2020 को फाइल किए गए डीवीएटी रिटर्न (फॉर्म डीवीएटी-16) में ₹ 89.35 लाख के आईटीसी का दावा किया था। इसके अतिरिक्त, 30 नवंबर 2019 को विक्रेता द्वारा फाइल किए गए बिक्री सारांश (अनुलग्नक 2बी- फॉर्म डीवीएटी-31) से प्रति-सत्यापन पर, यह पाया गया कि विक्रेता व्यापारी ने वर्ष 2018-19 के दौरान निर्धारिती को कोई बिक्री नहीं दिखाई थी। अतः, निर्धारिती द्वारा दावा किया गया आईटीसी स्वीकार्य नहीं था।

तथापि, निर्धारण प्राधिकारी ने डीवीएटी अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत 10 मार्च 2022 को अपने व्यतिक्रम निर्धारण में, निर्धारिती की कर देयता का गलत निर्धारण किया और विक्रेता व्यापारी द्वारा जमा किए गए कर के विवरण को सत्यापित किए बिना निर्धारिती को ₹ 89.35 लाख के अस्वीकार्य आईटीसी की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 89.35 लाख के कर की अल्प उगाही हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 72.70 लाख (15 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से) का ब्याज और ₹ 89.35 लाख का जुर्माना भी लगाया जाना था।

उत्तर में, विभाग ने कहा (27 जनवरी 2025) कि उसने करदाता को दिनांक 27 जनवरी 2025 को नोटिस जारी की थी और सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, वह एक उचित आदेश जारी करेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने अपनी नोटिस की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में 10 मार्च 2025 को एक अनुस्मारक भेजा और बाद में निर्धारिती की ओर से कोई उत्तर न मिलने पर, लेखापरीक्षा के दावे के अनुरूप अपने आप से एक निर्धारण आदेश जारी किया (21 मार्च 2025)।

अध्याय II

आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र

अध्याय - II

2.1 परिचय

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के 49 विभागों सहित 51 शीर्ष लेखापरीक्षा संस्थाओं तथा 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और 64 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों आदि की लेखापरीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में आती है। इन 64 स्वायत्त निकायों (ए.बी.) में से, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक 29 ए.बी. का एकमात्र लेखापरीक्षक है। विभागों और अन्य संस्थाओं का विवरण **अनुलग्नक 2.1** में दिया गया है और **तालिका-2.1.1** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका-2.1.1: 49 विभागों और उनके अंतर्गत आने वाली 78 संस्थाओं की सूची

क्रम सं.	विभाग/विभागों के का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)	अन्य संस्थाओं (स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण, आदि)	कुल
		की संख्या		
1.	लोक निर्माण विभाग	-	-	-
2.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	-	-	-
3.	शहरी विकास	1	2	3
4.	विद्युत विभाग	4	1	5
5.	पर्यटन विभाग	1	1	2
6.	पुरातत्व विभाग	-	-	-
7.	दिल्ली अभिलेखागार	-	-	-
8.	कला, संस्कृति और भाषा	-	8	8
9.	व्यापार और कर विभाग	-	-	-
10.	राज्य उत्पाद शुल्क और व्यय	-	-	-
11.	वित्त विभाग	1	1	2
12.	योजना विभाग	-	-	-
13.	अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय	-	-	-
14.	गृह विभाग	-	-	-
15.	विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग	-	1	1
16.	महापंजीयक दिल्ली उच्च न्यायालय	-	-	-
17.	अभियोजन निदेशालय	-	-	-
18.	सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय	-	-	-
19.	राजस्व विभाग	-	2	2
20.	मुख्य निर्वाचन कार्यालय	-	-	-
21.	विधानसभा सचिवालय	-	-	-
22.	सामान्य प्रशासनिक विभाग	-	-	-
23.	प्रशासनिक सुधार विभाग	-	-	-
24.	उपराज्यपाल का सचिवालय	-	-	-
25.	लोकायुक्त	-	-	-
26.	लोक शिकायत आयोग	-	-	-

क्रम सं.	विभाग/विभागों के का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)	अन्य संस्थाओं (स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण, आदि)	कुल
		की संख्या		
27.	सूचना और प्रचार विभाग	-	-	-
28.	भूमि और भवन विभाग	-	1	1
29.	उद्योग विभाग	1	-	1
30.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1	-	1
31.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	-	14	14
32.	समाज कल्याण विभाग	-	-	-
33.	महिला एवं बाल विकास विभाग	-	2	2
34.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1	-	1
35.	शिक्षा विभाग	-	3	3
36.	उच्चतर शिक्षा निदेशालय	-	15	15
37.	प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय	-	6	6
38.	सेवा विभाग	1	-	1
39.	श्रम विभाग	-	2	2
40.	रोजगार निदेशालय	-	-	-
41.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग	1	-	1
42.	विकास विभाग	-	1	1
43.	कृषि विपणन निदेशालय	-	-	-
44.	बाट एवं माप निदेशालय	-	-	-
45.	रजिस्ट्रार सहकारी समितियां	-	-	-
46.	वन एवं वन्य जीव विभाग	-	-	-
47.	पर्यावरण विभाग	-	2	2
48.	खाद्य सुरक्षा विभाग	-	-	-
49.	परिवहन विभाग	2	2	4
	कुल	**14**	**64**	**78**

2.1.1 योजना, लेखापरीक्षा का संचालन और रिपोर्टिंग

वर्ष 2022-23 के दौरान, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली का कार्यालय ने रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के 49 विभागों के कुल 784 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 240 इकाइयों[1] (30.61 *प्रतिशत*) की अनुपालन लेखापरीक्षा की। प्रतिवेदन के इस अध्याय में आठ विभागों से संबंधित दो एसएससीए और छह अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ के परिणाम सम्मिलित हैं।

अनुपालन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र मूल्यांकन है कि क्या किसी दिए गए विषय वस्तु (एक गतिविधि, वित्तीय या गैर-वित्तीय लेन-देन, एक इकाई या संस्थाओं के समूह से संबंधित सूचना) सभी संदर्भों में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, निर्धारित संहिताओं आदि और सरकारी अधिकारियों के सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय

[1] ₹ 7128.72 करोड़ के व्यय को सम्मिलित करने वाली 15 शीर्ष लेखापरीक्षा संस्थाएं सम्मिलित हैं

प्रबंधन और आचरण को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों का अनुपालन करती है।

निम्नलिखित प्रवाह-चार्ट योजना बनाने, लेखापरीक्षा के संचालन और लेखापरीक्षा के परिणामों की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को दर्शाता है:

चार्ट 2.1.1: योजना, लेखापरीक्षा और रिपोर्टिंग का संचालन

जोखिम का आकलन: संस्थाओं/योजनाओं आदि की लेखापरीक्षा के लिए निर्माण, जोखिम मूल्यांकन पर आधारित है जिसमें कुछ मानदंड सम्मिलित हैं जैसे:

- किया गया खर्च
- पिछली लेखापरीक्षा कब की गई
- गतिविधियों की गंभीरता/जटिलता
- सरकार द्वारा गतिविधि को दी गई प्राथमिकता
- प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर
- आंतरिक नियंत्रणों का आकलन
- हितधारकों की चिंताएं, आदि।

लेखापरीक्षा की योजना में यह निर्धारित करना सम्मिलित है**:**

- लेखापरीक्षा की सीमा और प्रकार - वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा
- लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली
- विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षिती संस्थाओं और लेन-देन का नमूना

निरीक्षण रिपोर्टों निम्नलिखित आधार पर जारी की जाती हैं:

- अभिलेखों की संवीक्षा/डाटा विश्लेषण
- लेखापरीक्षा साक्ष्य की जांच
- लेखापरीक्षा प्रश्नों के लिए दिए गए उत्तर/प्रदान की गई सूचना
- इकाई स्थानीय प्रबंधन के/प्रमुख के साथ चर्चा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निम्नलिखित से तैयार किया जाता है:

- निरीक्षण रिपोर्टों या निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के मसौदे में सम्मिलित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
- लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में विभाग/सरकार के उत्तर और
- प्रतिवेदन दिल्ली विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

प्रत्येक इकाई की अनुपालन लेखापरीक्षा पूरी होने के पश्चात, आईआर की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध सहित लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाली एक निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) ईकाई के प्रमुख को जारी की जाती है। जब कभी उत्तर प्राप्त होते हैं, तो लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का या तो निपटान किया जाता है या अनुपालन के लिए अग्रिम कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन आईआर में उल्लिखित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, जिन पर सरकार को उच्चतम स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिक्रियाओं पर उचित विचार करने के पश्चात सम्मिलित किए जाने से पूर्व, छह सप्ताह की अवधि में सरकार को उनको प्रतिक्रियाओं के लिए मसौदा पैराग्राफ के रूप में जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए जाने से पूर्व सरकार को विशिष्ट विषयों, अथवा योजनाओं पर अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रारूप भी उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए जारी किया जाता है। विभागाध्यक्षों और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने से पूर्व लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। ये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत रा.रा.क्षे. दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं जिन्हें रा.रा.क्षे. दिल्ली की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

2.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया

2.1.2.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तरों की स्थिति: लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागाध्यक्षों/राज्य सरकार को स्पष्टीकरण/उत्तर प्रदान करने का पूर्ण अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है और केवल जब विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं या आश्वस्त नहीं होते हैं, तो लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां को निरीक्षण प्रतिवेदन या सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जैसा भी मामला हो, में सम्मिलित करने के लिए संसाधित किया जाता है। तथापि, अधिकतर मामलों में, लेखापरीक्षित संस्थाएं समय पर और संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं करती हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

49 विभागों से संबंधित 469 आहरण और संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को मार्च 2023 तक जारी किए गए आईआर की विस्तृत समीक्षा से ज्ञात हुआ कि 1636 आईआर में निहित 8,295 पैराग्राफ पर्याप्त/ठोस उत्तरों के अभाव में 31 मार्च 2023 तक निपटारे के लिए लंबित थे।

लंबित आईआर की स्थिति **तालिका-2.1.2** में दी गई है।

तालिका-2.1.2: 31 मार्च 2023 तक लंबित आईआर और पैराग्राफ (31 मार्च 2023 तक जारी)

क्रम सं.	अवधि	लंबित आईआर की संख्या (*प्रतिशत*)	लंबित पैरा की संख्या (*प्रतिशत*)
1	2021-22	137 (5.61)	1,375 (11.62)
2	1 वर्ष से 3 वर्ष से अधिक	293 (12.01)	2,251 (19.01)
3	3 वर्ष से 5 वर्ष से ज्यादा	331 (13.57)	2,255 (19.05)
4	5 वर्ष से अधिक	1,679 (68.81)	5,957 (50.32)
कुल		**2,440**	**11,838**

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी

चार्ट 2.1.2: लंबित लेखापरीक्षा पैराग्राफ की वर्ष-वार स्थिति

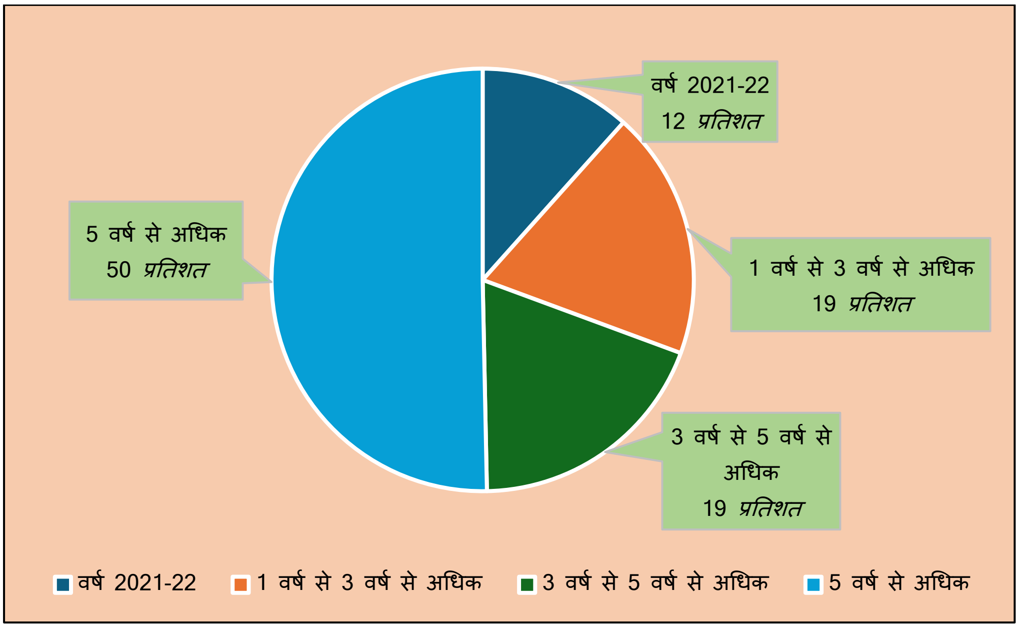

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कुल पैरा का 50 *प्रतिशत* 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। इसके अतिरिक्त, 2022-23 की अवधि के दौरान

लंबित पैरा के निपटारे के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ केवल एक लेखापरीक्षा समिति[2] की बैठक आयोजित की जा सकी।

2.1.2.2 वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा पैराग्राफों के उत्तरों की स्थिति:

2022-23 (अध्याय II) के वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए, दो एसएससीए और छह अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों (सीएपी) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर उनके विचार जानने हेतु भेजी गई थी। चार सीएपी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में सरकार के उत्तर/प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। दो एसएससीए और दो सीएपी के संबंध में सरकार के उत्तरों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

2.1.3 पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई

- **पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा पैराग्राफों के लंबित उत्तर**

राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिपादित मुद्दों के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों और निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कृत कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) जारी करनी होती हैं, चाहे वे लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा चर्चा के लिए लिए गए हैं या नहीं। वर्ष 1982 के केंद्र सरकार की पीएसी के निर्देशों के अनुसार, इन एटीएन को दिल्ली विधान सभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली द्वारा विधिवत पुनरीक्षित पीएसी को प्रस्तुत किया जाना होता है।

2022-23 तक विधानमंडल में प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा पैराग्राफ और निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में एक बार भी नहीं प्राप्त एटीएन की स्थिति **तालिका-2.1.3** में दर्शाई गई है।

[2] लेखापरीक्षा समितियों का गठन प्रशासनिक विभाग और लेखापरीक्षा के प्रतिनिधियों और वित्त विभाग के एक नामित व्यक्ति सहित लेखापरीक्षा योग्य इकाई के विभाग प्रमुख के साथ किया जाता है, जिसका उद्देश्य लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की निगरानी और अनुपालन और निपटारा सुनिश्चित करना होता है।

तालिका-2.1.3: 31.12.2024 तक एटीएन नहीं प्राप्त हुए

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू/गैर-पीएसयू)	विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) और अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ (सीएपी)		पीए/सीए पैराग्राफ की संख्या जिनके लिए एटीएन प्राप्त नहीं हुए थे	
		पीए	सीएपी[3]	पीए	सीएपी
ए. सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र (गैर-पीएसयू)					
2018	05.07.2022	01	10	01	07
2019	05.07.2022	0	03	0	02
कुल		**01**	**13**	**01**	**09**
बी. पीएसयू					
2015	13.06.2016	01	06	00	01
2018	03.12.2019	01	02	01	00
2019	05.07.2022	0	04	0	03
कुल		**02**	**12**	**01**	**04**
कुल योग (ए + बी)		**3**	**25**	**02**	**13**

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी

- **लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा**

इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विभिन्न विभागों/स्वायत्त निकायों से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा और 13 अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ सम्मिलित किए गए थे। पीएसी ने 31 मार्च 2023 तक इनमें से किसी भी पीए/सीएपी को चर्चा के लिए नहीं लिया।

- **सरकारी उपक्रम पर समिति (सीओजीयू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा**

इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित दो निष्पादन लेखापरीक्षा और 12 अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों की सूचना दी गई थी। इनमें से, सीओजीयू ने चर्चा के लिए दो अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ लिए थे। 31 मार्च 2023 तक सीओजीयू चर्चा की स्थिति **तालिका-2.1.4** में वर्णित है।

तालिका-2.1.4: सीओजीयू चर्चा की स्थिति, रा.रा.क्षे. दिल्ली, विधानसभा

स्थिति	वर्ष 2015-16 से 2021-22 के लिए सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पीए/सीएपी
कुल लेखापरीक्षा पैराओं की संख्या	14 (2 पीए + 12 सीएपी)
लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए सीओजीयू द्वारा लिया गया	02 सीएपी
एटीएन प्राप्त हुआ	शून्य
सीओजीयू द्वारा की गई सिफारिश	शून्य
विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	-

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी

[3] इसमें विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) की संख्या भी सम्मिलित है।

2.1.4 राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखे जाने की स्थिति

ऐसे चार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन[4] थे जिन्हें 31 मार्च 2023 तक राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था।

2.1.5 राज्य विधानमंडल में संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों सहित वार्षिक प्रतिवेदन/लेखे रखे जाने की स्थिति

16 स्वायत्त निकायों में से छह स्वायत्त निकायों अर्थात दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), दिल्ली कल्याण समिति (डीकेएस), दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी), दिल्ली परिवहन निगम कर्मचारी सेवानिवृत्ति पेंशन ट्रस्ट (डीटीसी ईएसपीटी) और दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू) के लेखे एक से चार वर्षों तक की अवधि के लिए लंबित हैं। लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति का विवरण **अनुलग्नक 2.2** में दिया गया है।

2.1.6 लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली

राज्य सरकार के विभागों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आई वसूलियों से संबंधित लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को लेखापरीक्षा की सूचना के अंतर्गत पुष्टि और आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए विभिन्न विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के पास भेजा गया था।

2022-23 के दौरान, 276 मामलों में इंगित किए गए ₹ 32.06 करोड़ की वसूली से जुड़े लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रति, संबंधित डीडीओ ने केवल 43 मामलों में ₹ 2.11 करोड़ (पिछले वर्षों की वसूली सहित) की वसूली की थी।

2.1.7 आभार

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली का कार्यालय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और सहायता के लिए आभार प्रकट करना चाहता है।

---

[4] (1) राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2020-21 (2022 की सं. 1), (2) दिल्ली में वाहन वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन पर पीए (2022 की सं. 2), (3) राजस्व, आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्र और पीएसयू 2019-20 और 2020-21 (2022 की सं. 3), और (4) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों पर पीए (2023 की सं. 1)।

2.1.8 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया का अभाव, राज्य विधान सभा में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों का पटल पर न रखना, राज्य संस्थाओं के वार्षिक लेखे/प्रतिवेदन तैयार करने में विलंब और राज्य विधानमंडल में एसएआर सहित स्वायत्त निकायों के वार्षिक प्रतिवेदन/लेखे पटल पर न रखना सरकार में जवाबदेही और पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसलिए यह चिंता का विषय है।

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड

2.2 कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिए परीक्षा आयोजित करने पर ₹ 1.05 करोड़ का निष्फल व्यय

डीएसएसबी ने विज्ञापित रिक्तियों को वापस लेने की अगली सूचना और इस संबंध में बाद में भेजे गए अनुस्मारकों की अनदेखी करते हुए, दिल्ली जल बोर्ड में कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिए एक परीक्षा आयोजित की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.05 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) की स्थापना अक्टूबर 1996 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.), दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और रा.रा.क्षे.दि.स. के अंतर्गत स्वायत्त निकायों में विभिन्न पदों पर भर्ती करने के उद्देश्य से की गई थी। इस उद्देश्य के लिए, बोर्ड उपयोगकर्ता विभागों की आवश्यकता और उपयुक्तता के अनुसार परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित करता है।

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने कनिष्ठ अभियंता (ई एंड एम) के पदों को भरने के लिए 18 सितंबर 2019 को डीएसएसएसबी को एक अनुरोध भेजा था। डीएसएसएसबी और मेसर्स ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड (मेसर्स ईडीसीआईएल) के बीच 9 अप्रैल 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अनुसार डीएसएसएसबी को विभिन्न श्रेणियों की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए मैसर्स ईडीसीआईएल को प्रति उम्मीदवार ₹ 381 (अतिरिक्त 18 *प्रतिशत* जीएसटी) का भुगतान करना था। इसके अतिरिक्त, उपराज्यपाल (एलजी) द्वारा प्रति उम्मीदवार ₹ 90 (अतिरिक्त 18 *प्रतिशत* जीएसटी) के भुगतान को अनुमोदित किया गया (जुलाई 2021), जिसका भुगतान डीएसएसबी द्वारा प्रत्येक केंद्र पर कोविड-19 से पूर्वोपाय के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए मैसर्स ईडीसीआईएल को किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो वर्ष के पश्चात, डीजेबी ने कनिष्ठ अभियंता (जेई) के पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया था (22 नवंबर 2021) तथा 27 दिसंबर 2021 को डीएसएसएसबी से पदों को भरने के लिए की गई मांग वापस लेने का अनुरोध किया था। वापसी की सूचना दोबारा से 10 जनवरी

2022 और 8 फरवरी 2022 को डीएसएसएसबी को दी गई थी। तथापि, उपयोगकर्ता विभाग द्वारा वापसी की सूचना के बावजूद, डीएसएसएसबी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया और 7 फरवरी 2022 को पोस्ट कोड 15/21 सहित जेई के पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा अधिसूचित की और 21 मार्च 2022 को मैसर्स ईडीसीआईएल के माध्यम से परीक्षा भी आयोजित की। इसके पश्चात, डीएसएसएसबी ने क्रमशः 31 अक्टूबर 2022 और 10 फरवरी 2023 के व्यय स्वीकृति आदेश के माध्यम से ₹ 1.05 करोड़ की मंजूरी के व्यय की जानकारी दी थी और 7 नवंबर 2022 और 10 फरवरी 2023 को भुगतान किए गए वाउचर के माध्यम से मैसर्स ईडीसीआईएल को ₹ 1.05 करोड़[5] का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, जेई के समाप्त किए गए पदों के लिए अनावश्यक परीक्षा आयोजित करने के लिए डीएसएसएसबी द्वारा ₹ 1.05 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया था।

अपने उत्तर (अप्रैल 2024) में डीएसएसएसबी ने कहा कि डीजेबी को सूचित किया गया था कि रिक्तियों को रद्द करने के लिए एलजी का अनुमोदन मांगा गया था, क्योंकि उस समय एलजी/मुख्य सचिव, दिल्ली द्वारा भर्ती प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी की गई थी। यह भी सूचित किया गया कि उक्त पद के लिए परीक्षा 21 मार्च 2022 के लिए निर्धारित थी, परंतु उपयोगकर्ता विभाग (डीजेबी) परीक्षा आयोजित करने से पहले अर्थात समय पर उत्तर देने में विफल रहा है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीजेबी (उपयोगकर्ता विभाग) ने सार्वजनिक डोमेन में पद के विज्ञापन से पूर्व ही पद को समाप्त करने और परीक्षा रद्द करने के बारे में सूचित कर दिया था। तथापि, डीएसएसएसबी ने उपयोगकर्ता विभाग के अनुरोध/आवश्यकता का संज्ञान नहीं लिया और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, जिससे ₹ 1.05 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। राजकोष को भारी हानि पहुंचाने के लिए संबंधित अधिकारियों का दायित्व निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

[5] (ए) उम्मीदवारों की कुल संख्या 19,900 * ₹ 381 (अतिरिक्त 18 *प्रतिशत* जीएसटी) प्रति उम्मीदवार = ₹ 89,46,642/-

(बी) एसडी-100 पृथकीकरण के अंतर्गत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रति उम्मीदवार कुल उम्मीदवार 19,900 * ₹ 90 (18 *प्रतिशत* जीएसटी) = ₹ 21,13,380 - ₹ 5,28,345 (पृथकीकरण सुविधाएं प्रदान न करने के लिए 25 *प्रतिशत* जुर्माना = ₹ 15,85,035/-

ए+बी = 1,05,31,677 अर्थात ₹ 1.05 करोड़

ऊर्जा विभाग

2.3 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा विद्युत सब्सिडी के प्रबंधन पर अनुपालन लेखापरीक्षा

दिल्ली में विद्युत वितरण मुख्य रूप से तीन निजी डिस्कॉम, अर्थात बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड (बीवाईपीएल), बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड (बीआरपीएल) और टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) द्वारा किया जाता है। उपलब्ध कराए गए डाटा (31 मार्च 2021) के अनुसार, दिल्ली में कुल लगभग 65 लाख विद्युत कनेक्शन थे, जिनमें बीआरपीएल 28.47 लाख से अधिक कनेक्शनों के साथ सबसे बड़ी वितरण उपयोगिता थी।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 65 राज्य सरकार को किसी भी उपभोक्ता/श्रेणी के उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने की अनुमति देती है, जैसा उचित समझा जाए। दिल्ली में वर्ष 2003-04 से विद्युत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। दिल्ली में विद्युत के प्रमुख उपभोक्ता घरेलू उपभोक्ता है, जो कुल विद्युत खपत में लगभग 60 *प्रतिशत* और उपभोक्ताओं की संख्या के मामले में लगभग 84 *प्रतिशत* परिवारों की भागीदारी है। वर्तमान में, सब्सिडी मुख्य रूप से घरेलू उपभोक्ताओं, कृषि उपभोक्ताओं, सिख दंगा पीड़ितों और वकीलों के चैंबर को दी जाती है, जो सब्सिडी वाले उपभोक्ताओं की दूसरी श्रेणी का गठन करती है। 2019-20 में विद्युत सब्सिडी के रूप में ₹ 2,405.59 करोड़ की राशि दी गई थी, जो बाद में बढ़कर 2022-23 में ₹ 3,161 करोड़ हो गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विद्युत क्षेत्र के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. की सब्सिडी नीति ने आबादी के पात्र और वंचित वर्ग को लक्षित नहीं किया था और इसे लगभग पूर्ण घरेलू उपभोक्ता आधार को भुगतान किया था। 400 यूनिट खपत के उच्च अवसीमा मूल्य का औचित्य अभिलेख में नहीं पाया गया, जो लगभग 80 *प्रतिशत* घरेलू उपभोक्ताओं को शामिल करता है। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 0 से 200 यूनिट खपत श्रेणी के भीतर 30 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को प्रति कनेक्शन प्रति वर्ष औसतन ₹ 6,000 की सब्सिडी प्राप्त हुई, जब कि 200 यूनिट से अधिक खपत वाले लगभग 16.60 लाख उपभोक्ताओं को प्रति कनेक्शन ₹ 10,000 प्रति वर्ष की औसत सब्सिडी लगभग 70 *प्रतिशत* अधिक मिली। इस प्रकार, उच्च खपत वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए प्रति उपभोक्ता वास्तविक सब्सिडी व्यय बहुत अधिक था। लेखापरीक्षा

में आगे पाया गया कि कई उपभोक्ताओं ने लगातार बिल चक्र के लिए विद्युत की खपत (शून्य यूनिट की खपत) के बावजूद सब्सिडी का लाभ उठाया था। 2019-2023 के दौरान ऐसे निष्क्रिय बंद पड़े घरेलू कनेक्शनों को सब्सिडी के रूप में कुल लगभग ₹ 42.26 करोड़ दिए गए।

31 मार्च 2021 तक डीईआरसी के अनुसार, दिल्ली डिस्कॉम के लिए कुल विनियामक परिसंपत्तियां[6] ₹ 27,200.37 करोड़ थीं।

2.3.1 परिचय

बिजली आधुनिक जीवन की जीवनरेखा है, जो हमारी दैनिक दिनचर्या और तकनीकी प्रगति के प्रत्येक पहलू में सहजता से एकीकृत है। उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों अर्थात घरों, कृषि, वाणिज्यिक और सार्वजनिक उपयोगिताओं को विद्युत का प्रावधान विद्युत उत्पादन स्टेशनों, प्रेषण ग्रिडों और अंत में वितरण उपयोगिताओं के एक समन्वित नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 में दिल्ली में क्रय की गई कुल विद्युत 40,997 मिलियन यूनिट थी। कुल विद्युत खरीद का 9.65 *प्रतिशत* दिल्ली सरकार के विद्युत संयंत्रों से प्राप्त किया गया था, जब कि 90.35 *प्रतिशत* केंद्र सरकार और अन्य स्रोतों से खरीदा गया था। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत के लिए उपभोक्ता शुल्क तय करता है।

समय बीतने के साथ प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत और कुल विद्युत की मांग में लगातार वृद्धि हुई है। दिल्ली में विद्युत की कुल खपत में घरों, प्रमुख विद्युत उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी लगभग 60 *प्रतिशत* और उपभोक्ताओं की संख्या के मामले में लगभग 84 *प्रतिशत* है।

हमने पाया कि विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत विद्युत के वितरण के पैटर्न में परिवर्तन आया है और दिल्ली में घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के अंतर्गत 2019-20 में खपत 16,253 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2022-23 में 17,779 मिलियन यूनिट हो गई है। दिल्ली में उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 10 *प्रतिशत* से बढ़कर 2019-20 में 61.98 लाख से 2022-23 में 68.51 लाख हो गई। पिछले कुछ

[6] विविनियामक परिसंपत्तियां वे लागतें है जो कंपनी द्वारा वहन की जाती है (जैसे विद्युत वितरण कंपनी (डिस्कॉम) द्वारा वहन की गई लागत हैं जो विनियमित दरों के माध्यम से भविष्य की अवधि में ग्राहकों से वसूली के लिए स्थगित कर दी जाती हैं।

वर्षों में विद्युत की खपत में परिवर्तन, श्रेणी-वार ब्योरा, **चार्ट 2.3.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3.1: वर्षों में विद्युत की खपत में श्रेणी-वार परिवर्तन

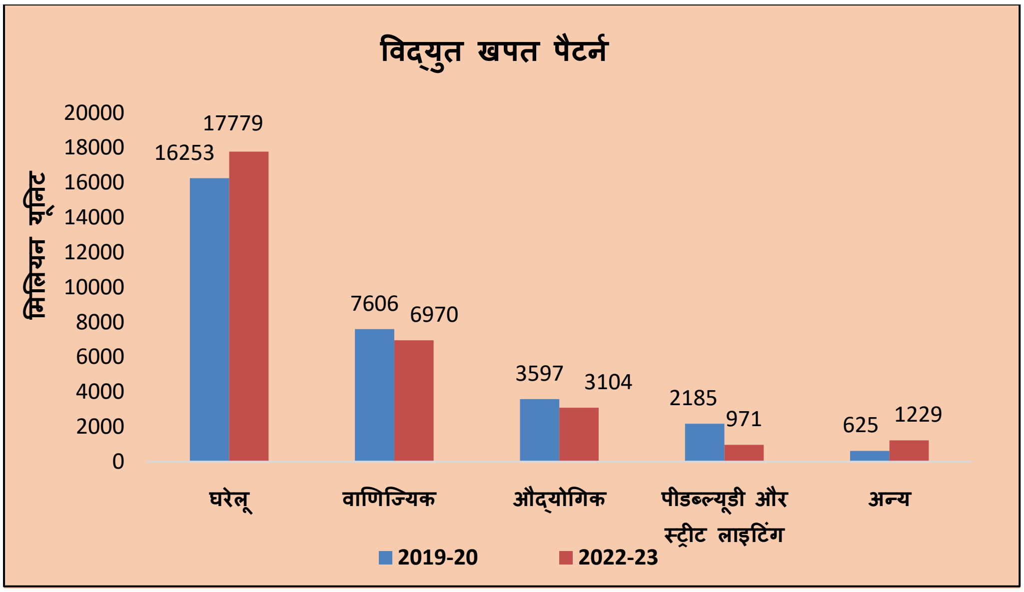

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24

ग्राहकों की संख्या के संदर्भ में पैटर्न के लिए, नीचे दिया गया **चार्ट 2.3.2** तीन वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) अर्थात बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड (बीवाईपीएल), बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड (बीआरपीएल) और टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) के लिए प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट 2.3.2: तीन डिस्कॉम के घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं में परिवर्तन की प्रवृत्ति

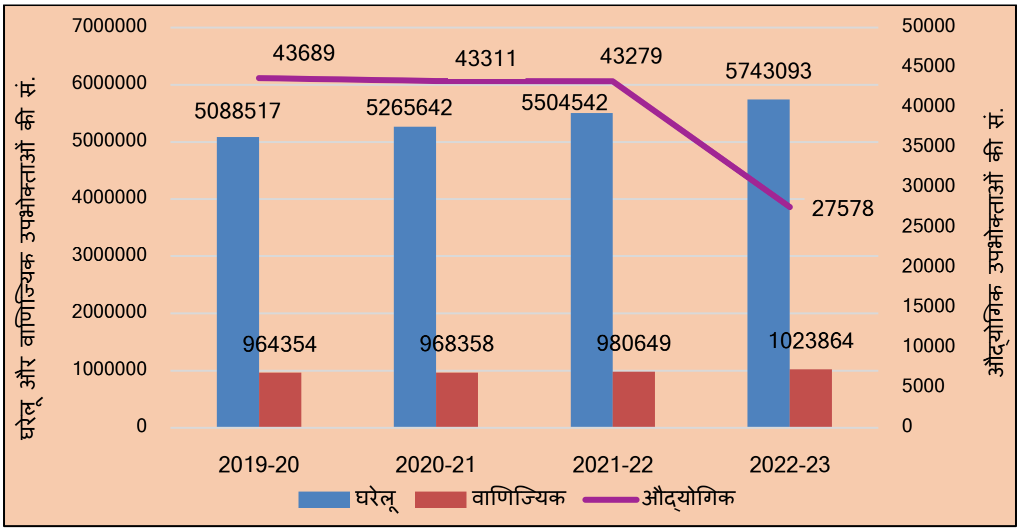

स्रोत: डिस्कॉम की याचिकाओं को टू-अप किया गया

उपर्युक्त चार्ट घरेलू उपभोक्ताओं में लगातार वृद्धि को दर्शाते हैं, जब कि वाणिज्यिक उपभोक्ता आधार नाममात्र वृद्धि दिखा रहा है। तथापि, धीरे-धीरे कमी आई है, इसके पश्चात औद्योगिक उपभोक्ताओं की संख्या में भारी कमी आई है। 2022-23 में औद्योगिक उपभोक्ताओं में लगभग 36 प्रतिशत की भारी गिरावट पूरी तरह से टीपीडीडीएल के औद्योगिक उपभोक्ताओं में कमी के कारण थी। खपत की प्रवृत्ति भी घरेलू आधार के अनुरूप है जो सबसे बड़ी भागीदारी पर कब्जा कर रही है।

दिल्ली में, 2003 से घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिसकी राशि वर्षों से धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। 2019-20 से 2022-23 के दौरान, दिल्ली का औसत वार्षिक विद्युत सब्सिडी बिल लगभग ₹ 2,939 करोड़ प्रति वर्ष था।

400 यूनिट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शुल्क दरों सहित वार्षिक विद्युत सब्सिडी को नीचे **चार्ट 2.3.3** में ग्राफिक रूप से दर्शाया गया है:

चार्ट 2.3.3: वर्षों के दौरान सब्सिडी और ऊर्जा शुल्क में परिवर्तन

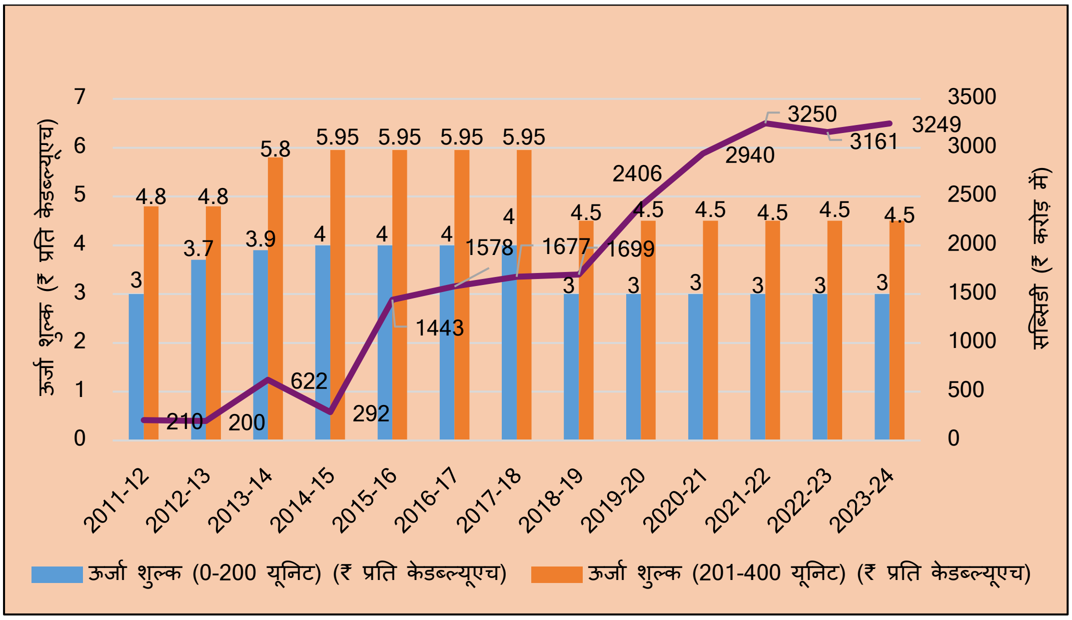

स्रोत: विद्युत विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. का उत्तर और डीईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आदेश।

सब्सिडी रा.रा.क्षे.दि.स. के कुल राजस्व व्यय का लगभग 10 *प्रतिशत* थी। जैसा कि नीचे दिए गए **चार्ट 2.3.4** में दर्शाया गया है, 2019-20 से 2022-23 के दौरान कुल सब्सिडी में केवल विद्युत सब्सिडी का भाग 66.96 से 70.39 *प्रतिशत* था, जो उपभोक्ताओं को विद्युत सब्सिडी प्रदान करने की प्रक्रिया और इसकी प्रभावशीलता का आकलन करने की आवश्यकता पर बल देता है।

चार्ट 2.3.4: रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कुल सब्सिडी के अनुपात के रूप में विद्युत सब्सिडी

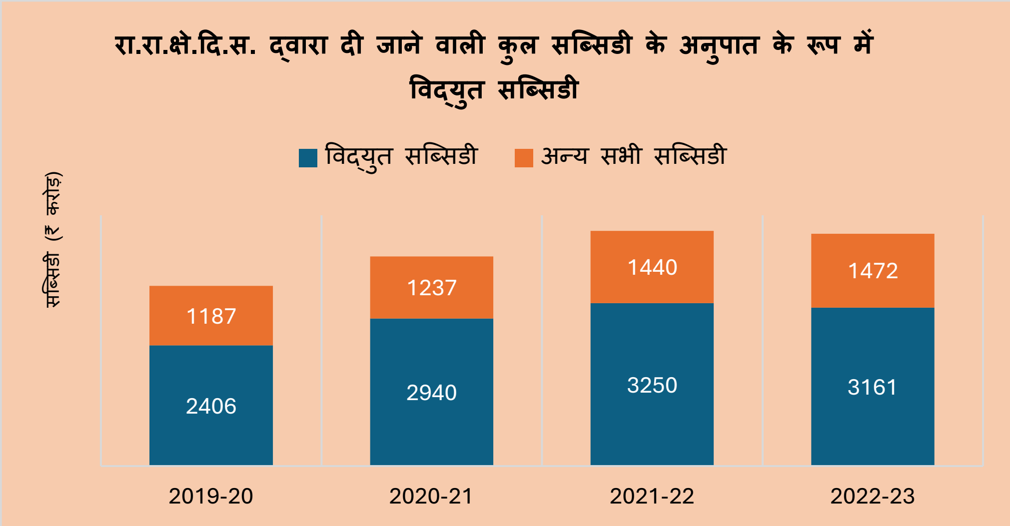

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. का उत्तर

2.3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

यह लेखापरीक्षा उपभोक्ताओं को सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया की जांच करने, इस प्रकार के वितरण को नियंत्रित करने वाले लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन का आकलन करने और उपभोक्ता शुल्कों पर निरंतर सब्सिडी के दीर्घकालिक प्रभावों का विश्लेषण करने पर केंद्रित था।

लेखापरीक्षा में 2019-20 से 2022-23 तक चार वर्षों की अवधि सम्मिलित थी।

लेखापरीक्षा के मानदंडों में विद्युत विभाग रा.रा.क्षे.दि.स. के अभिलेखों की संवीक्षा; वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की टैरिफ याचिकाओं और डीईआरसी[7] के टैरिफ आदेशों का अध्ययन; डिस्कॉम द्वारा सब्सिडी दावों के प्रवेश की प्रक्रिया की समीक्षा, सब्सिडी के वितरण के तंत्र की जांच और डिस्कॉम के उपभोक्ता बिलिंग डाटा का विश्लेषण सम्मिलित है। संबंधित डिस्कॉम से उपलब्ध प्रासंगिक डाटा के आधार पर पैटर्न और लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता बिलिंग डाटा का विश्लेषण किया गया है।

दिल्ली में विद्युत वितरण मुख्य रूप से तीन निजी डिस्कॉम, अर्थात बीवाईपीएल, बीआरपीएल और टीपीडीडीएल द्वारा किया जाता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की इन डिस्कॉम में से प्रत्येक में 49 *प्रतिशत* इक्विटी भागीदारी है। उपलब्ध कराए गए डाटा (31 मार्च 2021) के अनुसार, दिल्ली में कुल लगभग 65 लाख

[7] डीईआरसी ने केवल 2021-22 तक टैरिफ आदेश जारी किया है।

विद्युत कनेक्शन थे, जिसमें बीआरपीएल 28.47 लाख से अधिक कनेक्शनों के साथ सबसे बड़ी वितरण यूटीलिटी थी, इसके पश्चात वर्ष 2021-22 में क्रमशः 18.54 लाख और 18.14 लाख कनेक्शन के साथ टीपीडीडीएल और बीवाईपीएल का स्थान था। इन तीन वितरण कंपनियों के अतिरिक्त, नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) और सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (एमईएस) को भी डिस्कॉम माना जाता है, जो दिल्ली के कुल उपभोक्ता आधार के लगभग एक प्रतिशत को पूरा करता है। इस लेखापरीक्षा में समीक्षा के लिए विचार किया गया डिस्कॉम का चयन नहीं किया गया है।

11 मई 2023 को आयोजित एक प्रविष्टि सम्मेलन के माध्यम से लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंडों, कार्यक्षेत्र, नमूना और लेखापरीक्षा की पद्धति को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ साझा किया गया था। सरकार किस सीमा तक उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण और लक्षित तरीके से विद्युत सब्सिडी प्रदान करने के इच्छित उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम थी, और उपभोग शुल्क पर दीर्घकालिक परिणामों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है। प्रतिवेदन का मसौदा सरकार को जारी की गई थी (मार्च 2025), और 10 जून 2025 को एक निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया था, तथापि, सितंबर 2025 तक उत्तर प्रतीक्षित था।

2.3.3 सब्सिडी नीति का कार्यान्वयन

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 65 राज्य सरकार को किसी भी उपभोक्ता/श्रेणी के उपभोक्ताओं को जैसा उचित समझा जाए सब्सिडी देने की अनुमति देती है। दिल्ली में, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विद्युत सब्सिडी वर्ष 2003-04 में शुरू की गई थी। 2005-07 के बीच, इसका लक्ष्य सभी घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए टैरिफ वृद्धि के 50 *प्रतिशत* को प्रभावहीन करना था। 2007-13 से, 200 यूनिट/माह तक की खपत के लिए ₹ 1/यूनिट सब्सिडी प्रदान की गई थी। इसके पश्चात, 2016-17 तक 0-200 और 201-400 यूनिट के लिए अलग-अलग स्लैब के साथ दरों को समय-समय पर संशोधित किया गया था।

2017-18 से, सब्सिडी का विस्तार 1984 के सिख दंगा पीड़ितों और अदालत परिसरों में वकीलों के चैंबर तक किया गया और 2018-19 में कृषि उपभोक्ताओं

तक भी इसका लाभ मिलने लगा। अगस्त 2019 से, सब्सिडी में 200 यूनिट/माह तक का पूरा बिल सम्मिलित था जिसमें ऊर्जा बिल, स्थायी शुल्क, सभी अधिभार आदि सम्मिलित हैं; और 201-400 यूनिट के बीच खपत के लिए, ₹ 800/माह तक की सब्सिडी दी गई थी। वर्तमान में, सब्सिडी मुख्य रूप से घरेलू उपभोक्ताओं, कृषि उपभोक्ताओं, सिख दंगा पीड़ितों और वकीलों के चैंबर को दी जाती है, जो सब्सिडी वाले उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणी में आते हैं। सब्सिडी देने की प्रक्रिया को **चित्र 1** में दर्शाए गए प्रवाह चार्ट में दर्शाया गया है:

चित्र 2.3.1: दिल्ली में विद्युत सब्सिडी संवितरण का प्रक्रिया प्रवाह

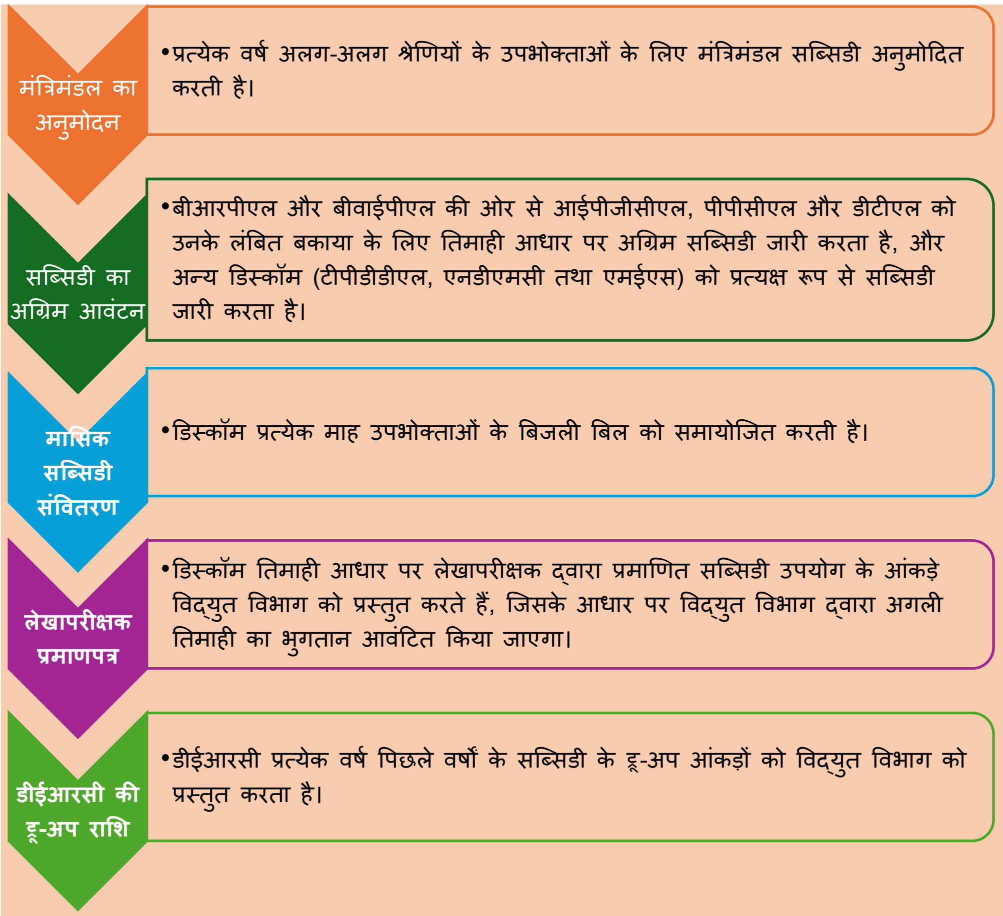

लेखापरीक्षा में उपभोक्ताओं को दी गई विद्युत सब्सिडी व्यवस्था के कार्यान्वयन में कमियां पाई गई, जैसा कि आगामी पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है।

(i) सब्सिडी का अपयोजन

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार, विद्युत विभाग को डिस्कॉम को अग्रिम रूप से विद्युत सब्सिडी आबंटित करने की आवश्यकता थी। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीआरपीएल और बीवाईपीएल के मामले में, जिनके

पास दिल्ली विद्युत उत्पादन कंपनियों (इंद्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईपीजीसीएल) और प्रगति पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल) और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) को देय पर्याप्त लंबित था, सब्सिडी राशि प्रत्येक रूप से इन डिस्कॉम को आबंटित नहीं की गई थी, बल्कि विद्युत विभाग द्वारा आईपीजीसीएल, पीपीसीएल और डीटीएल को अपनी ओर से अपयोजित की गई थी अन्य डिस्कॉम (टीपीडीडीएल, एनडीएमसी और एमईएस) के लिए, सब्सिडी प्रत्यक्ष रूप से आबंटित की गई थी।

उत्पादन कंपनियों (जेनको) और संचारण यूटीलिटी के साथ कुछ डिस्कॉम के लंबित का निपटान करने के लिए सब्सिडी निधि को तीसरे पक्ष को अपयोजित करने की यह प्रथा सब्सिडी वितरण प्रक्रिया को जटिल बनाती है, पारदर्शिता को कम करती है, तथा सब्सिडी आबंटन और उपभोक्ता लाभ के बीच एक स्पष्ट धन ट्रेल स्थापित करने में जवाबदेही को निर्बल बनाती है।

यह उल्लेख करना उचित है कि नीति आयोग (2017, विद्युत वितरण क्षेत्र में परिवर्तन) और वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने सब्सिडी वितरण के लिए एक वैकल्पिक ढांचे के रूप में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की सिफारिश की है। विद्युत विभाग ने स्वयं स्वीकार किया कि डीबीटी सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता बढ़ा सकता है और तीसरे पक्ष की लेखापरीक्षा की आवश्यकता को कम कर सकता है। तथापि, इन नीतिगत सिफारिशों और अपनी स्वीकृति के बावजूद, विद्युत विभाग द्वारा डीबीटी की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया था। निर्गम सम्मेलन में, विभाग ने कहा कि जेनको और डीटीएल के लिए डिस्कॉम के लगातार लंबित बकाया के कारण दिल्ली में डीबीटी साध्य नहीं था, जिसके कारण इस तरह के लंबित बकाया के प्रति क्षति समायोजन के लिए सब्सिडी का अपयोजन आवश्यक हो गया था। विभाग का उत्तर नीति आयोग और वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. की संदर्भित सिफारिशों के अनुरूप नहीं है।

(ii) विद्युत सब्सिडी के सत्यापन और लक्ष्यीकरण में समस्याएं

(क) सत्यापन में समस्याएं

व्यय का एक बड़ा भाग दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में सब्सिडी पर वहन किया जाता है। यह सुनिश्चित करना विद्युत विभाग का उत्तरदायित्व है कि सब्सिडी राशि

का उपयोग केवल अपने इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाए और केवल वास्तविक उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जाए।

प्रत्येक वर्ष सरकार सब्सिडी नीति को स्वीकृति देती है और डिस्कॉम द्वारा सब्सिडी दावों की सटीकता को सत्यापित करने के लिए एकमात्र तंत्र डीईआरसी द्वारा वार्षिक प्रस्तुत किए जाने वाले वास्तविक आंकड़े हैं, जो रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा डिस्कॉम को प्रदान की गई सब्सिडी को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने प्रत्येक वर्ष डीईआरसी द्वारा एक बाहय लेखापरीक्षक[8] के माध्यम से उपभोक्ताओं को दी गई राशि की तुलना में डिस्कॉम को जारी की गई सब्सिडी की एक विशेष लेखापरीक्षा करने का प्रस्ताव किया। यह देखा गया कि जनवरी 2024 में डीईआरसी द्वारा विशेष लेखापरीक्षा स्थापित की गई थी, जिसका प्रतिवेदन अंततः रा.रा.क्षे.दि.स. को प्रस्तुत किया गया था।

तथापि, डीईआरसी द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों पर पूर्ण रूप से निर्भर होना यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि हजारों करोड़ रुपये की सब्सिडी वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच रही है। उदाहरण के लिए, इन आंकड़ों से यह यह उजागर नहीं होता कि क्या विद्युत कनेक्शन को अनावश्यक रूप से कई सब्सिडी का दावा करने के लिए विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, डीईआरसी स्वतंत्र सत्यापन के बिना, डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षक-प्रमाणित विवरणों के आधार पर सही आंकड़े तैयार करता है।

लेखापरीक्षा का मत है कि लोक निधियों के उचित उपयोग और उनके इच्छित लाभार्थियों तक पहुँचने को सुनिश्चित करने के लिए एक सुस्थापित और पारदर्शी तंत्र की तत्काल आवश्यकता है। विद्युत कनेक्शन की प्रामाणिकता को सत्यापित करने और सब्सिडी प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए यादृच्छिक क्षेत्र निरीक्षण करना चाहिए। विशेष रूप से, डीईआरसी द्वारा नियुक्त बाहरी लेखापरीक्षक द्वारा किए गए विशेष लेखापरीक्षा की प्रतिवेदन में भी इसी प्रकार की चिंताओं को पूर्व ही उजागर किया गया था, जैसा कि इस प्रतिवेदन के **पैरा 2.3.4** में चर्चा की गई है।

[8] एक निजी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है।

(ख) लेखापरीक्षित विवरण के बिना एमईएस और एनडीएमसी को सब्सिडी

उपभोक्ताओं को संवितरण की पुष्टि करने वाला लेखापरीक्षित विवरण/उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर ही डिस्कॉम को सब्सिडी जारी की जाती है। तथापि, दो मानित डिस्कॉम, अर्थात एमईएस और एनडीएमसी के लिए, 2019-20 से ऐसे प्रमाणपत्रों के बिना सब्सिडी जारी की गई है, जिससे दुरुपयोग का खतरा पैदा हो गया है। एनडीएमसी और एमईएस को जारी की जाने वाली वार्षिक सब्सिडी लगभग ₹ 15 करोड़ प्रत्येक है। लेखापरीक्षित विवरणों या उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि सब्सिडी राशि वास्तव में इच्छित लाभार्थियों को दी गई है, जिससे योजना का उद्देश्य विफल हो गया है और लोक निधि को संभावित अनियमितताओं के लिए अनावृत किया गया है।

(ग) विद्युत सब्सिडी का लक्ष्य

राष्ट्रीय टैरिफ नीति, 2006, भारत के विद्युत मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण ढांचा था, जिसे 6 जनवरी, 2006 को विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में निवेश, दक्षता और उपभोक्ता कल्याण को प्रोत्साहन देना था। यह नीति गरीब उपभोक्ताओं को लक्षित सब्सिडी प्रदान करने और उन्हें प्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में वितरित करने का सुझाव देती है। इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि सरकार क्रॉस-सब्सिडी के माध्यम से खपत के न्यूनतम स्तर का समर्थन करे और संसाधनों के सतत उपयोग पर बल देने सहित बिजली के निःशुल्क प्रावधान को रोके।

पिछले चार वर्षों में कुल सब्सिडी व्यय में औसतन 68.78 *प्रतिशत* विद्युत सब्सिडी होने के बावजूद, रा.रा.क्षे.दि.स. की सब्सिडी नीति का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी संख्या को लक्षित करना है। सब्सिडी नीति में लक्षित उपभोक्ता आधार अथवा सब्सिडी की मात्रा का निर्धारण करते समय स्वीकृत भार अथवा विद्युत शुल्क अथवा अन्य अधिभार जैसे अन्य बिल घटकों की अवहेलना की गई है। यह पाया गया कि घरेलू उपभोक्ता, जो समग्र रूप से एक श्रेणी में, उपभोक्ता आधार का लगभग 84 *प्रतिशत* है, बिजली (यूनिट) का लगभग 60 *प्रतिशत* उपभोग करते हैं और सरकार द्वारा संवितरित सब्सिडी का 95 *प्रतिशत* से अधिक प्राप्त करते हैं।

यह पिछले कुछ वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी दरों में किए गए लगातार परिवर्तनों के साथ जुड़ा हुआ था जैसा कि **तालिका 2.3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3.1: घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी दरें

वर्ष	स्लैब	प्रति यूनिट सब्सिडी	टिप्पणियां
अप्रैल 2018 से मार्च 2019	0-400 यूनिट	₹ 2.00 (₹ 100/कनेक्शन/माह की अतिरिक्त सब्सिडी, 100 यूनिट/माह तक की खपत)	डीईआरसी द्वारा स्थायी शुल्क में पर्याप्त वृद्धि हुई और ऊर्जा शुल्क में कमी आई।
अप्रैल 2019 से जुलाई 2019	0-400 यूनिट	₹ 2.00 (₹ 100/कनेक्शन/माह की अतिरिक्त सब्सिडी, 100 यूनिट/माह तक की खपत)	
अगस्त 2019 से मार्च 2023	0-200 यूनिट	सब्सिडी के माध्यम से पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा	वित्त वर्ष 2019-20 से, डीईआरसी द्वारा 15 किलोवाट तक स्वीकृत भार के लिए निर्धारित शुल्क में कटौती की गई थी, जब कि ऊर्जा शुल्क काफी हद तक समान रहा।
	201-400 यूनिट	सब्सिडी द्वारा प्रति माह ₹800 तक का भुगतान किया जाएगा	

स्रोत: दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि मई 2022 में लिए गए एक कैबिनेट निर्णय के माध्यम से, रा.रा.क्षे.दि.स. ने 1 अक्टूबर 2022 से एक संशोधित योजना भी शुरू की, जिसमें पात्र उपभोक्ताओं से सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए स्पष्ट अनुरोध मांगा गया था। तथापि, यह राजकोष पर सब्सिडी के भार को कम करने में सफल नहीं हुआ, क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि सब्सिडी का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं की संख्या उन लोगों की तुलना में अधिक थी जिन्होंने वास्तव में सब्सिडी का लाभ उठाया था।

(iii) व्युत्क्रमित सब्सिडी योजना

पांचवें दिल्ली वित्त आयोग के प्रतिवेदन (अक्टूबर 2017) के अनुसार, विद्युत की खपत का स्तर उपभोक्ताओं की आर्थिक समृद्धि के स्तर को दर्शाता है। इस प्रकार, सब्सिडी उन लोगों के लिए लक्षित की जानी चाहिए जिनके पास खपत का स्तर कम है, जिन्हें सरकार से सहायता की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा सब्सिडी व्यय को व्युत्क्रमित कर दिया गया और सब्सिडी को घरेलू आय अथवा सामाजिक-आर्थिक स्थिति से जोड़कर लक्षित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपभोक्ताओं को केवल 400 यूनिट प्रति बिलिंग चक्र की सीमा पर विभाजित करने पर ध्यान केंद्रित किया

गया था, चाहे स्वीकृत भार, बीपीएल स्थिति आदि कुछ भी हो। इसके अतिरिक्त, 400 यूनिट खपत के उच्च अवसीमा मूल्य के कारण, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 80 *प्रतिशत* घरेलू उपभोक्ता सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं, अभिलेख में नहीं पाया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सरकार ने औसतन खपत की श्रेणी में आने वाले उपभोक्ताओं की तुलना में उच्च खपत की श्रेणी में आने वाले उपभोक्ताओं के लिए औसतन प्रति उपभोक्ता प्रति वर्ष अधिक सब्सिडी का भुगतान किया।

वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित सब्सिडी आवश्यकता के आंकड़ों और उपभोग श्रेणी में उपभोक्ताओं की संख्या के अनुसार, यह देखा गया कि जहां 0 से 200 यूनिट खपत की श्रेणी के भीतर 30 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को प्रति कनेक्शन प्रति वर्ष औसतन ₹ 6,000 की सब्सिडी प्राप्त हुई, जबकि 200 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले लगभग 16.60 लाख उपभोक्ताओं को प्रति कनेक्शन पर लगभग 70 *प्रतिशत* अधिक औसतन ₹ 10,000 प्रति वर्ष से अधिक की सब्सिडी प्राप्त हुई जैसा कि **चार्ट 2.3.5** में दर्शाया गया है। इस प्रकार, उच्च खपत श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए प्रति उपभोक्ता वास्तविक सब्सिडी व्यय बहुत अधिक था। उपभोक्ताओं को उच्च उपभोग स्तर पर उच्च औसत सब्सिडी देना विवेकपूर्ण नीतिगत तर्क के विपरीत है, इसके अतिरिक्त यह राजकोषीय रूप से भी अपव्ययी है।

चार्ट 2.3.5: 2022-23 में प्रति उपभोक्ता सब्सिडी व्यय

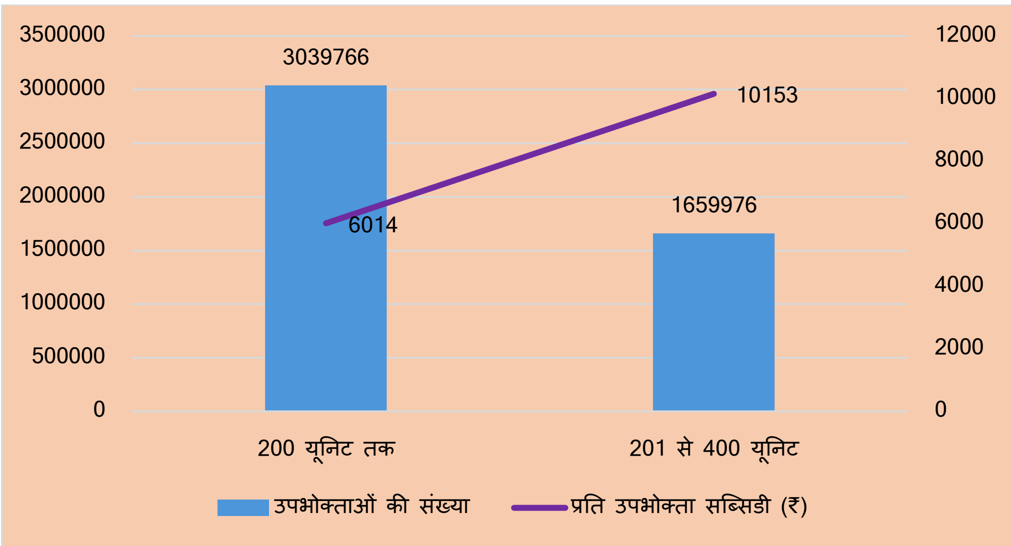

स्रोत: डिस्कॉम का उपभोक्ता बिलिंग डाटा

(iv) अप्रभावी सब्सिडी

सरकार द्वारा वहन की जाने वाली सकल बिल राशि का प्रतिशत सरकार द्वारा सब्सिडी के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली पर्याप्त सहायता का एक अच्छा संकेतक है। वित्तीय तर्क से यह सिद्ध होता है कि सरकार द्वारा वहन की जाने वाली सकल बिल राशि का प्रतिशत जितना अधिक होगा, उपभोक्ता के लिए सब्सिडी सहायता का मूल्य उतना ही अधिक होगा। इसके अतिरिक्त, दिल्ली सरकार को डीईआरसी की वैधानिक सलाह (19 अक्टूबर 2020) के अनुसार, प्रति वर्ष ₹ 315 करोड़ तक की बचत संभव थी यदि सब्सिडी 3 किलोवाट तक स्वीकृत भार वाले उपभोक्ताओं तक सीमित थी, जो 91 *प्रतिशत* उपभोक्ताओं को अपने दायरे में लाएगा, जब कि प्रति वर्ष ₹ 200 करोड़ तक की बचत प्राप्त की जा सकती है यदि सब्सिडी 5 किलोवाट तक स्वीकृत भार वाले उपभोक्ताओं तक सीमित थी जो दिल्ली में 95 *प्रतिशत* उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

तीन निजी डिस्कॉम के उपभोक्ता बिलिंग डाटा के लेखापरीक्षा विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि सब्सिडी 1 से 2 किलोवाट एसएल श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल का लगभग 50 *प्रतिशत* है, जब कि यह 3 किलोवाट से 4 किलोवाट एसएल श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिल राशि का 25 *प्रतिशत* से भी कम भुगतान करने में सक्षम थी। जो उत्तरोत्तर उच्च भार के लिए और भी कम था।

चार्ट 2.3.6: स्वीकृत भार (किलोवाट) द्वारा कुल बिल राशि के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी

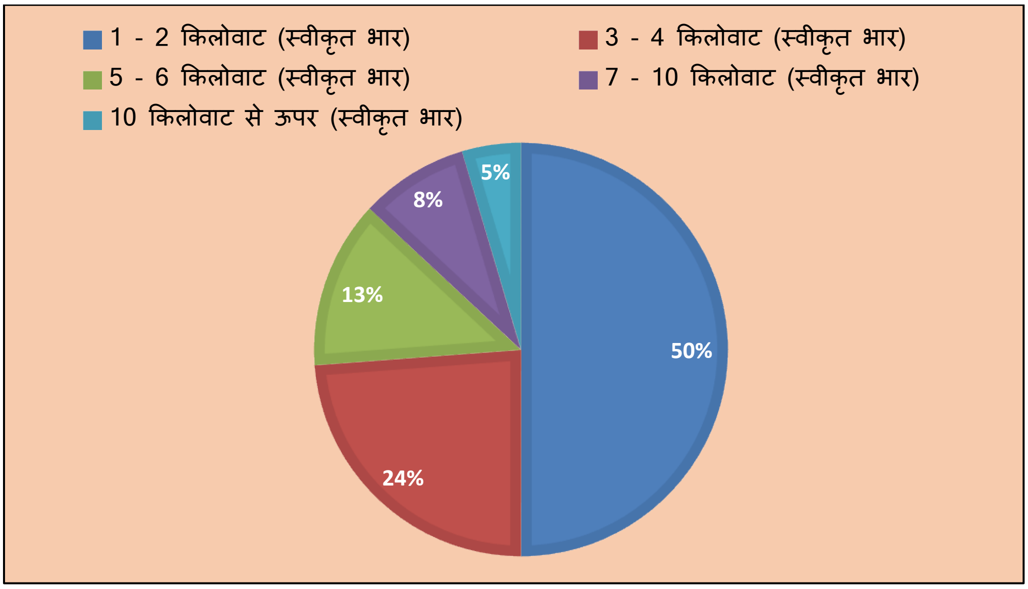

स्रोत: तीन डिस्कॉम का उपभोक्ता बिलिंग डाटा

3-4 किलोवाट एसएल के लिए, सरकार ने ₹ 2,100 से अधिक की सकल बिल राशि के लिए औसतन ₹ 500 से कम की सब्सिडी वहन की। यह भी देखा गया कि चूंकि 200 यूनिट तक की सब्सिडी का व्यय स्वीकृत भार से स्वतंत्र था और बिल राशि का 100 *प्रतिशत* सब्सिडी दिया गया था, इसलिए उच्च स्वीकृत भार पर अल्प खपत के लिए भी सब्सिडी व्यय बहुत अधिक हो सकता है। उदाहरण के लिए, 1 किलोवाट एसएल पर प्रति माह 50 किलोवाट की खपत पर लगभग ₹ 200 की सब्सिडी मिलेगी, जब कि 5 किलोवाट, 10 किलोवाट और 20 किलोवाट की एसएल पर समान ऊर्जा खपत के परिणामस्वरूप क्रमशः लगभग ₹ 500, ₹ 1,500 और ₹ 5,000 का सब्सिडी व्यय होगा।

मामले का अध्ययन: कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत सब्सिडी

कृषि क्षेत्र को संकट में देखते हुए सरकार कृषि उपभोक्ताओं को स्थायी शुल्कों पर ₹ 105 प्रति किलोवाट/माह की सीमा तक सब्सिडी प्रदान करती है। बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल से प्राप्त डाटा के अनुसार, 2022-23 के दौरान दिल्ली राज्य के भीतर लगभग 12,000 कृषि उपभोक्ता थे, जिन्होंने इस अवधि के दौरान लगभग ₹ 6.5 करोड़ की कुल सब्सिडी का लाभ उठाया।

वित्त विभाग ने मंत्रीमंडल को बताया (फरवरी 2019) कि चूंकि कृषि सब्सिडी कमजोर वर्गों के लिए वित्तीय सहायता का एक रूप है, इसलिए विभाग को किसानों की कृषि भूमि की मात्रा के आधार पर एक मानदंड निर्धारित करना चाहिए और सब्सिडी एक निश्चित सीमा तक कृषि भूमि रखने वाले किसानों तक सीमित होनी चाहिए। तथापि, इस तर्कसंगत सुझाव को नजरअंदाज कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, छोटे/सीमांत किसानों के लिए सब्सिडी को लक्षित करने के लिए स्वीकृत भार के विभिन्न वर्गों के आधार पर कृषि बिजली कनेक्शनों की जांच या वर्गीकरण करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने उक्त आदेश में सब्सिडी को प्रति किसान एक कनेक्शन तक सीमित करने का कोई प्रावधान नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप सभी कृषि कनेक्शनों को सब्सिडी लाभ का भार उठाना पड़ता है, चाहे एक व्यक्ति के पास एक से अधिक कनेक्शन हों।

बीआरपीएल और टीपीडीडीएल डाटा के सूक्ष्म विश्लेषण से पता चला है कि न्यूनतम उपयोग (0-250 यूनिट/वर्ष की खपत के लिए लेखापरीक्षा में निर्धारित

सीमा) कनेक्शन **2019-20 में 7.6 *प्रतिशत* और 10.91 *प्रतिशत* से बढ़कर 2022-23 में क्रमशः 15.33 *प्रतिशत* और 13.05 *प्रतिशत* हो गया,** जिससे सब्सिडी आर्थिक रूप से अनुचित हो गई। यह देखा गया कि बीआरपीएल में, **इन न्यूनतम उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं में से लगभग 70 *प्रतिशत* की** औसत खपत प्रति **बिलिंग चक्र 0-10 यूनिट** थी, जिससे सब्सिडी व्यर्थ हो गई। इसी प्रकार, टीपीडीडीएल के लिए, प्रति **बिलिंग चक्र 0-10 यूनिट** की खपत करने वाले ऐसे उपभोक्ताओं का प्रतिशत 2019-20 में **63.11 *प्रतिशत* से घटकर 2022-23 में 44.17 *प्रतिशत* हो गया**। लेखापरीक्षा का मानना है कि इस प्रकार के अनियमित उपभोग पैटर्न के साथ कनेक्शन व्यावहारिक रूप से कोई आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं और नीतिगत स्तर पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

विद्युत विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने मंत्रीमंडल निर्णय संख्या 2516 दिनांक 13 अक्टूबर 2017 के माध्यम से दिल्ली भर में न्यायालय परिसरों में चैंबर वाले प्रत्येक वकील को विद्युत सब्सिडी भी प्रदान की। अप्रैल 2019 से मार्च 2023 तक, बीआरपीएल और बीवाईपीएल के लिए सब्सिडी व्यय ₹ 6.2 करोड़ था। बिलिंग डाटा के विश्लेषण से पता चला है कि घरेलू उपभोक्ताओं (₹ 470) की तुलना में वकीलों के चैंबर्स के लिए उच्च प्रति-बिल सब्सिडी को दर्शाता है (बीआरपीएल के लिए ₹ 837 और बीवाईपीएल के लिए ₹ 931)। सरकार को प्रभावी लक्ष्यीकरण, वित्तीय स्थिरता और समानता को ध्यान में रखते हुए इस सब्सिडी सहायता की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

(v) निष्क्रिय/बंद पड़े घरेलू कनेक्शनों के लिए सब्सिडी

लेखापरीक्षा में बीआरपीएल के उपभोक्ताओं का बिलिंग पैटर्न और सब्सिडी व्यय के लिए विश्लेषण किया गया। यह पाया गया कि कई उपभोक्ता लगातार बिलिंग चक्र के लिए बिजली की खपत नहीं होने (शून्य यूनिट की खपत) के बावजूद सब्सिडी का लाभ उठा रहे थे। इसका श्रेय गैर-कार्यात्मक घरेलू इकाइयों या लंबे समय तक विशिष्ट आवासीय इकाइयों से दूर रहने वाले निवासियों को दिया जा सकता है। अप्रैल 2019 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान ऐसे निष्क्रिय बीआरपीएल उपभोक्ताओं को सब्सिडी के रूप में कुल लगभग ₹ 42.26 करोड़ दिए गए थे, जैसा कि **चार्ट 2.3.7** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3.7: बीआरपीएल- सब्सिडी प्राप्त करने वाले शून्य खपत के साथ लगातार बिल

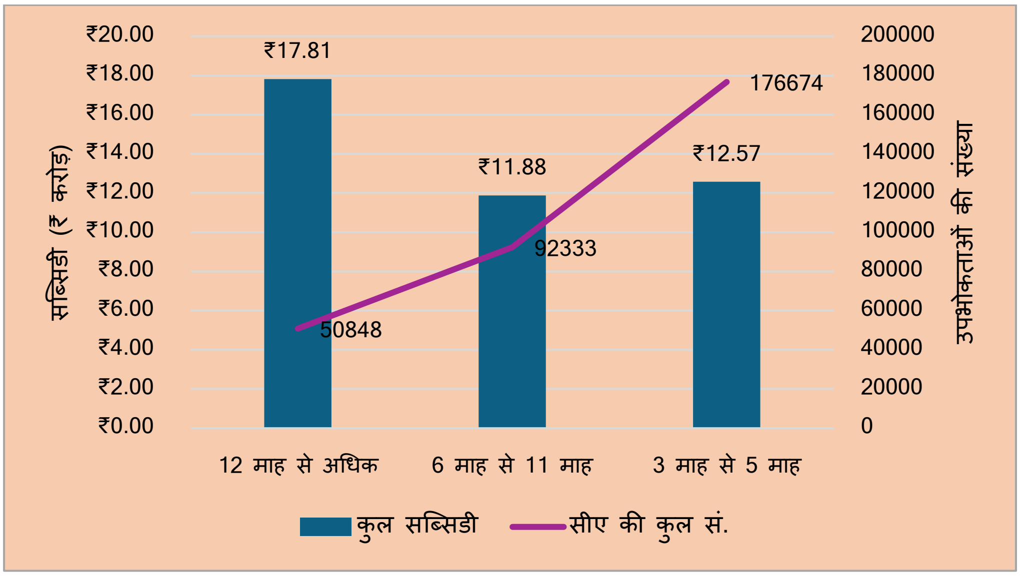

स्रोत: बीआरपीएल का उपभोक्ता बिलिंग डाटा

उपर्युक्त ग्राफ दर्शाता है कि पचास हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने 12 महीने से अधिक समय तक लगातार शून्य खपत की थी और उन्हें ₹ 17.81 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई थी, 90 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को 6 से 11 महीने तक लगातार शून्य खपत के लिए ₹ 11.88 करोड़ की सब्सिडी प्राप्त हुई और 1 लाख 70 हजार से अधिक उपभोक्ताओं की 3 से 5 महीने की अवधि के लिए निरंतर शून्य खपत थी और ₹ 12.57 करोड़ की सब्सिडी प्राप्त हुई।

उपर्युक्त खराब नीति ढांचे का संकेत है और बिजली की खपत पर आंकड़ों का आवधिक विश्लेषण केवल जरूरतमंद उपभोक्ताओं को विद्युत सब्सिडी देने के लिए एक विवेकपूर्ण नीति तैयार करने के लिए सरकार को अंतर्दृष्टि प्रदान करने में उपयोगी हो सकता है। लंबे समय तक निष्क्रिय कनेक्शनों पर सब्सिडी का व्यय व्यर्थ है और इससे कोई तर्कसंगत आर्थिक उद्देश्य पूरा नहीं होता।

इस प्रकार, रा.रा.क्षे.दि.स. का मुख्य उद्देश्य लगभग सभी घरेलू उपभोक्ता आधार को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर विचार किए बिना विद्युत सब्सिडी प्रदान करना था। वर्तमान सब्सिडी व्यवस्था जारी रहने पर, अपरिहार्य टैरिफ वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सब्सिडी बिल पर पड़ेगा, जो सरकार के लिए अरक्षनीय हो सकता है, यदि नीति को केवल लक्षित उपभोक्ता आधार के लिए संशोधित नहीं किया जाता है।

सिफारिश 2.3.1: सरकार को डिस्कॉम के उपभोक्ता बिलिंग डाटा की समीक्षा करनी चाहिए ताकि इसका उपयोग पात्र लाभार्थियों तक विद्युत सब्सिडी पहुंचाने के लिए किया जा सके।

सिफारिश 2.3.2: सरकार समृद्ध उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने वाली व्यत्क्रमित सब्सिडी की स्थिति को रोकने के लिए सब्सिडी को 3 किलोवाट तक स्वीकृत भार से जोड़ने के लिए डीईआरसी की वैधानिक सलाह पर विचार करे।

सिफारिश 2.3.3: सरकार सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में सुधार के लिए डीबीटी शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाए, जबकि साथ ही साथ अलग-अलग व्यवस्था के माध्यम से डिस्कॉम के लंबित बकाये का समाधान भी करे।

2.3.4 बाहरी लेखापरीक्षक की अभ्युक्ति

2016 से, मंत्रिपरिषद, रा.रा.क्षे.दि.स. ने सिफारिश की थी कि डीईआरसी डिस्कॉम को दिए जाने वाली सब्सिडी का एक विशेष लेखापरीक्षा करे, ताकि एक बाहरी लेखापरीक्षक के माध्यम से उपभोक्ताओं के खातों में वास्तव में जमा की गई राशि की तुलना में वितरित राशि का आकलन किया जा सके। तदनुसार, डीईआरसी ने 15 जनवरी 2024 को भारत के सीएजी के कार्यालय में सूचीबद्ध एक निजी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के माध्यम से एक विशेष लेखापरीक्षा की स्थापना की। सीए फर्म ने पीएजी (दिल्ली) के लेखापरीक्षा दल के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में लेखापरीक्षा की।

निजी फर्म द्वारा लेखापरीक्षा के दायरे में यह सत्यापित करना सम्मिलित था कि क्या सब्सिडी इच्छित उपभोक्ताओं को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से दी गई थी, विद्युत कनेक्शन के विभाजन और फर्जी लाभार्थियों के मामलों की पहचान करना, यह जांचना कि क्या देय सब्सिडी का भुगतान केवल पात्र उपभोक्ताओं को किया गया था, आदि। इस लेखापरीक्षा के निष्कर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि को सम्मिलित करते हुए "रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा जारी विद्युत सब्सिडी के संबंध में डिस्कॉम की विशेष लेखापरीक्षा" शीर्षक प्रतिवेदन में सरकार को जारी किए गए थे।

तीन निजी डिस्कॉम (बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल) के प्रतिवेदन में कुछ प्रमुख अभ्युक्तियां निम्नलिखित से संबंधित हैं:

(i) अनंतिम बिलों के आधार पर सब्सिडी देने में विसंगतियां

(ii) कृषि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी में अनियमितताएं;

(iii) कुछ मामलों में पहचान के प्रमाण और परिसर के स्वामित्व/अधिभोग के प्रमाण में कमी; तथा

(iv) उदाहरण, तथापि सीमित हैं, जहाँ मास्टर डाटा में उपभोक्ता विवरण निर्माण स्थल दौरे के दौरान देखी गई जानकारी से मेल नहीं खाते हैं।

एनडीएमसी (मानित डिस्कॉम) के संबंध में कुछ अभ्युक्तियों का उल्लेख नीचे किया गया है:

(i) प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1.2 में यह बताया गया था कि एनडीएमसी संभवतः प्रत्येक माह में दिनों की वास्तविक संख्या के स्थान पर बिलिंग चक्र के रूप में 30 दिन के माह का उपयोग कर रहा था।

(ii) पैरा संख्या 6.5.2 के अनुसार सब्सिडी- अतिरिक्त सब्सिडी या कम सब्सिडी के संबंध में सरकार के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था।

(iii) पैरा संख्या 6.4 के अनुसार सब्सिडी वितरण में विसंगति थी जहां एक ही उपभोक्ता के पास कई मापदंड हैं।

तथापि, बाहरी लेखापरीक्षक ने अगस्त 2025 तक एमईएस का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

निजी और मानित डिस्कॉम दोनों में लेखापरीक्षा के निष्कर्ष सब्सिडी प्रबंधन में प्रणालीगत कमियों को उजागर करते हैं जैसे कि अपर्याप्त लाभार्थी सत्यापन और बिलिंग अनियमितताएं, जो योजना की पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रभावित करती हैं। जब तक सुधारात्मक उपाय और उचित निगरानी नहीं की जाती है, तब तक सब्सिडी निधियों के रिसाव और दुरुपयोग के जोखिम की संभावना बनी रहेगी।

2.3.5 दीर्घकालिक रूप से उपभोक्ता शुल्क पर विद्युत सब्सिडी का प्रभाव

2.3.5.1 विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण - राज्य और उपभोक्ताओं पर भावी देयता

एक विद्युत वितरण कंपनी (डिस्कॉम) के संदर्भ में, एक विनियामक परिसंपत्ति (आरए) एक परिसंपत्ति के रूप में कंपनी के तुलन-पत्र में दर्ज की गई राशि को संदर्भित करता है। यह डिस्कॉम द्वारा वहन की गई लागतों का प्रतिनिधित्व करता है जो भविष्य में विनियमित दरों या टैरिफ के माध्यम से ग्राहकों से वसूल की जा सकती हैं। संशोधित टैरिफ नीति, 2016 का पैरा 8.2.2 दर्शाता है कि विनियामक परिसंपत्तियों का सृजन नहीं किया जाना चाहिए और यदि सृजित किया जाता है, तो सात वर्ष की अवधि के भीतर उनकी वसूली के लिए एक प्रक्षेपवक्र निर्धारित किया जाना चाहिए।

चूंकि डिस्कॉम विनियामक निगरानी के अतंर्गत काम करते हैं, इसलिए उन्हें अक्सर एक निर्दिष्ट अवधि में ग्राहकों से इन लागतों की वसूली के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों या सार्वजनिक उपयोगिता आयोगों जैसे विनियामक प्राधिकरणों से अनुमोदन लेने की आवश्यकता होती है। आरए की मान्यता विद्युत अपील अधिकरण (एपीटीईएल) और न्यायालयों के लंबित निर्णयों पर भी निर्भर करती है जो डिस्कॉम से याचिकाएं प्राप्त करते हैं। पिछले मामले, लंबित निर्णय और अकार्यान्वित निर्णय विनियामक परिसंपत्तियों की वास्तविक मात्रा की तथ्यात्मक स्थिति को और अधिक जटिल बनाते हैं।

किसी विशेष वित्त वर्ष के लिए डीईआरसी द्वारा निर्धारित वर्ष-दर-वर्ष राजस्व अंतर के कारण दिल्ली में संचालित डिस्कॉम के तुलन-पत्र में विनियामक परिसंपत्तियों[9] का निर्माण हुआ है। इस आवर्ती राजस्व अंतर का एक प्रमुख कारण टैरिफ दरों में लंबे समय तक संशोधन नहीं करना है। चूंकि 2014-15 के पश्चात टैरिफ में वृद्धि नहीं की गई है, इसलिए उपभोक्ता टैरिफ विद्युत खरीद और वितरण की वास्तविक लागत को प्रतिबिंबित नहीं करता है। लागत और वसूली के बीच इस असंगतता के कारण अप्राप्त खर्चों का निरंतर संचय हुआ,

[9] विनियामक परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से केंद्रीय और राज्य विद्युत उपयोगिताओं द्वारा बिल की गई अप्राप्त बिजली की खरीद लागत, आरओसीई और विनियामक परिसंपत्तियों के वित्तपोषण के लिए डिस्कॉम द्वारा लिए गए ऋण के वित्तपोषण की लागत सहित अन्य वैध लागतें सम्मिलित हैं। चूंकि, टैरिफ व्यय की गई लागतों को प्रतिबिंबित नहीं करता था; इसके परिणामस्वरूप सरकार पर एक अंतर और भविष्य की देयता पैदा हुई।

जो वर्ष दर वर्ष विनियामक परिसंपत्तियों के रूप में ट्रू-अप किया गया है। परिणामस्वरूप, दिल्ली डिस्कॉम की विनियामक परिसंपत्तियां 2019-20 में ₹ 9,063 करोड़ थीं, परंतु 2020-21[10] के ट्रू-अप ऑर्डर[11] में तेजी से बढ़कर 31 मार्च 2021 तक ₹ 27,200.37 करोड़ तक पहुंच गईं।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि बीआरपीएल और बीवाईपीएल ने 2021-22 के आंकड़ों के ट्रू-अप के लिए अपनी याचिका में गैर-मान्यता प्राप्त विनियामक परिसंपत्तियों को क्रमशः ₹ 32,180 करोड़ और ₹ 19,647 करोड़ के रूप में प्रस्तुत किया था **(अनुलग्नक 2.3)।** इसके अतिरिक्त, डीईआरसी ने विद्युत के लिए अपील अधिकरण (एपीटीईएल) को राजस्व अंतर के परिसमापन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे 2010 की एक अन्य सिविल अपील संख्या 884 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत किया गया था। तथापि, इस परिसमापन योजना को लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, ट्रूइंग अप तंत्र के माध्यम से पूर्व अवधि के दावों की विलंबित मान्यता होने से विनियामक परिसंपत्तियों में अचानक वृद्धि होती है और दिल्ली में विनियामक परिसंपत्तियों का निरंतर निर्माण होता है, जिससे ऐसी स्थिति बन गई है जहाँ उचित समय सीमा के भीतर विनियामक परिसंपत्ति का परिनिर्धारण करने के लिए प्रभावी टैरिफ को या तो बढ़ाने की आवश्यकता होगी, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ झटका लग सकता है या राज्य सरकार द्वारा आगे भुगतान किया जा सकता है, जिसके पास पहले से ही बहुत अधिक सूक्ष्म राजस्व अधिशेष है।

2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों को चुकाने के लिए अधिभार के रूप में कुल ₹ 4,651 करोड़ एकत्र किए गए थे।

इस प्रकार, टैरिफ संरचना की बदलती गतिशीलता के अनुसार बदलती सब्सिडी नीति के विश्लेषण से पता चलता है कि सब्सिडी बिल में और वृद्धि होना निश्चित है, क्योंकि आगामी वर्षों में टैरिफ में परिवर्तन होता है, जो बढ़ती विनियामक परिसंपत्तियों और उन्हें परिनिर्धारित करने की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अपरिहार्य है।

---

[10] डाटा 2020-21 के बाद उपलब्ध नहीं है क्योंकि अंतिम ट्रू-अप डीईआरसी द्वारा केवल 2020-21 तक किया गया था।

[11] मूल रूप से, आरए की मात्रा के संबंध में राज्य विद्युत विविनियामक आयोग द्वारा एक अंतिम आदेश।

2.3.5.2 कर और अधिभार - व्यापक आधार वाली सब्सिडी व्यवस्था के कारण त्यागा गया

घरेलू उपभोक्ता के विद्युत बिल में मुख्य रूप से दो मूलभूत घटक निहित हैं- एक उपभोक्ता के स्वीकृत भार के आधार पर एक स्थायी शुल्क और एक यूनिट में खपत की गई वास्तविक विद्युत के लिए स्लैब-वार ऊर्जा प्रभार। इन दो मूलभूत घटकों पर अन्य शुल्क भी लगाए जाते हैं, जो उपभोक्ता के सकल विद्युत बिल का एक भाग होता है। ये अन्य शुल्क हैं- ऊर्जा शुल्क पर 5 *प्रतिशत* बिजली कर, भिन्न-भिन्न दरों पर विद्युत खरीद लागत समायोजन शुल्क (पीपीएसी), विनियामक परिसंपत्तियों को चुकाने के लिए 8 *प्रतिशत* की दर से अधिभार, डीवीबी कर्मचारियों की पेंशन ट्रस्ट देयताओं को पूरा करने के लिए 7 *प्रतिशत* की दर से पेंशन ट्रस्ट अधिभार, जो स्थाई शुल्क और ऊर्जा शुल्क दोनों घटकों पर लगाया जाता है।

उदाहरण के लिए, ऊर्जा शुल्कों पर बिजली कर/शुल्क 5 *प्रतिशत* की दर से लगाया जाता है। 2020-21 के दौरान, विद्युत कर की मद में संग्रह ₹ 790.55 करोड़ था। अधित्याग (अर्थात् वर्तमान में 200 यूनिट से कम) वाले बिलों के मामले में, उपभोक्ताओं की ओर से सरकार द्वारा बिजली कर का प्रभावी रूप से भुगतान किया जाता है (छूट के रूप में), जिससे बड़े उपभोक्ता आधार पर पर्याप्त राजस्व की छूट होती है।

इसी प्रकार, सरकार द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लगाए गए उपर्युक्त सभी शुल्कों को सरकार द्वारा सब्सिडी व्यवस्था को व्यापक बनाने के कारण नकार दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के वित्त पर दोहरा संकट पड़ता है, पूर्व कुल बिल वाली इकाइयों पर सब्सिडी व्यय के माध्यम से और उसके पश्चात उपभोक्ता बिलों पर शून्य/न्यून कर/अधिभार के कारण राजस्व की हानि के रूप में।

सिफारिश 2.3.4: सरकार को उपभोक्ता शुल्क की समाप्ति के कारण राज्य के वित्त पर राजस्व हानि के साथ बढ़ते विनियामक परिसंपत्ति देयता के कारण भविष्य के टैरिफ शुल्कों पर प्रभाव का आकलन करना चाहिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

2.4 त्रुटिपूर्ण संविदा के कारण ₹ 1.93 करोड़ का परिहार्य भुगतान

जीटीबी अस्पताल ने प्रशासनिक विभाग के निर्देश पर 11 अक्टूबर 2014 को 224 नर्सिंग अर्दली और ग्रुप 'डी' कर्मचारी प्रदान करने के लिए मैसर्स सर्वेश सिक्योरिटीज़ सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स एसएसएसपीएल) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और अनुबंध को 15 मार्च 2016 तक बढ़ा दिया गया। इस अनुबंध में अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम मज़दूरी के भुगतान का प्रावधान था। अस्पताल ने अनुबंध के बाद समय-समय पर सरकार द्वारा अनुमोदित न्यूनतम मज़दूरी की संशोधित दर के अनुसार भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप संविदाकार के साथ विवाद हुआ और यह न्यायलय के हस्तक्षेप के बाद और ₹ 1.93 करोड़ का परिहार्य भुगतान करने के बाद समाप्त हुआ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 25 में प्रावधान है कि कोई भी संविदा या अनुबंध, चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात में किया गया हो, जिसके द्वारा कोई कर्मचारी या तो इस अधिनियम के अंतर्गत उसे प्राप्त मजदूरी की न्यूनतम दर या किसी विशेषाधिकार या रियायत के अधिकार को छोड़ देता है या कम कर देता है, जहां तक यह इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दर को कम करने का इरादा रखता है, अमान्य होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के अधीन गुरु तेग बहादुर अस्पताल (जीटीबी अस्पताल) ने जनवरी, 2014 में अस्पताल के लिए 246[12] नर्सिंग अर्दली (एनओ)/परिचर (ग्रुप डी सेवाएं) प्रदान करने के लिए एक निविदा जारी की थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (एच एंड एफडब्ल्यू), रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा तैयार एनआईटी में कहा गया है कि बोलीदाता द्वारा उल्लिखित मूल्य दृढ़ और अंतिम होगा और इस अवधि के दौरान मुद्रास्फीति, न्यूनतम मजदूरी में संशोधन आदि जैसे किसी भी आधार पर संशोधन की

[12] जीटीबी अस्पताल के लिए 224 नर्सिंग अर्दली और मधुमेह, एंडोक्रिनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म (डीईएम) केंद्र के लिए 22 नर्सिंग अर्दली

अनुमति नहीं दी जाएगी। बोलीदाताओं को सलाह दी गई थी कि वे किसी भी घटक में किसी भी प्रत्याशित वृद्धि/संशोधन को ध्यान में रखें जो समेकित मासिक कोटेशन का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार, एनआईटी ने चयनित एजेंसी पर छह माह में न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के निहितार्थ उसकी उद्धृत मासिक समेकित राशि के भीतर सम्मिलित करने की मांग की।

तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी मूल्यांकन में चार बोलीदाताओं को योग्य पाया गया। मैसर्स सर्वेश सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसएसएसपीएल) अक्तूबर, 2013 के लिए न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर ₹ 330.92 लाख (₹ 27.58 लाख प्रति माह एजेंसी शुल्क को छोड़कर) की वार्षिक अनुमानित लागत की तुलना में ₹ 21.25 लाख प्रति माह के कुल कोटेशन के साथ सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी थी। उद्धृत राशि अनुमानित लागत से 22.93 *प्रतिशत* कम थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अस्पताल क्रय समिति ने जुलाई, 2014 में आयोजित अपनी बैठकों में नोट किया था कि अक्तूबर, 2013 के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी के अनुसार, एजेंसी शुल्क को छोड़कर 246 एनओ के लिए उद्धृत राशि ₹ 27.58 लाख प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए। चूंकि बोलीदाता (मैसर्स एसएसएसएलपी) द्वारा उद्धृत दरें लागू न्यूनतम मजदूरी से बहुत कम थीं और व्यावहारिक रूप से साध्य नहीं थीं, इसलिए समिति ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 28 जनवरी 2014 के निर्देशों के आलोक में बोलीदाता एल-1 को अस्वीकार करने की सिफारिश की, जिसमें प्रावधान किया गया था कि "यदि कोई फर्म शून्य शुल्क/प्रतिफल उद्धृत करती है, तो बोली को अनुत्तरदायी माना जाएगा और इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

तथापि, जीटीबी अस्पताल के प्रस्ताव को एच एंड एफडब्ल्यू विभाग द्वारा जीटीबी के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा एनआईटी और इसके निविदा मूल्यांकन मानदंडों और कार्यप्रणाली को समझने में विफलता के रूप में माना गया था। यह कहा गया था कि चूंकि बोलीदाता को किसी भी घटक में किसी भी प्रत्याशित संशोधन को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त मासिक राशि का उल्लेख करना होता है, जो समेकित मासिक भाव का निर्माण कर सकता है, इसलिए जनवरी 2014 का भारत सरकार का निर्देश इस मामले में लागू नहीं था। इसके अतिरिक्त,

विक्रेता द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामले में, अस्पताल जुर्माना लगा कर सकता है। इस प्रकार, अस्पताल को मैसर्स एसएसएसपीएल की सबसे कम बोली स्वीकार करने का निर्देश दिया गया था (सितम्बर, 2014)।

जीटीबी ने मैसर्स सर्वेश सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसएसएसपीएल) को जीटीबी अस्पताल के लिए 224 नर्सिंग अर्दली के लिए ₹ 19.35 लाख प्रति माह की एकमुश्त राशि पर एक वर्ष की अवधि के लिए काम सौंपा (11 अक्टूबर 2014) (चूंकि डीईएम केंद्र के लिए 22 नर्सिंग अर्दली और ग्रुप डी सेवाएं प्रदान करने का कार्य अगस्त 2014 में मैसर्स एचएलएल को सौंपा गया था), जो अक्टूबर 2013 से लागू न्यूनतम मजदूरी के अनुसार था। इस अनुबंध को 15 मार्च 2016 तक विस्तृत दिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित न्यूनतम मजदूरी की संशोधित दर के अनुसार मजदूरी का भुगतान न किए जाने के मुद्दे पर अस्पताल और विक्रेता मैसर्स एसएसएसपीएल के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। विक्रेता मैसर्स एसएसएसपीएल ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए जीटीबी अस्पताल के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मध्यस्थता याचिका दायर की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक एकल नियुक्त किया (29 मई 2015), जिसने दोनों पक्षों के दावों को सुनने और अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात, अस्पताल के विरुद्ध 14 दिसंबर 2017 को 18 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित समय-समय पर अनुमोदित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार उच्च/संशोधित दर के साथ मजदूरी के भुगतान के लिए आदेश दिया। आदेश के अनुसार अस्पताल को मूल राशि के रूप में ₹ 4.18 करोड़ और ब्याज के रूप में ₹ 1.74 करोड़ का भुगतान करना था। जीटीबी अस्पताल ने न तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (3) के अनुसार मध्यस्थ के आदेश को चुनौती दी और न ही 120 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान किया। परिणामस्वरूप, विक्रेता मैसर्स एसएसएसपीएल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक निष्पादन याचिका दायर की, जिसके परिणामस्वरूप, (31 अगस्त 2022) जीटीबी अस्पताल को संविदाकार मैसर्स एसएसएसपीएल को ₹ 2.49 करोड़[13] के ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। इस प्रकार,

[13] प्रदान किए गए ब्याज और मूल राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज के रूप में ₹ 74.23 लाख के विरुद्ध ₹ 174.40 लाख का ब्याज।

₹ 4.18 करोड़ की मूल राशि के अतिरिक्त, अस्पताल को ₹ 1.93 करोड़ का भुगतान करना पड़ा, जिसमें मूल राशि[14] के विलंबित भुगतान, प्रदान किए गए ब्याज[15] के भुगतान और मध्यस्थता[16] की लागत सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त, ₹ 65.79 लाख का भुगतान दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित था।

इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण संविदा जो संविदाकार पर एक वर्ष के पश्चात भी एकमुश्त राशि के लिए काम करना जारी रखने और न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का भार वहन करने (अप्रैल 2014, अक्टूबर 2014, अप्रैल 2015 और अक्टूबर 2015 में) और ईएसआई, ईपीएफ, आदि जैसे अन्य वैधानिक दायित्वों और इसके अतिरिक्त न्यूनतम बोली स्वीकार करने के लिए एचएनएफडब्ल्यू का निर्देश, जीटीबी अस्पताल की क्रय समिति द्वारा यह जानकारी दिए जाने के बावजूद कि वर्ष में दो बार न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि को देखते हुए उद्धृत दरें अलाभकारी थीं, जिसके परिणामस्वरूप संविदाकार के साथ विवाद हुआ और न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ और इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.93 करोड़ के ब्याज और मुकदमेबाजी शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ।

मामला विभाग को भेजा गया (अक्टूबर 2024), उत्तर की प्रतीक्षित है (दिसंबर 2024)।

उद्योग विभाग

दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी)

2.5 ₹ 29.45 करोड़ का निष्फल व्यय

डीएसआईआईडीसी ने ग्रामीण विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. से रत्न और आभूषण पार्क और फैशन डिजाइन हब स्थापित करने के लिए बापरोला में 137.63 एकड़ भूमि पर 99 वर्षों के लिए पट्टा अधिकार प्राप्त किए (दिसंबर 2006)। भूमि के आबंटन के 18 वर्ष बीत जाने के बावजूद, आबंटित भूमि के 59 *प्रतिशत* (81.42 एकड़) के इच्छित/परिकल्पित उपयोग में अनिर्णय

[14] ₹ 72.07 लाख

[15] ₹ 1.11 करोड़

[16] ₹ 10.50 लाख

निरंतर परिवर्तन के परिणामस्वरूप ₹ 29.45 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, डीएसआईआईडीसी ने आबंटित भूमि के लंबित वार्षिक भू-किराए के रूप में ₹ 15.79 करोड़ की अभुक्त देयता बनी।

दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) ने 13,763 एकड़ भूमि का अधिग्रहण (दिसंबर, 2006) ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी), रा.रा.क्षे.दि.स. से रत्न एवं आभूषण पार्क और फैशन डिजाइन हब की स्थापना के लिए बापरोला, दिल्ली में 99 वर्षों के लिए पट्टे के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त, डीएसआईआईडीसी ने आरडीडी को पहले वर्ष के लिए भूमि की लागत और वार्षिक भू-किराए के रूप में ₹ 38.09 करोड़[17] की राशि का भुगतान किया (जनवरी, 2007)।

अप्रैल 2019 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए डीएसआईआईडीसी के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि डीएसआईआईडीसी ने बापरोला में कुल 137.63 एकड़ भूमि में से केवल 56.21 एकड़[18] भूमि का उपयोग किया और आबंटन के 17 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद 81.42[19] एकड़ भूमि (59 *प्रतिशत*) का उपयोग करने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि शेष भूमि का उपयोग कैसे किया जाए, इस बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था क्योंकि समय बीतने के साथ परियोजनाओं/योजनाओं के प्रस्तावित विकास के संबंध में निर्णय में बार-बार परिवर्तन होते रहे थे। सितंबर 2010 में, विकासक से अब तक प्रतिक्रिया के अभाव के कारण, मुख्यमंत्री के अनुमोदन से रत्न और आभूषण पार्क और फैशन डिजाइन हब के लिए परिकल्पित उपयोग को ज्ञान आधारित औद्योगिक (केबीआई) पार्क में बदलने का निर्णय लिया गया। मैसर्स सीबीआरई साउथ एशिया (एजेंसी) ने मार्च, 2012 की अपने प्रतिवेदन में केबीआई पार्क परियोजना को वित्तीय रूप से व्यवहार्य पाया। तथापि, यह परियोजना दिसंबर 2018 तक योजना के चरण में रही। इसके अतिरिक्त, एजेंसी ने सिफारिश की कि 2019-20

---

[17] भूमि प्रीमियम के लिए ₹ 37.16 करोड़ + भूमि किराया के लिए ₹ 0.93 करोड़ @ पहले वर्ष के लिए भूमि मूल्य का 2.5% = ₹ 38.09 करोड़।

[18] (ख) फरवरी, 2013 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) योजना के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस आवास के लिए एक योजना शुरू की गई

[19] 137.63 एकड़ - 56.21 एकड़ = 81.42 एकड़

के बाजार परिदृश्य के अनुसार बापरोला में केबीआई पार्क व्यवहार्य नहीं होगा। उद्योग मंत्री ने केबीआई पार्क परियोजना को छोड़ने का निर्णय लिया (अगस्त 2019) और इसके स्थान पर बापरोला में भूमि पर दुकान सह कार्यालय और फ्लैटेड कारखानों को विकसित करने का निर्णय लिया। तथापि, इस निर्णय को भी लागू नहीं किया गया और रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपने रोजगार बजट 2022-23 में बापरोला में उपलब्ध औद्योगिक भूमि पार्सल पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने का निर्णय लिया। नवंबर 2024 तक, इस मामले में कोई और प्रगति नहीं हुई क्योंकि दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन, विनिर्माण और नवीनीकरण नीति 2024-29 अभी भी रा.रा.क्षे.दि.स. के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही थी।

इस प्रकार, अनिर्णय और बापरोला में औद्योगिक भूमि पार्सल के लक्षित/परिकल्पित उपयोग में लगातार परिवर्तन के कारण, 81.42 एकड़ भूमि 17 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अप्रयुक्त रही और ₹ 29.45 करोड़ का भुगतान भी किया गया। चूंकि, डीएसआईआईडीसी ने दिसंबर 2007 से दिसंबर 2024 तक की अवधि के लिए भूमि किराए का भुगतान नहीं किया था, इसलिए इससे ₹ 15.79 करोड़[20] की अभुक्त देयता बनी, जिसके कारण आरडीडी, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा ब्याज और जुर्माना लगाया जा सकता है, जिससे डीएसआईआईडीसी पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ सकता है।

अपने उत्तर में, डीएसआईआईडीसी ने कहा (मार्च 2025) कि परियोजनाओं/ योजनाओं के संबंध में निर्णय में परिवर्तन, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और भारत सरकार के अनुमोदन और नीति के अनुसार है, के परिणामस्वरूप परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हुआ। डीएसआईआईडीसी ने आगे कहा कि वह रोजगार बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार परियोजना/ योजना को लागू करने की प्रक्रिया में है और भूखंडों/कार्य स्थलों का बिक्री मूल्य तय करते समय डीएसआईआईडीसी द्वारा वहन किए गए व्यय को ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए, परियोजना के मूर्त रूप लेने के पश्चात डीएसआईआईडीसी पर कोई वित्तीय हानि/भार नहीं होगा।

[20] ₹ 92.90 लाख x 17 वर्ष = ₹ 15.79 करोड़

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पट्टे पर रखी गई भूमि का लाभकारी उपयोग करने के लिए निगम की ओर से अनिर्णय और सक्रियता के अभाव ने पिछले 17 वर्षों में रा.रा.क्षे.दि.स. उद्योगों और संबंधित रोजगार की वृद्धि और विकास के अपेक्षित लाभ सहित पर्याप्त निधियों की अवरोध से भी वंचित कर दिया है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

2.6 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा ई-खरीद प्रणाली के कार्यान्वयन पर अनुपालन लेखापरीक्षा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से खुली, गैर-भेदभावपूर्ण और कुशल सरकारी खरीद प्राप्त करने के उद्देश्य से मई, 2011 में एनआईसी की ई-खरीद प्रणाली को अपनाया था। यह पाया गया कि 1185 निविदाओं को मैनुअल से जारी करने के अतिरिक्त, मॉड्यूल की कुछ प्रमुख विशेषताएं पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं थीं। ई-खरीद पोर्टल में ईएमडी पेमेंट गेटवे का एकीकरण न होने के कारण बयाना राशि जमा को मैनुअल ऑफ़लाइन एकत्र किया गया था। निविदाओं के तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन में हस्तक्षेप और मॉड्यूल में व्यावसायिक नियमों की मानचित्रीकरण नहीं देखी गई, जो डिजाइन स्तर नियंत्रण की निर्बलता और प्रणाली में उचित सत्यापन नियंत्रण के अभाव को दर्शाता है।

डाटा विश्लेषण से पता चला है कि कुल 50,903 पंजीकृत बोलीदाताओं में से, प्रणाली ने अनिवार्य पैन नंबर के बिना 66 बोलीदाताओं के पंजीकरण की अनुमति दी, जिनमें से 12 बोलीदाताओं ने 28 वैध बोलियों में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, ₹ 530.25 करोड़ के निविदा मूल्य वाली 45 निविदाओं में, बोलीदाताओं ने उसी निविदा में सामान्य पैन बोली के साथ पंजीकरण किया, जिससे बोलीदाताओं के बीच दुरभिसंधि का संदेह पैदा हुआ। इसी प्रकार, 12,283 बोलीदाताओं ने केवल 5,658 ईमेल आईडी का उपयोग किया, जो दर्शाता है कि प्रणाली ने एक ही ईमेल आईडी के साथ कई बोलीदाताओं के पंजीकरण की अनुमति दी थी। विशेष रूप से, 38 निविदाओं (₹ 2.52 करोड़ के निविदा मूल्य के साथ) में, सभी बोलियां एक ही ईमेल आईडी के साथ पंजीकृत बोलीदाताओं द्वारा रखी गई थीं, जो संदिग्ध प्रतिपत्री बोली का संकेत

देती थीं। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि अमान्य/समान मोबाइल नंबर के साथ पंजीकृत विभागीय प्रयोक्ता और बोलीदाताओं में इनपुट सत्यापन नियंत्रण के अभाव को दर्शाता है। डाटा विश्लेषण से पता चला कि ₹ 3,217.44 करोड़ के निविदा मूल्य वाली 7,181 निविदाओं से संबंधित 14,527 वैध बोलियों के मामले में, बोलीदाताओं ने विभागीय उपयोगकर्ताओं और बोलीदाताओं के बीच हितों के टकराव का संकेत देते हुए एक ही आईपी पते का उपयोग किया। लेखापरीक्षा के दौरान जन्म तिथि के विवरण के बिना पंजीकरण, विभागीय उपयोगकर्ताओं द्वारा सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रणाली में लॉग इन करने, बोलीदाताओं का अनुचित पंजीकरण, अमान्य डीएससी के साथ दस्तावेजों को अपलोड करने और तकनीकी मूल्यांकन से पूर्व वित्तीय पैकेटों को डिक्रिप्ट करने के मामले भी देखे गए।

लेखापरीक्षा में प्रणाली की डाटा संपूर्णता पर आश्वासन प्रदान करने के लिए विभाग के नियंत्रण तंत्र में कमियां देखी गईं। यह पता चला कि 1,54,586 निविदाओं में से केवल 5363 निविदाओं (3.47 *प्रतिशत*) में ₹ 3,254.68 करोड़ के निविदा मूल्य का संविदा विवरण था। प्रणाली में केवल लगभग 34 *प्रतिशत* निविदाओं के वित्तीय मूल्यांकन विवरण का अद्यतन करना, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की 497 निविदाओं की त्रुटिपूर्ण मैपिंग, जिसमें ₹ 1,106.04 करोड़ का निविदा मूल्य है, गलत टीआईए के विरूद्ध, निविदा मूल्यांकन के दौरान अप्रासंगिक और अपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना आदि भी लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान अपर्याप्त अंतर्निहित नियंत्रण तंत्र को दर्शाते हुए देखा गया।

2.6.1 परिचय

एनआईसी[21] की ई-खरीद प्रणाली को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना के रूप में शुरू किया गया था (अप्रैल 2011) और अप्रैल 2011 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा शुरू किए गए एप्लिकेशन का उद्देश्य पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से खुली, गैर-भेदभावपूर्ण और कुशल सरकारी खरीद प्राप्त करना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) ने मई 2011 में इस एप्लिकेशन को अपनाया और इसे लागू करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीओआईटी) के अंतर्गत

[21] एनआईसी की सरकारी ई-खरीद प्रणाली (जीईपीएनआईसी)

दिल्ली ई-गवर्नेंस सोसाइटी (डीईजी) को परियोजना की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी गठित की गई।

ई-खरीद प्रणाली (प्रणाली) के कार्यप्रवाह के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रणाली में उपयोगकर्ताओं[22] के पंजीकरण की आवश्यकता होती है। प्रणाली का कार्यप्रवाह **चार्ट 2.6.1** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.6.1: ई-खरीद प्रणाली का कार्यप्रवाह

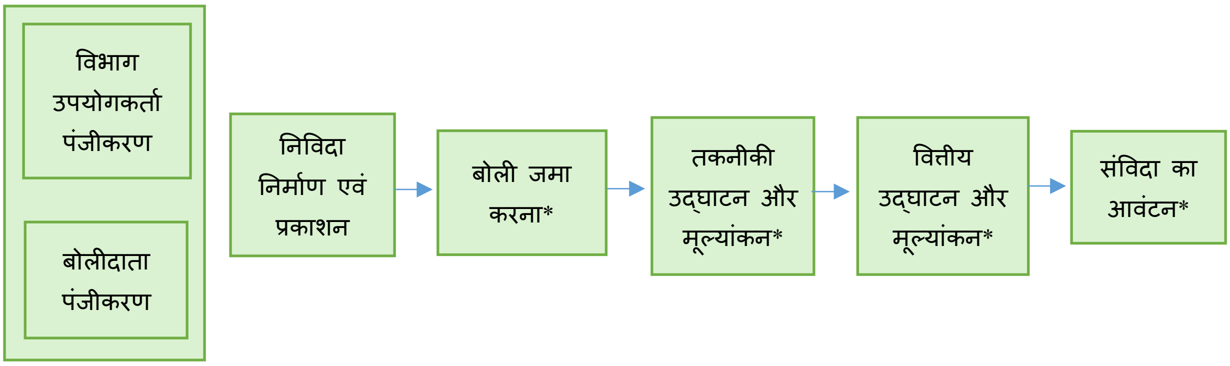

* ***ईएमडी प्रस्तुतीकरण*** (बोली प्रस्तुत करने के भाग के रूप में) ऑफ़लाइन था। ***तकनीकी मूल्यांकन*** और ***संविदा आबंटन (एओसी)*** प्रणाली के बाहर मैन्युअल रूप से किया जा रहा है और मूल्यांकन के पश्चात परिणाम प्रणाली पर अपलोड किए जाते हैं। सामान्य तौर पर, ***वित्तीय मूल्यांकन*** प्रणाली द्वारा किया जा रहा है, प्रस्तुत बोली मूल्य के आधार पर रैंक का सृजन किया जा रहा है, तथापि, टीआईए (निविदा आमंत्रण प्राधिकरण) द्वारा मैनुअल वित्तीय मूल्यांकन हैं।

प्रणाली के कार्यप्रवाह को विभिन्न प्रक्रिया प्रवाह मॉड्यूल[23] को सम्मिलित करते हुए खरीद एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। यह देखा गया कि 2017-18 से 4 मई 2023 तक, ई-खरीद प्रणाली द्वारा ₹ 1,01,098.67 करोड़ मूल्य की कुल 1,54,586 निविदाएं प्रकाशित हुईं।

लेखापरीक्षा अवधि के लिए निविदाओं की वर्षवार संख्या और निविदा मूल्य नीचे **चार्ट 2.6.2** में दर्शाया गया है।

[22] विभाग के उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ बोलीदाता।

[23] पंजीकरण मॉड्यूल, निविदा का प्रकाशन, बोली प्रस्तुत करना, निविदा खोलना, तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय बोली खोलना, वित्तीय मूल्यांकन और संविदा प्रदान करना।

चार्ट 2.6.2: प्रकाशित निविदाओं की संख्या और निविदा मूल्य

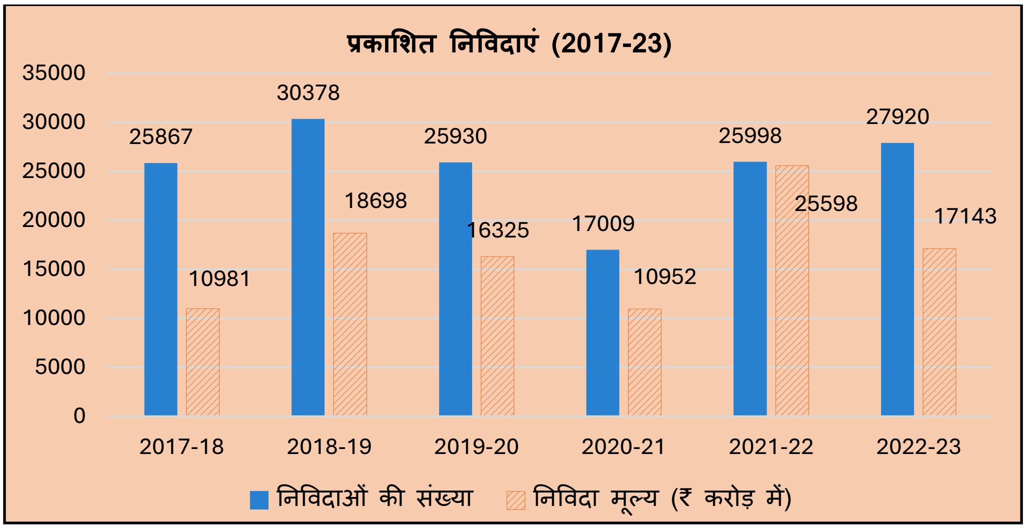

स्रोत: ई-खरीद प्रणाली का डाटा

दिल्ली ई-गवर्नेंस सोसायटी एनआईसी (जीईपीएनआईसी) की सरकारी ई-खरीद प्रणाली के कार्यान्वयन से संबंधित व्यय को बोलीदाताओं से प्राप्त पंजीकरण शुल्कों[24] के माध्यम से सृजित निधियों से पूरा करती है। डीओआईटी ने बजट, व्यय और पंजीकरण शुल्क का पूरा विवरण प्रस्तुत नहीं किया।

मई 2011 से जनवरी 2015 तक की अवधि को शामिल करते हुए रा.रा.क्षे.दि.स. की ई-खरीद प्रणाली के कामकाज को मार्च 2015 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया था।

2.6.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

2017-18 से 2022-23 तक की अवधि को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए की गई थी क्या:

ए) प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ई-खरीद प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू और कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया है।

बी) व्यावसायिक नियमों को प्रणाली में पर्याप्त रूप से मैपिंग की गई है।

[24] डीओआईटी द्वारा ₹ 7,000 का पंजीकरण शुल्क तय किया गया (फरवरी 2012)।

सी) प्रणाली में डाटा की पूर्णता, सत्यता और विश्वसनीयता को बनाए रखा गया था और यह मूल्यांकन करने के लिए कि प्रणाली में पर्याप्त नियंत्रण बनाए गए हैं या नहीं।

डाटाबेस के विश्लेषण के अतिरिक्त, नमूना सत्यापन के लिए निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरणों (टीआईए) **(अनुलग्नक 2.5)** की 300 निविदाओं **(अनुलग्नक 2.4)** का चयन किया गया था। ई-खरीद पोर्टल से दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र किए गए और डाटाबेस का विश्लेषण एसक्यूएल और एक्सेल का उपयोग करके किया गया।

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंड, कार्यक्षेत्र, नमूना और लेखापरीक्षा की पद्धति को 9 अक्टूबर 2023 को आयोजित एक प्रविष्टि सम्मेलन के माध्यम से रा.रा.क्षे.दि.स. के साथ साझा किया गया था। प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि करने के लिए प्रतिवेदन का मसौदा सरकार को जारी की गई थी (फरवरी 2025)। सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है (जुलाई 2025)। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए मार्च 2025 में हितधारकों के साथ एक निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया था। ई-खरीद प्रणाली के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों को आगामी पैराग्राफों में विस्तार से बताया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.6.3. ई-खरीद प्रणाली का कार्यान्वयन

रा.रा.क्षे.दि.स. के सभी विभागों में 1 मई 2011 से ₹ दो लाख से अधिक की सभी वस्तुओं, सेवाओं, कार्यों आदि की खरीद के लिए ई-खरीद प्रणाली को लागू करना अनिवार्य कर दिया गया। ई-खरीद का उद्देश्य निविदा चरणों जैसे निविदाओं का प्रकाशन, बोली, तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन और संविदा का अबंटन करना आदि को स्वचालित करना था। तथापि, यह देखा गया कि चयनित टीआईए द्वारा मैन्युअल रूप से निविदाएं जारी करने के अतिरिक्त, मॉड्यूल की कुछ प्रमुख विशेषताएं प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने वाले वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से कार्यात्मक नहीं थीं, जैसा कि नीचे विस्तार से दिया गया है:

- **ऑफलाइन ईएमडी प्रस्तुतीकरण**: यह देखा गया कि बयाना जमा राशि (ईएमडी) ऑफ़लाइन एकत्र किया गया था और ईएमडी भुगतान गेटवे को ई-खरीद पोर्टल में एकीकृत नहीं किया गया था। इससे सभी टीआईए द्वारा ई-खरीद प्रणाली के बाहर ईएमडी का ऑफ़लाइन संग्रह हुआ, जो डिजाइन स्तर नियंत्रण की कमजोरी का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन ईएमडी भुगतान गेटवे के गैर-एकीकरण से चयनात्मक बोली अयोग्यता और विलंबित प्रतिदाय का जोखिम होता है, जो अंततः ई-खरीद में प्रक्रिया सत्यता के सिद्धांत को विफल करता है। निर्गम सम्मेलन में, सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि ई-खरीद पोर्टल में ऑनलाइन ईएमडी संग्रह के लिए भुगतान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसे थोड़े समय के भीतर समाविष्ट किया जाएगा।
- **तकनीकी मूल्यांकन में मैनुअल हस्तक्षेप**: बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को डाउनलोड करके और उसके पश्चात मूल्यांकन परिणामों को प्रणाली पर अपलोड करके टीआईए द्वारा तकनीकी बोली मूल्यांकन मैन्युअल रूप से किया गया था। डिज़ाइन स्तर नियंत्रण में कमी होने के अतिरिक्त, इसमें चयनात्मक बोली को अयोग्य घोषित करने का जोखिम भी होता है।
- **प्रणाली के बाहर जारी निविदाएं:** जहां 2300 निविदाएं ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से प्रकाशित की गई थीं, तीन चयनित टीआईए द्वारा 2017-18 से 2022-23 के दौरान 1185[25] निविदाएं मैन्युअल रूप से जारी की गई थीं। इस प्रकार, कुल निविदा मूल्य ₹ 524.74 करोड़[26] की 34 *प्रतिशत* निविदाएं ई-खरीद पोर्टल पर प्रकाशित नहीं की गई थीं। डीओआईटी के निर्देशों का उल्लंघन करने के अतिरिक्त, इसने प्रक्रिया में मैनुअल हस्तक्षेप को समाप्त करने और प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य को विफल कर दिया।
    - दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) और मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम)/मूल उपकरण

[25] 1185 = 146 (डीटीएल) + 1008 (पीपीसीएल) + 31 (डीटीआईडीसी)

[26] डीटीआईडीसी का निविदा मूल्य प्रदान नहीं किया गया

निर्माताओं से संबंधित अधिकृत आपूर्तिकर्ता ₹ 238.89 करोड़ मूल्य की 146 ऑफलाइन निविदाएं जारी कीं। डीटीएल ने कहा (मई 2025) कि आईसीबी की प्रकृति की जटिलता और संभावित बोलीदाताओं के पंजीकरण न होने के कारण आईसीबी निविदाओं में ऑफ़लाइन निविदा पद्धति अपनाई गई थी। इसके अतिरिक्त, डीटीएल ने कहा कि ओईएम मामलों में, बोलीदाताओं के पंजीकरण न होने के कारण ऑफलाइन निविदा की जाती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोलीदाताओं के पंजीकरण के पश्चात ई-खरीद प्रणाली के माध्यम से निविदा की जा सकती थी।

- दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डीटीआईडीसी) ने दुकानों के लाइसेंस से संबंधित सभी 31 निविदाएं ऑफलाइन जारी की थीं। अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2024), निगम ने आश्वासन दिया कि इन निविदाओं के पश्चात, सभी निविदाएं ई-खरीद पोर्टल पर जारी की जा रही थीं।
- ₹ 285.85 करोड़ मूल्य की सभी 1008 एकल निविदा पूछताछ इंद्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड- प्रगति पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीजीसी) द्वारा मैन्युअल रूप से की गई थी। आईपीजीसी ने कहा (मार्च 2024) कि एकल निविदाएं जिनमें बोली केवल एक विक्रेता द्वारा प्रस्तुत की जानी थी, निदेशक मंडल (बीओडी) के निर्णय के अनुसार मैन्युअल रूप से की गई थीं। तथापि, बीओडी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए है और इसलिए उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बीओडी का निर्णय सरकार के आदेशों को रद्द नहीं कर सकता है।

- **पीडीएफ प्रारूप में बीओक्यू की मांग और वित्तीय मूल्यांकन में मैनुअल हस्तक्षेप:** 1,54,586 प्रकाशित निविदाओं के विश्लेषण से पता चला है कि मूल्यांकन के लिए एक्सेल प्रारूप में बीओक्यू टेम्पलेट के माध्यम से वित्तीय बोली लगाने के लिए एक समर्पित मॉड्यूल होने के बावजूद, टीआईए ने ऑनलाइन वित्तीय मूल्यांकन को दरकिनार करते हुए 1,743 निविदाओं (1.13 *प्रतिशत)* निविदा मूल्य ₹ 2,783.34 करोड़ के मामलों में पीडीएफ

प्रारूप में बोलियां मांगी हैं। इसका अर्थ था कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में उचित सत्यापन नियंत्रण का अभाव था कि टीआईए द्वारा आवश्यक प्रारूप में बोलियां मांगी जाती हैं। इससे प्रणाली के बाहर, मैन्युअल रूप से किए गए गलत वित्तीय मूल्यांकन का जोखिम भी पैदा होता है - जिससे दुरभिसंधि की संभावना बढ़ जाती है। दो टीआईएकी तीन निविदाओं (डीटीटीडीसी में एक निविदा और कला कॉलेज में दो निविदाएं) में नमूना सत्यापन के दौरान भी इसकी पुष्टि की गई थी।

- **वित्तीय मूल्यांकन में व्यावसायिक नियमों की गैर-मैपिंग और मैनुअल हस्तक्षेप:** दो निविदाओं[27] में, टीआईए मॉड्यूल की वित्तीय मूल्यांकन प्रणाली में सम्मिलित नहीं किए गए अपने व्यावसायिक नियमों के आधार पर मैन्युअल रूप से बोली रैंक बदल दी, और एल 2 बोलीदाताओं को संविदा प्रदान किए, जो डिजाइन स्तर नियंत्रण कमजोरी को दर्शाता है।
- **प्रणाली के बाहर बोली सूचना की आवश्यकता:** उपराज्यपाल (एलजी) सचिवालय के एक निविदा[28] (₹ 8.50 लाख मूल्य) में, एक खंड के अंतर्गत सभी बोलीदाताओं को संपर्क विवरण के साथ बोली प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के बारे में सचिवालय को ईमेल द्वारा सूचित करने की आवश्यकता थी, जिसमें विफल रहने पर बोली को अस्वीकार किया जा सकता है। पोर्टल के बाहर बोलियों की सूचना के ऐसे खंड मैनुअल हस्तक्षेप का कारण बन सकते हैं और निविदा प्रक्रिया को निष्फल कर सकते हैं।
- **बोली खोलने की तिथि के पश्चात ईएमडी की स्वीकृति:** डीटीटीडीसी में, ₹ 70 लाख मूल्य की निविदा के मामले में, 10 जनवरी 2020 को बोलीदाता से ₹ 3.50 लाख का ईएमडी प्राप्त हुआ था, जो बोली खोलने की तिथि अर्थात 2 जनवरी 2020 से आठ दिन पश्चात था। एनआईटी के अनुसार बोली खोलने की तिथि के पश्चात ईएमडी की स्वीकृति अनियमित थी, जो डिजाइन स्तर नियंत्रण कमजोरी को दर्शाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईएमडी संग्रह ऑफ़लाइन था।

[27] डीएसईयू और एससीईआरटी के प्रत्येक निविदा के लिए क्रमशः ₹ 7.96 करोड़ और ₹ 19.50 लाख मूल्य के साथ प्रदान किए गए।

[28] टेंडर आईडी 2022_एलजीएस_226876_1

- **बोलीदाताओं की गलत अयोग्यता:** पीडब्ल्यूडी[29] द्वारा जारी ₹ 40 लाख मूल्य की एक निविदा में, सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद दो बोलीदाताओं को गलत तरीके से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

- **जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान नहीं करने वाले बोलीदाता को संविदा का अनियमित आबंटन**: ₹ 13.53 लाख के निविदा मूल्य वाले पीडब्ल्यूडी[30] की एक अन्य निविदा में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिस बोलीदाता को संविदा दिया गया था, उसने जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया।

- **अपर्याप्त वैधता के साथ बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता को संविदा का अनियमित आबंटन:** जीएफआर 2017 के नियम 170 (i) में बोली की वैधता अवधि से 45 दिनों के पश्चात भी बोली प्रतिभूति को वैध रहने का आदेश दिया गया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 19.45 लाख की निविदा[31] में, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2019 थी। तथापि, बोलीदाताओं में से एक ने 3 दिसंबर 2019 को एफडीआर के रूप में ईएमडी प्रस्तुत की, जिसकी वैधता अवधि 30 दिनों थी अर्थात 2 जनवरी 2020 तक। इसलिए, बोली को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था और बोलीदाता को संविदा का आबंटन अनियमित था।

- **पोर्टल का उपयोगकर्ता अनुभव:** पोर्टल के वेबपेज में पोर्टल के सभी ओर नेविगेट करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन करने वाला कोई खंड नहीं है। यह किसी भी नए बोलीदाताओं/विभागीय उपयोगकर्ताओं के लिए एक चुनौती होगी और इस प्रणाली की उपयोगिता में अनुकूलता होने को उस हद तक कम कर देगी।

इस प्रकार, बोलीदाताओं के साथ मैनुअल हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए निविदा प्रक्रिया को पूर्ण रूप से ऑनलाइन बनाने के लिए डिज़ाइन की गई प्रणाली पारदर्शी नहीं थी और टीआईए द्वारा इसे दरकिनार कर दिया गया था।

---

[29] पीडब्ल्यूडी के एम-411 डिवीजन की निविदा आईडी 2022_पीडब्ल्यूडी_218817_1

[30] पीडब्ल्यूडी के एम-453 डिवीजन की निविदा 2017_पीड़ब्ल्यूडी_133186_1

[31] निविदा आईडी 2019_डीपीजीएस_184681_1

यह आंशिक रूप से कार्यात्मक था जिसके लिए टीआईए की आवश्यकता के अनुसार मॉड्यूल को अनुकूलित करने की आवश्यकता थी।

इन मुद्दों के बारे में सरकार को सूचित किया गया (फरवरी 2025), उत्तर प्रतीक्षित है।

सिफारिशें:

2.6.1 सभी मॉड्यूल को सभी विभागों की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक अनुकूलन के साथ प्रणाली के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए निर्दिष्ट समय अवधि में कार्यात्मक किया जाना चाहिए।

2.6.2 विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टीआईए केवल ई-खरीद प्रणाली पर अवसीमा से ऊपर की निविदाएं जारी करें।

2.6.3 इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीओआईटी) के भीतर दिल्ली ई-गवर्नेंस सोसाइटी (डीईजीएस) को सभी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के उपयोग के संबंध में वित्त विभाग की निगरानी और रिपोर्ट करनी चाहिए।

2.6.4 ई-खरीद प्रणाली में व्यावसायिक नियमों की मैपिंग

ई-खरीद प्रणाली में लेनदेन की सटीकता, पूर्णता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक नियमों की मैपिंग आवश्यक है, क्योंकि यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत खरीद प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट नियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं की पहचान और प्रलेखन की सुविधा प्रदान करता है।

ई-खरीद प्रणाली में बोलीदाताओं को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पंजीकरण के लिए एक वैध स्थाई खाता संख्या (पैन), मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी आदि प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रणाली में व्यावसायिक नियमों जैसे नियम, प्रक्रियाएं और सत्यापन जांच आदि की मैपिंग का अभाव है, जैसा कि आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

(i) मॉड्यूल में विशिष्ट फ़ील्ड 'पैन' के लिए सत्यापन का अभाव

- डाटा के विश्लेषण से पता चला कि प्रणाली ने अनिवार्य पैन नंबर के बिना 66 बोलीदाताओं (कुल 50,903 पंजीकृत बोलीदाताओं[32] में से) के

[32] 'पंजीकृत' और 'डीएससी पंजीकृत' उपयोगकर्ता

पंजीकरण की अनुमति दी, जिनमें से 12 बोलीदाताओं ने 28 वैध बोलियों में भाग लिया। इनमें से, प्रणाली में ₹ 1.04 करोड़ के मूल्य की 5 बोलियों का डाटा था। यह प्रणाली में उपयोगकर्ता पंजीकरण के दौरान 'पैन नंबर' पर इनपुट सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति और पैन सत्यापित बोलीदाताओं द्वारा बोली प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नियंत्रण को उजागर करता है। इस तरह की नियंत्रण कमजोरी बोलीदाता मास्टर डाटा की सत्यता से समझौता करती है। एनआईसी ने मई 2024 में अपने उत्तर में कहा कि विदेशी बोलीदाताओं और उत्तर-पूर्वी राज्यों के कुछ बोलीदाताओं के पास पैन नहीं है, इसलिए प्रणाली पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान पैन प्रस्तुत करने को लागू नहीं करता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 29 भारतीय बोलीदाताओं के मामले में भी पैन उपलब्ध नहीं था। पूर्वोत्तर राज्यों के बोलीदाताओं के संबंध में, पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पैन अनिवार्य है।

- डाटा विश्लेषण से पता चला है कि 146 पैन वाले बोलीदाताओं के पास आयकर विभाग[33] द्वारा निर्दिष्ट वैध विशेषताओं से मेल नहीं खाते थे। इनमें से 142 बोलीदाताओं को प्रणाली में पंजीकृत दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त, इनमें से 15 बोलीदाताओं ने 191 बोलियों[34] में भाग लिया। इन 191 बोलियों में से, प्रणाली में ₹ 41.85 करोड़ के बोली मूल्य वाली 170 बोलियों के लिए बोली मूल्य डाटा था। इसका तात्पर्य यह था कि प्रणाली में उपयोगकर्ता पंजीकरण के दौरान 'पैन नंबर' पर इनपुट सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति दिखाते हुए अमान्य पैन के साथ बोलीदाताओं के पंजीकरण की अनुमति दी गई थी। एनआईसी ने कहा (मई 2024) कि कमी को दूर कर दिया गया है। तथापि, अनुपालन की तिथि, अपनाई गई प्रक्रिया और प्रणाली में किए गए सुधारों को सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया था।
- डाटा विश्लेषण से पता चला है कि पंजीकरण के दौरान कई बोलीदाताओं (24,385 बोलीदाताओं) द्वारा 9,314 पैन नंबरों का उपयोग किया गया

[33] एक वैध पैन नंबर का चौथा वर्ण निम्नलिखित वर्णों में से कोई एक होना चाहिए: 'टी', 'एफ', 'एच', 'पी', 'सी', 'ए', 'बी', 'जी', 'जे', 'एल'

[34] 1 अप्रैल 2017 से 4 मई 2023 के बीच

था। इनमें से 2,062 बोलीदाताओं ने 951 पैन नंबरों का उपयोग करके बोली में भाग लिया। यह प्रणाली में पंजीकरण के दौरान विशिष्ट उपयोगकर्ता के लिए मैपिंग किए गए विशिष्ट 'पैन नंबर' को सुनिश्चित करने के लिए इनपुट सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति के कारण था। इस समस्या पर, एनआईसी ने कहा (मई 2024) कि एक ही पैन/टैन का उपयोग एक ही कंपनी की विभिन्न शाखाओं द्वारा किया जा सकता है। इसलिए, प्रणाली डुप्लिकेट पैन नंबर को बाहर करने में सक्षम नहीं हो सकता है, और यह एक व्यावसायिक आवश्यकता थी। एनआईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 4,234 मामलों (45 *प्रतिशत*) में पैन व्यक्तियों का था न कि कंपनियों/फर्मों का।

जीएफआर का नियम 175 (1) (i) (सी) किसी भी दुरभिसंधि, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार को प्रतिबंधित करता है जो पारदर्शिता, निष्पक्षता और खरीद प्रक्रिया की प्रगति को बाधित कर सकता है। डाटा विश्लेषण से पता चला है कि ₹ 530.25 करोड़ के निविदा मूल्य वाली 45 निविदाओं में, बोलीदाताओं ने उसी निविदा में सामान्य पैन बोली के साथ पंजीकरण किया। इन 45 निविदाओं में 94 बोलीदाताओं ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, 15 निविदाओं (₹ 80.45 लाख मूल्य की) में सभी बोलियां एक ही पैन के साथ पंजीकृत बोलीदाताओं से प्राप्त की गई थीं। यह एक ही निविदा में एक ही पैन बोली के साथ बोलीदाताओं के बीच दुरभिसंधि का संकेत देता है। इस प्रकार, यह प्रणाली न केवल एक ही पैन रखने वाले कई उपयोगकर्ताओं को प्रणाली में पंजीकरण करने से प्रतिबंधित करने में विफल रही, बल्कि ऐसे बोलीदाताओं को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति भी दी। यह प्रणाली में इनपुट सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति सहित प्रणाली में प्रसंस्करण नियंत्रण की अनुपस्थिति के कारण था।

(ii) समान ईमेल आईडी का उपयोग

डाटा विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि 12,283 बोलीदाताओं ने केवल 5,658 ईमेल आईडी का उपयोग किया, जो संकेत देता है कि प्रणाली ने एक ही ईमेल आईडी **(अनुलग्नक 2.6)** के साथ कई बोलीदाताओं के पंजीकरण की अनुमति दी थी। यह प्रणाली में उपयोगकर्ता पंजीकरण के दौरान 'ईमेल आईडी'

पर इनपुट सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति के कारण था, जो विशिष्टता सुनिश्चित करता था और बोलीदाता मास्टर डाटा की सत्यता से भी समझौता करता था। एनआईसी ने कहा (अक्टूबर 2024) कि प्रशासनिक सुविधा के लिए कुछ निगम/कंपनियां कई स्थानों पर काम करती हैं और एक ही ईमेल का उपयोग करना पसंद करती हैं, परंतु विभिन्न स्थानों/विभिन्न कर्मचारियों के लिए विभिन्न उपयोगकर्ता आईडी के साथ इसके लिए बोली लगाती हैं। एनआईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 12,283 बोलीदाताओं में से एक ही ई-मेल आईडी 5274 (43 *प्रतिशत*) व्यक्तिगत बोलीदाताओं से संबंधित थी, न कि कंपनियों/फर्मों से संबंधित और अभी भी कई पंजीकरण थे।

- डाटा विश्लेषण से पता चला है कि 35 ईमेल आईडी विभागीय उपयोगकर्ताओं तथा बोलीदाताओं दोनों के लिए पंजीकृत किए गए थे। इनमें से 3 ईमेल आईडी का उपयोग बोलीदाताओं और विभागीय उपयोगकर्ताओं द्वारा एक ही निविदा में किया गया था। यह प्रणाली में उपयोगकर्ता पंजीकरण के दौरान ई-मेल आईडी पर इनपुट सत्यापन नियंत्रण के अभाव के कारण बोलीदाताओं और टीआईए के बीच दुरभिसंधि का संकेत है। एनआईसी ने इस मुद्दे को स्वीकार कर लिया (अक्टूबर 2024) और कहा कि उपयुक्त जांच बिंदु को एप्लिकेशन के अगले संस्करण में सम्मिलित किया जाएगा।
- डाटा विश्लेषण से आगे पता चला है कि 38 निविदाओं (निविदा मूल्य: ₹ 2.52 करोड़) में, सभी बोलियां एक ही ईमेल आईडी के साथ पंजीकृत बोलीदाताओं द्वारा रखी गई थीं। इसने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की वस्तुओं की खरीद नियमावली के पैरा 7.6.8 में उल्लिखित संदिग्ध प्रतिपत्री बोली का संकेत दिया। इसके अतिरिक्त, ₹ 2,240.20 करोड़ मूल्य की अन्य 452 निविदाओं में, कम से कम दो बोलीदाताओं के पास एक ही ईमेल आईडी थी, जो बोलीदाताओं के बीच संदिग्ध दुरभिसंधि और इनपुट सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति सहित प्रणाली में प्रसंस्करण नियंत्रण की अनुपस्थिति का संकेत देती थी। एनआईसी ने कहा (अक्टूबर 2024) कि दो भिन्न-भिन्न बोलीदाताओं के पास एक ही ईमेल आईडी का होना एक व्यावसायिक आवश्यकता है। यदि किसी कंपनी में, बोली दो कर्मचारियों

द्वारा नियंत्रित की जाती है और सूचना तथा ओटीपी किसी अन्य व्यक्ति के पास जाना चाहिए, तो उस स्थिति में, ईमेल उन बोलीदाताओं के लिए समान हो सकता है। तथापि, तथ्य यह है कि बोलीदाता की सुविधा के लिए निविदा प्रक्रिया खराब नहीं होनी चाहिए।

(iii) अमान्य/समान मोबाइल नंबर के साथ पंजीकृत विभागीय उपयोगकर्ता और बोलीदाता

- डाटा के विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 50,861 पंजीकृत बोलीदाताओं से संबंधित 41,236 मोबाइल नंबरों[35] में से 46 मोबाइल नंबरों (46 बोलीदाताओं के) में 10 अंक नहीं थे और 473 मोबाइल नंबरों (522 बोलीदाताओं के) के पास ट्राई मानदंडों के अंतर्गत पहला अंक आवश्यक अंक 6, 7, 8 और 9 के अलग था, जो उन्हें अमान्य बना देता है। इनमें से 42 बोलीदाताओं ने ₹ 880.70 करोड़ के निविदा मूल्य के साथ 186 निविदाओं में भाग लिया और 189 बोलियां प्रस्तुत कीं। इस प्रकार की नियंत्रण कमजोरी बोलीदाता मास्टर डाटा की सत्यता से समझौता करती है और प्रणाली में उपयोगकर्ता पंजीकरण के दौरान 'मोबाइल नंबर' पर इनपुट सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति को दर्शाती है।
- 4,981 अलग-अलग मोबाइल नंबरों के साथ 6,048 विभागीय उपयोगकर्ताओं के मामले में, 5 मोबाइल नंबर ऐसे थे जिनमें 10 अंक नहीं थे और 11 मोबाइल नंबरों में पहला अंक ट्राई द्वारा निर्दिष्ट अंक से अलग था। यह प्रणाली में उपयोगकर्ता पंजीकरण के दौरान 'मोबाइल नंबर' पर इनपुट सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति को उजागर करता है। एनआईसी ने कहा (अक्टूबर 2024) कि 'भारतीय नंबरों के लिए मोबाइल नंबर के अंकों की संख्या' से संबंधित कमी को दूर कर दिया गया है। तथापि, प्रणाली में अनुपालन और सुधार की तिथि लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, मोबाइल नंबर के पहले अंक की जांच से संबंधित मुद्दे का समाधान किया जाना शेष है।

[35] बिना आईएसडी कोड वाले नंबरों को भारतीय नंबर माना गया है

- विश्लेषण से पता चला कि 16,582 बोलीदाताओं को पंजीकृत करने के लिए 6,957 मोबाइल नंबरों का उपयोग किया गया था। यह देखा गया कि एक मोबाइल नंबर के प्रति पंजीकृत बोलीदाताओं की संख्या 2 से 28 के बीच थी। इसके अतिरिक्त, 948 मोबाइल नंबरों का उपयोग करने वाले 2,048 बोलीदाताओं ने बोली में भाग लिया, जो प्रणाली में उपयोगकर्ता पंजीकरण के दौरान प्रत्येक बोलीदाता/उपयोगकर्ता के लिए अलग-अलग 'मोबाइल नंबर' सुनिश्चित करने वाले इनपुट सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति को दर्शाता है।

डाटा विश्लेषण से पता चला है कि ₹ 44.99 करोड़ मूल्य की 411 निविदाओं में, सभी बोलियां समान मोबाइल नंबरों के साथ पंजीकृत बोलीदाताओं से प्राप्त की गईं। इसके अतिरिक्त, अन्य 1704 निविदाओं (₹ 3,333 करोड़ के निविदा मूल्य के साथ) में, कम से कम दो बोलीदाता सामान्य मोबाइल नंबरों के साथ पंजीकृत थे। इससे एक ही निविदा में एक ही मोबाइल नंबर के साथ बोलीदाताओं के बीच दुरभिसंधि का संदेह पैदा होता है।

यह भी देखा गया कि विभागीय उपयोगकर्ताओं सहित बोलीदाताओं के प्रति पंजीकृत 52 मोबाइल नंबरों में से 3 मोबाइल नंबरों का उपयोग बोलीदाताओं सहित विभागीय उपयोगकर्ताओं द्वारा पंजीकरण के लिए किया गया था, जिन्होंने उसी टीआईए की निविदाओं में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, इन तीन मोबाइल नंबरों में से, एक मोबाइल नंबर ऐसा था जो बोलीदाताओं और विभागीय उपयोगकर्ताओं दोनों के प्रति पंजीकृत था, जिन्होंने समान निविदाओं में भाग लिया था। इससे बोलीदाताओं और विभागीय उपयोगकर्ताओं के बीच संदिग्ध दुरभिसंधि का संकेत मिलता है। इसने इनपुट सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति सहित प्रणाली में प्रसंस्करण नियंत्रण की अनुपस्थिति का भी संकेत दिया।

- डाटा विश्लेषण से पता चला है कि 24,525 उपयोगकर्ताओं से संबंधित 20,389 मोबाइल नंबरों में आईएसडी कोड निरंक था, तथापि डाटाबेस में पंजीकरण के लिए एक अनिवार्य क्षेत्र था, जो प्रणाली में इनपुट सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति को दर्शाता है। एनआईसी ने कहा (अक्टूबर 2024) कि कमी को दूर कर दिया गया है। तथापि, लेखापरीक्षा

में सत्यापन के लिए प्रणाली में अनुपालन और सुधार का ब्योरा नहीं दिया गया था।

(iv) बोलीदाताओं और विभाग द्वारा एक ही आईपी पते का उपयोग

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 'वस्तु की खरीद के लिए नियमावली 2017' के पैरा 7.5.13 में कहा गया है कि सभी तकनीकी, वाणिज्यिक और वित्त अधिकारियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष तरीके से खरीद से निपटना चाहिए और खरीद में सम्मिलित किसी भी बोलीदाता के साथ हितों का कोई टकराव नहीं होना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोली लगाने के लिए बोलीदाताओं द्वारा एक ही आईपी पते का उपयोग किया गया था, जिसका उपयोग उसी टीआईए के विभागीय उपयोगकर्ताओं द्वारा भी किया गया था, जो विभागीय उपयोगकर्ताओं और बोलीदाताओं के बीच हितों के टकराव को दर्शाता है।

डाटा विश्लेषण से पता चला है कि 7,181 निविदाओं (₹ 3,217.44 करोड़ के निविदा मूल्य के साथ) से संबंधित 14,527 वैध बोलियों[36] के मामले में, बोलीदाताओं ने उसी आईपी पते का उपयोग किया, जिसका उपयोग निविदा प्रक्रिया के दौरान विभागीय उपयोगकर्ताओं द्वारा भी किया गया था। इसमें ₹ 2,114.87 करोड़ मूल्य की 2,519 निविदाएं सम्मिलित थीं, जिसमें इन निविदाओं में सभी वैध बोलियां (8,654 वैध बोलियां) विभागीय उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले आईपी पते का उपयोग करके रखी गई थीं। यह भी देखा गया कि 14,527 बोलियों में से 181 के मामले में, ₹ 102.28 करोड़ की राशि की संविदा का आबंटन भी किया गया था। संविदाओं के आबंटन दी गई बोलियों की वास्तविक संख्या से अधिक हो सकती है क्योंकि अन्य निविदाएं भी हो सकती हैं, जिनका विवरण पोर्टल पर अद्यतित नहीं किया गया था।

डाटा विश्लेषण से पता चला है कि 24,118 निविदाओं[37] (₹ 11,305.69 करोड़ के निविदा मूल्य के साथ) में से 6,978 (₹ 2,644.43 करोड़ का मूल्य) में बोलीदाताओं द्वारा एक ही आईपी पते का उपयोग करके बोलियां प्रस्तुत की गई थीं। कुल 2,616 बोलीदाताओं ने 6,978 निविदाओं में 3,212 आईपी पते

[36] इन 7,181 निविदाओं में कुल 41,102 वैध बोलियां लगाई गईं।

[37] एक ही आईपी पते के साथ कम से कम दो बोलियां होना।

का उपयोग करके 18,221 बोलियां लगाईं। प्रणाली में समान आईपी का उपयोग करने वाले इन संदिग्ध बोलीदाताओं पर टीआईए को कोई अलर्ट नहीं था। उपर्युक्त में संदिग्ध दुरभिसंधि/प्रतिपत्री बोली का संकेत दिया गया है।

(v) जन्म तिथि विवरण के बिना पंजीकरण

अवयस्क बोलीदाताओं और सेवानिवृत्त विभागीय उपयोगकर्ताओं को निविदा प्रक्रिया का हिस्सा बनने से रोकने के लिए जन्म की सही तिथि आवश्यक है। डाटा विश्लेषण से पता चला है कि 50,903 पंजीकृत बोलीदाताओं में से 29 बोलीदाताओं की जन्म तिथि का विवरण उपलब्ध नहीं था, जब कि 30 बोलीदाताओं के मामले में यह उचित प्रारूप में नहीं था। इसी प्रकार, सात[38] विभागीय उपयोगकर्ताओं की जन्म तिथि रिक्त/उचित प्रारूप में नहीं थी। इससे प्रणाली में आवश्यक इनपुट सत्यापन नियंत्रण की कमी का संकेत मिलता है। एनआईसी ने कहा (अक्टूबर 2024) कि 'न्यूनतम आयु' से संबंधित कमी को एक अनिवार्य क्षेत्र बनाकर ठीक कर दिया गया है, तथापि प्रणाली में अनुपालन और सुधार की तिथि लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, एनआईसी ने कहा कि 'अधिकतम आयु' की समस्या को एप्लिकेशन के आगामी संस्करण में हल किया जाएगा।

(vi) विभागीय उपयोगकर्ताओं ने सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रणाली में लॉग इन किया

डाटा विश्लेषण से पता चला है कि सात विभागीय उपयोगकर्ताओं ने अपनी सेवानिवृत्ति तिथि के पश्चात भी प्रणाली में लॉग-इन किया था। इनमें से दो उपयोगकर्ताओं ने बोलियां खोलकर और उनका मूल्यांकन करके निविदा प्रक्रिया में भाग लिया। नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि तीन में से दो विभागीय उपयोगकर्ताओं (दो टीआईए में) ने बोलियों को खोलने, मूल्यांकन करने और डिक्रिप्ट करके निविदा प्रक्रिया में भाग लिया था। इससे यह संकेत मिलता है कि सेवानिवृत्त उपयोगकर्ताओं के लॉगिन को प्रतिबंधित करने के लिए प्रणाली में कोई उपयोग नियंत्रण नहीं था और निविदा प्रक्रिया में

[38] एक उपयोगकर्ता के पास रिक्त जन्मतिथि थी और छः उपयोगकर्ता उचित प्रारूप में नहीं थे।

सेवानिवृत्त उपयोगकर्ताओं की भागीदारी को रोकने के लिए प्रणाली में प्रक्रमण नियंत्रण का भी अभाव था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभागीय उपयोगकर्ताओं की सेवानिवृत्ति तिथि प्रणाली में संग्रहीत नहीं की गई थी। तथापि, डाटा विश्लेषण से पता चला कि सेवानिवृत्ति की आयु साठ वर्ष मानते हुए, 347 विभागीय उपयोगकर्ता ऐसे थे जिन्होंने सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रणाली में लॉग इन किया था।

(vii) बोलीदाताओं का अनुचित पंजीकरण और अमान्य डीएससी के साथ दस्तावेज़ों को अपलोड करना

- 194 बोलीदाताओं से संबंधित 200[39] प्रमाणपत्रों की नमूना जांच से पता चला कि 10 डीएससी प्रमाणपत्रों में बोलीदाताओं के नाम ई-खरीद पोर्टल पर पंजीकृत नामों से मेल नहीं खाते। इसके अतिरिक्त, 95 विभागीय उपयोगकर्ताओं से संबंधित 100[40] प्रमाणपत्रों की नमूना जांच से पता चला कि 3 डीएससी प्रमाणपत्रों में विभागीय उपयोगकर्ताओं के नाम ई-खरीद पोर्टल पर पंजीकृत नामों से मेल नहीं खाते थे। इससे संकेत मिला कि डीएससी के पंजीकरण के समय बोलीदाताओं और विभागीय उपयोगकर्ताओं के नाम मान्य नहीं किए गए थे और प्रणाली में उचित इनपुट सत्यापन प्रक्रिया नियंत्रण के माध्यम से जीईपीएनआईसी उपयोगकर्ता के साथ डीएससी की मैपिंग का अभाव था। इसका अर्थ यह भी था कि गैर-अस्वीकरण की अनिवार्य विशेषता प्रणाली द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई थी।
- डाटा विश्लेषण से पता चला है कि 50 मामलों में, 12 निविदाओं (₹ 2.59 करोड़ के निविदा मूल्य के साथ) में 10 बोलीदाताओं द्वारा उनके डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) की वैधता समाप्त होने के पश्चात 42 दस्तावेज अपलोड किए गए थे। दस्तावेज़ अपलोड करने की तिथि और डीएससी वैधता तिथि के बीच समय का अंतर लगभग 1 मिनट से 13 घंटे तक था। यह बोलीदाताओं को अमान्य डीएससी के

[39] 28,399 प्रमाणपत्रों में से 9,873 डीएससी पंजीकृत बोलीदाताओं से संबंधित हैं।

[40] 4,176 प्रमाणपत्रों में से 1,092 डीएससी पंजीकृत उपयोगकर्ताओं से संबंधित हैं।

साथ दस्तावेज अपलोड करने से रोकने के लिए प्रणाली की विफलता का संकेत देता है।

- 'पंजीकृत' स्थिति ई-खरीद पोर्टल पर उपयोगकर्ता के पंजीकरण को दर्शाती है, जब कि 'डीएससी पंजीकृत' का अर्थ है पोर्टल पर उपयोगकर्ता के पंजीकरण सहित उसका डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र।

  लेखापरीक्षा में पाया गया कि 32 उपयोगकर्ताओं (2 विभागीय उपयोगकर्ता और 30 बोलीदाता) से संबंधित 38 प्रमाणपत्रों के मामले में, जिन उपयोगकर्ताओं के डीएससी ई-खरीद पोर्टल पर पंजीकृत थे, उन्हें 'डीएससी पंजीकृत' के स्थान पर 'पंजीकृत' के रूप में दर्शाया गया था। इसी तरह, 41 उपयोगकर्ताओं (4 विभागीय उपयोगकर्ता और 37 बोलीदाता) की स्थिति को 'डीएससी पंजीकृत' के रूप में दर्शाया गया है, तथापि उनके डीएससी की अवधि समाप्त हो गई थी। यह न केवल प्रणाली में डाटा की असंगतता को दर्शाता है, बल्कि यह सत्यापन नियंत्रण को अभाव में डाटा की सत्यता को भी प्रभावित कर सकता है।

(viii) निविदा के प्रकार पर इनपुट सत्यापन का अभाव

डाटा विश्लेषण से पता चला है कि 227 निविदाएं ऐसी थीं जिनमें जीएफआर 2017 के नियम 139 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खुली निविदा के स्थान पर सीमित निविदा पद्धति अपनाई गई थी, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि कार्यों का अनुमानित मूल्य ₹ पांच लाख तक होने पर सीमित निविदा जांच अपनाई जा सकती है।

132 इको टास्क फोर्स (वन विभाग के अंतर्गत) की चार निविदाओं और ₹ पांच लाख से अधिक के निविदा मूल्य वाले व्यापार और कर विभाग की एक निविदा की नमूना जांच से यह भी पता चला है कि जीएफआर 2017 के नियम 139 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खुली निविदा के स्थान पर सीमित निविदा पद्धति अपनाई गई थी, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि जब कार्यों का अनुमानित मूल्य ₹ पांच लाख तक हो तो सीमित निविदा जांच अपनाई जा सकती है। इससे पता चलता है कि निविदा के मूल्य के आधार पर चयनित 'निविदा प्रकार' पर प्रणाली में इनपुट सत्यापन नियंत्रण का अभाव है।

विभाग ('132 इको टास्क फोर्स') ने अपने उत्तर में कहा (सितंबर 2024) कि निविदा को सीमित रूप से अपनाना गलत था, तथापि, उसके पश्चात सभी

निविदाएं खुली निविदा के माध्यम से जारी की गईं। व्यापार और कर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है।

(ix) बोली प्रस्तुत करने में अनियमितताएं

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 161 (vi) के अनुसार, सामान्यतः निविदा सूचना के प्रकाशन या बिक्री के लिए बोली दस्तावेज की उपलब्धता की तिथि जो भी बाद में हो, से तीन सप्ताह तक बोलियां प्रस्तुत करने की न्यूनतम समयावधि होनी चाहिए। नियम में आगे यह भी कहा गया है कि ऐसे मामलों में जहाँ विभाग विदेशों से बोलियां प्राप्त करने पर भी विचार करता है, घरेलू और विदेशी दोनों बोलीदाताओं के लिए न्यूनतम अवधि चार सप्ताह रखी जानी चाहिए।

डाटा विश्लेषण से पता चला है कि 1,54,533 गैर-वैश्विक निविदाओं में से 1,46,082 में अर्थात निविदाओं का 94.5 *प्रतिशत* (₹ 53,966.48 करोड़ मूल्य) में, बोली प्रस्तुत करने के लिए अनुमत समय 3 सप्ताह[41] से कम था। यह उल्लेख करना उचित है कि ₹ 8,344.79 करोड़ मूल्य की 57,785 निविदाओं में, बोली प्रस्तुत करने का समय सात दिनों से कम था। निविदाओं की संख्या के प्रति बोली प्रस्तुत करने के लिए अनुमत दिनों की संख्याओं का विवरण **तालिका 2.6.1** में दिया गया है।

तालिका 2.6.1: बोली प्रस्तुत करने के लिए अनुमत दिनों की संख्या

बोली प्रस्तुत करने के लिए अनुमत दिनों की संख्या	निविदाओं की संख्या
2-3	1
3-6	18,784
6-9	77,048
9-12	23,865
12-15	14,897
15-18	6,801
18-21	4,686
कुल	**1,46,082**

स्रोत: ई-खरीद प्रणाली का डाटा

इसी प्रकार, 53 वैश्विक निविदाओं में से 25 (कुल वैश्विक निविदाओं का 47.2 *प्रतिशत*) में, जिनका निविदा मूल्य ₹ 132.42 करोड़ था, बोली प्रस्तुत

[41] जब "बोली जमा करने की अंतिम तिथि" की तुलना 2 तिथियों में से बाद की तिथियों से की जाती है: "प्रकाशित तिथि" और "दस्तावेज़ बिक्री शुरू होने की तिथि" अनुमत न्यूनतम समय लगभग 10 दिन था।

करने के लिए 4 सप्ताह[42] से कम समय दिया गया था। यह उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत निर्धारित बोली प्रस्तुत करने की समयसीमा के विरुद्ध था। बोली प्रस्तुत करने के दिनों की संख्या के प्रति वैश्विक निविदाएं नीचे **चार्ट 2.6.3** में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 2.6.3: वैश्विक निविदाएं - बोली जमा करने के दिनों की संख्या

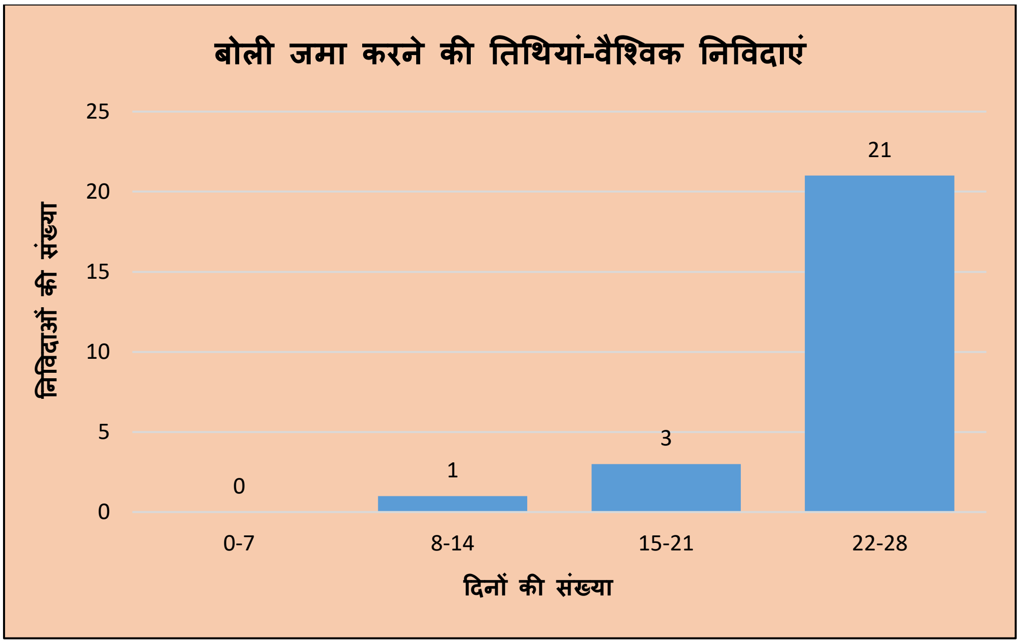

स्रोत: खरीद प्रणाली का डाटा

उपर्युक्त इस बात को दर्शाता है कि ई-खरीद प्रणाली में निर्धारित न्यूनतम बोली जमा करने से संबंधित नियंत्रणों का प्रावधान नहीं था। बोली जमा करने का समय कम होने से प्रतिस्पर्धा की कमी या प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति निविदा औसत बोलीदाताओं की संख्या कम हो सकती है। डाटा विश्लेषण पर, यह पता चला कि जांच अवधि के दौरान प्रति निविदा बोलियों की औसत संख्या में वृद्धि नहीं हुई, जो 3.54 और 5.88 के बीच रही जिसमें औसत 4.23 बोलियां थी (4 मई 2023 तक)।

(x) तकनीकी मूल्यांकन से पूर्व वित्तीय पैकेटों को डीक्रिप्ट करना

डाटा विश्लेषण से पता चला है कि ₹ 2.04 करोड़ मूल्य की तीन निविदाओं के मामले में, सामान्य वित्तीय नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए तकनीकी पैकेट से पहले वित्तीय पैकट को डीक्रिप्ट कर दिया गया था। इसका

[42] जब "बोली जमा करने की अंतिम तिथि" की तुलना 2 तारीखों में से बाद की तारीखों से की जाती है: "प्रकाशित तिथि" और "दस्तावेज़ बिक्री शुरू होने की तारीख". अनुमत न्यूनतम समय लगभग 10 दिन था।

कारण यह था कि प्रणाली में उचित प्रसंस्करण नियंत्रण का अभाव था जिसके कारण इस तरह की विसंगति उत्पन्न हुई और डाटा की सत्यता पर प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त, संबंधित लॉग के अभाव में, पैकेटों के बैक-एंड में की गई हेराफेरी से संबंधित मुद्दे का विश्लेषण नहीं किया जा सका।

(xi) वित्तीय बोली खोलने के पश्चात एल1 बोलीदाता की तकनीकी बोली को अस्वीकार करना

डाटा विश्लेषण से पता चला है कि दो निविदाओं[43] के मामले में, वित्तीय अवधि के दौरान बोलियों को तकनीकी मानदंडों को पूरा न करने का कारण बताते हुए अस्वीकार कर दिया गया था परंतु गलती से उन्हें खोल दिया/स्वीकार कर लिया गया था। यह वित्तीय बोली खोलने से पूर्व तकनीकी मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली नियंत्रण की कमी को दर्शाता है। एओसी की स्थिति का पता लगाने के लिए इन निविदाओं की संविदा का आबंटन (एओसी) संबंधी विवरण प्रणाली में उपलब्ध नहीं थे।

क्षेत्रीय दौरों के दौरान, लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण मिले जहाँ बोली एक ही पंजीकृत ईमेल, फोन नंबर, पैन और एक ही आईपी पते के आधार पर अधिक बोली लगाने का संदेह था जहाँ से बोलीदाताओं द्वारा बोलियां लगाई गई थी।

इस प्रकार, प्रणाली कार्यात्मक कमियों से ग्रस्त थी और प्रणाली में व्यावसायिक नियमों की मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन जांच का अभाव था। यह संदिग्ध दुरभिसंधि के मामलों का पता नहीं लगा सका और सामान्य मोबाइल नंबरों, आईपी पते और ई-मेल आईडी आदि के उपयोग के संबंध में बोली को कवर नहीं कर सका, जो संभावित कार्टेल गठन और अनुचित निविदा प्रक्रिया के लिए एक खतरे का सूचक है।

इन मुद्दों की जानकारी सरकार को दी गई थी (फरवरी 2025), उत्तर प्रतीक्षित है।

सिफारिशें:

2.6.4 मौजूदा व्यावसायिक नियमों जैसे जीएफआर, खरीद नियमावली आदि को ई-खरीद प्रणाली में सख्ती से मैप किया जाना चाहिए।

[43] निविदा आईडी '2023_डीजेबी_234817_2' और '2022_डीजेबी_232440_3'

2.6.5 बोलीदाताओं और विभागीय उपयोगकर्ताओं के बीच दुरभिसंधि के संदिग्ध के मामलों में सतर्कता जांच की जानी चाहिए।

2.6.6 खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मज़बूत सत्यापन नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बोलीदाताओं की साझा साख को उजागर करने के लिए प्रणाली स्तर के अलर्ट तैयार किए जाने चाहिए।

2.6.5 प्रणाली में डाटा की सत्यता और विश्वसनीयता

डाटा की सत्यता, सूचना की सटीकता और पूर्णता सहित व्यावसायिक मूल्यों और अपेक्षाओं के अनुसार इसकी वैधता से संबंधित है। लेखापरीक्षा ने प्रणाली की डाटा सत्यता सुनिश्चित करने के लिए विभाग के नियंत्रण तंत्र में कमियां देखीं, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

- **संविदा के आबंटन (एओसी) मॉड्यूल का अपूर्ण उपयोग**: चयनित बोलीदाता के कार्य के आबंटन का विवरण अपलोड करने के लिए एक समर्पित संविदा आबंटन (एओसी) मॉड्यूल होने के बावजूद, डाटा विश्लेषण से पता चला है कि 1,54,586 निविदाओं में से, केवल 5363 निविदाओं (3.47 *प्रतिशत*) जिनका निविदा मूल्य ₹ 3,254.68 करोड़ था, में ही एओसी विवरण उपलब्ध थे। डाटा के विश्लेषण के दौरान, यह भी देखा गया कि प्रणाली में एओसी विवरण वाली 5,363 निविदाओं में से भी, 5 निविदाओं के मामले में उन बोलीदाताओं का विवरण उपलब्ध नहीं था जिन्हें ये निविदाएं आबंटित की गई थीं। 7 निविदाओं के मामले में प्रणाली में विभिन्न डाटाबेस तालिकाओं में निविदा चरण और बोली की स्थिति असंगत थी। इसने ई-खरीद प्रणाली की प्रभावशीलता को सीमित कर दिया, और उत्पन्न प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रतिवेदन विश्वसनीय नहीं था तथा उनमें वास्तविक समय का डाटा नहीं था इसलिए निगरानी के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। इस कमी की पुष्टि एलजी सचिवालय[44] और दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू)[45] में नमूना जांच के दौरान हुई।

[44] निविदा आईडी '2022_एलजीएस_230768_1'

[45] निविदा आईडी '2022_डीएसईयू_219603_1'

- **निविदाओं के वित्तीय मूल्यांकन संबंधी विवरण को उद्यतन नहीं किया गया:** डाटा विश्लेषण से पता चला कि निविदाओं के सभी चरणों का विवरण प्रणाली में अद्यतित नहीं किया जा रहा था। नीचे दी गई **तालिका 2.6.2** में निविदाओं की संख्या सहित उनके अंतिम अद्यतित निविदा चरण को दर्शाती है:

तालिका 2.6.2: चरण-वार निविदाओं की संख्या

निविदा चरण	निविदाओं की संख्या	निविदाओं का *प्रतिशत*
खोला जाना है	20,774	13.44
तकनीकी खोला गया	7,817	5.06
तकनीकी मूल्यांकन किया गया	9,445	6.11
वित्तीय खोला गया	64,012	41.41
वित्तीय मूल्यांकन किया गया	47,182	30.52
एओसी (अर्थात संविदा का आबंटन)	5,356	3.46
कुल	**1,54,586**	**100.00**

स्रोत: ई-खरीद प्रणाली का डाटा

उपर्युक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि केवल 34 *प्रतिशत* निविदाओं (अर्थात 30.52 + 3.46) के वित्तीय मूल्यांकन विवरण को प्रणाली में अद्यतित किया गया था। इससे संकेत मिलता है कि प्रणाली में अधिकांश निविदाओं के वित्तीय मूल्यांकन विवरण को अद्यतित नहीं किया गया है। लगभग 41 *प्रतिशत* निविदाएं ऐसी थीं जो वित्तीय रूप से खोली गई थीं, परंतु उनके वित्तीय मूल्यांकन विवरण को प्रणाली में अद्यतित नहीं किया गया था। इस प्रकार, एमआईएस रिपोर्ट सही और निष्पक्ष जानकारी नहीं दिखाएगी।

- **गलत टीआईए के प्रति निविदाओं की मैपिंग की गई:** डाटा विश्लेषण से पता चला है कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (आई एंड एफसीडी) की ₹ 1,106.04 करोड़ के निविदा मूल्य वाली 497 निविदाओं को संभागीय स्तर पर गलत निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों (टीआईए) के प्रति मैप किया गया था। इस प्रकार, गलत मैपिंग के कारण, प्रणाली ऐसे मामलों में सही और विश्वसनीय एमआईएस रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकती है। उपर्युक्त विसंगति आई एंड एफसीडी में तीन चयनित निविदाओं[46]

[46] निविदा आईडी नंबर 236954, 241506 और 243408

की नमूना जांच के दौरान भी देखी गई। मामले की जानकारी विभाग को दी गई थी (सितंबर 2024), उत्तर प्रतीक्षित है।

- **निविदा मूल्यांकन के दौरान अप्रासंगिक और अपूर्ण दस्तावेज अपलोड किए गए:** निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय उपयोगकर्ताओं द्वारा निविदा मूल्यांकन के प्रत्येक चरण से संबंधित प्रासंगिक और पूर्ण दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए। लेखापरीक्षा में 9 निविदाओं से संबंधित 10 ऐसे दस्तावेज देखे गए जिनमें मूल्यांकन सारांश/बोलियां खोलने से संबंधित दस्तावेज बिना किसी संबंधित विवरण के अपलोड किए गए थे। एक मामले में, केवल 'मूल्य बोली खोली गई' का उल्लेख किया गया था, जब कि अन्य मामलों में, मूल्यांकन सारांश के बिना केवल विभागीय उपयोगकर्ताओं का पदनाम या नाम दिए गए थे। यह प्रणाली के बाहर मैन्युअल रूप से की गई निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया के कारण था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रणाली में उचित सत्यापन नियंत्रण सम्मिलित नहीं किया जा सका।

- **निविदा मूल्य और बीओक्यू डाटा में विसंगति:** यह देखा गया कि डाटाबेस में टीआईए द्वारा तैयार की गई कुल बीओक्यू अनुमानित लागत, बोलीदाताओं द्वारा दर्ज की गई कुल बोली राशि और निविदा प्रसंस्करण का पूरा विवरण सुनिश्चित करने के लिए तुलनात्मक विवरण में सौंपी गई प्रणाली-जनित रैंक को संग्रहीत नहीं किया गया था। प्रणाली में निविदा मूल्य और बीओक्यू में भी विसंगति पाई गई। 3,692 निविदाएं ऐसी थीं जिनमें अंतर ₹ एक से अधिक था और एक निविदा में यह अंतर ₹ 274.60 करोड़ था। इसका अर्थ यह था कि प्रणाली में निविदा मूल्यों को पंजीकृत करते समय टीआईए में पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई। इसके अतिरिक्त, प्रणाली में दो डाटासेट के बीच डाटा में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए उचित सत्यापन नियंत्रण नहीं था।

- **टीआईए द्वारा बोलीदाताओं से निविदा शुल्क की अनधिकृत वसूली:** डाटा विश्लेषण से पता चला है कि विभाग द्वारा कृत कार्रवाई टिप्पणी के माध्यम से यह आश्वासन दिए जाने (मार्च 2021 में) के बावजूद कि

सभी टीआईए को निविदादाताओं से निविदा शुल्क न लेने और एनआईसी को निविदा में संशोधन करने के निर्देश जारी किए गए थे (1 जनवरी 2019), टीआईए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बोलीदाताओं से निविदा शुल्क वसूल रहे थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1 जनवरी 2019 से 4 मई 2023 तक प्रकाशित निविदाओं में से, 188 टीआईए ने 47,876 निविदाओं में से ₹ 23,408.03 करोड़ मूल्य की 1,63,411 बोलियों से निविदा शुल्क वसूला था। इससे विभाग द्वारा अपने ही निर्देशों की निगरानी में ढिलाई का संकेत मिलता है। इसके अतिरिक्त, प्रणाली में निविदाओं को प्रकाशित करते समय निविदा प्रकाशकों को निविदा शुल्क का अनुरोध करने से रोकने के लिए प्रणाली को भी संरूपित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, निविदाओं की गलत मैपिंग, प्रणाली में गलत/अपूर्ण इनपुट और टीआईए को जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन की कमी के कारण, प्रणाली में डाटा की विश्वसनीयता और सत्यता से समझौता हुआ जो अपर्याप्त अंतर्निहित नियंत्रण तंत्र को दर्शाता है।

इन मुद्दों के बारे में सरकार को सूचित किया गया (फरवरी 2025), उत्तर प्रतीक्षित है।

सिफारिश:

2.6.7 मजबूत और सुरक्षित ई-खरीद प्लेटफॉर्मों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को ई-खरीद प्रणाली में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और जांच करके डाटा की पूर्णता और शुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

लोक निर्माण विभाग

2.7 जल निकासी से संबंधित विचलित मात्राओं पर ₹ 5.63 करोड़ का परिहार्य भुगतान

कार्य निष्पादन के दौरान, जल निकासी कार्यों के लिए तीन मदों की अनुमानित मात्रा में 108 *प्रतिशत* से 2,545 *प्रतिशत* तक वृद्धि करनी पड़ी। मात्रा में भारी परिवर्तन अनुबंध में ली गई मात्राओं में त्रुटियों के कारण था, जो प्रत्यक्ष तौर पर उपमृदा जल की गहराई और गुणांक से संबंधित था। अनुमानित मात्रा का पता लगाने में वित्तीय विवेक और उचित सावधानी न बरतने के कारण विचलन अनुबंध के अनुसार अनुमत सीमा से अधिक हो गया और ₹ 5.63 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 21 (i) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सार्वजनिक धन से किए गए व्यय के संबंध में उतनी ही सतर्कता बरतेगा, जितनी एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय में बरतता है। सीपीडब्ल्यूडी नियमावली की धारा 3.1.1.6 निविदाएं आमंत्रित करने से पूर्व नीव केंद्र भू-तकनीकी जांच प्रतिवेदन और संरचनात्मक रेखा चित्र और अधिरचना के प्रारंभिक संरचनात्मक रेखा चित्रों सहित तकनीकी स्वीकृति जारी करने का प्रावधान करती है ताकि मदों की मात्रा की गणना की जा सके। इसके अतिरिक्त, नियमावली की धारा 5.11 के अनुसार, संविदा की अनुसूची एफ में निर्दिष्ट सीमा से परे अतिरिक्त मदों, प्रतिस्थापन मदों और संविदा मदों में विचलन की दरें सामान्य शर्तों के प्रावधानों पर आधारित होंगी।

लोक नायक अस्पताल में चिकित्सा, प्रसूति और उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र के लिए नए ब्लॉक के निर्माण के सिविल कार्य को लोक निर्माण विभाग द्वारा ₹ 347.83 करोड़ की तकनीकी मंजूरी दी गई (4 नवंबर 2019)। इस अनुमान में निर्माण के दौरान जल स्तर बनाए रखने के लिए जल निकासी से संबंधित तीन मदों के लिए ₹ 65.82 लाख का प्रावधान सम्मिलित था।

केंद्रीय अस्पताल परियोजना प्रभाग के कार्यपालक अभियंता के अभिलेखों की जांच से पता चला कि कार्य 13 अक्टूबर 2020 (संविदा संख्या 4 2020-21)

को एक संविदाकार को ₹ 465.53 करोड़ (सिविल- ₹ 328.75 करोड़ और विद्युत कार्य- ₹ 136.78 करोड़) की लागत से आबंटित किया गया था, जिसमें काम शुरू होने और पूरा होने की निर्धारित तिथियां क्रमशः 4 नवंबर 2020 और 3 मई 2023 थीं। संविदाकार को 29वें रनिंग अकाउंट बिल तक संविदाकार को ₹ 167.36 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था (जल निकासी की तीन मदों के लिए किए गए भुगतान भी शामिल है)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्य के निष्पादन के दौरान जल निकासी कार्यों के लिए तीन मदों की अनुमानित मात्रा क्रमशः 4,190 घन मीटर, 67,550 मीटर और 5,472 घन मीटर से बढ़कर 8,720.31 मीटर (108 *प्रतिशत*), 4,14,335.69 मीटर (513 *प्रतिशत*) और 1,44,753.72 मीटर (2545 *प्रतिशत*) हो गई। यह भी देखा गया कि मात्राओं में भारी अंतर अनुबंध में ली गई मात्राओं में त्रुटियों के कारण था, जो सीधे उपमृदा जल की गहराई और गुणांक (आरसीसी और पृथ्वी के काम के गुरुत्वाकर्षण केंद्र) से संबंधित था। इससे अनुबंध की अनुसूची एफ के संदर्भ में बाजार दरों पर ₹ 5.63 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

(राशि ₹ में)

मद संख्या	अनुबंधित मात्रा	वास्तव में निष्पादित किया गया	शुद्ध विचलित मात्रा	अनुमेय विचलन (%)	अतिरिक्त मात्रा जहां अनुबंधित दरों का भुगतान किया जाना है	वह मात्रा जहां बाजार दरों का भुगतान किया गया है	अनुबंधित दरें	बाजार दरें	परिहार्य भुगतान
1	2	3	4 (कॉलम 3-2)	5	6 (कॉलम 2x100/ 30 *प्रतिशत*)	7 (कॉलम 6-3)	8	9	10 कॉलम (9-8)x7
2.4	4190	8720.31	4530.31	30	5447	3273.31	474.24[47]	896.54	1382319
2.5	67550	414335.69	346785.69	100	135100	279235.69	25.19[48]	40.68	4325361
3.16	5472	144753.72	139281.72	30	7113.60	137640.12	474.24[49]	842	50618531
परिहार्य भुगतान									**56326211**

इस प्रकार, अनुमानित मात्रा की गणना करते समय वित्तीय विवेक और उचित सावधानी न बरतने के परिणामस्वरूप अनुबंध के अनुसार अनुमेय सीमा से अधिक विचलन हुआ और इसके कारण जल निकासी से संबंधित तीन मदों की

[47] अनुमानित दर - ₹ 474.50 लागत सूचकांक जोड़ें - 15.69 *प्रतिशत* कम लागत सूचकांक - 9.50 *प्रतिशत* कम संविदाकार छूट - 4.54 *प्रतिशत* = ₹474.24

[48] अनुमानित दर- ₹ 25.20 लागत सूचकांक जोड़ें - 15.69 *प्रतिशत* कम लागत सूचकांक - 9.50 *प्रतिशत* कम संविदाकार छूट - 4.54 *प्रतिशत* = ₹ 25.19

[49] अनुमानित दर - ₹ 474.50 लागत सूचकांक - 15.69 *प्रतिशत* कम लागत सूचकांक - 9.50 *प्रतिशत* कम संविदाकार छूट - 4.54 *प्रतिशत* = ₹ 474.24

विचलित मात्रा पर बाजार दरों पर ₹ 5.63 करोड़ का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

सरकार को भारी वित्तीय हानि पहुंचाने वाली चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।

मामले की सूचना विभाग को दी गई थी (28 मई 2024), उसका उत्तर प्रतीक्षित है।

परिवहन विभाग

2.8 अधिशेष निधियों के निवेश में विलंब के कारण ₹ 5.50 करोड़ के ब्याज की हानि

डीटीसी ईपीएफ ट्रस्ट अप्रैल 2020 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान की अधिशेष निधि का समय पर निवेश करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.50 करोड़ के ब्याज की संभावित हानि हुई।

भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना (मई 2015) के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (अधिनियम) की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के संबंध में प्रत्येक नियोक्ता, माह की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर प्रतिष्ठान या कर्मचारियों के मासिक भविष्य निधि अंशदान को उस प्रतिष्ठान में विधिवत गठित ट्रस्ट बोर्ड को हस्तांतरित करेगा। ट्रस्ट बोर्ड उक्त अंशदान की प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह की अवधि के भीतर हर महीने किसी भी अनिवार्य व्यय का कम करने के बाद अंशदान और ब्याज का निवेश करेगा।

2020-23 की अवधि के लिए दिल्ली परिवहन निगम कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट (ट्रस्ट) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला है कि मार्च 2023 तक, कुल 31,436 डीटीसी कर्मचारी इसके साथ पंजीकृत थे। ट्रस्ट अधिशेष निधि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बॉन्ड, विशेष जमा खातों और इक्विटी और म्यूचुअल फंड से संबंधित क्षेत्रों में निवेश कर रहा था। मार्च 2023 तक, ट्रस्ट का कुल निवेश ₹ 1,321.08 करोड़ था।

यह देखा गया कि ट्रस्ट के तीन[50] सक्रिय बैंक खाते थे, जिसमें वह डीटीसी कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान की राशि को कर्मचारी भविष्य निधि के मद में जमा करता था, और अपने अनिवार्य व्यय का भुगतान अपने केनरा बैंक खाते से करता था। केवल खाते में धन की कमी की स्थिति में, एक्सिस बैंक निवेश खाते से धन अंतरित किया जाता था **(अनुलग्नक 2.7)**।

तथापि, अप्रैल 2020 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए एक्सिस बैंक खातों के विवरण से पता चला है कि श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की मई 2015 की अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए कुल ₹ 1,979.73 करोड़ एक महीने[51] से अधिक समय तक बैंक में निवेश नहीं किए गए **(अनुलग्नक 2.8)** जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.50 करोड़ के ब्याज की संभावित हानि हुई।

ट्रस्ट ने अपने उत्तर में कहा (मई 2024) कि 100 *प्रतिशत* धन का निवेश नहीं किया गया था क्योंकि ट्रस्ट को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अंतिम भुगतान, कर्मचारियों को वापसी योग्य और गैर-वापसी योग्य ऋण जारी करने आदि के अनिवार्य भुगतानों हेतु लगभग ₹ 50 करोड़ अलग रखने थे। ट्रस्ट का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ट्रस्ट ने अपने केनरा बैंक खाते से अपने अनिवार्य व्ययों को पूरा किया था और संपूर्ण लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निवेश खाते (एक्सिक्स बैंक) से भुगतान खाते (केनरा बैंक) में औसत मासिक अंतरण ₹ 8.72 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, एक्सिक्स बैंक निवेश खाते में एक महीने से अधिक समय से पड़ी अनिवेशित शेष राशि की गणना करते समय, ट्रस्ट के परिनिर्धारण पहलू पर विचार करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा चालू माह की जमा राशि को पहले ही ध्यान में नहीं रखा गया है।

लेखापरीक्षा का यह विचार है कि ट्रस्ट को अधिकारियों को नामित करना चाहिए और, बताई गई अधिसूचना के अनुसार अधिशेष निधियों के समय पर निवेश के लिए जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए और उन्हें कर्मचारियों/हितधारकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

---

[50] तीसरा खाता कैंटीन कर्मचारियों के अंशदान को बनाए रखने के लिए था।

[51] तथापि एक्सिस बैंक खाते में प्राप्त राशि को जल्द से जल्द निवेश किया जाना चाहिए था, परंतु श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की मई 2015 की अधिसूचना के प्रावधानों और गणना में आसानी को ध्यान में रखते हुए एक महीने की अवधि ली गई है। एक माह के दौरान निवेश नहीं की गई राशि की गणना उक्त महीने के प्रारंभिक शेष से महीने के दौरान डेबिट की गई राशि को काटकर की गई है।

शहरी विकास विभाग

दिल्ली जल बोर्ड

2.9 ₹ 1.56 करोड़ का परिहार्य भुगतान

संचालन और रखरखाव कार्य के लिए सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसी के नाम पर विद्युत कनेक्शन लेने के परिणामस्वरूप डीजेबी जैसी सार्वजनिक उपयोगिता के लिए निर्धारित कम दर (₹ 6.25 प्रति केवीएएच) के प्रावधान के बावजूद विद्युत बिलों का भुगतान (गैर-घरेलू श्रेणी के अंतर्गत) ₹ 8.50 प्रति केवीएएच की उच्च दर पर किया गया। विद्युत की लागत में वृद्धि के लिए एजेंसी को ₹ 1.56 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

दिल्ली जल बोर्ड ने नजफगढ़, सप्लीमेंट्री और शाहदरा नालों के इंटरसेप्टर सीवर के संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के काम के लिए मैसर्स प्रतिभा मोसिझस्त्रोई कंसोशियम (मैसर्स पीएमसी) के साथ 11 वर्षों की अवधि के लिए एक अनुबंध किया (7 जून 2021)। संविदा करार के खंड 55 (परिशिष्ट संख्या 7) के अनुसार, मैसर्स पीएमसी विद्युत शुल्क में वृद्धि के लिए भुगतान का हकदार था।

2021-22 के लिए बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड (बीआरपीएल) के विद्युत टैरिफ के अनुसार, मैसर्स पीएमसी (गैर-घरेलू श्रेणी के अंतर्गत) के लिए निर्धारित दर ₹ 8.50 प्रति केवीएएच थी, जब कि इस सार्वजनिक उपयोगिता कार्य के लिए डीजेबी के लिए निर्धारित दर ₹ 6.25 प्रति केवीएएच थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संविदा करार में लापरवाही से विद्युत की कीमतों में वृद्धि दी गई, क्योंकि विद्युत कनेक्शन डीजेबी के नाम पर लेने के स्थान पर मैसर्स पीएमसी के नाम पर लेने गया था, जिससे सार्वजनिक सेवा के लिए निर्धारित रियायती दरें प्राप्त होती। यह विशेष रूप से प्रासंगिक है कि अक्टूबर 2018 में बीआरपीएल ने डीजेबी को इन इंटरसेप्टर सीवरों के ओ एंड एम कार्य के लिए पिछली संविदा के संदर्भ में कम टैरिफ का लाभ उठाने के लिए अपने नाम पर विद्युत कनेक्शन बदलने के लिए लिखा था। तथापि, डीजेबी ने मेसर्स पीएमसी के साथ अपनी संविदा में वृद्धि खंड का लापरवाही से पालन

किया और बीआरपीएल के साथ नाम परिवर्तन के मामले को केवल मई 2022 में देर से उठाया और मई 2023 के अंत तक डीजेबी को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए। अंततः, 28 दिसंबर 2023 से विद्युत कनेक्शन डीजेबी के नाम पर बदल दिया गया और उसके पश्चात विद्युत के बिल ₹ 0.25 प्रति केवीएएच की कम दर पर प्राप्त हो रहे हैं।

परिणामस्वरूप, एजेंसी ने विद्युत शुल्क में वृद्धि के कारण ₹ 8.24 करोड़ के तीन बढ़े हुए बिल जमा किए, जिसमें से ₹ 4.81 करोड़ का भुगतान डीजेबी द्वारा किया गया है (जनवरी 2023)। एजेंसी द्वारा दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक की अवधि के लिए वृद्धि बिल (₹ 0.50 प्रति केवीएएच की दर से) प्रस्तुत करना बाकी था।

जून 2021 में मेसर्स पीएमसी के साथ अनुबंध करने से पूर्व डीजेबी को अपने नाम पर विद्युत कनेक्शन लेने में विफलता और उसके बाद विक्रेता के नाम से अपने नाम पर कनेक्शन को बदलने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 1.56 करोड़[52] का परिहार्य भुगतान हुआ **(अनुलग्नक 2.9)** और साथ ही ₹ 1.06 करोड़ के तीसरे वृद्धि बिल के लिए देयता भी उत्पन्न हो गई। इसके अतिरिक्त, दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 की अवधि के लिए विद्युत शुल्क में वृद्धि का अलग से दावा किया जाना शेष था।

अपने उत्तर में, डीजेबी ने कहा (मार्च 2025) कि संविदा करार में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि विद्युत कनेक्शन दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर लिया जाना था और संविदा करार के अनुसार, व्यक्तिगत उपभोक्ता के लिए ₹ 8.50 प्रति यूनिट की दर से लागू गैर-घरेलू हाई-टेंशन टैरिफ पर आधारित बढ़े हुए बिल का भुगतान किया गया था, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन लिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इस बात की सूचना होने के बावजूद कि दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर विद्युत कनेक्शन होने से कम दर पर विद्युत शुल्क के भुगतान की सुविधा होगी, इस मामले को संविदा के चरण में शामिल नहीं किया गया था और उसके पश्चात भी इसे तेज़ी से आगे नहीं बढ़ाया गया जिससे

[52] पहली बिल राशि ₹ 1.07 करोड़ + दूसरी बिल राशि ₹ 0.49 करोड़ दो वृद्धि बिलों के लिए

जून 2021 से दिसंबर 2023 तक की अवधि के लिए विद्युत शुल्क में वृद्धि के कारण ₹ 2.62 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान/देयता का सृजन हुआ जो परिहार्य था। लेखापरीक्षा की सिफारिश है कि डीजेबी ऐसे सभी चल रहे अनुबंधों की समीक्षा करे और राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए विद्युत कनेक्शनों को अपने नाम पर अंतरित करने के लिए कार्रवाई शुरू करे।

नई दिल्ली **(नाज़ली जे. शाईन)**

दिनांक: 15 अप्रैल 2026 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**

दिनांक: 22 अप्रैल 2026 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1.1
(पैराग्राफ 1.1.3 में संदर्भित)
निरीक्षण रिपोर्टों की स्थिति[1]

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष			वर्ष के दौरान परिवर्धन			वर्ष के दौरान निकासी			अंत शेष		
	आईआर	पैराग्राफ	मौद्रिक मूल्य	आई आर	पैराग्राफ	मौद्रिक मूल्य	आई आर	पैराग्राफ	मौद्रिक मूल्य	आईआर	पैराग्राफ	मौद्रिक मूल्य
2013-14	469	11,234	10,496.31	92	790	1,099.45	3	83	0	558	11,941	11,595.76
2014-15	558	11,941	11,595.76	76	506	159.57	15	159	7.4	619	12,288	11,747.93
2015-16	619	12,288	11,747.93	80	458	52.23	9	129	4.12	690	12,617	11,796.04
2016-17	690	12,617	11,796.04	111	650	169.04	11	357	484.3	790	12,910	11,480.78
2017-18	790	12,910	11,480.78	70	499	1,038.00	9	3,879[2]	5,383.67	851	9,530	7,135.11
2018-19	851	9530	7135.11	65	393	510.05	6	328	298.74	910	9,595	7,346.42
2019-20	910	9595	7346.42	62	413	327.22	2	98	65.85	970	9,910	7,607.79
2020-21	970	9910	7607.79	21	163	203.25	0	2	0.11	991	10,071	7,810.93
2021-22	991	10,071	7810.93	13	106	29.43	5	29	0	999	10,148	7,840.36
2022-23	1067*	10586	7722.39	24	176	19.08	1	105	359.41	1090	10659	7382.06

*वर्ष 2022-23 के दौरान बकाया आईआर और पैराग्राफों के विवरण का समाधान कर दिया गया था और उन्हें अद्यतित कर दिया गया है जिसके कारण 2021-22 के अंत शेष और 2022-23 के प्रारंभिक शेष में अंतर है।

[1] एसजीएसटी/बिक्री कर, परिवहन, राज्य आबकारी और राजस्व विभाग की निरीक्षण रिपोर्टें।

[2] 2017-18 में, पुराने पैराओं की समीक्षा की गई और व्यापार और कर विभाग द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर बड़ी संख्या में पैराओं का निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त, जो पैरा सीएजी के प्रतिवेदन में छपे थे, परंतु 2009-10 से 2015-16 तक आपत्ति पुस्तिका में बकाया थे, उन्हें भी हटा दिया गया।

अनुलग्नक 1.2
(पैराग्राफ 1.1.4 में संदर्भित)
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित पैराग्राफ, विभागों द्वारा स्वीकार किए गए पैराग्राफ और वसूल की गई राशि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित पैराग्राफ की संख्या	पैराग्राफ का मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत पैराग्राफ़ की संख्या	स्वीकृत मौद्रिक मूल्य	वसूल की गई राशि	31 मार्च 2022 तक स्वीकार किए गए मामलों की वसूली की कुल स्थिति	वसूली की प्रतिशतता
2012-13	3	536	3	70.16	0	0	0
2013-14	3	98.39	3	20.83	0	0	0
2014-15	1	1.34	1	1.34	0	0.02	1.49
2015-16	4	122.13	4	7.02	0	0.01	0.14
2016-17	7	254.46	7	7.04	0	0.27	3.84
2017-18	7	705.58	7	390.39	0	0	0
2018-19	7	137.77	7	96.32	0	0	0
2019-20 **2020-21**	8	701.93	8	94.65	0	0	0
2021-22	3	1873.28	3	1873.28	0.16	0.16	0.01
कुल	**43**	**4,430.88**	**43**	**2,561.03**	**0.16**	**0.46**	

अनुलग्नक 1.3
(पैराग्राफ 1.2 में संदर्भित)
स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की अल्प उगाही

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	पंजीकरण संख्या/ बुक .सं. /खंड सं./दिनांक	प्रथम पक्ष का नाम (विक्रेता)	दूसरे पक्ष का नाम (क्रेता)	संपत्ति का पता	वर्ग	सर्किल दर (आवासीय) के अनुसार संपत्ति की दर प्रति वर्ग मीटर	कारक	हस्तांतरण के अधीन क्षेत्र	देय स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क	दत्त स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क (कृषि दर)	अंतर/ अल्प भुगतान	टिप्पणी
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	1012/ बुक संख्या 01/ खंड 417/ दिनांक 13/04/2021	सुरेंद्र कुमार, राकेश कुमार, विमल कुमार	कमला देवी कसत, कोमल कसत	ख.नं. 40/8/2, 9/2, 12,13 गाँव हमीदपुर, दिल्ली	एच	18,624	2 (औद्योगिक)	6,354.56 वर्ग मीटर *	1,18,34,733/- [(एसडी @4 *प्रतिशत* + आरएफ @1 *प्रतिशत*) कुल = ₹ 23,66,94,651/- का 5 *प्रतिशत*)]	4,20,000/- (एसडी=336000 + आरएफ=84000)	1,14,14,733	1 बीघा = 20 बिस्वा 1 बिस्वा = 50 वर्ग गज 1 वर्ग गज = 0.836127 वर्ग मीटर
2.	841/ बुक संख्या 01/ खंड 410/ दिनांक 30/03/2021	अलका गुप्ता	अंकुर जैन	ख. संख्या 93/6 (4-10), 72/25 (4-16) गाँव अलीपुर, तहसील अलीपुर, दिल्ली-36	एच	18,624	1 (आवासीय)	7,775.98 वर्ग मीटर **	1,01,37,390 [(एसडी@6 *प्रतिशत* + आरएफ@1 *प्रतिशत*) कुल = ₹ 14,48,19,852/- का 7 *प्रतिशत*]	24,50,000/- (एसडी=2100000 + आरएफ=350000)	76,87,390	
										कुल	**1,91,02,123**	

नोट:

1. * क्षेत्रफल = 152 बिस्वा (7 बीघा 12 बिस्वा) X 50 वर्ग गज (बिस्वा) X 0.836127 = 6354.56 वर्ग मीटर।
   सर्किल दर के अनुसार प्लॉट/भूमि की लागत= सर्किल दर X हस्तांतरण के अधीन क्षेत्र X कारक (18624*6354.56*2) = ₹ 23,66,94,651/-
2. ** क्षेत्रफल = 186 बिस्वा (9 बीघा 06 बिस्वा) X 50 वर्ग गज (बिस्वा) X 0.836127 = 7775.98 वर्ग मीटर।
   सर्किल दर के अनुसार प्लॉट/भूमि की लागत = सर्किल दर X हस्तांतरण के अधीन क्षेत्र X कारक (18624*7775.98) = ₹ 14,48,19,852/-

अनुलग्नक 1.4

(पैराग्राफ 1.3.8 में संदर्भित)

ईडब्ल्यूबी के बनने की प्रवृत्ति

जावक और आवक आपूर्ति के लिए बने ईडब्ल्यूबी का विवरण

वर्ष	जावक आपूर्ति		आवक आपूर्ति	
	आपूर्तिकर्ताओं की संख्या	ईडब्ल्यूबी की संख्या	आपूर्तिकर्ताओं की संख्या	ईडब्ल्यूबी की संख्या
2018-19	1,87,032	1,48,40,095	50,465	3,43,405
2019-20	1,90,898	1,61,71,084	36,154	2,94,206
2020-21	1,74,783	1,34,71,591	27,014	2,37,760
2021-22	1,71,630	1,53,34,169	27,077	3,04,675
कुल		**5,98,16,939**		**11,80,046**

स्रोत: जीएसटीएन डाटा

बढ़ाए गए, निरस्त और अस्वीकृत ईडब्ल्यूबी का विवरण

वर्ष	ईडब्ल्यूबी का विस्तार		निरस्त ईडब्ल्यूबी		अस्वीकृत ईडब्ल्यूबी	
	आपूर्तिकर्ताओं की संख्या	ईडब्ल्यूबी की संख्या	आपूर्तिकर्ताओं की संख्या	ईडब्ल्यूबी की संख्या	आपूर्तिकर्ताओं की संख्या	ईडब्ल्यूबी की संख्या
2018-19	13,779	72,134	63,802	3,03,078	3,832	6,895
2019-20	21,963	1,73,039	65,564	3,26,869	2,755	4347
2020-21	37,358	2,15,775	58,260	2,81,983	1,652	2,523
2021-22	53,643	2,89,600	59,748	2,91,245	1,188	2,216
कुल		**7,50,548**		**12,03,175**		**15,981**

स्रोत: जीएसटीएन डाटा

2018-19 से 2021-22 तक ईडब्ल्यूबी में प्रयुक्त परिवहन का तरीका

ईडब्ल्यूबी की प्रकृति	परिवहन का तरीका (सड़क मार्ग से)	सभी तरीकों का कुल योग	परिवहन की प्रतिशतता (सड़क मार्ग से)
आवक ईडब्ल्यूबी	1109200	1132665	**97.92**
जावक ईडब्ल्यूबी	55753324	57362516	**97.19**

स्रोत: जीएसटीएन डाटा

अनुलग्नक 1.5
(पैराग्राफ 1.3.8 में संदर्भित)
प्रमुख समस्या क्षेत्रों के नमूने

मुख्य समस्या क्षेत्र

(1) प्रशमन करदाता अंतर-राज्यीय आपूर्तियों के लिए ईडब्ल्यूबी बनाते हैं।

(2) प्रशमन करदाता जो अवसीमा से अधिक जावक आपूर्तियों के लिए ईडब्ल्यू बनाते हैं।

(3) किसी भी वर्ष में केवल ईडब्ल्यूबी से समर्थित जावक आपूर्तियों वाले करदाता।

(4) ऐसे करदाता जो किसी भी वर्ष में आवक आपूर्ति (ईडब्ल्यूबी से समर्थित) की तुलना में अधिक अनुपातहीन जावक आपूर्ति करते हैं।

(5) ऐसे करदाता जिन्होंने डुप्लीकेट इनवॉइस का प्रयोग करके ईडब्ल्यूबी बनाए थे।

(6) 'शून्य' रिटर्न फाइल करने वालों द्वारा ईडब्ल्यूबी बनाना।

(7) रिटर्न चूककर्ताओं (नॉन-फाइलर्स) द्वारा ईडब्ल्यूबी बनाना।

(8) ऐसे करदाता जिन्होंने निरसन की प्रभावी तिथि के बाद ईडब्ल्यूबी बनाए हैं।

(9) ऐसे करदाता जिन्होंने ईडब्ल्यूबी बनाए थे और जिनका पंजीकरण बाद में निरस्त कर दिया गया था।

(10) ऐसे करदाता जिन्होंने ईडब्ल्यूबी बनाए थे और बाद में निरस्त कर दिए थे।

(11) ऐसे करदाता जिन्होंने ईडब्ल्यूबी बनाए थे और बाद में प्राप्तकर्ताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया था।

(12) ऐसे करदाता जिन्होंने किसी वर्ष में जावक पक्ष की तुलना में आवक पक्ष में ईडब्ल्यूबी द्वारा समर्थित अनुपातहीन आपूर्ति की थी।

(13) करदाताओं द्वारा ईडब्ल्यूबी का विस्तार।

(14) जोखिम-युक्त गाड़ियों, यानी दो पहिया गाड़ियों का उपयोग करके बनाए गए ईडब्ल्यूबी।

(15) चोरी की गाड़ियों से बनाए गए ईडब्ल्यूबी।

(16) पंजीकरण के पहले छह महीनों में ईडब्ल्यूबी का उच्च मूल्य।

(17) अवैध पिन कोड का प्रयोग करने वाले ईडब्ल्यूबी।

(18) निलंबित, अलग किए हुए, परित्यक्त और निरस्त वाहनों का प्रयोग करके बनाए गए ईडब्ल्यूबी।

(19) एमसीए की चूककर्ता सूची से बनी ईडब्ल्यूबी।

(20) आयकर चूककर्ताओं द्वारा बनाए गए ईडब्ल्यूबी।

(21) डीजीएआरएम से पहचाने गए/दूसरी एजेंसियों से पहचाने गए करदाताओं द्वारा बनाए गए ईडब्ल्यूएस।

(22) डीजीएफटी-काली-सूचीबद्ध निर्यातकों द्वारा बनाए गए ईडब्ल्यूबी।

अनुलग्नक 1.6
(पैराग्राफ 1.3.8 में संदर्भित)
क्रॉस पैन विश्लेषण नमूना

क्रम सं.	ईडब्ल्यूबी सं.	ईडब्ल्यूबी तिथि	ईडब्ल्यूबी राशि	इनवॉइस/बिल तिथि	इनवॉइस/बिल सं.
1	701128864834	27-05-2020 16:11	1028547000	26-05-2020	एलकेएमडी 2021-02
2	701063000000	28-03-2019 22:11	88184020	28-03-2019	जीएसटी 18-19 0977
3	751189762093	12-05-2021 23:15	66843084	12-05-2021	एलआईडी6642
4	761230220258	22-12-2021 16:29	46224950	22-12-2021	21-22/0264
5	771042000000	26-11-2018 11:31	40494800	26-11-2018	285
6	311394179176	23-12-2021 16:53	3361554.57	23-12-2021	यूके2135000008
7	651088000000	20-03-2019 15:32	45000619	20-03-2019	आर0000196
8	421026000000	11-09-2018 17:57	39639175	11-09-2018	एसओएल/एमओआर/003

अनुलग्नक 1.7
(पैराग्राफ 1.3.8 में संदर्भित)
चयनित उच्च मूल्य वाले मामले का विवरण

ईडब्ल्यूबी सं.	ईडब्ल्यूबी तिथि	ईडब्ल्यूबी राशि	ईडब्ल्यूबी क्रॉस चेक	क्षेत्राधिकार
701222601492	12-11-2021 19:32	₹ 2,08,05.25 करोड़*	701222601492	वार्ड 61

* डाटा त्रुटि के कारण हुआ, बाद में निरस्त कर दिया गया।

अनुलग्नक 1.8
(पैराग्राफ 1.3.8 में संदर्भित)
120 मामलों (ईडब्ल्यूबी) का विवरण

क्रम सं.	ईडब्ल्यूबी सं.	ईडब्ल्यूबी तिथि	ईडब्ल्यूबी राशि	इनवॉइस/बिल सं.	क्षेत्राधिकार
1	391032128533	2018-07-22टी20:22	71085	213	वार्ड 62
2	711024213162	2018-08-12टी08:04	86000	001	वार्ड 61
3	711032495822	2018-09-29टी20:35	496000	18-19/358	वार्ड 61
4	721022901080	2018-08-04टी12:47	3100000	सीईपीएल/18-19/055	वार्ड 61
5	721035778033	2018-10-17टी19:28	662500	243	वार्ड 63
6	731019986415	2018-07-19टी19:06	60120	सी000153	वार्ड 84
7	741244704502	2022-03-05टी14:45	185973	3/2021-22	वार्ड 61
8	771009116561	2018-04-25टी14:58	2265250	डी072	वार्ड 63
9	771036159117	2018-10-20टी13:05	92820	484	वार्ड 74
10	771077871915	2019-06-18टी18:50	60000	आरटी-457	वार्ड 63
11	781032482502	2018-09-29टी19:39	496000	18-19/358	वार्ड 61
12	791078907129	2019-06-24टी22:50	60000	आरटी457	वार्ड 63
13	741086534703	2019-08-09टी00:00	6010240	17	वार्ड 61
14	761086536817	2019-08-09टी00:00	6761520	20	वार्ड 61
15	731133574253	2020-06-30टी18:38	990345	878	वार्ड 74
16	761075270997	2019-06-01टी21:19	1250989	202	वार्ड 84
17	701070210510	2019-05-04टी00:00	38630000	टीई/02	वार्ड 63
18	701070211258	2019-05-04टी00:00	62923500	टीई/03	वार्ड 63
19	731070213633	2019-05-04टी00:00	36328000	टीई/06	वार्ड 63
20	761070210112	2019-05-04टी00:00	50568330	टीई/01	वार्ड 63
21	761070211863	2019-05-04टी00:00	34552200	टीई/04	वार्ड 63
22	771078483186	2019-06-21टी00:00	6100404	2376	वार्ड 61
23	701015986775	2018-06-21टी00:00	1149383	18-19/166	वार्ड 61
24	701023243901	2018-08-06टी00:00	1605800	18-19/282	वार्ड 61
25	701035322722	2018-10-15टी00:00	1333290	412	वार्ड 74
26	701063040317	2019-03-26टी00:00	13775100	1002	वार्ड 74
27	701063382545	2019-03-28टी00:00	1338516	1016	वार्ड 74
28	701064386955	2019-04-02टी00:00	3465000	13	वार्ड 74
29	701070677083	2019-05-07टी00:00	1156885	232	वार्ड 74
30	711035320662	2018-10-15टी00:00	1340640	410	वार्ड 74
31	711063118956	2019-03-27टी00:00	3750000	1007	वार्ड 74
32	711063119579	2019-03-27टी00:00	2960000	1010	वार्ड 74

क्रम सं.	ईडब्ल्यूबी सं.	ईडब्ल्यूबी तिथि	ईडब्ल्यूबी राशि	इनवॉइस/बिल सं.	क्षेत्राधिकार
33	711068890088	2019-04-27टी00:00	2235290	161	वार्ड 74
34	711085379333	2019-08-01टी00:00	3798144	9	वार्ड 71
35	711125209875	2020-03-16टी00:00	1278000	1045	वार्ड 74
36	721035317795	2018-10-15टी00:00	1336230	411	वार्ड 74
37	721035319212	2018-10-15टी00:00	1329615	409	वार्ड 74
38	721064386401	2019-04-02टी00:00	3366000	12	वार्ड 74
39	721068137470	2019-04-23टी00:00	2212000	136	वार्ड 74
40	731021987352	2018-07-30टी00:00	2448000	230	वार्ड 62
41	731025810728	2018-08-22टी00:00	1276420	18-19/333	वार्ड 61
42	731063911140	2019-03-30टी00:00	1801200	1024	वार्ड 74
43	731068094040	2019-04-23टी00:00	1688680	130	वार्ड 74
44	741035323420	2018-10-15टी00:00	1328880	413	वार्ड 74
45	741063911242	2019-03-30टी00:00	1200040	1030	वार्ड 74
46	741063911309	2019-03-30टी00:00	1300050	1031	वार्ड 74
47	741068323273	2019-04-24टी00:00	2156000	141	वार्ड 74
48	741068829896	2019-04-26टी00:00	2281500	154	वार्ड 74
49	741068891457	2019-04-27टी00:00	2380500	162	वार्ड 74
50	741070265161	2019-05-04टी00:00	3413922	214	वार्ड 74
51	741070280911	2019-05-04टी00:00	2169746	215	वार्ड 74
52	741072706910	2019-05-18टी00:00	1339600	315	वार्ड 74
53	751022644647	2018-08-02टी00:00	1751760	18-19/261	वार्ड 61
54	751063040325	2019-03-26टी00:00	9207830	1003	वार्ड 74
55	751064385212	2019-04-02टी00:00	3564000	10	वार्ड 74
56	751064385915	2019-04-02टी00:00	3168000	11	वार्ड 74
57	751068118429	2019-04-23टी00:00	3804382	132	वार्ड 74
58	751068831203	2019-04-26टी00:00	2236800	155	वार्ड 74
59	751068831290	2019-04-26टी00:00	2385000	156	वार्ड 74
60	751068888337	2019-04-27टी00:00	2233850	160	वार्ड 74
61	761023576793	2018-08-08टी00:00	1287300	18-19/292	वार्ड 61
62	761025810095	2018-08-22टी00:00	1971370	18-19/332	वार्ड 61
63	761035502645	2018-10-16टी00:00	1349460	416	वार्ड 74
64	761068324243	2019-04-24टी00:00	2296000	142	वार्ड 74
65	771023575131	2018-08-08टी00:00	1221090	18-19/290	वार्ड 61
66	771035471306	2018-10-16टी00:00	1327410	417	वार्ड 74
67	771061488073	2019-03-16टी00:00	2469334	950	वार्ड 74

क्रम सं.	ईडब्ल्यूबी सं.	ईडब्ल्यूबी तिथि	ईडब्ल्यूबी राशि	इनवॉइस/बिल सं.	क्षेत्राधिकार
68	771068138858	2019-04-23टी00:00	2380000	138	वार्ड 74
69	771070010122	2019-05-03टी00:00	1520258	207	वार्ड 74
70	781022644914	2018-08-02टी00:00	1656720	18-19/262	वार्ड 61
71	781037411655	2018-10-26टी00:00	1442550	460	वार्ड 74
72	781063039377	2019-03-26टी00:00	11586220	1189	वार्ड 74
73	781063039489	2019-03-26टी00:00	5172000	1190	वार्ड 74
74	781063118577	2019-03-27टी00:00	3327500	1006	वार्ड 74
75	781068138413	2019-04-23टी00:00	2128000	137	वार्ड 74
76	781068352055	2019-04-24टी00:00	4380332	145	वार्ड 74
77	781078060726	2019-06-19टी00:00	590327	4	वार्ड 61
78	791021986104	2018-07-30टी00:00	2142000	229	वार्ड 62
79	791023920043	2018-08-10टी00:00	4000000	18-19/300	वार्ड 61
80	791063119263	2019-03-27टी00:00	2886000	1009	वार्ड 74
81	791068324747	2019-04-24टी00:00	2268000	143	वार्ड 74
82	791071892570	2019-05-14टी00:00	1708100	1018	वार्ड 74
83	791078056898	2019-06-19टी00:00	591675	1	वार्ड 61
84	711209348148	2021-09-08टी00:00	66898	103/केई/2122	वार्ड 35
85	741098608489	2019-10-16टी00:00	866934	जीएसटी/19-20/0347	वार्ड 61
86	761250005242	2022-03-30टी00:00	834560	जीई-068	वार्ड 63
87	751215057272	2021-10-06टी00:00	1394187	पीआईआई21220626	वार्ड 71
88	771226507283	2021-12-02टी00:00	3329250	पीआईआई21220885	वार्ड 71
89	701235931216	2022-01-21टी00:00	4000000	डीसी01/21-22/677	वार्ड 84
90	791235412747	2022-01-19टी00:00	6000000	डीसी01/21-22/670	वार्ड 84
91	731116346158	2020-01-27टी00:00	7367500	जेटी/059	वार्ड 67
92	761116345860	2020-01-27टी00:00	7552500	जेटी/058	वार्ड 67
93	731148183239	2020-09-29टी00:00	22104830	173	वार्ड 62
94	781018484184	2018-07-06टी00:00	251192188	107	वार्ड 71
95	741033525619	2018-10-05टी00:00	197620	295	वार्ड 61
96	781128577415	2020-05-24टी00:00	298200	टीआई/1	वार्ड 61
97	701013461724	2018-06-03टी19:49	2679770	जीएसटी-943	वार्ड 62
98	751013461406	2018-06-03टी19:44	2679770	जीएसटी-943	वार्ड 62
99	711030043131	2018-09-17टी12:59	1222435	355	वार्ड 61
100	761030126820	2018-09-17टी18:09	1222435	355	वार्ड 61
101	771086535622	2019-08-09टी00:00	6010240	18	वार्ड 61
102	781086536152	2019-08-09टी00:00	6010240	19	वार्ड 61

क्रम सं.	ईडब्ल्यूबी सं.	ईडब्ल्यूबी तिथि	ईडब्ल्यूबी राशि	इनवॉइस/बिल सं.	क्षेत्राधिकार
103	751075500198	2019-06-03टी00:00	1159477	1665	वार्ड 61
104	701045491278	2018-12-15टी00:00	40894028	पीओ-004	वार्ड 62
105	711045491958	2018-12-15टी00:00	38173492	पीओ-005	वार्ड 62
106	741177807741	2021-03-01टी00:00	2817360	एमएम/43/20-21	वार्ड 84
107	751177807731	2021-03-01टी00:00	2620800	एमएम/42/20-21	वार्ड 84
108	731162523226	2020-12-14टी00:00	1907565	141	वार्ड 74
109	731162523705	2020-12-14टी00:00	1907565	135	वार्ड 74
110	771021052272	2018-07-25टी00:00	899775	54	वार्ड 61
111	791021052249	2018-07-25टी00:00	899550	53	वार्ड 61
112	741087614947	2019-08-17टी00:00	29796480	277	वार्ड 62
113	741087615867	2019-08-17टी00:00	22230264	276	वार्ड 62
114	761087615540	2019-08-17टी00:00	10872630	275	वार्ड 62
115	781087615278	2019-08-17टी00:00	17927316	274	वार्ड 62
116	711114684153	2020-01-17टी00:00	660000	959	वार्ड 74
117	721110289971	2019-12-23टी00:00	291555	958	वार्ड 74
118	721114684242	2020-01-17टी00:00	897600	963	वार्ड 74
119	721125682769	2020-03-18टी00:00	886600	1056	वार्ड 74
120	731110288559	2019-12-23टी00:00	290700	957	वार्ड 74

अनुलग्नक 1.9
(पैराग्राफ 1.3.8 में संदर्भित)
नमूने में शामिल 45 करदाताओं का विवरण

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	आधिकारिक वार्ड सं.
1	07XXXXXXXXXXजेड9	62
2	07XXXXXXXXXXजेडक्यू	84
3	07XXXXXXXXXXजेडके	74
4	07XXXXXXXXXXजेडए	71
5	07XXXXXXXXXXजेडडब्ल्यू	63
6	07XXXXXXXXXXजेडजे	84
7	07XXXXXXXXXXजेडजी	61
8	07XXXXXXXXXXजेडई	63
9	07XXXXXXXXXXजेडके	74
10	07XXXXXXXXXXजेडआर	63
11	07XXXXXXXXXXजेडएच	61
12	07XXXXXXXXXXजेडके	61
13	07XXXXXXXXXXजेडक्यू	84
14	07XXXXXXXXXXजेडजे	63
15	07XXXXXXXXXXजेडजे	63
16	07XXXXXXXXXXजेड3	74
17	07XXXXXXXXXXजेडए	71
18	07XXXXXXXXXXजेडओ	74
19	07XXXXXXXXXXजेड2	62
20	07XXXXXXXXXXजेडआर	35
21	07XXXXXXXXXXजेडआर	63
22	07XXXXXXXXXXजेडएस	61
23	07XXXXXXXXXXजेडएल	74
24	07XXXXXXXXXXजेड7	61
25	07XXXXXXXXXXजेड4	71
26	07XXXXXXXXXXजेड2	62
27	07XXXXXXXXXXजेडडब्ल्यू	62
28	07XXXXXXXXXXजेड4	84
29	07XXXXXXXXXXजेड7	206
30	07XXXXXXXXXXजेड6	61
31	07XXXXXXXXXXजेडएन	61
32	07XXXXXXXXXXजेडएच	61
33	07XXXXXXXXXXजेड5	62
34	07XXXXXXXXXXजेडयू	84
35	07XXXXXXXXXXजेडएल	63

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	आधिकारिक वार्ड सं.
36	07XXXXXXXXXXजेडजेड	62
37	07XXXXXXXXXXजेडआई	202
38	07XXXXXXXXXXजेड7	44
39	07XXXXXXXXXXजेड7	71
40	07XXXXXXXXXXजेडएफ	204
41	07XXXXXXXXXXजेड8	210
42	07XXXXXXXXXXजेडओ	108
43	07XXXXXXXXXXजेडआर	61
44	07XXXXXXXXXXजेड7	206
45	07XXXXXXXXXXजेड7	61

अनुलग्नक 1.10
(पैराग्राफ 1.3.10.1(ii) में संदर्भित)
शून्य फाइलर्स द्वारा ईडब्ल्यूबी बनाना

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	क्षेत्र	बनाई गई कुल ईडब्ल्यूबी की संख्या	जावक आपूर्ति का निर्धारण योग्य मूल्य (₹ में)	सम्मिलित कर (₹ में)	विभाग का उत्तर
1	07XXXXXXXXXXजेड3	74	7	118	178103967	18489544	डीआरसी-07 जारी किया गया
2	07XXXXXXXXXXजेडएल	74	7	30	49219122	8859441	डीआरसी-07 जारी किया गया
3	07XXXXXXXXXXजेडक्यू	84	7	48	43143541	7765846	डीआरसी-01 जारी किया गया
4	07XXXXXXXXXXजेड2	62	5	15	23477464	3651583	डीआरसी-07 जारी किया गया
5	07XXXXXXXXXXजेडआर	63	6	548	44910608	8002916	प्राप्त नहीं हुआ
				759	**33,88,54,702**	**4,67,69,330**	

अनुलग्नक 1.11
(पैराग्राफ 1.3.10.1 (iii) में संदर्भित)
नॉन-फाइलर्स द्वारा ईडब्ल्यूबी बनाना

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	क्षेत्र	बनाई गई कुल ईडब्ल्यूबी की संख्या	जावक आपूर्ति का निर्धारण योग्य मूल्य (₹ में)	सम्मिलित कर (₹ में)	विभाग का उत्तर
1	07XXXXXXXXXXजेड0	74	7	7	5156455	928161	डीआरसी-07 जारी किया गया
2	07XXXXXXXXXXजेडएल	74	7	27	55491150	9988407	डीआरसी-07 जारी किया गया
3	07XXXXXXXXXXजेडए	71	6	9	34612164	3575992	डीआरसी-07 जारी किया गया
4	07XXXXXXXXXXजेडयू	84	7	2	5438160	271908	डीआरसी-01 जारी किया गया
5	07XXXXXXXXXXजेडएल	63	6	168	147701800	26554224	डीआरसी-01 जारी किया गया
6	07XXXXXXXXXXजेड7	61	5	32	4070950	732771	डीआरसी-01 जारी किया गया
7	07XXXXXXXXXXजेडएच	61	5	151	1467694771	143732831	डीआरसी-01 जारी किया गया
8	07XXXXXXXXXXजेडएच	63/6	6	10	375905964	67663074	प्राप्त नहीं हुआ
9	07XXXXXXXXXXजेडआर	61	5	17	9548274	1718681	डीआरसी-01 जारी किया गया
10	07XXXXXXXXXXजेडएन	61	5	5	3820125	687623	डीआरसी-01 जारी किया गया
11	07XXXXXXXXXXजेडएच	61	5	36	28927058	4816451	डीआरसी-01 जारी किया गया
12	07XXXXXXXXXXजेड5	62	5	4	158135040	18976204	डीआरसी-07 जारी किया गया
13	07XXXXXXXXXXजेडजेड	62	5	4	80826690	4041333	डीआरसी-07 जारी किया गया
14	07XXXXXXXXXXजेड7	206	11	90	79775756	18450126	डीआरसी-07 जारी किया गया
15	07XXXXXXXXXXजेड8	210	11	18	69557504	12487851	प्राप्त नहीं हुआ
				580	**252,66,61,861**	**31,46,25,637**	

अनुलग्नक 1.12
(पैराग्राफ 1.3.10.1 (iv) में संदर्भित)
निरस्त करदाताओं द्वारा ईडब्ल्यूबी बनाना

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	क्षेत्र	जावक आपूर्ति का निर्धारण योग्य मूल्य (₹ में)	सम्मिलित कर (₹ में)	पंजीकरण निरस्त करने की तिथि	विभाग का उत्तर
1	07XXXXXXXXXXजेड3	74	7	271657043	34225209	30.8.2017	डीआरसी-07 जारी किया गया
2	07XXXXXXXXXXजेड0	74	7	13688215	2124160	7/30/2019	डीआरसी-07 जारी किया गया
3	07XXXXXXXXXXजेडके	74	7	134939254	16803130	10.1.2020	डीआरसी-07 जारी किया गया
4	07XXXXXXXXXXजेडएल	74	7	301594815	54287066	25.09.2020	डीआरसी-07 जारी किया गया
5	07XXXXXXXXXXजेडए	71	6	34612164	3575992	30.07.2019	डीआरसी-07 जारी किया गया
6	07XXXXXXXXXXजेडक्यू	84	7	278326040	50098696	1.2.2019	डीआरसी-01 जारी किया गया
7	07XXXXXXXXXXजेडयू	84	7	124245381	7635971	11.1.2021	डीआरसी-01 जारी किया गया
8	07XXXXXXXXXXजेडक्यू	61	5	172000	8600	7.8.2018	डीआरसी-01 जारी किया गया
9	07XXXXXXXXXXजेड2	62	5	2,34,77,464	3651583	1.7.2017	डीआरसी-07 जारी किया गया
10	07XXXXXXXXXXजेड7	61	5	4070950	732771	1.7.2017	डीआरसी-01 जारी किया गया
11	07XXXXXXXXXXजेडएस	61	5	760862060	56978793	1.2.2019	डीआरसी-01 जारी किया गया
12	07XXXXXXXXXXजेडएच	61	5	1467694771	143732831	17.7.2019	डीआरसी-01 जारी किया गया
13	07XXXXXXXXXXजेडडब्ल्यू	62	5	96261237	17137018	25.2.2020	प्राप्त नहीं हुआ
14	07XXXXXXXXXXजेडके	61	5	5,02,59,415	9176895	1.7.2017	डीआरसी-01 जारी किया गया
15	07XXXXXXXXXXजेडजे	61	6	86090624	14384552	1.1.2019	डीआरसी-01 जारी किया गया
16	07XXXXXXXXXXजेडआर	63	6	14789133	2662045	8.12.2018	प्राप्त नहीं हुआ
17	07XXXXXXXXXXजेडआर	61	5	9548274	1718681	24.5.2019	डीआरसी-01 जारी किया गया

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	क्षेत्र	जावक आपूर्ति का निर्धारण योग्य मूल्य (₹ में)	सम्मिलित कर (₹ में)	पंजीकरण निरस्त करने की तिथि	विभाग का उत्तर
18	07XXXXXXXXXXजेड6	61	5	7956370	2888366	15.12.2019	डीआरसी-01 जारी किया गया
19	07XXXXXXXXXXजेड2	62	5	132143168	23041783	15.2.2018	प्राप्त नहीं हुआ
20	07XXXXXXXXXXजेडएन	61	5	119633079	21185055	25.6.2018	डीआरसी-01 जारी किया गया
21	07XXXXXXXXXXजेडएच	61	5	223043907	40036614	29.11.2018	डीआरसी-01 जारी किया गया
22	07XXXXXXXXXXजेड5	62	5	192595558	20847628	17.9.2018	डीआरसी-07 जारी किया गया
23	07XXXXXXXXXXजेडजेड	62	5	935117364	84688092	18.3.2019	डीआरसी-07 जारी किया गया
24	07XXXXXXXXXXजेड9	62	5	37435718	6738429	01.7.2017	प्राप्त नहीं हुआ
25	07XXXXXXXXXXजेडई	63	6	46560224	8380840	31.8.2018	डीआरसी-01 जारी किया गया
26	07XXXXXXXXXXजेडजे	63	6	375905964	67663074	8.3.2019	प्राप्त नहीं हुआ
27	07XXXXXXXXXXजेड7	206	11	432310132	81906314	13.02.2019	प्राप्त नहीं हुआ
28	07XXXXXXXXXXजेड8	210	11	1246284756	217649174	16.07.2018	प्राप्त नहीं हुआ
				734,75,38,201	**99,39,59,362**		

अनुलग्नक 1.13
(पैराग्राफ 1.3.10.1(v) में संदर्भित)
एक ही/समान इनवॉइस के द्वारा आपूर्ति

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	क्षेत्र	बनाई गई कुल ईडब्ल्यूबी की संख्या	जावक आपूर्ति का निर्धारण योग्य मूल्य (₹ में)	सम्मिलित कर (₹ में)	विभाग का उत्तर
1	07XXXXXXXXXXजेडजे	84	7	16	1367387	165671	डीआरसी-01 जारी किया गया
2	07XXXXXXXXXXजेड9	62	5	24	2026604	364789	प्राप्त नहीं हुआ
3	07XXXXXXXXXXजेडडब्ल्यू	63	6	13	3026044	544688	एएसएमटी-10 जारी किया गया
4	07XXXXXXXXXXजेडके	61	5	2	992000	277760	डीआरसी-01 जारी किया गया
5	07XXXXXXXXXXजेडई	63	6	4	5713450	1028421	डीआरसी-01 जारी किया गया
6	07XXXXXXXXXXजेडएन	61	5	4	4616540	830976	डीआरसी-01 जारी किया गया
7	07XXXXXXXXXXजेडएच	61	5	2	180000	32400	डीआरसी-01 जारी किया गया
				65	**1,79,22,025**	**32,44,705**	

अनुलग्नक 1.14
(पैराग्राफ 1.3.10.1(vi) में संदर्भित)
संदिग्ध वाहनों के द्वारा की गई आपूर्ति

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	क्षेत्र	बनाई गई कुल ईडब्ल्यूबी की संख्या	जावक आपूर्ति का मूल्य (₹ में)	टिप्पणी	विभाग का उत्तर
1	07XXXXXXXXXXजेड3	74	7	1	1568078	ईडब्ल्यूबी में उल्लिखित परित्यक्त वाहन	डीआरसी-07 जारी किया गया
2	07XXXXXXXXXXजेड3	74	7	3	10183950	ईडब्ल्यूबी में उल्लिखित वाहन जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है	डीआरसी-07 जारी किया गया
3	07XXXXXXXXXXजेडके	74	7	1	1168607	ईडब्ल्यूबी में उल्लिखित चोरी के वाहन	डीआरसी-07 जारी किया गया
4	07XXXXXXXXXXजेडए	71	6	1	3988051	ईडब्ल्यूबी में उल्लिखित निलंबित वाहन	डीआरसी-07 जारी किया गया
5	07XXXXXXXXXXजेडक्यू	84	7	1	1476167	ईडब्ल्यूबी में उल्लिखित निलंबित वाहन	डीआरसी-01 जारी किया गया
6	07XXXXXXXXXXजेडआर	35	1	1	66898	निलंबित दो पहिया वाहन का उपयोग करके ईडब्ल्यूबी बनाए गए	डीआरसी-07 जारी किया गया
7	07XXXXXXXXXXजेडएल	63	6	1	1044480	दो पहिया वाहन का उपयोग करके ईडब्ल्यूबी बनाए गए	डीआरसी-01 जारी किया गया
8	07XXXXXXXXXXजेडएच	61	5	4	24792240	दो पहिया वाहन का उपयोग करके ईडब्ल्यूबी बनाए गए	डीआरसी-01 जारी किया गया
9	07XXXXXXXXXXजेडएल	63	6	3	1467040	रद्दी वाहनों का उपयोग करके ईडब्ल्यूबी बनाए गए	डीआरसी-01 जारी किया गया
10	07XXXXXXXXXXजेडडब्ल्यू	62	5	1	610834	निरस्त वाहनों का उपयोग करके ईडब्ल्यूबी बनाए गए	प्राप्त नहीं हुआ
11	07XXXXXXXXXXजेडएस	61	5	1	866934	ईडब्ल्यूबी में उल्लिखित वाहन जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है	डीआरसी-01 जारी किया गया
				18	**4,72,33,279**		

अनुलग्नक 1.15
(पैराग्राफ 1.3.10.1(vii) में संदर्भित)
अमान्य पिन कोड का उपयोग करके ईडब्ल्यूबी बनाना

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	क्षेत्र	बनाई गई कुल ईडब्ल्यूबी की संख्या	जावक आपूर्ति का निर्धारण योग्य मूल्य (₹ में)	सम्मिलित कर (₹ में)	विभाग का उत्तर
1	07XXXXXXXXXXजेडए	61	5	1	3100000	558000	डीआरसी-01 जारी किया गया
2	07XXXXXXXXXXजेड9	62	5	1	20886	3760	नहीं पाना
3	07XXXXXXXXXजेड2	62	5	2	4590000	826200	डीआरसी-07 जारी किया गया
4	07XXXXXXXXXXजेडडब्ल्यू	63	6	4	274500	49410	एएसएमटी-10 जारी किया गया
				8	**79,85,386**	**14,37,370**	

अनुलग्नक 1.16
(पैराग्राफ 1.3.10.2(i) में संदर्भित)
इनपुट कर क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना और उपयोग करना

क्रम स.	जीएसटीआईएन	वार्ड	क्षेत्र	वित्त वर्ष	कर योग्य मूल्य (₹)	केंद्रीय कर (₹)	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कर (₹)	कुल (₹)	टिप्पणी	विभाग का उत्तर
1	07XXXXXXXXXXजेडएस	71	6	जुलाई-20	402750	36247.49	36247.49	72494.98	दस्तावेज़ की तिथि आपूर्तिकर्ता के पंजीकरण रद्द होने के बाद की है।	प्राप्त नहीं हुआ
2	07XXXXXXXXXXजेडजे			जुलाई-18	417277	37554.93	37554.93	75109.86		
								147,605		

अनुलग्नक 1.17
(पैराग्राफ 1.3.10.2 (ii) में संदर्भित)
इनपुट टैक्स क्रेडिट का अत्यधिक लाभ और उपयोग

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	क्षेत्र	जीएसटीआर-3बी के अनुसार दावा किया गया आईटीसी (₹)	जीएसटीआर-2ए के अनुसार (₹)	सम्मिलित कर (₹)	विभाग का उत्तर
1	07XXXXXXXXXXजेडजेड	62	5	89261300	52984698	36276602	प्राप्त नहीं हुआ
2	07XXXXXXXXXXजेड5	62	5	1870618	0	1870618	डीआरसी-07 जारी किया गया
3	07XXXXXXXXXXजेड2	62	5	58853174	0	58853174	प्राप्त नहीं हुआ
				14,99,85,092	**5,29,84,698**	**9,70,00,394**	

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	क्षेत्र	वित्त वर्ष	जीएसटीआर-3बी के अनुसार (₹)	जीएसटीआर-2ए/ 2बी के अनुसार (₹)	अंतर (अतिरिक्त लिया गया) (₹)	विभाग का उत्तर
1	07XXXXXXXXXXजेडआई	202	11	2021-22	39,226,484	36,127,203	3,099,281	प्राप्त नहीं हुआ
2	07XXXXXXXXXXजेड7	44	3	2018-19	106,590,286	97,865,696	8,724,589	डीआरसी-07 जारी किया गया
3	07XXXXXXXXXXजेडओ	108		2018-19	529,881,959	526,190,379	3,691,580	प्राप्त नहीं हुआ
				2019-20	422,079,943	404,249,079	17,830,864	प्राप्त नहीं हुआ
					1,09,77,78,671	**1,06,44,32,356**	**3,33,46,315**	

अनुलग्नक 1.18

(पैराग्राफ 1.3.10.2 (iii) में संदर्भित)

अस्वीकार्य आईटीसी का लाभ उठाना और उसका उपयोग

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	क्षेत्र	वित्त वर्ष	कर योग्य मूल्य (₹)	केंद्रीय कर (₹)	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश कर (₹)	उपकर (₹)	कुल (₹)	टिप्पणी	विभाग का उत्तर
1	07XXXXXXXXXXजेडआई	202	11	2018-19 से 2021-22	8956328	1087017.42	1087017.42	1265678	3439713	डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) (सी) के अंतर्गत अवरुद्ध क्रेडिट	प्राप्त नहीं हुआ

अनुलग्नक 1.19(ए)
(पैराग्राफ 1.4.4 में संदर्भित)
केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए नमूना

क्रम सं.	चयनित जीएसटीआईएन	वर्ष	वार्ड	आयाम
1	07XXXXXXXXXX1जेडजी	2018-19	वार्ड 201	1
2	07XXXXXXXXXX1जेडसी	2018-19	वार्ड 62	1
3	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	2018-19	वार्ड 103	1
4	07XXXXXXXXXX1जेडएस	2020-21	वार्ड 111 (विशेष क्षेत्र)	1
5	07XXXXXXXXXX1जेडएस	2018-19	वार्ड 111 (विशेष क्षेत्र)	1
6	07XXXXXXXXXX1जेडएस	2019-20	वार्ड 111 (विशेष क्षेत्र)	1
7	07XXXXXXXXXX1जेडजे	2020-21	वार्ड 14	1
8	07XXXXXXXXXX1जेडजे	2018-19	वार्ड 14	1
9	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	2018-19	वार्ड 63	1
10	07XXXXXXXXXX1जेड1	2020-21	वार्ड 14	1
11	07XXXXXXXXXX1जेडई	2018-19	वार्ड 93	1
12	07XXXXXXXXXX1जेडडी	2020-21	वार्ड 210	1
13	07XXXXXXXXXX1जेड4	2018-19	वार्ड 107 (विशेष क्षेत्र)	1
14	07XXXXXXXXXX1जेड4	2019-20	वार्ड 107 (विशेष क्षेत्र)	1
15	07XXXXXXXXXX1जेड4	2020-21	वार्ड 107 (विशेष क्षेत्र)	1
16	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	2018-19	वार्ड 107 (विशेष क्षेत्र)	1
17	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	2019-20	वार्ड 107 (विशेष क्षेत्र)	1
18	07XXXXXXXXXX1जेडओ	2019-20	वार्ड 206	1
19	07XXXXXXXXXX1जेडओ	2020-21	वार्ड 206	1
20	07XXXXXXXXXX1जेडओ	2018-19	वार्ड 206	1
21	07XXXXXXXXXX1जेडबी	2018-19	वार्ड 210	1
22	07XXXXXXXXXX1जेडबी	2019-20	वार्ड 210	1
23	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	2019-20	वार्ड 201	1
24	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	2020-21	वार्ड 201	1
25	07XXXXXXXXXX2जेडआर	2018-19	वार्ड 28	1
26	07XXXXXXXXXX2जेड8	2018-19	वार्ड 28	1
27	07XXXXXXXXXX1जेडडी	2019-20	वार्ड 63	1
28	07XXXXXXXXXX2जेडटी	2020-21	वार्ड 210	1
29	07XXXXXXXXXX1जेडआई	2018-19	वार्ड 63	1
30	07XXXXXXXXXX1जेड6	2018-19	वार्ड 63	1
31	07XXXXXXXXXXजेड6	2019-20	वार्ड 63	1
32	07XXXXXXXXXX1जेडसी	2019-20	वार्ड 66	1
33	07XXXXXXXXXX1जेडसी	2018-19	वार्ड 66	1
34	07XXXXXXXXXX1जेडएच	2018-19	वार्ड 210	1
35	07XXXXXXXXXX1जेडएच	2019-20	वार्ड 210	1

क्रम सं.	चयनित जीएसटीआईएन	वर्ष	वार्ड	आयाम
36	07XXXXXXXXX1जेड1	2020-21	वार्ड 210	1
37	07XXXXXXXXX1जेडएच	2018-19	वार्ड 12	1
38	07XXXXXXXXX2जेड5	2018-19	वार्ड 72	1
39	07XXXXXXXXX1जेडएल	2019-20	वार्ड 63	1
40	07XXXXXXXXX1जेडएस	2018-19	वार्ड 27	1
41	07XXXXXXXXX1जेडएन	2018-19	वार्ड 210	1
42	07XXXXXXXXX1जेड9	2018-19	वार्ड 202	1
43	07XXXXXXXXX1जेड9	2019-20	वार्ड 202	1
44	07XXXXXXXXX1जेड7	2018-19	वार्ड 70	1
45	07XXXXXXXXX1जेड0	2019-20	वार्ड 205	2
46	07XXXXXXXXX1जेड0	2018-19	वार्ड 205	2
47	07XXXXXXXXX1जेड0	2020-21	वार्ड 205	2
48	07XXXXXXXXX2जेड9	2019-20	वार्ड 207	2
49	07XXXXXXXXX2जेड9	2018-19	वार्ड 207	2
50	07XXXXXXXXX1जेडके	2019-20	वार्ड 105	2
51	07XXXXXXXXX1जेडके	2018-19	वार्ड 105	2
52	07XXXXXXXXX1जेडके	2020-21	वार्ड 105	2
53	07XXXXXXXXX1जेड8	2020-21	वार्ड 61	2
54	07XXXXXXXXX1जेड8	2018-19	वार्ड 61	2
55	07XXXXXXXXX1जेडएफ	2019-20	वार्ड 203	2
56	07XXXXXXXXX1जेडएफ	2020-21	वार्ड 203	2
57	07XXXXXXXXX1जेड2	2020-21	वार्ड 206	2
58	07XXXXXXXXX1जेड2	2018-19	वार्ड 206	2
59	07XXXXXXXXX1जेड2	2019-20	वार्ड 206	2
60	07XXXXXXXXX1जेडबी	2020-21	वार्ड 89	2
61	07XXXXXXXXX1जेडबी	2019-20	वार्ड 89	2
62	07XXXXXXXXX1जेडबी	2018-19	वार्ड 89	2
63	07XXXXXXXXX1जेडटी	2020-21	वार्ड 94	2
64	07XXXXXXXXX1जेडटी	2019-20	वार्ड 94	2
65	07XXXXXXXXX1जेडटी	2018-19	वार्ड 94	2
66	07XXXXXXXXX1जेड1	2019-20	वार्ड 206	2
67	07XXXXXXXXX1जेड1	2018-19	वार्ड 206	2
68	07XXXXXXXXX1जेडजेड	2020-21	वार्ड 207	2
69	07XXXXXXXXX1जेडजेड	2019-20	वार्ड 207	2
70	07XXXXXXXXX1जेडजेड	2018-19	वार्ड 207	2
71	07XXXXXXXXX1जेड9	2019-20	वार्ड 61	2
72	07XXXXXXXXX1जेड9	2018-19	वार्ड 61	2
73	07XXXXXXXXX1जेडएस	2020-21	वार्ड 202	2
74	07XXXXXXXXX1जेडएस	2019-20	वार्ड 202	2

क्रम सं.	चयनित जीएसटीआईएन	वर्ष	वार्ड	आयाम
75	07XXXXXXXXX1जेडएस	2018-19	वार्ड 202	2
76	07XXXXXXXXX1जेडसी	2018-19	वार्ड 2	2
77	07XXXXXXXXX1जेडसी	2020-21	वार्ड 2	2
78	07XXXXXXXXX1जेडसी	2019-20	वार्ड 2	2
79	07XXXXXXXXX1जेडपी	2020-21	वार्ड 206	2
80	07XXXXXXXXX1जेडपी	2019-20	वार्ड 206	2
81	07XXXXXXXXX1जेडपी	2018-19	वार्ड 206	2
82	07XXXXXXXXX1जेडजेड	2020-21	वार्ड 206	2
83	07XXXXXXXXX1जेडजेड	2018-19	वार्ड 206	2
84	07XXXXXXXXX1जेडजेड	2018-19	वार्ड 63	3
85	07XXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	2018-19	वार्ड 210	3
86	07XXXXXXXXX1जेडवाई	2019-20	वार्ड 63	3
87	07XXXXXXXXX1जेडवाई	2018-19	वार्ड 63	3
88	07XXXXXXXXX1जेडजी	2018-19	वार्ड 98	3
89	07XXXXXXXXX1जेड6	2018-19	वार्ड 61	3
90	07XXXXXXXXX1जेड6	2019-20	वार्ड 61	3
91	07XXXXXXXXX1जेड8	2018-19	वार्ड 63	3
92	07XXXXXXXXX1जेडसी	2018-19	वार्ड 93	3
93	07XXXXXXXXX2जेडवाई	2018-19	वार्ड 63	3
94	07XXXXXXXXX1जेड0	2019-20	वार्ड 210	3
95	07XXXXXXXXX1जेड0	2018-19	वार्ड 210	3
96	07XXXXXXXXX1जेडजेड	2018-19	वार्ड 4	3
97	07XXXXXXXXX1जेडओ	2019-20	वार्ड 72	3
98	07XXXXXXXXX1जेड9	2019-20	वार्ड 27	3
99	07XXXXXXXXX1जेडआई	2019-20	वार्ड 34	3
100	07XXXXXXXXX1जेडआई	2018-19	वार्ड 34	3
101	07XXXXXXXXX1जेडएम	2019-20	वार्ड 105	3
102	07XXXXXXXXX1जेडजेड	2018-19	वार्ड 210	3
103	07XXXXXXXXX1जेडजी	2018-19	वार्ड 210	3
104	07XXXXXXXXX1जेड1	2019-20	वार्ड 82	3
105	07XXXXXXXXX1जेड1	2018-19	वार्ड 82	3
106	07XXXXXXXXX1जेडजेड	2018-19	वार्ड 67	3
107	07XXXXXXXXX2जेडई	2018-19	वार्ड 64	3
108	07XXXXXXXXX1जेडएस	2019-20	वार्ड 84	3
109	07XXXXXXXXX1जेडएस	2018-19	वार्ड 84	3
110	07XXXXXXXXX1जेडआर	2020-21	वार्ड 203	4
111	07XXXXXXXXX6जेडजी	2019-20	वार्ड 202	4
112	07XXXXXXXXX1जेड4	2019-20	वार्ड 203	4
113	07XXXXXXXXX1जेड4	2020-21	वार्ड 203	4

क्रम सं.	चयनित जीएसटीआईएन	वर्ष	वार्ड	आयाम
114	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	2020-21	वार्ड 2	4
115	07XXXXXXXXXX1जेडडी	2018-19	वार्ड 205	4
116	07XXXXXXXXXX1जेडडी	2019-20	वार्ड 205	4
117	07XXXXXXXXXX1जेडडी	2020-21	वार्ड 205	4
118	07XXXXXXXXXX1जेड1	2018-19	वार्ड 205	4
119	07XXXXXXXXXX1जेड7	2018-19	वार्ड 96	4
120	07XXXXXXXXXX1जेड7	2019-20	वार्ड 96	4
121	07XXXXXXXXXX1जेडजी	2018-19	वार्ड 206	4
122	07XXXXXXXXXX1जेड5	2018-19	वार्ड 203	4
123	07XXXXXXXXXX2जेड वी	2018-19	वार्ड 203	4
124	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	2018-19	वार्ड 106	4
125	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	2019-20	वार्ड 106	4
126	07XXXXXXXXXX1जेडके	2019-20	वार्ड 96	4
127	07XXXXXXXXXX1जेड1	2019-20	वार्ड 63	4
128	07XXXXXXXXXX1जेड6	2019-20	वार्ड 98	4
129	07XXXXXXXXXX1जेडटी	2018-19	वार्ड 63	4
130	07XXXXXXXXXX1जेड9	2018-19	वार्ड 63	4
131	07XXXXXXXXXX1जेड9	2020-21	वार्ड 63	4
132	07XXXXXXXXXX3जेडएम	2018-19	वार्ड 63	4
133	07XXXXXXXXXX1जेड0	2019-20	वार्ड 203	4
134	07XXXXXXXXXX1जेडए	2019-20	वार्ड 202	4
135	07XXXXXXXXXX2जेडक्यू	2019-20	वार्ड 94	4
136	07XXXXXXXXXX1जेड2	2020-21	वार्ड 204	5
137	07XXXXXXXXXX1जेड7	2019-20	वार्ड 71	5
138	07XXXXXXXXXX1जेडएल	2018-19	वार्ड 203	5
139	07XXXXXXXXXX1जेडएल	2020-21	वार्ड 203	5
140	07XXXXXXXXXX1जेडएल	2019-20	वार्ड 203	5
141	07XXXXXXXXXX2जेडएफ	2018-19	वार्ड 204	5
142	07XXXXXXXXXX6जेडसी	2020-21	वार्ड 11	5
143	07XXXXXXXXXX6जेडसी	2019-20	वार्ड 11	5
144	07XXXXXXXXXX1जेड4	2018-19	वार्ड 203	5
145	07XXXXXXXXXX1जेड3	2019-20	वार्ड 44	5
146	07XXXXXXXXXX1जेडआई	2020-21	वार्ड 88	5
147	07XXXXXXXXXX1जेड3	2020-21	वार्ड 63	5
148	07XXXXXXXXXX1जेड3	2019-20	वार्ड 63	5
149	07XXXXXXXXXX1जेड3	2018-19	वार्ड 63	5
150	07XXXXXXXXXX1जेड3	2019-20	वार्ड 202	5
151	07XXXXXXXXXX1जेड3	2020-21	वार्ड 202	5
152	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	2018-19	वार्ड 207	5

क्रम सं.	चयनित जीएसटीआईएन	वर्ष	वार्ड	आयाम
153	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	2019-20	वार्ड 207	5
154	07XXXXXXXXXX1जेडआर	2019-20	वार्ड 63	5
155	07XXXXXXXXXX1जेडआर	2020-21	वार्ड 63	5
156	07XXXXXXXXXX1जेडआर	2018-19	वार्ड 63	5
157	07XXXXXXXXXX1जेडजे	2018-19	वार्ड 202	5
158	07XXXXXXXXXX2जेडवाई	2018-19	वार्ड 210	5
159	07XXXXXXXXXX1जेडएच	2019-20	वार्ड 27	5
160	07XXXXXXXXXX1जेड6	2018-19	वार्ड 23	5
161	07XXXXXXXXXX2जेडक्यू	2020-21	वार्ड 210	5
162	07XXXXXXXXXX3जेडके	2018-19	वार्ड 61	5
163	07XXXXXXXXXX1जेडटी	2020-21	वार्ड 84	5
164	07XXXXXXXXXX1जेडयू	2020-21	वार्ड 208	5
165	07XXXXXXXXXX1जेडयू	2019-20	वार्ड 208	5
166	07XXXXXXXXXX2जेड9	2020-21	वार्ड 207	6
167	07XXXXXXXXXX2जेड9	2018-19	वार्ड 207	6
168	07XXXXXXXXXX2जेडटी	2019-20	वार्ड 201	6
169	07XXXXXXXXXX1जेडके	2019-20	वार्ड 203	6
170	07XXXXXXXXXX1जेडके	2018-19	वार्ड 203	6
171	07XXXXXXXXXX1जेड4	2018-19	वार्ड 107 (विशेष क्षेत्र)	6
172	07XXXXXXXXXX1जेड1	2019-20	वार्ड 206	6
173	07XXXXXXXXXX1जेडएन	2019-20	वार्ड 61	6
174	07XXXXXXXXXX1जेडएन	2018-19	वार्ड 61	6
175	07XXXXXXXXXX2जेड7	2018-19	वार्ड 110 (विशेष क्षेत्र)	6
176	07XXXXXXXXXX1जेडके	2019-20	वार्ड 100	6
177	07XXXXXXXXXX1जेड0	2018-19	वार्ड 203	6
178	07XXXXXXXXXX1जेड0	2019-20	वार्ड 203	6
179	07XXXXXXXXXX1जेड0	2020-21	वार्ड 203	6
180	07XXXXXXXXXX1जेड1	2020-21	वार्ड 203	6
181	07XXXXXXXXXX1जेड1	2018-19	वार्ड 203	6
182	07XXXXXXXXXX2जेड9	2018-19	वार्ड 208	7
183	07XXXXXXXXXX1जेडए	2020-21	वार्ड 202	7
184	07XXXXXXXXXX1जेडए	2019-20	वार्ड 202	7
185	07XXXXXXXXXX1जेडयू	2020-21	वार्ड 16	7
186	07XXXXXXXXXX1जेड6	2020-21	वार्ड 103	7
187	07XXXXXXXXXX1जेडओ	2020-21	वार्ड 58	7
188	07XXXXXXXXXX1जेड6	2018-19	वार्ड 63	7
189	07XXXXXXXXXX1जेडए	2018-19	वार्ड 107 (विशेष क्षेत्र)	7
190	07XXXXXXXXXX2जेडएस	2018-19	वार्ड 201	7
191	07XXXXXXXXXX2जेडएस	2020-21	वार्ड 201	7

क्रम सं.	चयनित जीएसटीआईएन	वर्ष	वार्ड	आयाम
192	07XXXXXXXXXX1जेडएम	2020-21	वार्ड 74	7
193	07XXXXXXXXXX1जेड7	2018-19	वार्ड 71	7
194	07XXXXXXXXXX1जेड7	2020-21	वार्ड 71	7
195	07XXXXXXXXXX1जेड1	2019-20	वार्ड 20	9
196	07XXXXXXXXXX1जेड1	2020-21	वार्ड 20	9
197	07XXXXXXXXXX1जेडएल	2020-21	वार्ड 20	9
198	07XXXXXXXXXX1जेडएल	2019-20	वार्ड 20	9
199	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2018-19	वार्ड 16	9
200	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2019-20	वार्ड 16	9
201	07XXXXXXXXXX1जेडई	2019-20	वार्ड 64	9
202	07XXXXXXXXXX1जेडई	2018-19	वार्ड 64	9
203	07XXXXXXXXXX1जेडवी	2019-20	वार्ड 59	9
204	07XXXXXXXXXX1जेडएच	2019-20	वार्ड 93	9
205	07XXXXXXXXXX1जेडएच	2018-19	वार्ड 93	9
206	07XXXXXXXXXX1जेड8	2019-20	वार्ड 71	9
207	07XXXXXXXXXX1जेड8	2018-19	वार्ड 71	9
208	07XXXXXXXXXX2जेडसी	2018-19	वार्ड 71	9
209	07XXXXXXXXXX2जेड4	2020-21	वार्ड 71	9
210	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2019-20	वार्ड 10	9
211	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2018-19	वार्ड 10	9
212	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	2018-19	वार्ड 63	9
213	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	2019-20	वार्ड 63	9
214	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	2020-21	वार्ड 63	9
215	07XXXXXXXXXX1जेड1	2019-20	वार्ड 63	9
216	07XXXXXXXXXX1जेड1	2018-19	वार्ड 63	9
217	07XXXXXXXXXX2जेडआर	2019-20	वार्ड 92	9
218	07XXXXXXXXXX2जेडआर	2018-19	वार्ड 92	9
219	07XXXXXXXXXX1जेडयू	2018-19	वार्ड 79	9
220	07XXXXXXXXXX1जेडयू	2019-20	वार्ड 79	9
221	07XXXXXXXXXX1जेडजी	2018-19	वार्ड 62	9
222	07XXXXXXXXXX1जेडजी	2019-20	वार्ड 62	9
223	07XXXXXXXXXX1जेडई	2019-20	वार्ड 65	9
224	07XXXXXXXXXX1जेडई	2018-19	वार्ड 65	9
225	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	2018-19	वार्ड 78	9
226	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	2019-20	वार्ड 78	9
227	07XXXXXXXXXX1जेड0	2019-20	वार्ड 37	9
228	07XXXXXXXXXX1जेडआर	2020-21	वार्ड 28	9
229	07XXXXXXXXXX1जेडआर	2019-20	वार्ड 28	9
230	07XXXXXXXXXX1जेडआर	2018-19	वार्ड 28	9

क्रम सं.	चयनित जीएसटीआईएन	वर्ष	वार्ड	आयाम
231	07XXXXXXXXXX1जेड0	2018-19	वार्ड 73 से 54	9
232	07XXXXXXXXXX1जेड0	2020-21	वार्ड 73 से 54	9
233	07XXXXXXXXXX1जेडएल	2020-21	वार्ड 203	9
234	07XXXXXXXXXX1जेडएल	2019-20	वार्ड 203	9
235	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	2019-20	वार्ड 83	9
236	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	2020-21	वार्ड 83	9
237	07XXXXXXXXXX1जेड1	2019-20	वार्ड 208	9
238	07XXXXXXXXXX1जेड1	2020-21	वार्ड 208	9
239	07XXXXXXXXXX1जेडयू	2020-21	वार्ड 208	9
240	07XXXXXXXXXX1जेडयू	2018-19	वार्ड 208	9
241	07XXXXXXXXXX1जेडयू	2019-20	वार्ड 208	9
242	07XXXXXXXXX1जेडटी	201819	वार्ड 206	9
243	07XXXXXXXXXX1जेडटी	2019-20	वार्ड 206	9
244	07XXXXXXXXXX1जेडटी	2020-21	वार्ड 206	9
245	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	2018-19	वार्ड 78	9
246	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	2019-20	वार्ड 78	9
247	07XXXXXXXXXX1जेडसी	2018-19	वार्ड 74	9
248	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	2018-19	वार्ड 62	9
249	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	2020-21	वार्ड 62	9
250	07XXXXXXXXXX1जेड7	2019-20	वार्ड 59	9
251	07XXXXXXXXXX1जेड3	2018-19	वार्ड 32	9
252	07XXXXXXXXXX1जेडआई	2019-20	वार्ड 84	9
253	07XXXXXXXXXX1जेडआई	2018-19	वार्ड 84	9
254	07XXXXXXXXXX1जेड2	2020-21	वार्ड 61	9
255	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	2019-20	वार्ड 93	9
256	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	2020-21	वार्ड 93	9
257	07XXXXXXXXXX1जेड3	2019-20	वार्ड 59	9
258	07XXXXXXXXXX1जेड3	2020-21	वार्ड 59	9
259	07XXXXXXXXXX2जेडआर	2019-20	वार्ड 84	9
260	07XXXXXXXXXX2जेडआर	2018-19	वार्ड 84	9
261	07XXXXXXXXXX1जेड वी	2019-20	वार्ड 59	10
262	07XXXXXXXXXX1जेडओ	2018-19	वार्ड 59	10
263	07XXXXXXXXXX1जेडओ	2019-20	वार्ड 59	10
264	07XXXXXXXXXX1जेडओ	2020-21	वार्ड 59	10
265	07XXXXXXXXXX1जेड3	2018-19	वार्ड 12	10
266	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	2018-19	वार्ड 78	10
267	07XXXXXXXXXX1जेडएल	2018-19	वार्ड 78	10
268	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	2018-19	वार्ड 78	10
269	07XXXXXXXXXX1जेड9	2018-19	वार्ड 75	10

क्रम सं.	चयनित जीएसटीआईएन	वर्ष	वार्ड	आयाम
270	07XXXXXXXXXX4जेडजी	2019-20	वार्ड 77	10
271	07XXXXXXXXXX1जेडबी	2020-21	वार्ड 62	10
272	07XXXXXXXXXX1जेड1	2020-21	वार्ड 63	10
273	07XXXXXXXXXX1जेड9	2020-21	वार्ड 63	10
274	07XXXXXXXXXX1जेडई	2019-20	वार्ड 63	10
275	07XXXXXXXXXX1जेड1	2019-20	वार्ड 41	10
276	07XXXXXXXXXX1जेडएन	2018-19	वार्ड 97	10
277	07XXXXXXXXXX1जेडएन	2019-20	वार्ड 97	10
278	07XXXXXXXXXX1जेडएन	2020-21	वार्ड 97	10
279	07XXXXXXXXXX2जेड7	2018-19	वार्ड 96	10
280	07XXXXXXXXXX1जेडजे	2018-19	वार्ड 103	10
281	07XXXXXXXXXX1जेडजे	2019-20	वार्ड 103	10
282	07XXXXXXXXXX1जेडए	2018-19	वार्ड 203	10
283	07XXXXXXXXXX1जेडए	2019-20	वार्ड 203	10
284	07XXXXXXXXXX1जेडए	2020-21	वार्ड 203	10
285	07XXXXXXXXXX3जेड3	2018-19	वार्ड 44	10
286	07XXXXXXXXXX3जेड3	2019-20	वार्ड 44	10
287	07XXXXXXXXXX3जेड3	2020-21	वार्ड 44	10
288	07XXXXXXXXXX1जेडएन	2018-19	वार्ड 93	10
289	07XXXXXXXXXX1जेडएन	2019-20	वार्ड 93	10
290	07XXXXXXXXXX1जेडएन	2020-21	वार्ड 93	10
291	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	2019-20	वार्ड 93	10
292	07XXXXXXXXXX1जेडआर	2018-19	वार्ड 91	10
293	07XXXXXXXXXX1जेडआर	2019-20	वार्ड 91	10
294	07XXXXXXXXXX1जेडआर	2020-21	वार्ड 91	10
295	07XXXXXXXXXX1जेड4	2018-19	वार्ड 202	10
296	07XXXXXXXXXX1जेड4	2019-20	वार्ड 202	10
297	07XXXXXXXXXX1जेड4	2020-21	वार्ड 202	10
298	07XXXXXXXXXX1जेडएच	2018-19	वार्ड 86	10
299	07XXXXXXXXXX1जेडएच	2019-20	वार्ड 86	10
300	07XXXXXXXXXX1जेड4	2018-19	वार्ड 201	10
301	07XXXXXXXXXX1जेड4	2019-20	वार्ड 201	10
302	07XXXXXXXXXX1जेड4	2020-21	वार्ड 201	10
303	07XXXXXXXXXX1जेड6	2019-20	वार्ड 64 से 210	10
304	07XXXXXXXXXX1जेडके	2020-21	वार्ड 48	11
305	07XXXXXXXXXX1जेडके	2018-19	वार्ड 48	11
306	07XXXXXXXXXX1जेडके	2019-20	वार्ड 48	11
307	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	2018-19	वार्ड 98	11
308	07XXXXXXXXXX1जेड5	2019-20	वार्ड 97	11

क्रम सं.	चयनित जीएसटीआईएन	वर्ष	वार्ड	आयाम
309	07XXXXXXXXX1जेड9	2018-19	वार्ड 86	11
310	07XXXXXXXXX1जेड2	2019-20	वार्ड 89	11
311	07XXXXXXXXX1जेड2	2018-19	वार्ड 89	11
312	07XXXXXXXXX1जेडक्यू	2018-19	वार्ड 101	11
313	07XXXXXXXXX1जेडक्यू	2020-21	वार्ड 101	11
314	07XXXXXXXXX1जेडक्यू	2019-20	वार्ड 101	11
315	07XXXXXXXXX1जेडजी	2018-19	वार्ड 71	11
316	07XXXXXXXXX2जेड9	2019-20	वार्ड 207	11
317	07XXXXXXXXX2जेड9	2018-19	वार्ड 207	11
318	07XXXXXXXXX1जेडटी	2018-19	वार्ड 201	11
319	07XXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	2019-20	वार्ड 61	11
320	07XXXXXXXXX1जेड3	2020-21	वार्ड 89	12
321	07XXXXXXXXX2जेडजेड	2020-21	वार्ड 86 का मामला 62 से संबंधित है	12
322	07XXXXXXXXX2जेडजेड	2018-19		12
323	07XXXXXXXXX2जेडजेड	2019-20		12
324	07XXXXXXXXX1जेडएफ	2019-20	वार्ड 71	12
325	07XXXXXXXXX1जेड5	2019-20	वार्ड 51	12
326	07XXXXXXXXX1जेड5	2020-21	वार्ड 51	12
327	07XXXXXXXXX1जेड4	2020-21	वार्ड 203	12
328	07XXXXXXXXX1जेड4	2019-20	वार्ड 203	12
329	07XXXXXXXXX2जेड2	2020-21	वार्ड 80	12
330	07XXXXXXXXX1जेड9	2019-20	वार्ड 208	12
331	07XXXXXXXXX2जेड2	2020-21	वार्ड 56	12
332	07XXXXXXXXX2जेड2	2019-20	वार्ड 56	12
333	07XXXXXXXXX1जेड3	2019-20	वार्ड 3	12
334	07XXXXXXXXX1जेडवाई	2019-20	वार्ड 100	12
335	07XXXXXXXXX1जेडवाई	2018-19	वार्ड 100	12
336	07XXXXXXXXX1जेडजी	2019-20	वार्ड 2	13
337	07XXXXXXXXX1जेड4	2018-19	वार्ड 2	13
338	07XXXXXXXXX1जेडएल	2019-20	वार्ड 203	13
339	07XXXXXXXXX1जेडएल	2018-19	वार्ड 203	13
340	07XXXXXXXXX1जेडके	2018-19	वार्ड 101	13
341	07XXXXXXXXX2जेडओ	2018-19	वार्ड 52	13
342	07XXXXXXXXX1जेडओ	2020-21	वार्ड 89	13
343	07XXXXXXXXX1जेडजी	2020-21	वार्ड 2	13
344	07XXXXXXXXX1जेड3	2018-19	वार्ड 208	13
345	07XXXXXXXXX2जेडई	2020-21	वार्ड 206	13
346	07XXXXXXXXX2जेडई	2018-19	वार्ड 206	13
347	07XXXXXXXXX2जेडई	2019-20	वार्ड 206	13

क्रम सं.	चयनित जीएसटीआईएन	वर्ष	वार्ड	आयाम
348	07XXXXXXXXXX1जेडएच	2018-19	वार्ड 113	13
349	07XXXXXXXXXX1जेड1	2018-19	वार्ड 108	14
350	07XXXXXXXXXX1जेड1	2019-20	वार्ड 108	14
351	07XXXXXXXXXX1जेडएल	2018-19	वार्ड 203	14
352	07XXXXXXXXXX1जेडएल	2019-20	वार्ड 203	14
353	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2020-21	वार्ड 203	14
354	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2018-19	वार्ड 203	14
355	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2019-20	वार्ड 203	14
356	07XXXXXXXXXX1जेड1	2020-21	वार्ड 203	14
357	07XXXXXXXXXX1जेड7	2019-20	वार्ड 40	14
358	07XXXXXXXXXX1जेड7	2018-19	वार्ड 40	14
359	07XXXXXXXXXX2जेड8	2020-21	वार्ड 50	14
360	07XXXXXXXXXX2जेड8	2019-20	वार्ड 50	14
361	07XXXXXXXXXX2जेड8	2018-19	वार्ड 50	14
362	07XXXXXXXXXX2जेडके	2019-20	वार्ड 28	14
363	07XXXXXXXXXX2जेडके	2018-19	वार्ड 28	14
364	07XXXXXXXXXX2जेडके	2020-21	वार्ड 28	14
365	07XXXXXXXXXX1जेडटी	2020-21	वार्ड 89	14
366	07XXXXXXXXXX1जेडटी	2018-19	वार्ड 89	14
367	07XXXXXXXXXX1जेडटी	2019-20	वार्ड 89	14
368	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	2020-21	वार्ड 8	14
369	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	2018-19	वार्ड 8	14
370	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	2019-20	वार्ड 8	14
371	07XXXXXXXXXX1जेड5	2018-19	वार्ड 103	14
372	07XXXXXXXXXX1जेड5	2019-20	वार्ड 103	14
373	07XXXXXXXXXX1जेड8	2020-21	वार्ड 70	16
374	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	2018-19	वार्ड 105	16
375	07XXXXXXXXXX1जेड9	2019-20	वार्ड 96	16
376	07XXXXXXXXXX2जेडपी	2020-21	वार्ड 102	16
377	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2020-21	वार्ड 40	16
378	07XXXXXXXXXX1जेडबी	2020-21	वार्ड 84	17
379	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2020-21	वार्ड 65	17
380	07XXXXXXXXXX1जेड7	2020-21	वार्ड 90	17
381	07XXXXXXXXXX1जेडएच	2020-21	वार्ड 7	17
382	07XXXXXXXXXX1जेड2	2020-21	वार्ड 59	17
383	07XXXXXXXXXX1जेड3	2018-19	वार्ड 32	20
384	07XXXXXXXXXX2जेडटी	2019-20	वार्ड 41	20
385	07XXXXXXXXXX2जेडटी	2018-19	वार्ड 41	20
386	07XXXXXXXXXX2जेडएम	2018-19	वार्ड 63	20

क्रम सं.	चयनित जीएसटीआईएन	वर्ष	वार्ड	आयाम
387	07XXXXXXXXXX2जेड9	2018-19	वार्ड 20	20
388	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	2018-19	वार्ड 78	20
389	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	2019-20	वार्ड 78	20
390	07XXXXXXXXXX1जेड1	2018-19	वार्ड 206	20
391	07XXXXXXXXXX1जेड1	2019-20	वार्ड 206	20
392	07XXXXXXXXXX1जेडए	2018-19	वार्ड 63	20
393	07XXXXXXXXXX1जेडएन	2018-19	वार्ड 63	20
394	07XXXXXXXXXX1जेडयू	2018-19	वार्ड 71	20
395	07XXXXXXXXXX1जेडएन	2018-19	वार्ड 102	20
396	07XXXXXXXXXX4जेडएन	2018-19	वार्ड 75	20
397	07XXXXXXXXXX2जेड6	2018-19	वार्ड 63	20
398	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	2019-20	वार्ड 109 (विशेष क्षेत्र)	20
399	07XXXXXXXXXX1जेडएम	2019-20	वार्ड 63	20
400	07XXXXXXXXXX1जेडएम	2020-21	वार्ड 63	20
401	07XXXXXXXXXX1जेडएच	2018-19	वार्ड 66	20
402	07XXXXXXXXXX2जेडडी	2018-19	वार्ड 85	20
403	07XXXXXXXXXX2जेडडी	2019-20	वार्ड 85	20
404	07XXXXXXXXXX1जेडओ	2018-19	वार्ड 84	20
405	07XXXXXXXXXX1जेडके	2019-20	वार्ड 64	20
406	07XXXXXXXXXX1जेडके	2018-19	वार्ड 64	20
407	07XXXXXXXXXX2जेडएस	2019-20	वार्ड 43	20
408	07XXXXXXXXXX1जेडजी	2019-20	वार्ड 201	20
409	07XXXXXXXXXX1जेड5	2018-19	वार्ड 101	21
410	07XXXXXXXXXX1जेड5	2019-20	वार्ड 101	21
411	07XXXXXXXXXX2जेड9	2020-21	वार्ड 208	21
412	07XXXXXXXXXX2जेड9	2018-19	वार्ड 208	21
413	07XXXXXXXXXX2जेड9	2019-20	वार्ड 208	21
414	07XXXXXXXXXX2जेड9	2019-20	वार्ड 207	21
415	07XXXXXXXXXX2जेड9	2018-19	वार्ड 207	21
416	07XXXXXXXXXX1जेडएच	2019-20	वार्ड 88	21
417	07XXXXXXXXXX1जेडएच	2018-19	वार्ड 88	21
418	07XXXXXXXXXX1जेडएच	2020-21	वार्ड 88	21
419	07XXXXXXXXXX1जेड6	2018-19	वार्ड 207	21
420	07XXXXXXXXXX1जेड6	2019-20	वार्ड 207	21
421	07XXXXXXXXXX1जेड6	2020-21	वार्ड 207	21
422	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	2020-21	वार्ड 203	21
423	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	2018-19	वार्ड 203	21
424	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	2019-20	वार्ड 203	21
425	07XXXXXXXXXX1जेडएच	2019-20	वार्ड 204	21

क्रम सं.	चयनित जीएसटीआईएन	वर्ष	वार्ड	आयाम
426	07XXXXXXXXX1जेडएच	2020-21	वार्ड 204	21
427	07XXXXXXXXX1जेड6	2020-21	वार्ड 207	21
428	07XXXXXXXXX1जेड6	2018-19	वार्ड 207	21
429	07XXXXXXXXX1जेड6	2019-20	वार्ड 207	21
430	07XXXXXXXXX1जेडके	2019-20	वार्ड 202	21
431	07XXXXXXXXX1जेडके	2018-19	वार्ड 202	21
432	07XXXXXXXXX1जेडके	2020-21	वार्ड 202	21
433	07XXXXXXXXX1जेडएम	2020-21	वार्ड 201	21
434	07XXXXXXXXX1जेडएम	2018-19	वार्ड 201	21
435	07XXXXXXXXX1जेडएम	2019-20	वार्ड 201	21
436	07XXXXXXXXX1जेडपी	2018-19	वार्ड 62	21
437	07XXXXXXXXX1जेडपी	2019-20	वार्ड 62	21
438	07XXXXXXXXX1जेडक्यू	2018-19	वार्ड 101	21
439	07XXXXXXXXX1जेडक्यू	2020-21	वार्ड 101	21
440	07XXXXXXXXX1जेडक्यू	2019-20	वार्ड 101	21
441	07XXXXXXXXX1जेडए	2018-19	वार्ड 204	21
442	07XXXXXXXXX1जेडए	2020-21	वार्ड 204	21
443	07XXXXXXXXX1जेडए	2019-20	वार्ड 204	21
444	07XXXXXXXXX1जेड1	2019-20	वार्ड 208	21
445	07XXXXXXXXX1जेड1	2020-21	वार्ड 208	21
446	07XXXXXXXXX1जेड1	2018-19	वार्ड 208	21
447	07XXXXXXXXX1जेडआई	2020-21	वार्ड 92	21
448	07XXXXXXXXX1जेडआई	2018-19	वार्ड 92	21
449	07XXXXXXXXX1जेडआई	2019-20	वार्ड 92	21
450	07XXXXXXXXX1जेड2	2020-21	वार्ड 60	21
451	07XXXXXXXXX1जेड2	2018-19	वार्ड 60	21
452	07XXXXXXXXX1जेड2	2019-20	वार्ड 60	21
453	07XXXXXXXXX1जेडX	2018-19	वार्ड 43	21
454	07XXXXXXXXX1जेडX	2019-20	वार्ड 43	21
455	07XXXXXXXXX2जेड8	2019-20	वार्ड 97	21
456	07XXXXXXXXX2जेड8	2018-19	वार्ड 97	21
457	07XXXXXXXXX1जेड8	2018-19	वार्ड 201	21
458	07XXXXXXXXX1जेड8	2019-20	वार्ड 201	21
459	07XXXXXXXXX1जेड8	2020-21	वार्ड 201	21
460	07XXXXXXXXX2जेड3	2018-19	वार्ड 208	21
461	07XXXXXXXXX2जेड3	2019-20	वार्ड 208	21
462	07XXXXXXXXX2जेड7	2020-21	वार्ड 203	21
463	07XXXXXXXXX1जेड8	2019-20	वार्ड 203	21
464	07XXXXXXXXX1जेड8	2018-19	वार्ड 203	21

क्रम सं.	चयनित जीएसटीआईएन	वर्ष	वार्ड	आयाम
465	07XXXXXXXXXX1जेडई	2018-19	वार्ड 96	21
466	07XXXXXXXXXX1जेडई	2019-20	वार्ड 96	21
467	07XXXXXXXXXX1जेडई	2020-21	वार्ड 96	21
468	07XXXXXXXXXX1जेडजे	2020-21	वार्ड 202	21
469	07XXXXXXXXXX1जेडजे	2019-20	वार्ड 202	21
470	07XXXXXXXXXX1जेडजे	2018-19	वार्ड 202	21
471	07XXXXXXXXXX1जेडएम	2018-19	वार्ड 105	21
472	07XXXXXXXXXX1जेडएम	2019-20	वार्ड 105	21
473	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2018-19	वार्ड 205	21
474	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2019-20	वार्ड 205	21
475	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2020-21	वार्ड 205	21
476	07XXXXXXXXXX1जेडवी	2020-21	वार्ड 61	21
477	07XXXXXXXXXX1जेडवी	2018-19	वार्ड 61	21
478	07XXXXXXXXXX1जेडवी	2019-20	वार्ड 61	21
479	07XXXXXXXXXX1जेड9	2019-20	वार्ड 208	21
480	07XXXXXXXXXX1जेड9	2020-21	वार्ड 208	21
481	07XXXXXXXXXX1जेड9	2018-19	वार्ड 208	21
482	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2018-19	वार्ड 208	21
483	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2019-20	वार्ड 208	21
484	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2020-21	वार्ड 208	21
485	07XXXXXXXXXX1जेडओ	2019-20	वार्ड 204	21
486	07XXXXXXXXXX1जेडओ	2018-19	वार्ड 204	21
487	07XXXXXXXXXX1जेडओ	2020-21	वार्ड 204	21

अनुलग्नक 1.19(बी)
(पैराग्राफ 1.4.4 में संदर्भित)
विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित करदाताओं की सूची

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	विवरणी वर्ष	वार्ड
1	07XXXXXXXXXX1जेड2	2019-20	वार्ड 72
	07XXXXXXXXXX1जेड2	2020-21	वार्ड 72
2	07XXXXXXXXXX1जेडएम	2018-19	वार्ड 1
	07XXXXXXXXXX1जेडएम	2019-20	वार्ड 1
	07XXXXXXXXXX1जेडएम	2020-21	वार्ड 1
3	07XXXXXXXXXX1जेडएम	2018-19	वार्ड 202
	07XXXXXXXXXX1जेडएम	2019-20	वार्ड 202
	07XXXXXXXXXX1जेडएम	2020-21	वार्ड 202
4	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	2018-19	वार्ड 207
	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	2019-20	वार्ड 207
	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	2020-21	वार्ड 207
5	07XXXXXXXXXX1जेडओ	2018-19	वार्ड 202
	07XXXXXXXXXX1जेडओ	2019-20	वार्ड 202
	07XXXXXXXXXX1जेडओ	2020-21	वार्ड 202
6	07XXXXXXXXXX2जेड4	2018-19	वार्ड 204
	07XXXXXXXXXX2जेड4	2019-20	वार्ड 204
	07XXXXXXXXXX2जेड4	2020-21	वार्ड 204
7	07XXXXXXXXXX1जेड3	2018-19	वार्ड 208
	07XXXXXXXXXX1जेड3	2019-20	वार्ड 208
	07XXXXXXXXXX1जेड3	2020-21	वार्ड 208
8	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	2018-19	वार्ड 94
	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	2019-20	वार्ड 94
	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	2020-21	वार्ड 94
9	07XXXXXXXXXX1जेड0	2018-19	वार्ड 45
	07XXXXXXXXXX1जेड0	2019-20	वार्ड 45
10	07XXXXXXXXXX1जेड1	2020-21	वार्ड 207
	07XXXXXXXXXX1जेड1	2019-20	वार्ड 207
	07XXXXXXXXXX1जेड1	2020-21	वार्ड 207
11	07XXXXXXXXXX1जेड6	2018-19	वार्ड 202
	07XXXXXXXXXX1जेड6	2019-20	वार्ड 202
	07XXXXXXXXXX1जेड6	2020-21	वार्ड 202
12	07XXXXXXXXXX1जेड8	2018-19	वार्ड 64
	07XXXXXXXXXX1जेड8	2019-20	वार्ड 64
	07XXXXXXXXXX1जेड8	2020-21	वार्ड 64
13	07XXXXXXXXXX1जेडडी	2020-21	वार्ड 52

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	विवरणी वर्ष	वार्ड
14	07XXXXXXXXXX1जेड2	2018-19	वार्ड 115 (विशेष क्षेत्र)
	07XXXXXXXXXX1जेड2	2019-20	वार्ड 115 (विशेष क्षेत्र)
	07XXXXXXXXXX1जेड2	2020-21	वार्ड 115 (विशेष क्षेत्र)
15	07XXXXXXXXXX1जेडआर	2018-19	वार्ड 206
	07XXXXXXXXXX1जेडआर	2019-20	वार्ड 206
	07XXXXXXXXXX1जेडआर	2020-21	वार्ड 206
16	07XXXXXXXXXX2जेडजेड	2018-19	वार्ड 206
	07XXXXXXXXXX2जेडजेड	2019-20	वार्ड 206
	07XXXXXXXXXX2जेडजेड	2020-21	वार्ड 206
17	07XXXXXXXXXX1जेडई	2018-19	वार्ड 89
	07XXXXXXXXXX1जेडई	2019-20	वार्ड 89
	07XXXXXXXXXX1जेडई	2020-21	वार्ड 89
18	07XXXXXXXXXX2जेडई	2018-19	वार्ड 203
	07XXXXXXXXXX2जेडई	2019-20	वार्ड 203
	07XXXXXXXXXX2जेडई	2020-21	वार्ड 203
19	07XXXXXXXXXX1जेडएम	2018-19	वार्ड 98
	07XXXXXXXXXX1जेडएम	2019-20	वार्ड 98
	07XXXXXXXXXX1जेडएम	2020-21	वार्ड 98
20	07XXXXXXXXXX1जेड1	2018-19	वार्ड 73
	07XXXXXXXXX1जेड1	2019-20	वार्ड 73
	07XXXXXXXXXX1जेड1	2020-21	वार्ड 73
21	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2018-19	वार्ड 90
	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2019-20	वार्ड 90
	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2020-21	वार्ड 90
22	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	2018-19	वार्ड 204
	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	2019-20	वार्ड 204
	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	2020-21	वार्ड 204
23	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2018-19	वार्ड 203
	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2019-20	वार्ड 203
	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2020-21	वार्ड 203
24	07XXXXXXXXXX1जेड8	2018-19	वार्ड 61
	07XXXXXXXXXX1जेड8	2019-20	वार्ड 61
	07XXXXXXXXXX1जेड8	2020-21	वार्ड 61
25	07XXXXXXXXXX1जेडआई	2018-19	वार्ड 202
	07XXXXXXXXXX1जेडआई	2019-20	वार्ड 202
	07XXXXXXXXXX1जेडआई	2020-21	वार्ड 202
26	07XXXXXXXXXX1जेड4	2018-19	वार्ड 100
	07XXXXXXXXXX1जेड4	2019-20	वार्ड 100
	07XXXXXXXXXX1जेड4	2020-21	वार्ड 100

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	विवरणी वर्ष	वार्ड
27	07XXXXXXXXX2जेडक्यू	2018-19	वार्ड 202
	07XXXXXXXXX2जेडक्यू	2019-20	वार्ड 202
	07XXXXXXXXX2जेडक्यू	2020-21	वार्ड 202
28	07XXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	2018-19	वार्ड 202
	07XXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	2019-20	वार्ड 202
	07XXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	2020-21	वार्ड 202
29	07XXXXXXXXX1जेडके	2018-19	वार्ड 208
	07XXXXXXXXX1जेडके	2019-20	वार्ड 208
	07XXXXXXXXX1जेडके	2020-21	वार्ड 208
30	07XXXXXXXXX1जेड4	2018-19	वार्ड 206
	07XXXXXXXXX1जेड4	2019-20	वार्ड 206
	07XXXXXXXXX1जेड4	2020-21	वार्ड 206
31	07XXXXXXXXX1जेडएफ	2018-19	वार्ड 201
	07XXXXXXXXX1जेडएफ	2019-20	वार्ड 201
	07XXXXXXXXX1जेडएफ	2020-21	वार्ड 201
32	07XXXXXXXXX1जेडएल	2018-19	वार्ड 203
	07XXXXXXXXX1जेडएल	2019-20	वार्ड 203
	07XXXXXXXXX1जेडएल	2020-21	वार्ड 203
33	07XXXXXXXXX1जेडसी	2018-19	वार्ड 208
	07XXXXXXXXX1जेडसी	2019-20	वार्ड 208
	07XXXXXXXXX1जेडसी	2020-21	वार्ड 208
34	07XXXXXXXXX1जेडएम	2018-19	वार्ड 61
	07XXXXXXXXX1जेडएम	2019-20	वार्ड 61
	07XXXXXXXXX1जेडएम	2020-21	वार्ड 61
35	07XXXXXXXXX1जेडवाई	2018-19	वार्ड 203
	07XXXXXXXXX1जेडवाई	2019-20	वार्ड 203
	07XXXXXXXXX1जेडवाई	2020-21	वार्ड 203
36	07XXXXXXXXX1जेडएच	2018-19	वार्ड 204
	07XXXXXXXXX1जेडएच	2019-20	वार्ड 204
	07XXXXXXXXX1जेडएच	2020-21	वार्ड 204
37	07XXXXXXXXX1जेडपी	2018-19	वार्ड 207
	07XXXXXXXXX1जेडपी	2019-20	वार्ड 207
	07XXXXXXXXX1जेडपी	2020-21	वार्ड 207
38	07XXXXXXXXX2जेडआर	2018-19	वार्ड 94
	07XXXXXXXXX2जेडआर	2019-20	वार्ड 94
	07XXXXXXXXX2जेडआर	2020-21	वार्ड 94
39	07XXXXXXXXX1जेडसी	2018-19	वार्ड 205
	07XXXXXXXXX1जेडसी	2019-20	वार्ड 205
	07XXXXXXXXX1जेडसी	2020-21	वार्ड 205

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	विवरणी वर्ष	वार्ड
40	07XXXXXXXXX1जेडटी	2018-19	वार्ड 208
	07XXXXXXXXX1जेडटी	2019-20	वार्ड 208
	07XXXXXXXXX1जेडटी	2020-21	वार्ड 208
41	07XXXXXXXXX1जेडएन	2018-19	वार्ड 70
	07XXXXXXXXX1जेडएन	2019-20	वार्ड 70
	07XXXXXXXXX1जेडएन	2020-21	वार्ड 70
42	07XXXXXXXXX1जेड4	2018-19	वार्ड 95
	07XXXXXXXXX1जेड4	2019-20	वार्ड 95
	07XXXXXXXXX1जेड4	2020-21	वार्ड 95
43	07XXXXXXXXX1जेडएल	2018-19	वार्ड 63
	07XXXXXXXXX1जेडएल	2019-20	वार्ड 63
	07XXXXXXXXX1जेडएल	2020-21	वार्ड 63
44	07XXXXXXXXX1जेडयू	2018-19	वार्ड 204
	07XXXXXXXXX1जेडयू	2019-20	वार्ड 204
	07XXXXXXXXX1जेडयू	2020-21	वार्ड 204
45	07XXXXXXXXX1जेडएल	2018-19	वार्ड 202
	07XXXXXXXXX1जेडएल	2019-20	वार्ड 202
	07XXXXXXXXX1जेडएल	2020-21	वार्ड 202
46	07XXXXXXXXX1जेड8	2018-19	वार्ड 204
	07XXXXXXXXX1जेड8	2019-20	वार्ड 204
	07XXXXXXXXX1जेड8	2020-21	वार्ड 204
47	07XXXXXXXXX1जेडएस	2018-19	वार्ड 103
	07XXXXXXXXX1जेडएस	2019-20	वार्ड 103
	07XXXXXXXXX1जेडएस	2020-21	वार्ड 103
48	07XXXXXXXXX1जेडजे	2018-19	वार्ड 105
	07XXXXXXXXX1जेडजे	2019-20	वार्ड 105
	07XXXXXXXXX1जेडजे	2020-21	वार्ड 105
49	07XXXXXXXXX1जेड3	2018-19	वार्ड 61
	07XXXXXXXXX1जेड3	2019-20	वार्ड 61
	07XXXXXXXXX1जेड3	2020-21	वार्ड 61
50	07XXXXXXXXX1जेडएल	2018-19	वार्ड 201
	07XXXXXXXXX1जेडएल	2019-20	वार्ड 201
	07XXXXXXXXX1जेडएल	2020-21	वार्ड 201
51	07XXXXXXXXX1जेडआर	2018-19	वार्ड 206
	07XXXXXXXXX1जेडआर	2019-20	वार्ड 206
	07XXXXXXXXX1जेडआर	2020-21	वार्ड 206
52	07XXXXXXXXX1जेडएच	2018-19	वार्ड 209
	07XXXXXXXXX1जेडएच	2019-20	वार्ड 209
	07XXXXXXXXX1जेडएच	2020-21	वार्ड 209

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	विवरणी वर्ष	वार्ड
53	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2018-19	वार्ड 201
	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2019-20	वार्ड 201
	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2020-21	वार्ड 201
54	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	2018-19	वार्ड 203
	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	2019-20	वार्ड 203
	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	2020-21	वार्ड 203
55	07XXXXXXXXXX1जेडई	2018-19	वार्ड 204
	07XXXXXXXXXX1जेडई	2019-20	वार्ड 204
	07XXXXXXXXXX1जेडई	2020-21	वार्ड 204
56	07XXXXXXXXXX1जेड1	2018-19	वार्ड 204
	07XXXXXXXXXX1जेड1	2019-20	वार्ड 204
	07XXXXXXXXXX1जेड1	2020-21	वार्ड 204
57	07XXXXXXXXXX1जेड5	2018-19	वार्ड 203
	07XXXXXXXXXX1जेड5	2019-20	वार्ड 203
	07XXXXXXXXXX1जेड5	2020-21	वार्ड 203
58	07XXXXXXXXXX2जेडआई	2018-19	वार्ड 202
	07XXXXXXXXXX2जेडआई	2019-20	वार्ड 202
	07XXXXXXXXXX2जेडआई	2020-21	वार्ड 202
59	07XXXXXXXXXX1जेडआई	2018-19	वार्ड 62
	07XXXXXXXXXX1जेडआई	2019-20	वार्ड 62
	07XXXXXXXXXX1जेडआई	2020-21	वार्ड 62
60	07XXXXXXXXXX3जेडएफ	2018-19	वार्ड 2
	07XXXXXXXXXX3जेडएफ	2019-20	वार्ड 2
	07XXXXXXXXXX3जेडएफ	2020-21	वार्ड 2
61	07XXXXXXXXXX1जेडआर	2018-19	वार्ड 56
	07XXXXXXXXXX1जेडआर	2019-20	वार्ड 56
	07XXXXXXXXXX1जेडआर	2020-21	वार्ड 56
62	07XXXXXXXXXX1जेड3	2018-19	वार्ड 205
	07XXXXXXXXXX1जेड3	2019-20	वार्ड 205
	07XXXXXXXXXX1जेड3	2020-21	वार्ड 205
63	07XXXXXXXXXX1जेडवी	2018-19	वार्ड 207
	07XXXXXXXXXX1जेडवी	2019-20	वार्ड 207
	07XXXXXXXXXX1जेडवी	2020-21	वार्ड 207
64	07XXXXXXXXXX1जेडएस	2018-19	वार्ड 2
	07XXXXXXXXXX1जेडएस	2019-20	वार्ड 2
	07XXXXXXXXXX1जेडएस	2020-21	वार्ड 2
65	07XXXXXXXXXX1जेडएम	2018-19	वार्ड 7
	07XXXXXXXXXX1जेडएम	2019-20	वार्ड 7
	07XXXXXXXXXX1जेडएम	2020-21	वार्ड 7

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	विवरणी वर्ष	वार्ड
66	07XXXXXXXXXX1जेडए	2018-19	वार्ड 92
	07XXXXXXXXXX1जेडए	2019-20	वार्ड 92
	07XXXXXXXXXX1जेडए	2020-21	वार्ड 92
67	07XXXXXXXXXX1जेडई	2018-19	वार्ड 203
	07XXXXXXXXXX1जेडई	2019-20	वार्ड 203
	07XXXXXXXXXX1जेडई	2020-21	वार्ड 203
68	07XXXXXXXXXX1जेड7	2018-19	वार्ड 205
	07XXXXXXXXXX1जेड7	2019-20	वार्ड 205
	07XXXXXXXXXX1जेड7	2020-21	वार्ड 205
69	07XXXXXXXXXX1जेडआर	2018-19	वार्ड 64
	07XXXXXXXXXX1जेडआर	2019-20	वार्ड 64
	07XXXXXXXXXX1जेडआर	2020-21	वार्ड 64
70	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	2018-19	वार्ड 204
	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	2019-20	वार्ड 204
	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	2020-21	वार्ड 204

अनुलग्नक 1.20
(पैराग्राफ 1.4.6.1(ए) में संदर्भित)
विस्तृत सत्यापन के लिए एएसएमटी 3.1 से चयनित नमूना

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	न्यायनिर्णय शुरू होने की तिथि	नोटिस/आदेश जारी किया गया	नोटिस/आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़)
1	07XXXXXXXXX1जेडआर	1	2108-19	09.11.2020	डीआरसी-07	01.02.2021	28.21
2	07XXXXXXXXX1जेड9	1	2018-19	11.11.2020	एएसएमटी-10	11.11.2020	0.03
3	07XXXXXXXXX1जेड2	1	2020-21	19.08.2020	एएसएमटी-10	19.08.2020	0.00
4	07XXXXXXXXX1जेडओ	1	2020-21	13.08.2020	एएसएमटी-10	13.08.2020	-
5	07XXXXXXXXX1जेडवाई	1	2020-21	19.08.2020	एएसएमटी-10	19.08.2020	0.00
6	07XXXXXXXXX1जेडएक्स	1	2020-21	19-08-2020	एएसएमटी-10	19-08-2020	0.05
7	07XXXXXXXXX2जेडआई	1	2020-21	19-08-2020	एएसएमटी-10	19-08-2020	0.00
8	07XXXXXXXXX1जेड5	1	2018-19	11.11.2020	एएसएमटी-10	11.11.2020	0.01
9	07XXXXXXXXX1जेड2	1	2019-20	18.03.2021	डीआरसी-07	19.08.2021	0.84
10	07XXXXXXXXX1जेडवाई	1	2017-18	14.08.2020	एएसएमटी-10	14.08.2020	0.05
11	07XXXXXXXXX1जेडएफ	2	2017-18	14.10.2020	डीआरसी-07	27.12.2023	5.25
12	07XXXXXXXXX1जेड9	2	2019-20	26.02.2021	एएसएमटी-10	26.02.2021	0.04
13	07XXXXXXXXX1जेडएफ	2	2017-18	13.10.2020	डीआरसी-07	21.12.2023	0.13
14	07XXXXXXXXXजेडओ	2	2019-20	03.03.2021	एएसएमटी-10	03.03.2021	1.29
15	07XXXXXXXXX1जेड5	2	2017-18	13.10.2020	डीआरसी-07	29.12.2023	0.35
16	07XXXXXXXXX1जेडजे	2	2018-19	06.11.2020	एएसएमटी-10	06.11.2020	0.01
17	07XXXXXXXXX1जेडवी	2	2017-18	14.10.2020	डीआरसी-07	27.12.2023	0.20
18	07XXXXXXXXX1जेडयू	2	2017-18	14.10.2020	एएसएमटी-10	14.10.2020	0.99
19	07XXXXXXXXXजेडजेड	2	2017-18	14.10.2020	डीआरसी-07	21.12.2023	3.60
20	07XXXXXXXXX1जेडटी	2	2020-21	19.02.2021	डीआरसी-01	30.05.2022	16.53

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	न्यायनिर्णय शुरू होने की तिथि	नोटिस/आदेश जारी किया गया	नोटिस/आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़)
21	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	7	2017-18	26.10.2020	एएसएमटी-10	27.06.2022	0.09
22	07XXXXXXXXXXजेडआर	7	2019-20	16.03.2021	एएसएमटी-10	16.03.2021	0.51
23	07XXXXXXXXXXजेड3	7	2017-18	26.10.2020	एएसएमटी-10	27.06.2022	0.07
24	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	7	2019-20	16.03.2021	एएसएमटी-10	16.03.2021	0.00
25	07XXXXXXXXXXजेडटी	7	2017-18	22.10.2020	एएसएमटी-10	30.08.2023	0.06
26	07XXXXXXXXXX1जेडजे	7	2019-20	15.03.2021	एएसएमटी-10	15.03.2021	0.05
27	07XXXXXXXXXX3जेडई	7	2019-20	16.03.2021	एएसएमटी-10	16.03.2021	2.50
28	07XXXXXXXXXX1जेडएन	7	2019-20	16.03.2021	एएसएमटी-10	16.03.2021	0.17
29	07XXXXXXXXXX1जेड7	7	2019-20	15.03.2021	एएसएमटी-10	27.07.2023	0.02
30	07XXXXXXXXXX1जेड2	7	2019-20	16.03.2021	एएसएमटी-10	16.03.2021	4.20
31	07XXXXXXXXXX1जेड9	64	2017-18	15.03.2021	एएसएमटी-10	15.03.2021	-
32	07XXXXXXXXXX1जेडओ	64	2017-18	15.03.2021	डीआरसी-07	25.12.2023	0.07
33	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	64	2019-20	15.03.2021	एएसएमटी-10	15.03.2021	-
34	07XXXXXXXXXX2जेड5	64	2019-20	17.03.2021	डीआरसी-07	14.10.2021	2.01
	07XXXXXXXXXX2जेड5		2020-21	13.09.2021	डीआरसी-07	14.10.2021	0.99
35	07XXXXXXXXXX1जेडएम	64	2018-19	19.11.2020	डीआरसी-01	15.12.2023	0.10
36	07XXXXXXXXXX2जेडएल	64	2019-20	15.03.2021	एएसएमटी-10	15.03.2021	-
37	07XXXXXXXXXX1जेड1	64	2019-20	16.03.2021	एएसएमटी-10	16.03.2021	-
38	07XXXXXXXXXX1जेड6	64	2018-19	19.11.2020	डीआरसी-01	08.10.2021	36.92
	07XXXXXXXXXX1जेड6		2019-20	26.11.2020	एएसएमटी-10	26.11.2020	16.51
39	07XXXXXXXXXXजेडडी	64	2018-19	19.11.2020	डीआरसी-01	14.10.2021	9.27
40	07XXXXXXXXXX1जेडएन	64	2018-19	19.11.2020	डीआरसी-01	11.06.2021	0.12
41	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	94	2019-20	16.01.2021	एएसएमटी-10	16.01.2021	-
42	07XXXXXXXXXX1जेड6	94	2018-19	23.02.2021	एएसएमटी-10	23.02.2021	-

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	न्यायनिर्णय शुरू होने की तिथि	नोटिस/आदेश जारी किया गया	नोटिस/आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़)
43	07XXXXXXXXXX1जेडए	94	2018-19	16.11.2020	एएसएमटी-10	16.11.2020	0.47
44	07XXXXXXXXXX1जेड2	94	2020-21	08.10.2020	एएसएमटी-10	08.10.2020	
45	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	94	2019-20	03.09.2020	एएसएमटी-10	03.09.2020	-
46	07XXXXXXXXXX1जेड9	94	2019-20	07.09.2020	एएसएमटी-10	07.09.2020	31.56
47	07XXXXXXXXXX1जेडएस	94	2018-19	24.02.2021	एएसएमटी-10	24.02.2021	-
48	07XXXXXXXXXX1जेडआई	94	2019-20	05.03.2021	एएसएमटी-10	05.03.2021	-
49	07XXXXXXXXXX1जेडके	94	2019-20	16.01.2021	एएसएमटी-10	16.01.2021	-
50	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	94	2020-21	24.09.2020	एएसएमटी-10	24.09.2020	-
51	07XXXXXXXXXX2जेडबी	201	2019-20	16.03.2021	एएसएमटी-10	16.03.2021	0.63
52	07XXXXXXXXXX1जेड6	201	2017-18	15.01.2021	एएसएमटी-10	15.01.2021	0.27
53	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	201	2018-19	11.02.2021	एएसएमटी-10	11.02.2021	4.80
54	07XXXXXXXXXX1जेडओ	201	2019-20	19.02.2021	एएसएमटी-10	19.02.2021	0.10
55	07XXXXXXXXXX1जेड2	201	2018-19	11.02.2021	एएसएमटी-10	11.02.2021	0.00
56	07XXXXXXXXXX1जेड4	201	2017-18	15.01.2021	एएसएमटी-10	15.01.2021	0.06
57	07XXXXXXXXXX1जेडपी	201	2019-20	22.02.2021	एएसएमटी-10	22.02.2021	
58	07XXXXXXXXXX2जेड1	201	2017-18	15.01.2021	एएसएमटी-10	15.01.2021	2.47
59	07XXXXXXXXXX1जेडजी	201	2019-20	22.02.2021	एएसएमटी-10	22.02.2021	2.04
60	07XXXXXXXXXX1जेड3	201	2018-19	11.02.2021	एएसएमटी-10	11.02.2021	0.02
61	07XXXXXXXXXX1जेडसी	203	2018-19	26.11.2020	एएसएमटी-10	26.11.2020	0.01
62	07XXXXXXXXXX1जेडडी	203	2019-20	13.10.2020	एएसएमटी-10	13.10.2020	0.04
63	07XXXXXXXXXX1जेडटी	203	2017-18	26.10.2020	एएसएमटी-10	26.10.2020	-
64	07XXXXXXXXXX1जेडसी	203	2020-21	18.08.2020	एएसएमटी-10	18.08.2020	-
65	07XXXXXXXXXX1जेडएल	203	2017-18	24.11.2020	एएसएमटी-10	24.11.2020	0.04
66	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	203	2018-19	26.11.2020	एएसएमटी-10	26.11.2020	-

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	न्यायनिर्णय शुरू होने की तिथि	नोटिस/आदेश जारी किया गया	नोटिस/आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़)
67	07XXXXXXXXX1जेडई	203	2017-18	23.11.2020	डीआरसी-01	04.01.2021	0.03
68	07XXXXXXXXX1जेडयू	203	2018-19	16.01.2021	एएसएमटी-10	16.01.2021	-
69	07XXXXXXXXX1जेडबी	203	2018-19	15.01.2021	एएसएमटी-10	15.01.2021	-
70	07XXXXXXXXX1जेड6	203	2017-18	21.08.2020	एएसएमटी-10	21.08.2020	0.03
71	07XXXXXXXXX1जेड2	204	2017-18	24.12.2020	डीआरसी-07	19.12.2023	0.03
72	07XXXXXXXXX1जेडवी	204	2017-18	24.12.2020	डीआरसी-07	30.12.2023	1.27
73	07XXXXXXXXX1जेडयू	204	2018-19	19.12.2020	डीआरसी-07	30.12.2023	0.92
74	07XXXXXXXXX1जेडजेड	204	2017-18	24.12.2020	डीआरसी-07	02.12.2023	0.09
75	07XXXXXXXXX2जेडजेड	204	2017-18	02.12.2020	डीआरसी-07	26.07.2021	0.06
76	07XXXXXXXXX1जेडओ	204	2017-18	01.12.2020	डीआरसी-07	02.12.2023	0.18
77	07XXXXXXXXX1जेडके	204	2017-18	02.12.2020	डीआरसी-07	02.12.2023	0.15
78	07XXXXXXXXX2जेडएफ	204	2017-18	02.12.2020	डीआरसी-07	30.12.2023	1.07
79	07XXXXXXXXX1जेड7	204	2017-18	24.12.2020	डीआरसी-07	30.12.2023	2.36
80	07XXXXXXXXX1जेडआई	204	2019-20	26.11.2020	डीआरसी-01	07.01.2021	19.01
81	07XXXXXXXXX1जेडके	207	2017-18	16.12.2020	एएसएमटी-10	16.12.2020	0.01
82	07XXXXXXXXX1जेड2	207	2018-19	22.01.2021	एएसएमटी-10	22.01.2021	1.35
83	07XXXXXXXXX1जेडसी	207	2017-18	16.12.2020	डीआरसी-07	30.12.2023	0.03
84	07XXXXXXXXX1जेडएक्स	207	2018-19	22.01.2021	डीआरसी-01	09.12.2023	0.07
85	07XXXXXXXXX1जेडई	207	2017-18	16.12.2020	डीआरसी-07	30.12.2023	0.51
86	07XXXXXXXXX1जेडपी	207	2019-20	15.03.2021	एएसएमटी-10	15.03.2021	0.01
87	07XXXXXXXXX1जेडसी	207	2017-18	16.12.2020	डीआरसी-07	25.12.2023	0.01
88	07XXXXXXXXX1जेडए	207	2017-18	16.12.2020	डीआरसी-01	27.09.2023	0.06
89	07XXXXXXXXX1जेड9	207	2019-20	15.03.2021	एएसएमटी-10	15.03.2021	0.00
90	07XXXXXXXXX1जेड6	207	2017-18	16.12.2020	डीआरसी-07	02.12.2023	0.15

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	न्यायनिर्णय शुरू होने की तिथि	नोटिस/आदेश जारी किया गया	नोटिस/आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़)
91	07XXXXXXXXXX1जेड1	208	2019-20	16.03.2021	एएसएमटी-10	16.03.2021	4.31
92	07XXXXXXXXXX1जेडएम	208	2019-20	16.03.2021	एएसएमटी-10	16.03.2021	0.00
93	07XXXXXXXXXX1जेडडी	208	2019-20	23.07.2020	एएसएमटी-10	16.03.2021	1.57
94	07XXXXXXXXXX3जेडडी	208	2018-19	28.01.2021	एएसएमटी-10	28.01.2021	0.46
95	07XXXXXXXXXX1जेडएच	208	2019-20	16.03.2021	एएसएमटी-10	16.03.2021	0.23
96	07XXXXXXXXXX1जेड3	208	2019-20	16.03.2021	डीआरसी-01	13.03.2023	0.67
97	07XXXXXXXXXX1जेडजी	208	2017-18	18.12.2020	डीआरसी-07	04.12.2023	14.55
98	07XXXXXXXXXX1जेडपी	208	2019-20	11.08.2020	एएसएमटी-10	16.01.2021	1.15
99	07XXXXXXXXXX2जेड6	208	2017-18	02.12.2020	डीआरसी-07	17.12.2023	0.32
100	07XXXXXXXXXX1जेड2	208	2017-18	18.12.2020	डीआरसी-01	30.09.2023	0.02

अनुलग्नक 1.20(ए)
(पैराग्राफ 1.4.6.1(ए) में संदर्भित)
एएसएमटी-10 जारी होने के बाद कार्रवाई लंबित

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	नोटिस/आदेश जारी किया गया	नोटिस/आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़)	कार्रवाई के लिए लंबित दिनों की संख्या (फरवरी-2024 तक)	करदाता का उत्तर प्राप्त हुआ (हाँ/नहीं)	विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
1	07XXXXXXXXXXजेडटी	7	2017-18	एएसएमटी-10	30.08.2023	0.06	183	नहीं	एएसएमटी-10 जारी किया गया और फर्म ने उत्तर नहीं दिया है, अब 2017-18 के लिए डीआरसी-01 जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि समय बीत चुका है।
2	07XXXXXXXXXX1जेड7	7	2019-20	एएसएमटी 10	27.07.2023	0.02	217	नहीं	डीआरसी-07 दिनांक 13-08-2024 जारी किया गया।
3	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	7	2017-18	एएसएमटी-10	27.06.2022	0.09	612	हाँ	एएसएमटी-10 जारी किया गया, टीपी द्वारा उत्तर दिया गया, अब समय बीत चुका है, अतः कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
4	07XXXXXXXXXXजेड3	7	2017-18	एएसएमटी-10	27.06.2022	0.07	612	नहीं	एएसएमटी-10 जारी किया गया और फर्म ने उत्तर नहीं दिया। मामला 2017-18 से संबंधित है और अब डीआरसी-01 जारी नहीं किया जा सकता।
5	07XXXXXXXXXXजेडआर	7	2019-20	एएसएमटी-10	16.03.2021	0.51	1080	हाँ	डीआरसी-07 दिनांक 07-12-2023 जारी किया गया था। (लेखापरीक्षा से पहले)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	नोटिस/आदेश जारी किया गया	नोटिस/आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़)	कार्रवाई के लिए लंबित दिनों की संख्या (फरवरी-2024 तक)	करदाता का उत्तर प्राप्त हुआ (हाँ/नहीं)	विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
6	07XXXXXXXXX1जेडएफ	7	2019-20	एएसएमटी-10	16.03.2021	0.00	1080	नहीं	डीआरसी-07 दिनांक 19-08-2024 जारी किया गया
7	07XXXXXXXXX3जेडई	7	2019-20	एएसएमटी-10	16.03.2021	2.50	1080	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
8	07XXXXXXXXX1जेडएन	7	2019-20	एएसएमटी-10	16.03.2021	0.17	1080	नहीं	डीआरसी-07 दिनांक 28-09-2024 जारी किया गया।
9	07XXXXXXXXX1जेड2	7	2019-20	एएसएमटी-10	16.03.2021	4.20	1080	नहीं	डीआरसी-07 दिनांक 25-08-2024 जारी किया गया।
10	07XXXXXXXXX1जेड1	64	2019-20	एएसएमटी-10	16.03.2021	-	1080	नहीं	डीआरसी-01 28.05.2024 को जारी किया गया।
11	07XXXXXXXXX2जेडबी	201	2019-20	एएसएमटी-10	16.03.2021	0.63	1080	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
12	07XXXXXXXXX1जेड1	208	2019-20	एएसएमटी-10	16.03.2021	4.31	1080	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
13	07XXXXXXXXX1जेडएम	208	2019-20	एएसएमटी-10	16.03.2021	0.00	1080	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
14	07XXXXXXXXX1जेडडी	208	2019-20	एएसएमटी-10	16.03.2021	1.57	1080	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
15	07XXXXXXXXX1जेडएच	208	2019-20	एएसएमटी-10	16.03.2021	0.23	1080	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
16	07XXXXXXXXX1जेडजे	7	2019-20	एएसएमटी-10	15.03.2021	0.05	1081	हाँ	विभाग ने उत्तर दिया कि डीआरसी-01 जारी किया गया और कार्यवाहियाँ पूरी हो गई और धारा 73/74 के तहत 30-07-2024 के आदेश के द्वारा मामले को हटा दिया गया।
17	07XXXXXXXXX1जेड9	64	2017-18	एएसएमटी-10	15.03.2021	-	1081	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
18	07XXXXXXXXX1जेडएक्स	64	2019-20	एएसएमटी-10	15.03.2021	-	1081	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
19	07XXXXXXXXX2जेडएल	64	2019-20	एएसएमटी-10	15.03.2021	-	1081	नहीं	डीआरसी-01 21.08.2024 को जारी

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	नोटिस/आदेश जारी किया गया	नोटिस/आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़)	कार्रवाई के लिए लंबित दिनों की संख्या (फरवरी-2024 तक)	करदाता का उत्तर प्राप्त हुआ (हाँ/नहीं)	विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
									किया गया।
20	07XXXXXXXXXX1जेडपी	207	2019-20	एएसएमटी-10	15.03.2021	0.01	1081	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
21	07XXXXXXXXXX1जेड9	207	2019-20	एएसएमटी-10	15.03.2021	0.00	1081	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
22	07XXXXXXXXXX1जेडआई	94	2019-20	एएसएमटी-10	05.03.2021	-	1091	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
23	07XXXXXXXXXXजेडओ	2	2019-20	एएसएमटी-10	03.03.2021	1.29	1093	हाँ	विभाग ने 21-05-2025 को अपने उत्तर में बताया कि डीआरसी-01 दिनांक 30-05-2024, धारा 73/74 के तहत जारी 09-07-2024 के आदेश के द्वारा हटा दिया गया है।
24	07XXXXXXXXXX1जेड9	2	2019-20	एएसएमटी-10	26.02.2021	0.04	1098	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
25	07XXXXXXXXXX1जेड6	94	2018-19	एएसएमटी-10	23.02.2021	-	1101	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
26	07XXXXXXXXXX1जेडजी	201	2019-20	एएसएमटी-10	22.02.2021	2.04	1102	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
27	07XXXXXXXXXX1जेडओ	201	2019-20	एएसएमटी-10	19.02.2021	0.10	1105	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
28	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	201	2018-19	एएसएमटी-10	11.02.2021	4.80	1113	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
29	07XXXXXXXXXX1जेड2	201	2018-19	एएसएमटी-10	11.02.2021	0.00	1113	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
30	07XXXXXXXXXX1जेड3	201	2018-19	एएसएमटी-10	11.02.2021	0.02	1113	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
31	07XXXXXXXXXX3जेडडी	208	2018-19	एएसएमटी-10	28.01.2021	0.46	1127	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
32	07XXXXXXXXXX1जेड2	207	2018-19	एएसएमटी-10	22.01.2021	1.35	1133	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
33	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	94	2019-20	एएसएमटी-10	16.01.2021	-	1139	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
34	07XXXXXXXXXX1जेडके	94	2019-20	एएसएमटी-10	16.01.2021	-	1139	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
35	07XXXXXXXXXX1जेडयू	203	2018-19	एएसएमटी-10	16.01.2021	-	1139	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
36	07XXXXXXXXXX1जेडपी	208	2019-20	एएसएमटी-10	16.01.2021	1.15	1139	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	नोटिस/आदेश जारी किया गया	नोटिस/आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़)	कार्रवाई के लिए लंबित दिनों की संख्या (फरवरी-2024 तक)	करदाता का उत्तर प्राप्त हुआ (हाँ/नहीं)	विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
37	07XXXXXXXXXX1जेड6	201	2017-18	एएसएमटी-10	15.01.2021	0.27	1140	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
38	07XXXXXXXXXX1जेड4	201	2017-18	एएसएमटी-10	15.01.2021	0.06	1140	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
39	07XXXXXXXXXX2जेड1	201	2017-18	एएसएमटी-10	15.01.2021	2.47	1140	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
40	07XXXXXXXXXX1जेडबी	203	2018-19	एएसएमटी-10	15.01.2021	-	1140	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
41	07XXXXXXXXXX1जेडके	207	2017-18	एएसएमटी-10	16.12.2020	0.01	1170	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
42	07XXXXXXXXXX1जेडके	207	2019-20	एएसएमटी-10	26.11.2020	16.51	1190	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
43	07XXXXXXXXXX1जेडसी	203	2018-19	एएसएमटी-10	26.11.2020	0.01	1190	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
44	07XXXXXXXXXX1जेडए	94	2018-19	एएसएमटी-10	16.11.2020	0.47	1200	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
45	07XXXXXXXXXX1जेड9	1	2018-19	एएसएमटी-10	11.11.2020	0.03	1205	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
46	07XXXXXXXXXX1जेड5	1	2018-19	एएसएमटी-10	11.11.2020	0.01	1205	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
47	07XXXXXXXXXX1जेडजे	2	2018-19	एएसएमटी-10	06.11.2020	0.01	1210	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
48	07XXXXXXXXXX1जेडयू	2	2017-18	एएसएमटी-10	14.10.2020	0.99	1233	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
49	07XXXXXXXXXX1जेडडी	203	2019-20	एएसएमटी-10	13.10.2020	0.04	1234	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
50	07XXXXXXXXXX1जेड2	94	2020-21	एएसएमटी-10	08.10.2020	-	1239	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
51	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	94	2020-21	एएसएमटी-10	24.09.2020	-	1253	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
52	07XXXXXXXXXX1जेड9	94	2019-20	एएसएमटी-10	07.09.2020	31.56	1270	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
53	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	94	2019-20	एएसएमटी-10	03.09.2020	-	1274	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
54	07XXXXXXXXXX1जेड6	203	2017-18	एएसएमटी-10	21.08.2020	0.03	1287	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
55	07XXXXXXXXXX1जेड2	1	2020-21	एएसएमटी-10	19.08.2020	0.00	1289	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
56	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	1	2020-21	एएसएमटी-10	19.08.2020	0.00	1289	हाँ	एएसएमटी-12 21.05.2025 को जारी किया गया।
57	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	1	2020-21	एएसएमटी-10	19-08-2020	0.05	1289	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	नोटिस/आदेश जारी किया गया	नोटिस/आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़)	कार्रवाई के लिए लंबित दिनों की संख्या (फरवरी-2024 तक)	करदाता का उत्तर प्राप्त हुआ (हाँ/नहीं)	विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
58	07XXXXXXXXXX2जेडआई	1	2020-21	एएसएमटी-10	19-08-2020	0.00	1289	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
59	07XXXXXXXXXX1जेडसी	203	2020-21	एएसएमटी-10	18.08.2020	-	1290	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
60	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	1	2017-18	एएसएमटी-10	14.08.2020	0.05	1294	नहीं	कोई बेमेल नहीं है, इसलिए एएसएमटी-12
61	07XXXXXXXXXX1जेडओ	1	2020-21	एएसएमटी-10	13.08.2020	-	1295	हाँ	एएसएमटी-12 दिनांक 21.05.2025 को जारी किया गया।
					कुल	**78.24**			

अनुलग्नक 1.20 (बी)
(पैराग्राफ 1.4.6.1 (ए) में संदर्भित)
डीआरसी-01 को अंतिम रूप देने में विलंब

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	नोटिस/आदेश जारी किया गया	नोटिस/आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़ में)	डीआरसी-01 जारी होने के बाद से दिनों की संख्या (फरवरी-2024 तक)	विभाग का उत्तर
1	07XXXXXXXXXX1जेडई	203	2017-18	डीआरसी-01	04.01.2021	0.03	353	कोई उत्तर नहीं मिला
2	07XXXXXXXXXX1जेडएन	64	2018-19	डीआरसी-01	11.06.2021	0.12	640	कोई उत्तर नहीं मिला
3	07XXXXXXXXXX1जेड3	208	2019-20	डीआरसी-01	13.03.2023	0.67	868	कोई उत्तर नहीं मिला
4	07XXXXXXXXXXजेडडी	64	2018-19	डीआरसी-01	14.10.2021	9.27	874	कोई उत्तर नहीं मिला
5	07XXXXXXXXXX1जेडटी	2	2020-21	डीआरसी-01	30.05.2022	16.53	993	डीआरसी-07 दिनांक 13-02-25 को जारी किया गया।
6	07XXXXXXXXXX1जेडआई	204	2019-20	डीआरसी-01	07.01.2021	19.01	1148	कोई उत्तर नहीं मिला
7	07XXXXXXXXXX1जेड6	64	2018-19	डीआरसी-01	08.10.2021	36.92	1151	कोई उत्तर नहीं मिला
					कुल	**82.55**		

अनुलग्नक 1.20 (सी)
(पैराग्राफ 1.4.6.1 (ए) में संदर्भित)
डीआरसी-07 जारी होने के बाद वसूली के लिए लंबित

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	न्यायनिर्णय शुरू होने की तिथि	नोटिस/आदेश जारी किया गया	नोटिस/आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़ में)	डीआरसी-07 जारी होने के बाद से दिनों की संख्या (फरवरी-2024 तक)	विभाग का उत्तर
1	07XXXXXXXXXX2जेड5	64	2019-20	17.03.2021	डीआरसी-07	14.10.2021	2.01	868	कोई उत्तर नहीं मिला
2	07XXXXXXXXXX2जेड5	64	2020-21	13.09.2021	डीआरसी-07	14.10.2021	0.99	868	कोई उत्तर नहीं मिला
3	0XXXXXXXXXX1जेड2	1	2019-20	18.03.2021	डीआरसी-07	19.08.2021	0.84	924	कोई उत्तर नहीं मिला
4	07XXXXXXXXXX2जेडजेड	204	2017-18	02.12.2020	डीआरसी-07	26.07.2021	0.06	948	कोई उत्तर नहीं मिला
5	07XXXXXXXXXX1जेडआर	1	2108-19	09.11.2020	डीआरसी-07	01.02.2021	28.21	1123	कोई उत्तर नहीं मिला
						कुल	**32.12**		

अनुलग्नक 1.20 (डी)
(पैराग्राफ 1.4.6.1 (ए) में संदर्भित)
न्यायनिर्णय की कार्यवाही पूरी होने में विलंब

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	न्यायनिर्णय शुरू होने की तिथि	सूचना/आदेश जारी किया गया	नोटिस/आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़ में)	न्यायनिर्णय की शुरुआत से अंतिम मांग जारी करने में लगने वाले दिनों की संख्या	विभाग का उत्तर
1	07XXXXXXXXXX1जेडओ	64	2017-18	15.03.2021	डीआरसी-07	25.12.2023	0.07	1015	कोई उत्तर नहीं मिला
2	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	204	2017-18	24.12.2020	डीआरसी-07	02.12.2023	0.09	1073	कोई उत्तर नहीं मिला
3	07XXXXXXXXXX1जेड6	207	2017-18	16.12.2020	डीआरसी-07	02.12.2023	0.15	1081	कोई उत्तर नहीं मिला
4	07XXXXXXXXXX1जेडजी	208	2017-18	18.12.2020	डीआरसी-07	04.12.2023	14.55	1081	कोई उत्तर नहीं मिला
5	07XXXXXXXXXX1जेड2	204	2017-18	24.12.2020	डीआरसी-07	19.12.2023	0.03	1090	कोई उत्तर नहीं मिला
6	07XXXXXXXXXX1जेडके	204	2017-18	02.12.2020	डीआरसी-07	02.12.2023	0.15	1095	कोई उत्तर नहीं मिला
7	07XXXXXXXXXX1जेडओ	204	2017-18	01.12.2020	डीआरसी-07	02.12.2023	0.18	1096	कोई उत्तर नहीं मिला
8	07XXXXXXXXXX1जेडवी	204	2017-18	24.12.2020	डीआरसी-07	30.12.2023	1.27	1101	कोई उत्तर नहीं मिला
9	07XXXXXXXXXX1जेड7	204	2017-18	24.12.2020	डीआरसी-07	30.12.2023	2.36	1101	कोई उत्तर नहीं मिला
10	07XXXXXXXXXX1जेडसी	207	2017-18	16.12.2020	डीआरसी-07	25.12.2023	0.01	1104	कोई उत्तर नहीं मिला
11	07XXXXXXXXXX1जेडयू	204	2018-19	19.12.2020	डीआरसी-07	30.12.2023	0.92	1106	कोई उत्तर नहीं मिला
12	07XXXXXXXXXX1जेडसी	207	2017-18	16.12.2020	डीआरसी-07	30.12.2023	0.03	1109	कोई उत्तर नहीं मिला
13	07XXXXXXXXXX2जेड6	208	2017-18	02.12.2020	डीआरसी-07	17.12.2023	0.32	1110	कोई उत्तर नहीं मिला
14	07XXXXXXXXXX2जेडएफ	204	2017-18	02.12.2020	डीआरसी-07	30.12.2023	1.07	1123	कोई उत्तर नहीं मिला
15	07XXXXXXXXXXजेडजेड	2	2017-18	14.10.2020	डीआरसी-07	21.12.2023	3.60	1163	कोई उत्तर नहीं मिला
16	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	2	2017-18	13.10.2020	डीआरसी-07	21.12.2023	0.13	1164	कोई उत्तर नहीं मिला
17	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	2	2017-18	14.10.2020	डीआरसी-07	27.12.2023	5.25	1169	कोई उत्तर नहीं मिला
18	07XXXXXXXXXX1जेडवी	2	2017-18	14.10.2020	डीआरसी-07	27.12.2023	0.20	1169	कोई उत्तर नहीं मिला
19	07XXXXXXXXXX1जेड5	2	2017-18	13.10.2020	डीआरसी-07	29.12.2023	0.35	1172	कोई उत्तर नहीं मिला

अनुलग्नक 1.21
(पैराग्राफ 1.4.6.1 (बी) में संदर्भित)
विस्तृत सत्यापन के लिए एएसएमटी- 3.2 से चयनित नमूना

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	न्यायनिर्णय शुरू होने की तिथि	नोटिस/आदेश जारी किया गया	नोटिस/आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़ में)
1	07XXXXXXXXX1जेडए	1	2020-21	17.08.2021	एएसएमटी-10	17.08.2021	1.03
2	07XXXXXXXXX1जेडएस	1	2020-21	17.08.2021	एएसएमटी-10	17.08.2021	0.27
3	07XXXXXXXXX1जेड4	1	2020-21	17.08.2021	एएसएमटी-10	17.08.2021	0.19
4	07XXXXXXXXX1जेडआर	1	2020-21	17.08.2021	एएसएमटी-10	17.08.2021	0.05
5	07XXXXXXXXX3जेडयू	1	2020-21	17.08.2021	एएसएमटी-10	17.08.2021	4.62
6	07XXXXXXXXX3जेडयू	1	2019-20	24.06.2021	एएसएमटी-10	24.06.2021	5.02
7	07XXXXXXXXX1जेडके	1	2020-21	17.08.2021	एएसएमटी-10	17.08.2021	0.37
8	07XXXXXXXXX1जेडआई	1	2020-21	17.08.2021	एएसएमटी-10	17.08.2021	0.18
9	0XXXXXXXXXX1जेडजेड	1	2019-20	21.07.2020	एएसएमटी-10	21.07.2020	0.02
10	07XXXXXXXXX1जेड9	1	2019-20	08.08.2020	एएसएमटी-10	08.08.2020	0.80
11	07XXXXXXXXX3जेडओ	1	2018-19	11.11.2020	एएसएमटी-10	11.11.2020	0.35
12	07XXXXXXXXX1जेडआर	2	2017-18	13.10.2020	एएसएमटी-10	09.10.2020	-
13	07XXXXXXXXX1जेड1	2	2017-18	14.10.2020	डीआरसी-07	29.12.2023	0.11
14	07XXXXXXXXX1जेडबी	2	2020-21	13.08.2021	एएसएमटी-10	13.08.2021	0.14
15	07XXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	2	2020-21	13.08.2021	एएसएमटी-10	13.08.2021	0.01
16	07XXXXXXXXX1जेडके	2	2019-20	19.12.2019	एएसएमटी-10	19.12.2019	0.02
17	07XXXXXXXXXXजेडयू	2	2020-21	13.08.2021	एएसएमटी-10	18.08.2021	0.07
18	07XXXXXXXXX1जेड7	2	2018-19	16.02.2021	डीआरसी 01	22.12.2023	2.30
19	07XXXXXXXXX1जेडडी	2	2018-19	16.02.2021	डीआरसी-01	09.12.2023	1.72

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	न्यायनिर्णय शुरू होने की तिथि	नोटिस/आदेश जारी किया गया	नोटिस/आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़ में)
20	07XXXXXXXXXX1जेडपी	2	2018-19	16.02.2021	डीआरसी-01	09.12.2023	0.79
21	07XXXXXXXXXX1जेडओ	2	2019-20	24.02.2021	एएसएमटी-10	24.02.2021	0.00
22	07XXXXXXXXXX1जेडआई	7	2017-18	15.01.2019	एएसएमटी-10	27.06.2022	0.30
23	07XXXXXXXXXXजेड5	7	2019-20	16.03.2021	एएसएमटी-10	16.03.2021	1.55
24	07XXXXXXXXXX1जेड7	7	2019-20	17.08.2021	एएसएमटी-10	17.08.2021	0.01
25	07XXXXXXXXXXजेडआई	7	2018-19	17.08.2021	डीआरसी-01	03-12-2023	0.37
26	07XXXXXXXXXX1जेडई	7	2020-21	19.08.2021	एएसएमटी-10	19.08.2021	-
27	07XXXXXXXXXX1जेडसी	7	2017-18	27.06.2022	डीआरसी-07	29.12.2023	0.06
28	07XXXXXXXXXX1जेडएन	7	2017-18	27.06.2022	डीआरसी-07	01.12.2023	0.00
29	07XXXXXXXXXX1जेडसी	7	2020-21	17.08.2021	एएसएमटी-10	17.08.2021	0.01
30	07XXXXXXXXXXजेडआई	7	2020-21	19.08.2021	एएसएमटी-10	19.08.2021	0.00
31	07XXXXXXXXXXजेड5	7	2018-19	16.10.2023	डीआरसी-01	08.12.2023	0.00
32	07XXXXXXXXXX1जेडयू	64	2019-20	16.03.2021	एएसएमटी-10	16.03.2021	-
33	07XXXXXXXXXX1जेडडी	64	2017-18	08.08.2022	डीआरसी-01	27.09.2023	-
34	07XXXXXXXXXX1जेडजे	64	2017-18	30.08.2023	डीआरसी-07	18.12.2023	0.06
35	07XXXXXXXXXXजेडपी	64	2018-19	23.08.2023	एएसएमटी-10	23.08.2023	0.06
36	07XXXXXXXXXX2जेडएल	64	2019-20	26.11.2020	एएसएमटी-10	26.11.2020	3.08
37	07XXXXXXXXXX1जेडआई	64	2019-20	16.03.2021	एएसएमटी-10	16.03.2021	-
38	07XXXXXXXXXX1जेड8	64	2021-22	29.03.2022	एएसएमटी-10	29.03.2022	-
39	07XXXXXXXXXXजेडएन	64	2019-20	17.03.2021	एएसएमटी-10	17.03.2021	-
40	07XXXXXXXXXX1जेडटी	64	2020-21	05.01.2022	एएसएमटी-10	05.01.2022	-
41	07XXXXXXXXXX2जेडएन	64	2019-20	16.03.2021	एएसएमटी-10	16.03.2021	-
42	07XXXXXXXXXX1जेडएन	203	2017-18	05.02.2021	डीआरसी-01	22.03.2021	0.10

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	न्यायनिर्णय शुरू होने की तिथि	नोटिस/आदेश जारी किया गया	नोटिस/आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़ में)
43	07XXXXXXXXX1जेडए	203	2020-21	18.08.2020	एएसएमटी-10	18.08.2020	0.10
44	07XXXXXXXXX2जेडएक्स	203	2017-18	27.11.2020	एएसएमटी-10	27.11.2020	0.05
45	07XXXXXXXXX1जेडबी	203	2018-19	15.01.2021	एएसएमटी-10	15.01.2021	0.03
46	07XXXXXXXXX1जेड0	203	2017-18	06.02.2021	एएसएमटी-10	06.02.2021	0.09
47	07XXXXXXXXX1जेडआई	203	2018-19	16.01.2021	एएसएमटी-10	16.01.2021	0.35
48	07XXXXXXXXX1जेड7	203	2017-18	21.07.2022	एएसएमटी-10	21.07.2022	0.00
49	07XXXXXXXXX1जेडजी	203	2018-19	25.11.2020	एएसएमटी-10	25.11.2020	0.43
50	07XXXXXXXXX1जेड2	203	2019-20	15.11.2019	एएसएमटी-10	15.11.2019	0.08
51	07XXXXXXXXX1जेडआर	203	2018-19	16.01.2021	एएसएमटी-10	16.01.2021	0.02
52	07XXXXXXXXX1जेडवाई	94	2021-22	22.12.2021	एएसएमटी-10	27.12.2021	-
53	07XXXXXXXXX1जेडएस	94	2018-19	18.11.2020	एएसएमटी-10	18.11.2020	-
54	07XXXXXXXXX1जेडएल	94	2020-21	10.08.2020	एएसएमटी-10	10.08.2020	-
55	07XXXXXXXXX1जेडके	94	2020-21	19.12.2020	एएसएमटी-10	19.12.2020	0.06
56	07XXXXXXXXX1जेडक्यू	94	2019-20	09.12.2019	एएसएमटी-10	09.12.2019	0.22
57	07XXXXXXXXX1जेड1	94	2017-18	16.03.2023	एएसएमटी-10	16.03.2023	0.08
58	07XXXXXXXXX1जेड9	94	2018-19	25.07.2022	एएसएमटी-10	25.07.2022	-
59	07XXXXXXXXX1जेड2	94	2018-19	24.02.2021	एएसएमटी-10	24.02.2021	-
60	07XXXXXXXXX1जेडएक्स	94	2017-18	22.03.2023	एएसएमटी-10	22.03.2023	0.07
61	07XXXXXXXXX1जेडएक्स	94	2018-19	01.11.2023	एएसएमटी-10	01.11.2023	0.01
62	07XXXXXXXXX1जेडजे	201	2019-20	22.02.2021	एएसएमटी-10	22.02.2021	0.26
63	07XXXXXXXXX1जेड4	201	2019-20	22.02.2021	एएसएमटी-10	22.02.2021	0.18
64	07XXXXXXXXX1जेडआर	201	2019-20	22.02.2021	एएसएमटी-10	22.02.2021	0.47
65	07XXXXXXXXX1जेडएम	201	2018-19	11.02.2021	एएसएमटी-10	11.02.2021	1.83

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	न्यायनिर्णय शुरू होने की तिथि	नोटिस/आदेश जारी किया गया	नोटिस/आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़ में)
66	07XXXXXXXXX2जेड4	201	2019-20	19.02.2021	एएसएमटी-10	19.02.2021	4.53
67	07XXXXXXXXXX1जेडटी	201	2017-18	15.01.2021	एएसएमटी-10	15.01.2021	0.06
68	07XXXXXXXXXX1जेडआई	201	2017-18	15.01.2021	एएसएमटी-10	15.01.2021	0.55
69	07XXXXXXXXXX1जेड3	201	2019-20	25.11.2019	एएसएमटी-10	25.11.2019	0.28
70	07XXXXXXXXXX1जेडएम	201	2021-22	09.02.2022	एएसएमटी-10	09.02.2022	2.31
71	07XXXXXXXXXX1जेडटी	201	2018-19	11.02.2021	एएसएमटी-10	11.02.2021	0.11
72	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	204	2018-19	13.02.2021	एएसएमटी-10	13.02.2021	0.28
73	07XXXXXXXXXX1जेडएच	204	2019-20	04.03.2021	एएसएमटी-10	04.03.2021	1.41
74	07XXXXXXXXXX1जेडडी	204	2018-19	10.12.2019	एएसएमटी-10	10.12.2019	0.05
75	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	204	2018-19	12.02.2021	एएसएमटी-10	12.02.2021	10.67
76	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	204	2017-18	29.12.2020	डीआरसी-01	26.09.2023	0.04
77	07XXXXXXXXXX1जेड2	204	2018-19	10.12.2019	एएसएमटी-10	10.12.2019	0.10
78	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	204	2018-19	03.03.2021	डीआरसी-07	29.03.2022	18.70
79	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	204	2018-19	12.02.2021	एएसएमटी-10	12.02.2021	0.86
80	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	204	2019-20	04.03.2021	एएसएमटी-10	04.03.2021	2.15
81	07XXXXXXXXXX1जेडई	204	2019-20	04.03.2021	एएसएमटी-10	04.03.2021	3.39
82	07XXXXXXXXXX1जेडयू	204	2019-20	13.01.2021	एएसएमटी-10	13.01.2021	0.19
83	07XXXXXXXXXX1जेडएच	207	2017-18	12-12-2020	डीआरसी-01	27.09.2023	-
84	07XXXXXXXXXX1जेडए	207	2017-18	12-12-2020	डीआरसी-07	03.12.2023	20.65
85	07XXXXXXXXXX1जेड6	207	2018-19	15-01-2021	डीआरसी-01	21.12.2023	0.63
86	07XXXXXXXXXX1जेडएल	207	2019-20	23-07-2020	एएसएमटी-10	15.03.2021	0.03
87	07XXXXXXXXXX1जेडपी	207	2018-19	21-01-2021	एएसएमटी 10	21.01.2021	0.02
88	07XXXXXXXXXX1जेडएन	207	2019-20	15-03-2021	एएसएमटी-10	15.03.2021	0.26

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	न्यायनिर्णय शुरू होने की तिथि	नोटिस/आदेश जारी किया गया	नोटिस/आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़ में)
89	07XXXXXXXXXX1जेडए	207	2017-18	16-12-2020	डीआरसी-07	13.12.2023	0.09
90	07XXXXXXXXXX1जेडएम	207	2017-18	16-12-2020	डीआरसी-01	24.09.2023	-
91	07XXXXXXXXXX1जेड9	207	2019-20	23-07-2020	एएसएमटी-10	23.07.2020	1.52
92	07XXXXXXXXXX1जेड7	207	2017-18	16-12-2020	डीआरसी-07	27.12.2023	0.14
93	07XXXXXXXXXX1जेडबी	208	2017-18	02.12.2020	डीआरसी-01	18.02.2021	0.13
94	07XXXXXXXXXX1जेड1	208	2019-20	16.03.2021	एएसएमटी-10	16.03.2021	1.95
95	07XXXXXXXXXX1जेडयू	208	2019-20	16.03.2021	एएसएमटी-10	16.03.2021	0.09
96	07XXXXXXXXXX1जेडपी	208	2019-20	13.08.2020	एएसएमटी-10	13.08.2020	0.79
97	07XXXXXXXXXX1जेडआई	208	2018-19	15.01.2021	डीआरसी-01	16.07.2021	0.24
98	07XXXXXXXXXX1जेडडी	208	2018-19	15.01.2021	डीआरसी-01	03.12.2023	4.61
99	07XXXXXXXXXX1जेडपी	208	2018-19	28.01.2021	एएसएमटी-10	28.01.2021	0.00
100	07XXXXXXXXXX1जेडवी	208	2018-19	14.11.2019	डीआरसी-01	09.12.2023	0.75
101	07XXXXXXXXXX1जेडपी	208	2017-18	26.10.2020	डीआरसी-07	31.12.2023	0.20
102	07XXXXXXXXXX1जेड9	208	2018-19	15.01.2021	डीआरसी-01	31.12.2023	4.28

अनुलग्नक 1.21(ए)
(पैराग्राफ 1.4.6.1 (बी) में संदर्भित)
एएसएमटी-10 जारी होने के बाद कार्रवाई लंबित

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	नोटिस/आदेश जारी किया गया	नोटिस/आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़ में)	कार्रवाई के लिए लंबित दिनों की संख्या (फरवरी-2024 तक)	करदाता का उत्तर प्राप्त हुआ (हाँ/नहीं)	विभाग का उत्तर
1	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	94	2018-19	एएसएमटी-10	01-11-2023	0.01	120	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
2	07XXXXXXXXXXXजेडपी	64	2018-19	एएसएमटी-10	23-08-2023	0.06	190	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
3	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	94	2017-18	एएसएमटी-10	22-03-2023	0.07	344	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
4	07XXXXXXXXXX1जेड1	94	2017-18	एएसएमटी-10	16-03-2023	0.08	350	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
5	07XXXXXXXXXX1जेड9	94	2018-19	एएसएमटी-10	25-07-2022	-	584	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
6	07XXXXXXXXXX1जेड7	203	2017-18	एएसएमटी-10	21-07-2022	0.00	588	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
7	07XXXXXXXXXX1जेडआई	7	2017-18	एएसएमटी-10	27-06-2022	0.30	612	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
8	07XXXXXXXXXX1जेड8	64	2021-22	एएसएमटी-10	29-03-2022	-	702	नहीं	डीआरसी-07 23.08.2024 को जारी किया गया।
9	07XXXXXXXXXX1जेडएम	201	2021-22	एएसएमटी-10	09-02-2022	2.31	750	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
10	07XXXXXXXXXXX1जेडटी	64	2020-21	एएसएमटी-10	05-01-2022	-	785	नहीं	डीआरसी-07 22.02.2025 को जारी किया गया।
11	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	94	2021-22	एएसएमटी-10	27-12-2021	-	794	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
12	07XXXXXXXXXX1जेडई	7	2020-21	एएसएमटी-10	19-08-2021	-	924	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
13	07XXXXXXXXXXजेडआई	7	2020-21	एएसएमटी-10	19-08-2021	0.00	924	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
14	07XXXXXXXXXXXजेडयू	2	2020-21	एएसएमटी-10	18-08-2021	0.07	925	नहीं	डीआरसी 07 दिनांक 13-02-25 जारी किया गया।

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	नोटिस/आदेश जारी किया गया	नोटिस/आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़ में)	कार्रवाई के लिए लंबित दिनों की संख्या (फरवरी-2024 तक)	करदाता का उत्तर प्राप्त हुआ (हाँ/नहीं)	विभाग का उत्तर
15	07XXXXXXXXXX1जेडए	1	2020-21	एएसएमटी-10	17-08-2021	1.03	926	नहीं	डीआरसी-07 दिनांक 25.02.2025 को जारी किया गया।
16	07XXXXXXXXXX1जेडएस	1	2020-21	एएसएमटी-10	17-08-2021	0.27	926	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
17	07XXXXXXXXXX1जेड4	1	2020-21	एएसएमटी-10	17-08-2021	0.19	926	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
18	07XXXXXXXXXX1जेडआर	1	2020-21	एएसएमटी-10	17-08-2021	0.05	926	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
19	07XXXXXXXXXX3जेडयू	1	2020-21	एएसएमटी-10	17-08-2021	4.62	926	नहीं	डीआरसी-07 दिनांक 25.02.2025 को जारी किया गया।
20	07XXXXXXXXXX1जेडके	1	2020-21	एएसएमटी-10	17-08-2021	0.37	926	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
21	07XXXXXXXXXX1जेडआई	1	2020-21	एएसएमटी-10	17-08-2021	0.18	926	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
22	07XXXXXXXXXX1जेड7	7	2019-20	एएसएमटी-10	17-08-2021	0.01	926	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
23	07XXXXXXXXXX1जेडसी	7	2020-21	एएसएमटी-10	17-08-2021	0.01	926	नहीं	डीआरसी-07 दिनांक 30-12-2024 को जारी किया गया।
24	07XXXXXXXXXX1जेडबी	2	2020-21	एएसएमटी-10	13-08-2021	0.14	930	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
25	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	2	2020-21	एएसएमटी-10	13-08-2021	0.01	930	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
26	07XXXXXXXXXX3जेडयू	1	2019-20	एएसएमटी-10	24-06-2021	5.02	980	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
27	07XXXXXXXXXXजेडएन	64	2019-20	एएसएमटी-10	17-03-2021	-	1079	हाँ	डीआरसी-07 दिनांक 22.08.2024 को जारी किया गया।
28	07XXXXXXXXXXजेड5	7	2019-20	एएसएमटी-10	16-03-2021	1.55	1080	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	नोटिस/आदेश जारी किया गया	नोटिस/आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़ में)	कार्रवाई के लिए लंबित दिनों की संख्या (फरवरी-2024 तक)	करदाता का उत्तर प्राप्त हुआ (हाँ/नहीं)	विभाग का उत्तर
29	07XXXXXXXXXX1जेडयू	64	2019-20	एएसएमटी-10	16-03-2021	-	1080	नहीं	डीआरसी-07 दिनांक 22.08.2024 को जारी किया गया।
30	07XXXXXXXXXX1जेडआई	64	2019-20	एएसएमटी-10	16-03-2021	-	1080	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
31	07XXXXXXXXXX2जेडएन	64	2019-20	एएसएमटी-10	16-03-2021	-	1080	नहीं	डीआरसी-07 दिनांक 23.08.2024 को जारी किया गया।
32	07XXXXXXXXXX1जेड1	208	2019-20	एएसएमटी-10	16-03-2021	1.95	1080	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
33	07XXXXXXXXXX1जेडयू	208	2019-20	एएसएमटी-10	16-03-2021	0.09	1080	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
34	07XXXXXXXXXX1जेडएल	207	2019-20	एएसएमटी-10	15-03-2021	0.03	1081	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
35	07XXXXXXXXXX1जेडएन	207	2019-20	एएसएमटी-10	15-03-2021	0.26	1081	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
36	07XXXXXXXXXX1जेडएच	204	2019-20	एएसएमटी-10	04-03-2021	1.41	1092	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
37	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	204	2019-20	एएसएमटी-10	04-03-2021	2.15	1092	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
38	07XXXXXXXXXX1जेडई	204	2019-20	एएसएमटी-10	04-03-2021	3.39	1092	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
39	07XXXXXXXXXX1जेडओ	2	2019-20	एएसएमटी-10	24-02-2021	0.00	1100	नहीं	डीआरसी-07 दिनांक 05.08.2024 को जारी किया गया।
40	07XXXXXXXXXXX1जेड2	94	2018-19	एएसएमटी-10	24-02-2021	-	1100	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
41	07XXXXXXXXXX1जेडजे	201	2019-20	एएसएमटी-10	22-02-2021	0.26	1102	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
42	07XXXXXXXXXX1जेड4	201	2019-20	एएसएमटी-10	22-02-2021	0.18	1102	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
43	07XXXXXXXXXX1जेडआर	201	2019-20	एएसएमटी-10	22-02-2021	0.47	1102	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	नोटिस/आदेश जारी किया गया	नोटिस/आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़ में)	कार्रवाई के लिए लंबित दिनों की संख्या (फरवरी-2024 तक)	करदाता का उत्तर प्राप्त हुआ (हाँ/नहीं)	विभाग का उत्तर
44	07XXXXXXXXXX2जेड4	201	2019-20	एएसएमटी-10	19-02-2021	4.53	1105	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
45	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	204	2018-19	एएसएमटी-10	13-02-2021	0.28	1111	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
46	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	204	2018-19	एएसएमटी-10	12-02-2021	10.67	1112	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
47	07XXXXXXXXXX1जेडवाई		201 8-19	एएसएमटी-10	12-02-2021	0.86	1112	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
48	07XXXXXXXXXX1जेडएम	201	2018-19	एएसएमटी-10	11-02-2021	1.83	1113	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
49	07XXXXXXXXXX1जेडटी	201	2018-19	एएसएमटी-10	11-02-2021	0.11	1113	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
50	07XXXXXXXXXX1जेड0	203	2017-18	एएसएमटी-10	06-02-2021	0.09	1118	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
51	07XXXXXXXXXX1जेडपी	208	2018-19	एएसएमटी-10	28-01-2021	0.00	1127	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
52	07XXXXXXXXXX1जेडपी	207	2018-19	एएसएमटी-10	21-01-2021	0.02	1134	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
53	07XXXXXXXXXX1जेडआई	203	2018-19	एएसएमटी-10	16-01-2021	0.35	1139	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
54	07XXXXXXXXXX1जेडआर	203	2018-19	एएसएमटी-10	16-01-2021	0.02	1139	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
55	07XXXXXXXXXX1जेडबी	203	2018-19	एएसएमटी-10	15-01-2021	0.03	1140	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
56	07XXXXXXXXXX1जेडटी	201	2017-18	एएसएमटी-10	15-01-2021	0.06	1140	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
57	07XXXXXXXXXX1जेडआई	201	2017-18	एएसएमटी-10	15-01-2021	0.55	1140	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
58	07XXXXXXXXXX1जेडयू	204	2019-20	एएसएमटी-10	13-01-2021	0.19	1142	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
59	07XXXXXXXXXX1जेडके	94	2020-21	एएसएमटी-10	19-12-2020	0.06	1167	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
60	07XXXXXXXXXX2जेडएक्स	203	2017-18	एएसएमटी-10	27-11-2020	0.05	1189	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
61	07XXXXXXXXXX2जेडएल	64	2019-20	एएसएमटी-10	26-11-2020	3.08	1190	नहीं	डीआरसी-07 दिनांक 20.08.2024 को जारी किया गया।
62	07XXXXXXXXXX1जेडजी	203	2018-19	एएसएमटी-10	25-11-2020	0.43	1191	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	नोटिस/आदेश जारी किया गया	नोटिस/आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़ में)	कार्रवाई के लिए लंबित दिनों की संख्या (फरवरी-2024 तक)	करदाता का उत्तर प्राप्त हुआ (हाँ/नहीं)	विभाग का उत्तर
63	07XXXXXXXXXX1जेडएस	94	2018-19	एएसएमटी-10	18-11-2020	-	1198	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
64	07XXXXXXXXXX3जेडओ	1	2018-19	एएसएमटी-10	11-11-2020	0.35	1205	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
65	07XXXXXXXXXX1जेडए	203	2020-21	एएसएमटी-10	18-08-2020	0.10	1290	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
66	07XXXXXXXXXX1जेडपी	208	2019-20	एएसएमटी-10	13-08-2020	0.79	1295	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
67	07XXXXXXXXXX1जेडएल	94	2020-21	एएसएमटी-10	10-08-2020	-	1298	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
68	07XXXXXXXXXX1जेड9	1	2019-20	एएसएमटी-10	08-08-2020	0.80	1300	हाँ	एएसएमटी-12 दिनांक 21.05.2025 को जारी किया गया।
69	07XXXXXXXXXX1जेड9	207	2019-20	एएसएमटी-10	23-07-2020	1.52	1316	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
70	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	1	2019-20	एएसएमटी-10	21-07-2020	0.02	1318	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
71	07XXXXXXXXXX1जेडके	2	2019-20	एएसएमटी-10	19-12-2019	0.02	1533	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
72	07XXXXXXXXXX1जेडडी	204	2018-19	एएसएमटी-10	10-12-2019	0.05	1542	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला
73	07XXXXXXXXXX1जेड2	204	2018-19	एएसएमटी-10	10-12-2019	0.10	1542	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
74	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	94	2019-20	एएसएमटी-10	09-12-2019	0.22	1543	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
75	07XXXXXXXXXX1जेड3	201	2019-20	एएसएमटी-10	25-11-2019	0.28	1557	हाँ	कोई उत्तर नहीं मिला
76	07XXXXXXXXXX1जेड2	203	2019-20	एएसएमटी-10	15-11-2019	0.08	1567	नहीं	कोई उत्तर नहीं मिला

अनुलग्नक 1.21(बी)
(पैराग्राफ 1.4.6.1 (बी) में संदर्भित)
डीआरसी-01 को अंतिम रूप देने में विलंब

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	नोटिस/ आदेश जारी किया गया	नोटिस/ आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़ में)	डीआरसी-01 जारी होने के बाद से (फरवरी-2024 तक)	विभाग का उत्तर
1	07XXXXXXXXXX1जेडआई	208	2018-19	डीआरसी-01	16.07.2021	0.24	958	कोई उत्तर नहीं मिला
2	07XXXXXXXXXX1जेडबी	208	2017-18	डीआरसी-01	18.02.2021	0.13	1106	कोई उत्तर नहीं मिला
3	07XXXXXXXXXX1जेडएन	203	2017-18	डीआरसी-01	22.03.2021	0.10	1119	कोई उत्तर नहीं मिला
					कुल	**0.46**		

अनुलग्नक 1.21(सी)
(पैराग्राफ 1.4 6.1 (बी) में संदर्भित)
डीआरसी-07 जारी होने के बाद वसूली के लिए लंबित

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	नोटिस/आदेश जारी किया गया	नोटिस/आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़ में)	डीआरसी-07 जारी होने के बाद से दिनों की संख्या (फरवरी -2024 तक)	विभाग का उत्तर
1	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	204	2018-19	डीआरसी-07	29.03.2022	18.70	702	कोई उत्तर नहीं मिला

अनुलग्नक 1.21(डी)
(पैराग्राफ 1.4.6.1 (बी) में संदर्भित)
न्यायनिर्णय की कार्यवाही पूरी होने में विलंब

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	न्यायनिर्णय शुरू होने की तिथि	नोटिस/आदेश जारी किया गया	नोटिस/ आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़ में)	न्यायनिर्णय की शुरुआत से अंतिम मांग जारी करने में लगने वाले दिनों की संख्या	विभाग का उत्तर
1	07XXXXXXXXX1जेडजेड	204	2018-19	03.03.2021	डीआरसी-07	29.03.2022	18.70	391	कोई उत्तर नहीं मिला
2	07XXXXXXXXX1जेडएन	7	2017-18	27.06.2022	डीआरसी-07	01.12.2023	0.00	522	कोई उत्तर नहीं मिला
3	07XXXXXXXX1जेडसी	7	2017-18	27.06.2022	डीआरसी-07	29.12.2023	0.06	550	कोई उत्तर नहीं मिला
4	07XXXXXXXX1जेडए	207	2017-18	12-12-2020	डीआरसी-07	03.12.2023	20.65	1086	कोई उत्तर नहीं मिला
5	07XXXXXXXXX1जेडए	207	2017-18	16-12-2020	डीआरसी-07	13.12.2023	0.09	1092	कोई उत्तर नहीं मिला
6	07XXXXXXXXX1जेड7	207	2017-18	16-12-2020	डीआरसी-07	27.12.2023	0.14	1106	कोई उत्तर नहीं मिला
7	07XXXXXXXXX1जेडपी	208	2017-18	26.10.2020	डीआरसी-07	31.12.2023	0.20	1161	कोई उत्तर नहीं मिला
8	07XXXXXXXXX1जेड1	2	2017-18	14.10.2020	डीआरसी-07	29.12.2023	0.11	1171	कोई उत्तर नहीं मिला

अनुलग्नक 1.21(ई)

(पैराग्राफ 1.4.6.1 (सी) में संदर्भित)

शून्य मांग के साथ निरस्त करदाता जिनके प्रति मांग नोटिस लंबित थीं

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	नोटिस/ आदेश जारी किया गया	नोटिस/ आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़ में)	निरस्त करने की तिथि	विभाग का उत्तर
1	07XXXXXXXXXX1जेडआर	1	2108-19	डीआरसी-07	01.02.2021	28.21	30.12.2021	कोई उत्तर नहीं मिला
2	07XXXXXXXXXX1जेड9	1	2018-19	एएसएमटी-10	11.11.2020	0.03	12.09.2021	कोई उत्तर नहीं मिला
3	0XXXXXXXXXX1जेड2	1	2019-20	डीआरसी-07	19.08.2021	0.84	31.08.2020	कोई उत्तर नहीं मिला
4	07XXXXXXXXXX1जेडजे	2	2018-19	एएसएमटी-10	06.11.2020	0.01	13.11.2020	कोई उत्तर नहीं मिला
5	07XXXXXXXXXXजेडजेड	2	2017-18	डीआरसी-07	21.12.2023	3.60	22.06.2021	कोई उत्तर नहीं मिला
6	07XXXXXXXXXX1जेडटी	2	2020-21	डीआरसी-01	30.05.2022	16.53	03.07.2020	कोई उत्तर नहीं मिला
7	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	7	2019-20	एएसएमटी-10	16.03.2021	0.00	25.10.2018	कोई उत्तर नहीं मिला
8	07XXXXXXXXXX2जेड5	64	2019-20	डीआरसी-07	14.10.2021	2.01	18.02.2022	कोई उत्तर नहीं मिला
9	07XXXXXXXXXX1जेडएम	64	2018-19	डीआरसी-01	15.12.2023	0.10	13.09.2021	कोई उत्तर नहीं मिला
10	07XXXXXXXXXX1जेड6	64	2018-19	डीआरसी-01	08.10.2021	36.92	19.10.2022	कोई उत्तर नहीं मिला
11	07XXXXXXXXXXजेडडी	64	2018-19	डीआरसी-01	14.10.2021	9.27	23.03.2021	कोई उत्तर नहीं मिला
12	07XXXXXXXXXX1जेडआई	204	2019-20	डीआरसी-01	07.01.2021	19.01	11.12.2020	कोई उत्तर नहीं मिला
13	07XXXXXXXXXX1जेडजी	208	2017-18	डीआरसी-07	04.12.2023	14.55	22.05.2020	कोई उत्तर नहीं मिला
14	07XXXXXXXXXX1जेडए	1	2020-21	एएसएमटी-10	17.08.2021	1.03	20.12.2022	कोई उत्तर नहीं मिला
15	07XXXXXXXXXX3जेडयू	1	2020-21	एएसएमटी-10	17.08.2021	4.62	20.12.2022	कोई उत्तर नहीं मिला
16	07XXXXXXXXXX1जेडके	1	2020-21	एएसएमटी-10	17.08.2021	0.37	20.12.2022	कोई उत्तर नहीं मिला
17	07XXXXXXXXXX1जेडआई	1	2020-21	एएसएमटी-10	17.08.2021	0.18	08.09.2020	कोई उत्तर नहीं मिला
18	07XXXXXXXXXX1जेड9	1	2019-20	एएसएमटी-10	08.08.2020	0.8	31.01.2020	कोई उत्तर नहीं मिला
19	07XXXXXXXXXX3जेडओ	1	2018-19	एएसएमटी-10	11.11.2020	0.35	27.05.2021	कोई उत्तर नहीं मिला
20	07XXXXXXXXXXXजेडयू	2	2020-21	एएसएमटी-10	18.08.2021	0.0742	14.01.2022	कोई उत्तर नहीं मिला

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	नोटिस/ आदेश जारी किया गया	नोटिस/ आदेश की तिथि	विचलन राशि (₹ करोड़ में)	निरस्त करने की तिथि	विभाग का उत्तर
21	07XXXXXXXXXX1जेड7	2	2018-19	डीआरसी-01	22.12.2023	2.3026	02.09.2020	कोई उत्तर नहीं मिला
22	07XXXXXXXXXX1जेडओ	2	2019-20	एएसएमटी-10	24.02.2021	0.0000	09.03.2021	कोई उत्तर नहीं मिला
23	07XXXXXXXXXX1जेडसी	7	2020-21	एएसएमटी-10	17.08.2021	0.0082	17.12.2020	कोई उत्तर नहीं मिला
24	07XXXXXXXXXX2जेडएल	64	2019-20	एएसएमटी-10	26.11.2020	3.08	29.03.2022	कोई उत्तर नहीं मिला
25	07XXXXXXXXXX1जेडए	207	2017-18	डीआरसी-07	03.12.2023	20.6482	15.11.2019	कोई उत्तर नहीं मिला
26	07XXXXXXXXXX1जेडबी	208	2017-18	डीआरसी-01	18.02.2021	0.1273	24.06.2022	कोई उत्तर नहीं मिला
					कुल	**164.68**		

अनुलग्नक 1.22(ए)
(पैराग्राफ 1.4.6.1(ii) में संदर्भित)
निरस्त नमूना मामलों की सूची (अपने आप से)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	आदेश की तिथि	जीएसटीआर-10 फाइल किया गया	एएसएमटी-13
1	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	1	01.9.2020	उ.न.	उ.न.
2	07XXXXXXXXXX1जेडएल	1	01.9.2020	नहीं	नहीं
3	07XXXXXXXXXX2जेड9	1	01.9.2020	नहीं	नहीं
4	07XXXXXXXXXX1जेड3	1	04.9.2020	नहीं	नहीं
5	07XXXXXXXXXX1जेड8	1	04.9.2020	नहीं	नहीं
6	07XXXXXXXXXX3जेड9	1	04.9.2020	नहीं	नहीं
7	07XXXXXXXXXX1जेड2	1	08.9.2020	नहीं	नहीं
8	07XXXXXXXXXX1जेडआई	1	08.9.2020	नहीं	नहीं
9	07XXXXXXXXXX1जेडई	1	09.9.2020	नहीं	नहीं
10	07XXXXXXXXXX2जेडआर	1	09.9.2020	नहीं	नहीं
11	07XXXXXXXXXX1जेड3	1	09.9.2020	नहीं	नहीं
12	07XXXXXXXXXX3जेडआर	1	15.9.2020	उ.न.	उ.न.
13	07XXXXXXXXXX1जेडए	2	22.07.2020	नहीं	नहीं
14	07XXXXXXXXXX1जेड5	2	16.02.2021	नहीं	नहीं
15	07XXXXXXXXXX1जेड4	2	09.09.2020	नहीं	नहीं
16	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	2	25.01.2021	नहीं	नहीं
17	07XXXXXXXXXX1जेड3	2	28.08.2020	नहीं	नहीं
18	07XXXXXXXXXX1जेडके	2	02.09.2020	नहीं	नहीं
19	07XXXXXXXXXX6जेड9	2	28.08.2020	नहीं	नहीं
20	07XXXXXXXXXX1जेड2	2	02.09.2020	नहीं	नहीं
21	07XXXXXXXXXX1जेडडी	2	22.7.2020	नहीं	नहीं
22	07XXXXXXXXXX1जेड6	2	22.7.2020	नहीं	नहीं
23	07XXXXXXXXXX2जेड9	2	25.08.2020	नहीं	नहीं
24	07XXXXXXXXXX1जेडडी	2	22.7.2020	नहीं	नहीं
25	07XXXXXXXXXX1जेडवी	7	23.3.2021	नहीं	नहीं
26	07XXXXXXXXXX1जेड6	7	18.3.2021	नहीं	नहीं
27	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	7	18.3.2021	नहीं	नहीं
28	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	7	30.09.2020	नहीं	नहीं
29	07XXXXXXXXXX1जेडएल	7	17.12.2020	नहीं	नहीं
30	07XXXXXXXXXX1जेडटी	7	18.3.2021	नहीं	नहीं
31	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	7	01.10.2020	नहीं	नहीं
32	07XXXXXXXXXX1जेड1	7	05.2.2021	नहीं	नहीं
33	07XXXXXXXXXX1जेडएन	7	06.10.2020	नहीं	नहीं
34	07XXXXXXXXXX1जेडपी	7	26.11.2020	नहीं	नहीं

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	आदेश की तिथि	जीएसटीआर-10 फाइल किया गया	एएसएमटी-13
35	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	7	01.2.2021	नहीं	नहीं
36	07XXXXXXXXXX1जेड5	7	27.1.2021	नहीं	नहीं
37	07XXXXXXXXXX1जेडएस	64	04.12.2020	नहीं	नहीं
38	07XXXXXXXXXX1जेडएन	64	02.03.2021	नहीं	नहीं
39	07XXXXXXXXXX1जेडआर	64	27.03.2021	नहीं	नहीं
40	07XXXXXXXXXX1जेडएस	64	25.03.2021	नहीं	नहीं
41	07XXXXXXXXXX1जेडएम	64	23.04.2020	नहीं	नहीं
42	07XXXXXXXXXX1जेड1	64	25.03.2021	नहीं	नहीं
43	07XXXXXXXXXX1जेडएल	64	28.12.2020	नहीं	नहीं
44	07XXXXXXXXXX2जेडआर	64	15.03.2021	नहीं	नहीं
45	07XXXXXXXXXX4जेड2	64	28.11.2020	नहीं	नहीं
46	07XXXXXXXXXX1जेडआई	64	09.11.2020	नहीं	नहीं
47	07XXXXXXXXXX1जेडबी	64	19.10.2020	नहीं	नहीं
48	07XXXXXXXXXX1जेडए	64	28.11.2020	नहीं	नहीं
49	07XXXXXXXXXX1जेड4	94	08.4.2020	नहीं	नहीं
50	07XXXXXXXXXX1जेड2	94	19.4.2020	नहीं	नहीं
51	07XXXXXXXXXX1जेडएस	94	28.4.2020	नहीं	नहीं
52	07XXXXXXXXXX2जेड1	94	03.5.2020	नहीं	नहीं
53	07XXXXXXXXXX2जेडके	94	03.5.2020	नहीं	नहीं
54	07XXXXXXXXXX1जेडएस	94	03.5.2020	नहीं	नहीं
55	07XXXXXXXXXX1जेडजे	94	03.5.2020	नहीं	नहीं
56	07XXXXXXXXXX1जेड9	94	03.5.2020	नहीं	नहीं
57	07XXXXXXXXXX1जेडटी	94	28.5.2020	नहीं	नहीं
58	07XXXXXXXXXX1जेड1	94	03.6.2020	नहीं	नहीं
59	07XXXXXXXXXX1जेडपी	94	03.6.2020	नहीं	नहीं
60	07XXXXXXXXXX1जेडएल	94	03.6.2020	नहीं	नहीं
61	07XXXXXXXXXX1जेडटी	201	08.4.2020	नहीं	नहीं
62	07XXXXXXXXXX2जेडयू	201	29.5.2020	नहीं	नहीं
63	07XXXXXXXXXX1जेडएन	201	29.5.2020	नहीं	नहीं
64	07XXXXXXXXXX1जेड3	201	24.7.2020	नहीं	नहीं
65	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	201	18.8.2020	नहीं	नहीं
66	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	201	31.8.2020	नहीं	नहीं
67	07XXXXXXXXXX2जेडयू	201	31.8.2020	नहीं	नहीं
68	07XXXXXXXXXX1जेडटी	201	31.8.2020	नहीं	नहीं
69	07XXXXXXXXXX2जेडएफ	201	31.8.2020	नहीं	नहीं
70	07XXXXXXXXXX1जेड1	201	31.8.2020	नहीं	नहीं
71	07XXXXXXXXXX1जेडवी	201	31.8.2020	नहीं	नहीं
72	07XXXXXXXXXX1जेडपी	201	31.8.2020	नहीं	नहीं

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	आदेश की तिथि	जीएसटीआर-10 फाइल किया गया	एएसएमटी-13
73	07XXXXXXXXX1जेड6	203	08.5.2020	नहीं	नहीं
74	07XXXXXXXXX1जेड7	203	08.5.2020	नहीं	नहीं
75	07XXXXXXXXX1जेडटी	203	08.5.2020	नहीं	नहीं
76	07XXXXXXXXX2जेडबी	203	08.5.2020	नहीं	नहीं
77	07XXXXXXXXX2जेडए	203	08.5.2020	नहीं	नहीं
78	07XXXXXXXXX1जेडएस	203	08.5.2020	नहीं	नहीं
79	07XXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	203	08.5.2020	नहीं	नहीं
80	07XXXXXXXXX1जेडजेड	203	08.5.2020	नहीं	नहीं
81	07XXXXXXXXX1जेडओ	203	08.5.2020	नहीं	नहीं
82	07XXXXXXXXX1जेडबी	203	08.5.2020	नहीं	नहीं
83	07XXXXXXXXX1जेडओ	203	04.9.2020	नहीं	नहीं
84	07XXXXXXXXX1जेडजेड	204	15.5.2020	नहीं	नहीं
85	07XXXXXXXXX1जेडओ	204	15.5.2020	नहीं	नहीं
86	07XXXXXXXXX1जेडबी	204	15.5.2020	नहीं	नहीं
87	07XXXXXXXXX1जेड0	204	15.5.2020	नहीं	नहीं
88	07XXXXXXXXX1जेडबी	204	15.5.2020	नहीं	नहीं
89	07XXXXXXXXX1जेडएक्स	204	23.7.2020	नहीं	नहीं
90	07XXXXXXXXX1जेड3	204	23.7.2020	नहीं	नहीं
91	07XXXXXXXXX1जेडजेड	204	18.8.2020	नहीं	नहीं
92	07XXXXXXXXX1जेडजेड	204	18.8.2020	नहीं	नहीं
93	07XXXXXXXXX1जेडजेड	204	18.8.2020	नहीं	नहीं
94	07XXXXXXXXX1जेडजेड	204	18.8.2020	नहीं	नहीं
95	07XXXXXXXXX1जेडयू	204	18.8.2020	नहीं	नहीं
96	07XXXXXXXXX3जेडई	207	29.9.2020	नहीं	नहीं
97	07XXXXXXXXX1जेडक्यू	207	18.08.2020	नहीं	नहीं
98	07XXXXXXXXX1जेड1	207	27.08.2020	नहीं	नहीं
99	07XXXXXXXXX1जेडबी	207	27.08.2020	नहीं	नहीं
100	07XXXXXXXXX1जेडआर	207	14.8.2020	हाँ	नहीं
101	07XXXXXXXXX1जेडएम	207	14.8.2020	नहीं	नहीं
102	07XXXXXXXXX1जेडजे	207	04.02.2021	नहीं	नहीं
103	07XXXXXXXXX1जेड4	207	29.9.2020	नहीं	नहीं
104	07XXXXXXXXX1जेडडी	207	05.8.2020	नहीं	नहीं
105	07XXXXXXXXX4जेड9	207	05.08.2020	नहीं	नहीं
106	07XXXXXXXXX2जेडडी	207	05.8.2020	नहीं	नहीं
107	07XXXXXXXXX1जेडबी	207	05.8.2020	नहीं	नहीं
108	07XXXXXXXXX1जेडएस	208	24.7.2020	हाँ	नहीं
109	07XXXXXXXXX1जेड7	208	24.7.2020	नहीं	नहीं
110	07XXXXXXXXX1जेडडी	208	24.7.2020	नहीं	नहीं

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	आदेश की तिथि	जीएसटीआर-10 फाइल किया गया	एएसएमटी-13
111	07XXXXXXXXXX1जेडडी	208	24.7.2020	नहीं	नहीं
112	07XXXXXXXXXX1जेड3	208	24.7.2020	नहीं	नहीं
113	07XXXXXXXXXX2जेड8	208	24.7.2020	नहीं	नहीं
114	07XXXXXXXXXX1जेडएन	208	24.7.2020	नहीं	नहीं
115	07XXXXXXXXXX1जेड3	208	03.8.2020	नहीं	नहीं
116	07XXXXXXXXXX3जेडक्यू	208	04.8.2020	नहीं	नहीं
117	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	208	06.8.2020	नहीं	नहीं
118	07XXXXXXXXXX1जेडजी	208	19.9.2020	नहीं	नहीं
119	07XXXXXXXXXX2जेडएच	208	30.9.2020	नहीं	नहीं
120	07XXXXXXXXXX1जेडजे	208	01.1.2021	नहीं	नहीं

अनुलग्नक 1.22(बी)
(पैराग्राफ 1.4.6.1(ii) में संदर्भित)
निरस्त नमूना मामलों की सूची (आवेदन पर)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	आवेदन की तिथि	आदेश की तिथि	पंजीकरण रद्द करने में लगने वाले दिन	क्या जीएसटीआर-10 फाइल किया गया	रजि. 19 30 दिनों के अंदर जारी किया गया	एएसएमटी-13
1	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	1	16.1.2020	13.08.2020	210	हाँ	नहीं	उ.न.
2	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	1	15.6.2020	16.6.2020	1	हाँ	हाँ	उ.न.
3	07XXXXXXXXXX1जेडजी	1	19.7.2020	20.7.2020	1	नहीं	हाँ	नहीं
4	07XXXXXXXXXX1जेडवी	1	16.8.2020	17.8.2020	1	नहीं	हाँ	नहीं
5	07XXXXXXXXXX1जेड3	1	20.7.2020	20.7.2020	0	नहीं	हाँ	नहीं
6	07XXXXXXXXXX1जेड6	1	01.8.2020	04.8.2020	3	नहीं	हाँ	नहीं
7	07XXXXXXXXXX1जेडसी	1	05.6.2020	06.8.2020	62	हाँ	नहीं	उ.न.
8	07XXXXXXXXXX1जेडवी	1	29.6.2020	06.8.2020	38	नहीं	नहीं	नहीं
9	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	2	02.7.2020	22.7.2020	20	हाँ	हाँ	उ.न.
10	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	2	18.2.2021	23.2.2021	5	नहीं	हाँ	नहीं
11	07XXXXXXXXXX2जेडएफ	2	28.9.2020	11.12.2020	74	नहीं	नहीं	नहीं
12	07XXXXXXXXXX1जेडएल	2	06.5.2020	12.5.2020	6	नहीं	हाँ	नहीं
13	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	2	16.3.2020	12.5.2020	57	नहीं	नहीं	नहीं
14	07XXXXXXXXXX1जेड5	2	17.6.2020	22.7.2020	35	हाँ	नहीं	उ.न.
15	07XXXXXXXXXX1जेडएम	2	01.12.2020	11.12.2020	10	नहीं	हाँ	नहीं
16	07XXXXXXXXXX2जेड8	2	27.8.2020	11.12.2020	106	नहीं	नहीं	नहीं
17	07XXXXXXXXXX2जेडएन	7	25.2.2021	31.3.2021	34	नहीं	नहीं	नहीं
18	07XXXXXXXXXX1जेडयू	7	15.10.2020	19.11.2020	35	नहीं	नहीं	नहीं
19	07XXXXXXXXXX2जेडजी	7	20.10.2020	19.11.2020	30	हाँ	हाँ	उ.न.

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	आवेदन की तिथि	आदेश की तिथि	पंजीकरण रद्द करने में लगने वाले दिन	क्या जीएसटीआर-10 फाइल किया गया	रजि. 19 30 दिनों के अंदर जारी किया गया	एएसएमटी-13
20	07XXXXXXXXXX1जेडडी	7	04.6.2020	23.6.2020	19	नहीं	हाँ	नहीं
21	07XXXXXXXXXX1जेडजे	7	07.12.2020	17.12.2020	10	हाँ	हाँ	उ.न.
22	07XXXXXXXXXX1जेडपी	7	23.2.2021	23.3.2021	28	नहीं	हाँ	नहीं
23	07XXXXXXXXXX1जेडएस	7	08.11.2019	23.3.2021	501	नहीं	नहीं	नहीं
24	07XXXXXXXXXX1जेड2	7	03.2.2021	23.2.2021	20	नहीं	हाँ	नहीं
25	07XXXXXXXXXX1जेडबी	64	21.10.2019	03.5.2020	195	हाँ	नहीं	उ.न.
26	07XXXXXXXXXX1जेड1	64	21.1.2021	08.3.2021	46	नहीं	नहीं	नहीं
27	07XXXXXXXXXX1जेडएस	64	30.4.2019	26.4.2020	362	नहीं	नहीं	नहीं
28	07XXXXXXXXXX1जेडई	64	01.8.2018	19.4.2020	627	नहीं	नहीं	नहीं
29	07XXXXXXXXXX1जेडएम	64	20.2.2019	25.4.2020	430	नहीं	नहीं	नहीं
30	07XXXXXXXXXX1जेडके	64	19.9.2018	20.4.2020	579	हाँ	नहीं	उ.न.
31	07XXXXXXXXXX1जेडपी	64	12.11.2019	03.5.2020	173	हाँ	नहीं	उ.न.
32	07XXXXXXXXXX1जेडए	64	20.2.2019	25.4.2020	430	नहीं	नहीं	नहीं
33	07XXXXXXXXXX1जेडएल	94	15.10.2019	25.07.2020	284	हाँ	नहीं	नहीं
34	07XXXXXXXXXX1जेडएन	94	15.11.2019	25.07.2020	253	हाँ	नहीं	नहीं
35	07XXXXXXXXXX1जेडओ	94	15.11.2019	25.07.2020	253	नहीं	नहीं	नहीं
36	07XXXXXXXXXX1जेड2	94	19.01.2020	25.07.2020	188	नहीं	नहीं	नहीं
37	07XXXXXXXXXX1जेडएच	94	07.10.2019	25.07.2020	292	हाँ	नहीं	नहीं
38	07XXXXXXXXXX1जेड4	94	09.10.2019	25.07.2020	290	हाँ	नहीं	नहीं
39	07XXXXXXXXXX1जेडएल	94	30.01.2020	30.01.2020	0	हाँ	हाँ	नहीं
40	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	94	18.10.2019	25.07.2020	281	नहीं	नहीं	नहीं
41	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	201	09.9.2019	07.4.2020	211	नहीं	नहीं	नहीं
42	07XXXXXXXXXX1जेड3	201	20.1.2020	07.4.2020	78	नहीं	नहीं	नहीं

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	आवेदन की तिथि	आदेश की तिथि	पंजीकरण रद्द करने में लगने वाले दिन	क्या जीएसटीआर-10 फाइल किया गया	रजि. 19 30 दिनों के अंदर जारी किया गया	एएसएमटी-13
43	07XXXXXXXXXX1जेडआर	201	20.12.2019	10.4.2020	112	नहीं	नहीं	नहीं
44	07XXXXXXXXXX1जेडएल	201	21.12.2019	19.4.2020	120	नहीं	नहीं	नहीं
45	07XXXXXXXXXX1जेडजे	201	09.4.2020	20.4.2020	11	नहीं	हाँ	नहीं
46	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	201	12.2.2020	19.5.2020	97	नहीं	नहीं	नहीं
47	07XXXXXXXXXX1जेडडी	201	09.4.2020	19.5.2020	40	नहीं	नहीं	नहीं
48	07XXXXXXXXXX2जेड4	201	03.5.2019	19.5.2020	382	हाँ	नहीं	नहीं
49	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	203	11.4.2020	24.7.2020	104	हाँ	नहीं	उ.न.
50	07XXXXXXXXXX1जेडसी	203	01.7.2020	27.7.2020	26	हाँ	हाँ	उ.न.
51	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	203	06.8.2020	22.8.2020	16	नहीं	हाँ	नहीं
52	07XXXXXXXXXX1जेड8	203	19.8.2020	22.8.2020	3	हाँ	हाँ	उ.न.
53	07XXXXXXXXXX2जेडए	203	29.7.2020	22.8.2020	24	नहीं	हाँ	उ.न.
54	07XXXXXXXXXX1जेडएस	203	16.9.2020	19.9.2020	3	हाँ	हाँ	उ.न.
55	07XXXXXXXXXX2जेडवाई	203	09.11.2020	17.11.2020	8	हाँ	हाँ	नहीं
56	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	203	15.11.2020	01.12.2020	16	नहीं	हाँ	नहीं
57	07XXXXXXXXXX1जेड8	207	19.03.2020	13.05.2020	55	हाँ	नहीं	उ.न.
58	07XXXXXXXXXX1जेड2	207	07.12.2020	06.01.2021	30	नहीं	हाँ	नहीं
59	07XXXXXXXXXX1जेडए	207	18.01.2021	04.02.2021	17	नहीं	हाँ	नहीं
60	07XXXXXXXXXX1जेडई	207	10.09.2020	30.09.2020	20	हाँ	हाँ	उ.न.
61	07XXXXXXXXXX1जेडएस	207	12.06.2020	25.06.2020	13	नहीं	हाँ	उ.न.
62	07XXXXXXXXXX1जेड2	208	23.5.2020	29.5.2020	6	हाँ	हाँ	उ.न.
63	07XXXXXXXXXX1जेडजी	208	22.5.2020	13.7.2020	52	हाँ	नहीं	उ.न.
64	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	208	28.8.2020	01.9.2020	4	नहीं	हाँ	नहीं
65	07XXXXXXXXXX1जेडजी	208	29.9.2020	30.9.2020	1	हाँ	हाँ	उ.न.

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	आवेदन की तिथि	आदेश की तिथि	पंजीकरण रद्द करने में लगने वाले दिन	क्या जीएसटीआर-10 फाइल किया गया	रजि. 19 30 दिनों के अंदर जारी किया गया	एएसएमटी-13
66	07XXXXXXXXXX1जेडयू	208	10.12.2020	25.2.2021	77	हाँ	नहीं	उ.न.
67	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	208	10.12.2020	25.2.2021	77	हाँ	नहीं	उ.न.
68	07XXXXXXXXXX1जेडपी	208	07.2.2021	25.2.2021	18	नहीं	हाँ	नहीं
69	07XXXXXXXXXX1जेड1	204	22.3.2019	08.5.2020	413	नहीं	नहीं	नहीं
70	07XXXXXXXXXX1जेडबी	204	25.4.2019	08.5.2020	379	नहीं	नहीं	नहीं
71	07XXXXXXXXXX2जेडडब्ल्यू	204	19.11.2019	08.5.2020	171	हाँ	नहीं	उ.न.
72	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	204	28.2.2019	08.5.2020	435	नहीं	नहीं	नहीं
73	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	204	14.5.2019	08.5.2020	360	नहीं	नहीं	नहीं
74	07XXXXXXXXXX1जेडई	204	06.12.2019	08.5.2020	154	नहीं	नहीं	नहीं
75	07XXXXXXXXXX2जेडएन	204	28.3.2019	08.5.2020	407	नहीं	नहीं	नहीं
76	07XXXXXXXXXX1जेडई	204	21.6.2019	08.5.2020	322	नहीं	नहीं	नहीं

अनुलग्नक 1.22(सी)
(पैराग्राफ 1.4.6.1(ii) में संदर्भित)
अंतिम रिटर्न फाइल न करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	निरसन का प्रकार	आदेश की तिथि	अंतिम रिटर्न फाइल करने में लंबित दिन (जनवरी-2024 तक)	विभाग का उत्तर
1	07XXXXXXXXXX2जेडएन	7	आवेदन पर	31-3-2021	1036	कोई उत्तर नहीं मिला
2	07XXXXXXXXXX1जेडआर	64	अपने आप से	27-03-2021	1040	कोई देयता नहीं
3	07XXXXXXXXXX1जेडएस	64	अपने आप से	25-03-2021	1042	कोई रिटर्न फाइल नहीं किया गया
4	07XXXXXXXXXX1जेड1	64	अपने आप से	25-03-2021	1042	कोई देयता नहीं
5	07XXXXXXXXXX1जेडवी	7	अपने आप से	23-3-2021	1044	कोई उत्तर नहीं मिला
6	07XXXXXXXXXX1जेडपी	7	आवेदन पर	23-3-2021	1044	कोई उत्तर नहीं मिला
7	07XXXXXXXXXX1जेडएस	7	आवेदन पर	23-3-2021	1044	कोई उत्तर नहीं मिला
8	07XXXXXXXXXX1जेड6	7	अपने आप से	18-3-2021	1049	कोई उत्तर नहीं मिला
9	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	7	अपने आप से	18-3-2021	1049	कोई उत्तर नहीं मिला
10	07XXXXXXXXXX1जेडटी	7	अपने आप से	18-3-2021	1049	कोई उत्तर नहीं मिला
11	07XXXXXXXXXX2जेडआर	64	अपने आप से	15-03-2021	1052	डीआरसी-07 20.02.2025 को जारी किया गया।
12	07XXXXXXXXXX1जेड1	64	आवेदन पर	08-3-2021	1059	कोई बेमेल नहीं, कोई देयता नहीं
13	07XXXXXXXXXX1जेडएन	64	अपने आप से	02-03-2021	1065	कोई उत्तर नहीं मिला
14	07XXXXXXXXXX1जेडपी	208	आवेदन पर	25-2-2021	1070	कोई उत्तर नहीं मिला
15	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	2	आवेदन पर	23-2-2021	1072	कोई बिक्री नहीं, कोई क्रय नहीं
16	07XXXXXXXXXX1जेड2	7	आवेदन पर	23-2-2021	1072	कोई उत्तर नहीं मिला
17	07XXXXXXXXXX1जेड5	2	अपने आप से	16-02-2021	1079	डीआरसी 07 दिनांक 13.02.2025 को जारी किया गया।
18	07XXXXXXXXXX1जेड1	7	अपने आप से	05-2-2021	1090	कोई उत्तर नहीं मिला
19	07XXXXXXXXXX1जेडजे	207	अपने आप से	04-2-2021	1091	कोई उत्तर नहीं मिला
20	07XXXXXXXXXX1जेडए	207	आवेदन पर	04-2-2021	1091	कोई उत्तर नहीं मिला
21	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	7	अपने आप से	01-2-2021	1094	कोई उत्तर नहीं मिला
22	07XXXXXXXXXX1जेड5	7	अपने आप से	27-1-2021	1099	कोई उत्तर नहीं मिला
23	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	2	अपने आप से	25-1-2021	1101	करदाता के प्रति कोई देयता नहीं
24	07XXXXXXXXXX1जेड2	207	आवेदन पर	06-1-2021	1120	कोई उत्तर नहीं मिला

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	निरसन का प्रकार	आदेश की तिथि	अंतिम रिटर्न फाइल करने में लंबित दिन (जनवरी-2024 तक)	विभाग का उत्तर
25	07XXXXXXXXXX1जेडजे	208	अपने आप से	01-1-2021	1125	कोई उत्तर नहीं मिला
26	07XXXXXXXXXX1जेडएल	64	अपने आप से	28-12-2020	1129	कोई देयता नहीं
27	07XXXXXXXXXX1जेडएल	7	अपने आप से	17-12-2020	1140	कोई उत्तर नहीं मिला
28	07XXXXXXXXXX2जेडएफ	2	आवेदन पर	11-12-2020	1146	करदाता के प्रति कोई देयता नहीं
29	07XXXXXXXXXX1जेडएम	2	आवेदन पर	11-12-2020	1146	करदाता के प्रति कोई देयता नहीं
30	07XXXXXXXXXX2जेड8	2	आवेदन पर	11-12-2020	1146	कोई उत्तर नहीं मिला
31	07XXXXXXXXXX1जेडएस	64	अपने आप से	04-12-2020	1153	कोई देयता नहीं
32	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	203	आवेदन पर	01-12-2020	1156	कोई उत्तर नहीं मिला
33	07XXXXXXXXXX4जेड2	64	अपने आप से	28-11-2020	1159	जीएसटी पोर्टल पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है
34	07XXXXXXXXXX1जेडए	64	अपने आप से	28-11-2020	1159	जीएसटी पोर्टल पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है
35	07XXXXXXXXXX1जेडपी	7	अपने आप से	26-11-2020	1161	कोई उत्तर नहीं मिला
36	07XXXXXXXXXX1जेडयू	7	आवेदन पर	19-11-2020	1168	कोई उत्तर नहीं मिला
37	07XXXXXXXXXX1जेडआई	64	अपने आप से	09-11-2020	1178	कोई रिटर्न फाइल नहीं किया गया
38	07XXXXXXXXXX1जेडबी	64	अपने आप से	19-10-2020	1199	कोई सयता नहीं
39	07XXXXXXXXXX1जेडएन	7	अपने आप से	06-10-2020	1212	कोई उत्तर नहीं मिला
40	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	7	अपने आप से	01-10-2020	1217	कोई उत्तर नहीं मिला
41	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	7	अपने आप से	30-9-2020	1218	कोई उत्तर नहीं मिला
42	07XXXXXXXXXX2जेडएच	208	अपने आप से	30-9-2020	1218	कोई उत्तर नहीं मिला
43	07XXXXXXXXXX3जेडई	207	अपने आप से	29-9-2020	1219	कोई उत्तर नहीं मिला
44	07XXXXXXXXXX1जेड4	207	अपने आप से	29-9-2020	1219	कोई उत्तर नहीं मिला
45	07XXXXXXXXXX1जेडजी	208	अपने आप से	19-9-2020	1229	कोई उत्तर नहीं मिला
46	07XXXXXXXXXX1जेडई	1	अपने आप से	09-9-2020	1239	डीआरसी-07 दिनांक 10.08.2024 को ₹ 21,27,87,570 के लिए जारी किया गया।
47	07XXXXXXXXXX2जेडआर	1	अपने आप से	09-9-2020	1239	डीआरसी-07 दिनांक 10.08.2024 को ₹ 3,61,60,763 के लिए जारी किया गया।

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	निरसन का प्रकार	आदेश की तिथि	अंतिम रिटर्न फाइल करने में लंबित दिन (जनवरी-2024 तक)	विभाग का उत्तर
48	07XXXXXXXXXX1जेड3	1	अपने आप से	09-9-2020	1239	नॉन-फाइलर्स के विरुद्ध कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती क्योंकि नॉन-फाइलर्स का डाटा प्रणाली में नहीं दिखता है।
49	07XXXXXXXXXX1जेड4	2	अपने आप से	09-9-2020	1239	रिटर्न फाइल नहीं किया गया।
50	07XXXXXXXXXX1जेड2	1	अपने आप से	08-9-2020	1240	नॉन-फाइलर्स के विरुद्ध कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती क्योंकि नॉन-फाइलर्स का डाटा प्रणाली में नहीं दिखता है।
51	07XXXXXXXXXX1जेडआई	1	अपने आप से	08-9-2020	1240	करदाता का पंजीकरण की तिथि (14.03.2020) से अपने आप से निरस्त कर दिया गया है, इसलिए पोर्टल पर कोई अभिलेख नहीं दिख रहा है और इसलिए डीआरसी-01 जारी नहीं किया जा सकता है।
52	07XXXXXXXXXX1जेड3	1	अपने आप से	04-9-2020	1244	नॉन-फाइलर्स के विरुद्ध कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती, क्योंकि नॉन-फाइलर्स का डाटा प्रणाली में नहीं दिखता है।
53	07XXXXXXXXXX1जेड8	1	अपने आप से	04-9-2020	1244	नॉन-फाइलर्स के विरुद्ध कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती, क्योंकि नॉन-फाइलर्स का डाटा प्रणाली में नहीं दिखता है।
54	07XXXXXXXXXX3जेड9	1	अपने आप से	04-9-2020	1244	नॉन-फाइलर्स के विरुद्ध कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती, क्योंकि नॉन-फाइलर्स का डाटा प्रणाली में नहीं दिखता है।

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	निरसन का प्रकार	आदेश की तिथि	अंतिम रिटर्न फाइल करने में लंबित दिन (जनवरी-2024 तक)	विभाग का उत्तर
55	07XXXXXXXXXX1जेडओ	203	अपने आप से	04-9-2020	1244	कोई उत्तर नहीं मिला
56	07XXXXXXXXXX1जेडके	2	अपने आप से	02-9-2020	1246	कोई देयता नहीं
57	07XXXXXXXXXX1जेड2	2	अपने आप से	02-9-2020	1246	कोई देयता नहीं
58	07XXXXXXXXXX1जेडएल	1	अपने आप से	01-9-2020	1247	नॉन-फाइलर्स के विरुद्ध कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती, क्योंकि नॉन-फाइलर्स का डाटा प्रणाली में नहीं दिखता है।
59	07XXXXXXXXXX2जेड9	1	अपने आप से	01-9-2020	1247	नॉन-फाइलर्स के विरुद्ध कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती, क्योंकि नॉन-फाइलर्स का डाटा प्रणाली में नहीं दिखता है।
60	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	208	आवेदन पर	01-9-2020	1247	कोई उत्तर नहीं मिला
61	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	201	अपने आप से	31-8-2020	1248	कोई उत्तर नहीं मिला
62	07XXXXXXXXXX2जेडयू	201	अपने आप से	31-8-2020	1248	कोई उत्तर नहीं मिला
63	07XXXXXXXXXX1जेडटी	201	अपने आप से	31-8-2020	1248	कोई उत्तर नहीं मिला
64	07XXXXXXXXXX2जेडएफ	201	अपने आप से	31-8-2020	1248	कोई उत्तर नहीं मिला
65	07XXXXXXXXXX1जेड1	201	अपने आप से	31-8-2020	1248	कोई उत्तर नहीं मिला
66	07XXXXXXXXXX1जेडवी	201	अपने आप से	31-8-2020	1248	कोई उत्तर नहीं मिला
67	07XXXXXXXXXX1जेडपी	201	अपने आप से	31-8-2020	1248	कोई उत्तर नहीं मिला
68	07XXXXXXXXXX1जेड3	2	अपने आप से	28-8-2020	1251	डीआरसी-07 दिनांक 28 .02.2025 को जारी किया गया।
69	07XXXXXXXXXX6जेड9	2	अपने आप से	28-8-2020	1251	डीआरसी-07 दिनांक 28 .02.2025 को जारी किया गया।
70	07XXXXXXXXXX1जेड1	207	अपने आप से	27-8-2020	1252	कोई उत्तर नहीं मिला
71	07XXXXXXXXXX1जेडबी	207	अपने आप से	27-8-2020	1252	कोई उत्तर नहीं मिला
72	07XXXXXXXXXX2जेड9	2	अपने आप से	25-8-2020	1254	करदाताओं के प्रति कोई देयता नहीं
73	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	203	आवेदन पर	22-8-2020	1257	कोई उत्तर नहीं मिला
74	07XXXXXXXXXX2जेडए	203	आवेदन पर	22-8-2020	1257	कोई उत्तर नहीं मिला
75	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	201	अपने आप से	18-8-2020	1261	कोई उत्तर नहीं मिला

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	निरसन का प्रकार	आदेश की तिथि	अंतिम रिटर्न फाइल करने में लंबित दिन (जनवरी-2024 तक)	विभाग का उत्तर
76	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	207	अपने आप से	18-8-2020	1261	कोई उत्तर नहीं मिला
77	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	204	अपने आप से	18-8-2020	1261	कोई उत्तर नहीं मिला
78	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	204	अपने आप से	18-8-2020	1261	कोई उत्तर नहीं मिला
79	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	204	अपने आप से	18-8-2020	1261	कोई उत्तर नहीं मिला
80	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	204	अपने आप से	18-8-2020	1261	कोई उत्तर नहीं मिला
81	07XXXXXXXXXX1जेडयू	204	अपने आप से	18-8-2020	1261	कोई उत्तर नहीं मिला
82	07XXXXXXXXXX1जेडवी	1	आवेदन पर	17-8-2020	1262	नॉन-फाइलर्स का डाटा अभी तक प्रणाली में नहीं दिखा है।
83	07XXXXXXXXXX1जेडएम	207	अपने आप से	14-8-2020	1265	कोई उत्तर नहीं मिला
84	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	208	अपने आप से	06-8-2020	1273	कोई उत्तर नहीं मिला
85	07XXXXXXXXXX1जेडवी	1	आवेदन पर	06-8-2020	1273	नॉन-फाइलर्स का डाटा अभी तक प्रणाली में नहीं दिखा है।
86	07XXXXXXXXXX1जेडडी	207	अपने आप से	05-8-2020	1274	कोई उत्तर नहीं मिला
87	07XXXXXXXXXX4जेड9	207	अपने आप से	05-8-2020	1274	कोई उत्तर नहीं मिला
88	07XXXXXXXXXX2जेडडी	207	अपने आप से	05-8-2020	1274	कोई उत्तर नहीं मिला
89	07XXXXXXXXXX1जेडबी	207	अपने आप से	05-8-2020	1274	कोई उत्तर नहीं मिला
90	07XXXXXXXXXX3जेडक्यू	208	अपने आप से	04-8-2020	1275	कोई उत्तर नहीं मिला
91	07XXXXXXXXXX1जेड6	1	आवेदन पर	04-8-2020	1275	नॉन-फाइलर्स का डाटा अभी तक प्रणाली में नहीं दिखा है।
92	07XXXXXXXXXX1जेड3	208	अपने आप से	03-8-2020	1276	कोई उत्तर नहीं मिला
93	07XXXXXXXXXX1जेडओ	94	आवेदन पर	25-7-2020	1285	कोई उत्तर नहीं मिला
94	07XXXXXXXXXX1जेड2	94	आवेदन पर	25-7-2020	1285	कोई उत्तर नहीं मिला
95	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	94	आवेदन पर	25-07-2020	1285	कोई उत्तर नहीं मिला
96	07XXXXXXXXXX1जेड3	201	अपने आप से	24-7-2020	1286	कोई उत्तर नहीं मिला
97	07XXXXXXXXXX1जेड7	208	अपने आप से	24-7-2020	1286	कोई उत्तर नहीं मिला
98	07XXXXXXXXXX1जेडडी	208	अपने आप से	24-7-2020	1286	कोई उत्तर नहीं मिला
99	07XXXXXXXXXX1जेडडी	208	अपने आप से	24-7-2020	1286	कोई उत्तर नहीं मिला
100	07XXXXXXXXXX1जेड3	208	अपने आप से	24-7-2020	1286	कोई उत्तर नहीं मिला
101	07XXXXXXXXXX2जेड8	208	अपने आप से	24-7-2020	1286	कोई उत्तर नहीं मिला
102	07XXXXXXXXXX1जेडएन	208	अपने आप से	24-7-2020	1286	कोई उत्तर नहीं मिला
103	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	204	अपने आप से	23-7-2020	1287	कोई उत्तर नहीं मिला

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	निरसन का प्रकार	आदेश की तिथि	अंतिम रिटर्न फाइल करने में लंबित दिन (जनवरी-2024 तक)	विभाग का उत्तर
104	07XXXXXXXXXX1जेड3	204	अपने आप से	23-7-2020	1287	कोई उत्तर नहीं मिला
105	07XXXXXXXXXX1जेडए	2	अपने आप से	22-07-2020	1288	डीआरसी-07 दिनांक 05.08.2024 को जारी किया गया।
106	07XXXXXXXXXX1जेडडी	2	अपने आप से	22-07-2020	1288	करदाताओं के प्रति कोई देयता नहीं
107	07XXXXXXXXXX1जेड6	2	अपने आप से	22-07-2020	1288	डीआरसी-07 28-02-2025 को जारी किया गया।
108	07XXXXXXXXXX1जेडडी	2	अपने आप से	22-07-2020	1288	डीआरसी-07 28-02-2025 को जारी किया गया।
109	07XXXXXXXXXX1जेडजी	1	आवेदन पर	20-7-2020	1290	नॉन-फाइलर्स का डाटा अभी तक प्रणाली में नहीं दिखा है।
110	07XXXXXXXXXX1जेड3	1	आवेदन पर	20-7-2020	1290	नॉन-फाइलर्स का डाटा अभी तक प्रणाली में नहीं दिखा है।
111	07XXXXXXXXXX1जेडएस	207	आवेदन पर	25-06-2020	1315	कोई उत्तर नहीं मिला
112	07XXXXXXXXXX1जेडडी	7	आवेदन पर	23-6-2020	1317	कोई उत्तर नहीं मिला
113	07XXXXXXXXXX1जेड1	94	अपने आप से	03-6-2020	1337	कोई उत्तर नहीं मिला
114	07XXXXXXXXXX1जेडपी	94	अपने आप से	03-6-2020	1337	कोई उत्तर नहीं मिला
115	07XXXXXXXXXX1जेडएल	94	अपने आप से	03-6-2020	1337	कोई उत्तर नहीं मिला
116	07XXXXXXXXXX2जेडयू	201	अपने आप से	29-5-2020	1342	कोई उत्तर नहीं मिला
117	07XXXXXXXXXX1जेडएन	201	अपने आप से	29-5-2020	1342	कोई उत्तर नहीं मिला
118	07XXXXXXXXXX1जेडटी	94	अपने आप से	28-5-2020	1343	कोई उत्तर नहीं मिला
119	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	201	आवेदन पर	19-5-2020	1352	कोई उत्तर नहीं मिला
120	07XXXXXXXXXX1जेडडी	201	आवेदन पर	19-5-2020	1352	कोई उत्तर नहीं मिला
121	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	204	अपने आप से	15-5-2020	1356	कोई उत्तर नहीं मिला
122	07XXXXXXXXXX1जेडओ	204	अपने आप से	15-5-2020	1356	कोई उत्तर नहीं मिला
123	07XXXXXXXXXX1जेडबी	204	अपने आप से	15-5-2020	1356	कोई उत्तर नहीं मिला
124	07XXXXXXXXXX1जेड0	204	अपने आप से	15-5-2020	1356	कोई उत्तर नहीं मिला
125	07XXXXXXXXXX1जेडबी	204	अपने आप से	15-5-2020	1356	कोई उत्तर नहीं मिला
126	07XXXXXXXXXX1जेडएल	2	आवेदन पर	12-5-2020	1359	शून्य बिक्री
127	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	2	आवेदन पर	12-5-2020	1359	करदाता के प्रति कोई देयता नहीं

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	निरसन का प्रकार	आदेश की तिथि	अंतिम रिटर्न फाइल करने में लंबित दिन (जनवरी-2024 तक)	विभाग का उत्तर
128	07XXXXXXXXXX1जेड6	203	अपने आप से	08-5-2020	1363	कोई उत्तर नहीं मिला
129	07XXXXXXXXXX1जेड7	203	अपने आप से	08-5-2020	1363	कोई उत्तर नहीं मिला
130	07XXXXXXXXXX1जेडटी	203	अपने आप से	08-5-2020	1363	कोई उत्तर नहीं मिला
131	07XXXXXXXXXX2जेडबी	203	अपने आप से	08-5-2020	1363	कोई उत्तर नहीं मिला
132	07XXXXXXXXXX2जेडए	203	अपने आप से	08-5-2020	1363	कोई उत्तर नहीं मिला
133	07XXXXXXXXXX1जेडएस	203	अपने आप से	08-5-2020	1363	कोई उत्तर नहीं मिला
134	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	203	अपने आप से	08-5-2020	1363	कोई उत्तर नहीं मिला
135	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	203	अपने आप से	08-5-2020	1363	कोई उत्तर नहीं मिला
136	07XXXXXXXXXX1जेडओ	203	अपने आप से	08-5-2020	1363	कोई उत्तर नहीं मिला
137	07XXXXXXXXXX1जेडबी	203	अपने आप से	08-5-2020	1363	कोई उत्तर नहीं मिला
138	07XXXXXXXXXX1जेड1	204	आवेदन पर	08-5-2020	1363	कोई उत्तर नहीं मिला
139	07XXXXXXXXXX1जेडबी	204	आवेदन पर	08-5-2020	1363	कोई उत्तर नहीं मिला
140	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	204	आवेदन पर	08-5-2020	1363	कोई उत्तर नहीं मिला
141	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	204	आवेदन पर	08-5-2020	1363	कोई उत्तर नहीं मिला
142	07XXXXXXXXXX1जेडई	204	आवेदन पर	08-5-2020	1363	कोई उत्तर नहीं मिला
143	07XXXXXXXXXX2जेडएन	204	आवेदन पर	08-5-2020	1363	कोई उत्तर नहीं मिला
144	07XXXXXXXXXX1जेडई	204	आवेदन पर	08-5-2020	1363	कोई उत्तर नहीं मिला
145	07XXXXXXXXXX2जेड1	94	अपने आप से	03-5-2020	1368	कोई उत्तर नहीं मिला
146	07XXXXXXXXXX2जेडके	94	अपने आप से	03-5-2020	1368	कोई उत्तर नहीं मिला
147	07XXXXXXXXXX1जेडएस	94	अपने आप से	03-5-2020	1368	कोई उत्तर नहीं मिला
148	07XXXXXXXXXX1जेडजे	94	अपने आप से	03-5-2020	1368	कोई उत्तर नहीं मिला
149	07XXXXXXXXXX1जेड9	94	अपने आप से	03-5-2020	1368	कोई उत्तर नहीं मिला
150	07XXXXXXXXXX1जेडएस	94	अपने आप से	28-4-2020	1373	कोई उत्तर नहीं मिला
151	07XXXXXXXXXX1जेडएस	64	आवेदन पर	26-4-2020	1375	कोई बेमेल नहीं, कोई देयता नहीं
152	07XXXXXXXXXX1जेडएम	64	आवेदन पर	25-4-2020	1376	कोई बेमेल नहीं, कोई देयता नहीं
153	07XXXXXXXXXX1जेडए	64	आवेदन पर	25-4-2020	1376	कोई बेमेल नहीं, कोई देयता नहीं
154	07XXXXXXXXXX1जेडएम	64	अपने आप से	23-04-2020	1378	जीएसटी पोर्टल पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
155	07XXXXXXXXXXX1जेडजे	201	आवेदन पर	20-4-2020	1381	कोई उत्तर नहीं मिला
156	07XXXXXXXXXX1जेड2	94	अपने आप से	19-4-2020	1382	कोई उत्तर नहीं मिला

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	निरसन का प्रकार	आदेश की तिथि	अंतिम रिटर्न फाइल करने में लंबित दिन (जनवरी-2024 तक)	विभाग का उत्तर
157	07XXXXXXXXXX1जेडई	64	आवेदन पर	19-4-2020	1382	कोई बेमेल नहीं, कोई देयता नहीं
158	07XXXXXXXXXX1जेडएल	201	आवेदन पर	19-4-2020	1382	कोई उत्तर नहीं मिला
159	07XXXXXXXXXX1जेडआर	201	आवेदन पर	10-4-2020	1391	कोई उत्तर नहीं मिला
160	07XXXXXXXXXX1जेड4	94	अपने आप से	08-4-2020	1393	कोई उत्तर नहीं मिला
161	07XXXXXXXXXX1जेडटी	201	अपने आप से	08-4-2020	1393	कोई उत्तर नहीं मिला
162	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	201	आवेदन पर	07-4-2020	1394	कोई उत्तर नहीं मिला
163	07XXXXXXXXXX1जेड3	201	आवेदन पर	07-4-2020	1394	कोई उत्तर नहीं मिला

अनुलग्नक 1.22(डी)
(पैराग्राफ 1.4.6.1(ii) में संदर्भित)
करदाताओं को निरसन के बाद एएसएमटी-10 जारी किया गया (खंड-I)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	निरसन का प्रकार	निरसन आदेश की तिथि	निरसन के बाद नोटिस जारी की गई	नोटिस जारी करने की तिथि	एससीएन की अवधि	एससीएन के अनुसार विचलन राशि (₹ करोड़ में)	निरसन के बाद एससीएन जारी करने में लगने वाले दिन
1	07XXXXXXXXXX2जेडएफ	201	अपने आप से	31.08.2020	एएसएमटी-10	29.09.2020	2018-19	-	29
2	07XXXXXXXXXX1जेडजी	208	अपने आप से	19.09.2020	एएसएमटी-10	16.01.2021	2019-20	0.90	119
3	07XXXXXXXXXX1जेड4	94	अपने आप से	08.04.2020	एएसएमटी-10	14.08.2020	2018-19	-	128
4	07XXXXXXXXXX1जेडजी	208	अपने आप से	19.09.2020	एएसएमटी-10	28.01.2021	2018-19	0.08	131
5	07XXXXXXXXXX1जेडआर	207	अपने आप से	14.08.2020	एएसएमटी-10	21.01.2021	2018-19	0.00	160
6	07XXXXXXXXXX2जेड4	201	आवेदन पर	19.05.2020	एएसएमटी-10	10.12.2020	2018-19	-	205
7	07XXXXXXXXXX1जेडए	2	अपने आप से	22.07.2020	एएसएमटी-10	24.02.2021	2019-20	0.09	217
8	07XXXXXXXXXX1जेड8	207	आवेदन पर	13.05.2020	एएसएमटी-10	22.01.2021	2018-19	0.03	254
9	07XXXXXXXXXX2जेडआर	1	अपने आप से	09.09.2020	एएसएमटी-10	24.06.2021	2019-20	1.87	288
10	07XXXXXXXXXX2जेडआर	64	अपने आप से	15.03.2021	एएसएमटी-10	04.01.2022	2020-21	-	295
11	07XXXXXXXXXX1जेड8	207	आवेदन पर	13.05.2020	एएसएमटी-10	15.03.2021	2019-20	0.11	306
12	07XXXXXXXXXX1जेडए	207	आवेदन पर	04.02.2021	एएसएमटी-10	15.12.2021	2019-20	0.02	314
13	07XXXXXXXXXX1जेडआई	1	अपने आप से	08.09.2020	एएसएमटी-10	17.08.2021	2020-21	0.18	343
							कुल	**3.28**	

करदाताओं को निरसन के बाद डीआरसी-01 जारी किया गया (खंड-II)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	निरसन का प्रकार	निरसन आदेश की तिथि	निरसन के बाद नोटिस जारी की गई	नोटिस जारी करने की तिथि	एससीएन की अवधि	एससीएन के अनुसार विचलन राशि (₹ करोड़ में)	निरसन के बाद एससीएन जारी करने में लगने वाले दिन
1	07XXXXXXXXXX1जेडई	1	अपने आप से	09.9.2020	डीआरसी-01	18.12.2020	2019-20	8.27	100
2	07XXXXXXXXXX1जेडजे	207	अपने आप से	04.02.2021	डीआरसी-01	29.06.2022	2020-21	15.52	510
3	07XXXXXXXXXX1जेड4	207	अपने आप से	29.9.2020	डीआरसी-01	12.03.2022	2019-20	36.09	529
4	07XXXXXXXXXX1जेड4	207	अपने आप से	29.9.2020	डीआरसी-01	12.03.2022	2020-21	3.97	529
5	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	204	अपने आप से	18.8.2020	डीआरसी-01ए	28.02.2022	2017-18	0.29	559
6	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	204	अपने आप से	18.8.2020	डीआरसी-01	29.03.2022	2019-20	0.02	588
7	07XXXXXXXXXX1जेडबी	207	अपने आप से	27.08.2020	डीआरसी-01	28.06.2022	2017-18	20.07	670
8	07XXXXXXXXXX1जेडबी	207	अपने आप से	27.08.2020	डीआरसी-01	28.06.2022	2018-19	6.52	670
9	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	208	अपने आप से	06.8.2020	डीआरसी-01	24.06.2022	2017-18	4.87	687
10	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	208	अपने आप से	06.8.2020	डीआरसी-01	24.06.2022	2018-19	29.17	687
11	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	208	अपने आप से	06.8.2020	डीआरसी-01	24.06.2022	2019-20	21.06	687
12	07XXXXXXXXXX3जेडक्यू	208	अपने आप से	04.8.2020	डीआरसी-01	27.06.2022	2018-19	33.32	692
13	07XXXXXXXXXX1जेडए	207	आवेदन पर	04.02.2021	डीआरसी-01	27.09.2023	2017-18	0.31	965
14	07XXXXXXXXXX1जेड2	207	आवेदन पर	06.01.2021	डीआरसी-01	09.12.2023	2018-19	9.96	1067
15	07XXXXXXXXXX3जेडई	207	अपने आप से	29.9.2020	डीआरसी-01	09.12.2023	2018-19	0.82	1166
16	07XXXXXXXXXX1जेड4	207	अपने आप से	29.9.2020	डीआरसी-01	09.12.2023	2018-19	1.68	1166
17	07XXXXXXXXXX1जेडजी	208	अपने आप से	19.9.2020	डीआरसी-01	17.12.2023	2018-19	0.01	1184
18	07XXXXXXXXXX1जेडओ	203	अपने आप से	04.9.2020	डीआरसी-01	11.12.2023	2018-19	4.12	1193
19	07XXXXXXXXXX1जेड1	207	अपने आप से	27.08.2020	डीआरसी-01	09.12.2023	2018-19	8.02	1199
20	07XXXXXXXXXX1जेडए	2	अपने आप से	22.7.2020	डीआरसी-01	22.12.2023	2018-19	1.66	1248
21	07XXXXXXXXXX1जेड6	2	अपने आप से	22.7.2020	डीआरसी-01	25.12.2023	2018-19	0.003	1251
22	07XXXXXXXXXX1जेड8	207	आवेदन पर	13.05.2020	डीआरसी-01	21.12.2023	2018-19	0.01	1317
							कुल	**205.77**	

खंड-III

करदाताओं को निरसन के बाद डीआरसी-07 जारी किया गया

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	निरसन का प्रकार	निरसन आदेश की तिथि	निरसन के बाद नोटिस जारी की गई	नोटिस जारी करने की तिथि	एससीएन की अवधि	एससीएन के अनुसार विचलन राशि (₹ करोड़ में)	निरसन के बाद एससीएन जारी करने में लगने वाले दिन
1	07XXXXXXXXXX1ज़ेडक्यू	207	अपने आप से	18.08.2020	डीआरसी-07	08.11.2021	2018-19	135.36	447
2	07XXXXXXXXXX1ज़ेडक्यू	207	अपने आप से	18.08.2020	डीआरसी-07	08.11.2021	2019-20	160.11	447
3	07 XXXXXXXXXX1ज़ेडओ	203	अपने आप से	04.9.2020	डीआरसी-07	28.02.2022	2019-20	22.68	542
4	07 XXXXXXXXXX 1ज़ेडजे	208	अपने आप से	01.1.2021	डीआरसी-07	05.07.2022	2018-19	15.60	550
5	07 XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	207	अपने आप से	14.8.2020	डीआरसी-07	05.07.2022	2018-19	33.41	690
6	07 XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	207	अपने आप से	14.8.2020	डीआरसी-07	05.07.2022	2018-19	3.73	690
7	07 XXXXXXXXXX1ज़ेड3	208	अपने आप से	03.8.2020	डीआरसी-07	05.07.2022	2018-19	38.47	701
8	07 XXXXXXXXXX1ज़ेडडब्ल्यू	208	आवेदन पर	25.2.2021	डीआरसी-07	31.12.2023	2017-18	0.19	1039
9	07 XXXXXXXXXX1ज़ेड2	207	आवेदन पर	06.01.2021	डीआरसी-07	02.12.2023	2017-18	7.59	1060
10	07 XXXXXXXXXX1ज़ेड4	207	अपने आप से	29.9.2020	डीआरसी-07	03.12.2023	2017-18	2.45	1160
11	07 XXXXXXXXXX1ज़ेडजी	208	अपने आप से	19.9.2020	डीआरसी-07	04.12.2023	2017-18	1.44	1171
12	07 XXXXXXXXXX1ज़ेडओ	203	अपने आप से	04.9.2020	डीआरसी-07	05.12.2023	2017-18	3.52	1187
13	07 XXXXXXXXXX1ज़ेड1	207	अपने आप से	27.08.2020	डीआरसी-07	02.12.2023	2017-18	2.17	1192
14	07 XXXXXXXXXX1जेडक्यू	207	अपने आप से	18.08.2020	डीआरसी-07	03.12.2023	2017-18	10.28	1202
15	07 XXXXXXXXXX1ज़ेड6	2	अपने आप से	22.7.2020	डीआरसी-07	26.12.2023	2017-18	0.002	1252
16	07 XXXXXXXXXX1ज़ेड2	208	आवेदन पर	29.5.2020	डीआरसी-07	31.12.2023	2017-18	0.11	1311
							कुल	**437.11**	
							कुल योग	**646.16**	

अनुलग्नक 1.23
(पैराग्राफ 1.4.6.2 में संदर्भित)
लेखापरीक्षा आयामों/पैरामीटरों का सारांश

क्रम सं.	लेखापरीक्षा आयाम	प्रयुक्त एल्गोरिथ्म	करदाता	उदाहरणों की संख्या	विचलन/बेमेल की राशि (₹ करोड़ में)
	आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल				
1	इनपुट कर क्रेडिट बेमेल (जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए)	क. जीएसटीआर-3बी की तालिका 4ए (5),जीएसटीआर-3बी की तालिका 4डी (या जीएसटीआर-9 की तालिका 8एफ) और जीएसटीआर-9 की तालिका 8 सी में प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट 2018-19 और अप्रैल से सितंबर 2019 की अवधि के लिए जीएसटीआर 2ए की तालिका 3, तालिका 4, तालिका 5 और तालिका 6 में उपलब्ध इनपुट कर क्रेडिट से अधिक नहीं होना चाहिए। ख. जीएसटीआर-3बी की तालिका 4ए (5), जीएसटीआर-3बी की तालिका 4डी (या जीएसटीआर-9 की तालिका 8एफ) और जीएसटीआर-9 की तालिका 8सी में प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट अक्टूबर से दिसंबर 2019 की अवधि के लिए जीएसटीआर-2ए की तालिका 3, तालिका 4, तालिका 5 और तालिका 6 में उपलब्ध इनपुट कर क्रेडिट के 120 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होना चाहिए। ग. जीएसटीआर-3बी की तालिका 4ए (5), जीएसटीआर-3बी की तालिका 4डी (या जीएसटीआर-9 की तालिका 8एफ) और जीएसटीआर-9 की तालिका 8-सी में प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट जनवरी से मार्च 2020 की अवधि के लिए जीएसटीआर-2ए की तालिका 3, तालिका 4, तालिका 5 और तालिका 6 में उपलब्ध इनपुट कर क्रेडिट के 110 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होना चाहिए।	30	44	1,459.51

क्रम सं.	लेखापरीक्षा आयाम	प्रयुक्त एल्गोरिथ्म	करदाता	उदाहरणों की संख्या	विचलन/बेमेल की राशि (₹ करोड़ में)
2	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर दिए बिना इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाया गया	ऐसे मामले जहाँ जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए में उपलब्ध इनपुट कर क्रेडिट जीएसटीआर-2ए (अगले वर्ष के समायोजनों सहित) में उपलब्ध इनपुट कर क्रेडिट से कम था, उन लेनदेन पर प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट का हिसाब अलग से रखा गया, जहाँ आपूर्तिकर्ता ने जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं किया था या निरसन की प्रभावी तिथि के बाद इनवॉइस जारी किए थे। इसके अतिरिक्त, यदि जीएसटीआर-9 की तालिका 8डी ऋणात्मक थी, तो पूरी रकम वापस कर दी जानी चाहिए थी।	15	39	277.32
3	परिसीमन अवधि के बाद फाइल किए गए जीएसटीआर-3बी पर प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट	अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2020 और अक्टूबर 2021 के बाद फाइल किए गए क्रमशः 2018-19, 2019-20 और 2020-21 की अवधि से संबंधित जीएसटीआर-3बी के द्वारा लिया गया इनपुट कर क्रेडिट।	20	26	326.45
4	अतिरिक्त आईएसडी क्रेडिट	यदि जीएसटीआर-9 उपलब्ध होता, तो जीएसटीआर-9 की तालिका 6जी माइनस तालिका 7बी, जीएसटीआर-6 की तालिका 5ए, तालिका 8ए और तालिका 9ए के योग के बराबर होने की उम्मीद थी , जिसे जीएसटीआर-6 की तालिका 8ए या तालिका 9ए में संबंधित वितरकों की प्रविष्टि के लिए समायोजित किया गया था। यदि जीएसटीआर-9 की तालिका 7बी बातिल या शून्य होती, तो जीएसटीआर-9 की तालिका 7एच का प्रयोग किया जा सकता था। यदि जी.एस.टी.आर-9 उपलब्ध नहीं होता, तो जी.एस.टी.आर-3बी की तालिका 4(ए)(4) माइनस तालिका 4(बी)(2), जीएसटीआर-6 की तालिका 5ए , तालिका 8ए और तालिका 9ए के योग के बराबर होने की उम्मीद थी, या जीएसटीआर-3बी की तालिका 4ए (4) माइनस तालिका 4 बी (2) जीएसटीआर-2ए की तालिका 7	20	26	23.08

क्रम सं.	लेखापरीक्षा आयाम	प्रयुक्त एल्गोरिथ्म	करदाता	उदाहरणों की संख्या	विचलन/बेमेल की राशि (₹ करोड़ में)
		माइनस तालिका 8 से अधिक नहीं होना चाहिए था।			
	वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरणों (एफएस) में बेमेल				
5	वित्तीय विवरणों के साथ समाधान न किए गए इनपुट कर क्रेडिट (जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ)	जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ में केवल धनात्मक प्रविष्टियों पर ही विचार किया गया। उच्च विचलनों के लिए, यदि एक ही पैन (पी.ए.एन.) के अंतर्गत कई जीएसटीआईएन थे, तो सभी जीएसटीआईएन के लिए जीएसटीआईआर-9सी की तालिका 12 में संबंधित आंकड़े और एक समेकित विचलन (सभी जीएसटीआईएन को ध्यान में रखते हुए) देना था। क्योंकि 2020-21 तक तालिका 12बी और 12सी (वर्षों के बीच इनपुट कर क्रेडिट समायोजन) भरना वैकल्पिक था, इसलिए केवल उन्हीं करदाताओं को शामिल किया गया जिन्होंने ये विवरण दिए थे।	10	16	307.72
6	अयोग्य इनपुट कर क्रेडिट (जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी)	जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी में केवल धनात्मक प्रविष्टियों पर ही विचार किया गया। चूंकि करदाताओं के पास यह तालिका न भरने का विकल्प था, इसलिए केवल समाधान न किए गए उन मामलों को शामिल किया गया , जिनमें करदाता ने विवरण दिए थे।	10	13	88.26
7	कर का अल्प भुगतान (जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर)	जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर में कोई भी ऋणात्मक प्रविष्टि (ब्याज, जुर्माना, विलंब शुल्क को छोड़कर) कर का गैर-भुगतान या अल्प-भुगतान का मामला हो सकती है।	10	16	140.11
	कर भुगतान या ब्याज और अन्य विचलन में कमी				
8	उत्क्रम प्रभार पर कर का अल्प-भुगतान	जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1(डी) में उत्क्रम प्रभार प्रक्रिया के अंतर्गत कर देयता जीएसटीआर-9 की तालिका 6सी , तालिका 6डी और तालिका 6एफ में प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट से कम नहीं होनी चाहिए। यदि जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं है, तो जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1(डी) में	20	30	252.83

क्रम सं.	लेखापरीक्षा आयाम	प्रयुक्त एल्गोरिथ्म	करदाता	उदाहरणों की संख्या	विचलन/बेमेल की राशि (₹ करोड़ में)
		उत्क्रम प्रभार प्रक्रिया के अंतर्गत कर देयता जीएसटीआर-3बी की तालिका 4(ए)(2) और तालिका 4(ए)(3) के योग से कम नहीं होनी चाहिए।			
9	अभुक्त कर देयता	यदि जीएसटीआर-9 उपलब्ध है, तो [जीएसटीआर-1 की तालिका 4, तालिका 5, तालिका 6, तालिका 7, जीएसटीआर-1 की तालिका 9 का आंकड़ा जहाँ संशोधन (संशोधित मूल्य माइनस उसी इनवॉइस का वास्तविक मूल्य), जीएसटीआर-1 की तालिका 9 के डेबिट नोट्स, तालिका 9, तालिका 11ए और तालिका 11बी के क्रेडिट नोट्स (तालिका 11 के अग्रिम और समायोजन का निवल)] और [जीएसटीआर-9 की तालिका 4एन माइनस तालिका 4जी प्लस तालिका 10 माइनस तालिका 11 में देय कर] (जो भी अधिक हो) का योग [जीएसटीआर-9 की तालिका 9 (आईटीसी और नकद दोनों) प्लस तालिका 14 माइनस तालिका 4जी] में चुकाए गए कर से अधिक नहीं होना चाहिए। जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं है, जीएसटीआर-1 की तालिका 4 (तालिका 4बी को छोड़कर), तालिका 5, तालिका 6, तालिका 7 के अनुसार देय कर, जीएसटीआर-1 की तालिका 9 का आंकड़ा जहाँ संशोधन (संशोधित मूल्य में से उसी इनवॉइस का वास्तविक मूल्य घटाया गया), तालिका 9 के डेबिट नोट्स, तालिका 9 के क्रेडिट नोट्स, जीएसटीआर-1 की तालिका 11ए और तालिका 11बी (तालिका 11 के अग्रिम और समायोजन का निवल) [जीएसटीआर-3बी की तालिका 6.1 (ब्याज और विलंब शुल्क के बिना) में से तालिका 3.1(डी) घटाकर] से अधिक नहीं होना चाहिए।	35	66	2,339.92

क्रम सं.	लेखापरीक्षा आयाम	प्रयुक्त एल्गोरिथ्म	करदाता	उदाहरणों की संख्या	विचलन/बेमेल की राशि (₹ करोड़ में)
10	ई-वे बिल देयता की तुलना में कर का अल्प-भुगतान	जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1(ए) और तालिका 3.1(बी) का योग ई-वे बिल में बताई गई कर देयता से कम होना चाहिए।	25	43	1,360.72
11	निर्दिष्ट टर्नओवर पार करने के बाद भी कम प्रशमन उगाही	प्रशमन करदाताओं जिनका अखिल भारतीय आधार पर एक ही पैन के सभी जीएसटीआईएन के अंतर्गत टर्नओवर 2018-19 में ₹1 करोड़ और 2019-20 में ₹1.5 करोड़ की टर्नओवर (केंद्रीय और राज्य का अधिकार क्षेत्र) सीमा पार कर गया था।	5	5	0
12	प्रशमन उगाही के अंतर्गत ई-कॉमर्स लाभार्थी	यदि जीएसटीआर-8 रिटर्न की तालिका 3 के जीएसटीआईएन ने भी प्रशमन करदाताओं के तौर पर सीएमपी-08 तिमाही रिटर्न फाइल किया है, तो यह अनियमित था।	5	5	0
13	जीएसटीआर 3बी फाइल नहीं किया गया है परंतु जीएसटीआर1/2ए उपलब्ध है	करदाता जिन्होंने जीएसटीआर-1 फाइल किया था, परंतु वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2020 या अक्टूबर 2021 तक संबंधित जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं किया था।	20	26	334.96
14	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अल्प-भुगतान	विलंबित जीएसटीआर-3बी के लिए कर भुगतान के नकदी घटक पर 18 *प्रतिशत* की दर से ब्याज।	30	79	46.88
		कुल	**255**	**434**	**6,957.76**
		लेखापरीक्षा आयामों/पैरामीटरों का सारांश (टर्नओवर बेमेल)			
15	टीडीएस/टीसीएस घोषणा के माध्यम से पहचाने गए करयोग्य मूल्य को छिपाना	जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1(ए) की तुलना जीएसटीआर-2ए की तालिका 9 के स्तंभ 4 से की गई।	10	16	757.49
16	बिल न किए गए मूल्य के अल्प-प्रकटीकरण के कारण करयोग्य मूल्य को छिपाना	2018-19 के लिए जीएसटीआर-9सी की तालिका 5बी की तुलना 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9सी की तालिका 5एच के साथ की गई और इसी प्रकार, 2019-20 के लिए जीएसटीआर-9सी की तालिका 5बी की तुलना 2018-19 के लिए जीएसटीआर-	10	13	252.85

क्रम सं.	लेखापरीक्षा आयाम	प्रयुक्त एल्गोरिथ्म	करदाता	उदाहरणों की संख्या	विचलन/बेमेल की राशि (₹ करोड़ में)
		9सी की तालिका 5एच के साथ की गई और 2020-21 के लिए जीएसटीआर-9सी की तालिका 5बी की तुलना 2019-20 के लिए जीएसटीआर-9सी की तालिका 5एच के साथ की गई।			
17	करयोग्य टर्नओवर की कम रिपोर्टिंग	जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में कोई भी ऋणात्मक प्रविष्टि, छूट युक्त, शून्य दर, गैर-जीएसटी और कोई सप्लाई टर्नओवर न होने की आड़ में करयोग्य आपूर्ति के समाशोधन का मामला हो सकता है।	10	24	10,921.59
कुल			**30**	**53**	**11,931.93**
कुल योग			**285**	**487**	**18,889.69**

अनुलग्नक 1.24
(पैराग्राफ 1.4.6.2(ए) में संदर्भित)
ऐसे मामले जिनमें उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखापरीक्षा आयाम	विभाग को जारी किए गए नमूना मामले		विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ		प्रतिशतता	
		संख्या	बेमेल की राशि	संख्या	बेमेल की राशि	संख्या	बेमेल की राशि
1	इनपुट कर क्रेडिट बेमेल (जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए)	44	1,459.51	39	1,344.47	88.64	92.12
2	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर जमा किए बिना इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाया गया	39	277.32	27	203.27	69.23	73.29
3	परिसीमन अवधि के बाद फाइल किए गए जीएसटीआर-3बी पर इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाया गया	26	326.45	18	198.01	69.23	60.66
4	अतिरिक्त आईएसडी क्रेडिट	26	23.08	17	15.04	65.38	65.16
5	वित्तीय विवरणों के साथ समाधान न किए गए इनपुट कर क्रेडिट (जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ)	16	307.72	14	277.21	87.5	90.09
6	अयोग्य इनपुट कर क्रेडिट (जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी)	13	88.26	12	72.56	92.31	82.21
7	कर का अल्प- भुगतान (जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर)	16	140.11	7	54.96	43.75	39.23
8	उत्क्रम प्रभार पर कर का अल्प- भुगतान	30	252.83	25	226.61	83.33	89.62
9	अभुक्त कर देयता	66	2,339.92	40	1,668.01	60.61	71.28
10	ई-वे बिल देयता की तुलना में कर का अल्प-भुगतान	43	1,360.72	32	983.40	74.42	72.27
11	निर्दिष्ट टर्नओवर पार करने के बाद भी कम प्रशमन उगाही	5	0	4	0	80	0
12	प्रशमन उगाही के अंतर्गत ई-कॉमर्स लाभार्थी	5	0	3	0	60	0
13	जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं किया गया है परंतु जीएसटीआर-1/2ए उपलब्ध है	26	334.96	17	209.39	65.38	62.51
14	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अल्प-भुगतान	79	46.88	64	40.75	81.01	86.92
	कुल	**434**	**6,957.76**	**319**	**5,293.68**	**73.50**	**76.08**

अनुलग्नक 1.25
(पैराग्राफ 1.4.6.2(ए) में संदर्भित)
ऐसे मामले जिनमें उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (टर्नओवर मामले)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखापरीक्षा आयाम	विभाग को जारी किए गए नमूना मामले		विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ		प्रतिशतता	
		संख्या	बेमेल की राशि	संख्या	बेमेल की राशि	संख्या	बेमेल की राशि
1	टीडीएस/टीसीएस घोषणा के माध्यम से पहचाने गए करयोग्य मूल्य को छिपाना	16	757.49	11	677.09	68.75	89.39
2	बिल न किए गए मूल्य के अल्प-प्रकटीकरण के कारण करयोग्य मूल्य को छिपाना	13	252.85	11	210.48	84.62	83.24
3	करयोग्य टर्नओवर की कम रिपोर्टिंग	24	10,921.59	19	8,854.44	79.17	81.07
कुल		**53**	**11,931.93**	**41**	**9,742.01**	77.36	81.65

अनुलग्नक 1.26
(पैराग्राफ 1.4.6.2(बी) में संदर्भित)
कमियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीमित लेखापरीक्षा - जोखिम पैरामीटर	विभाग को जारी किए गए नमूना मामले		अनुपालन संबंधी विचलन						लेखापरीक्षा द्वारा विभाग का उत्तर स्वीकार कर लिया गया						कुल	
				विभाग ने उन मामलों को भी स्वीकार कर लिया है जिनमें अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है				विभाग का उत्तर बिना दस्तावेज़ी साक्ष्य और टिप्पणियों के बिना था		आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ		परिप्रश्न से पहले की गई कार्रवाई		अन्य मान्य स्पष्टीकरण			
				एससीएन		एएसएमटी-10											
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	इनपुट कर क्रेडिट बेमेल (जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए)	44	1,459.51	2	139.33			3	50.14							5	189.47
2	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर दिए बिना इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाया गया	39	277.32			3	20.69	5	36.65					4	16.7	12	74.04
3	परिसीमन अवधि के बाद फाइल किए गए जीएसटीआर-3बी पर इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाया गया	26	326.45	7	341.46	1	16.61									8	358.07

क्रम सं.	सीमित लेखापरीक्षा - जोखिम पैरामीटर	विभाग को जारी किए गए नमूना मामले		अनुपालन संबंधी विचलन						लेखापरीक्षा द्वारा विभाग का उत्तर स्वीकार कर लिया गया						कुल	
				विभाग ने उन मामलों को भी स्वीकार कर लिया है जिनमें अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है				विभाग का उत्तर बिना दस्तावेज़ी साक्ष्य और टिप्पणियों के बिना था		आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ		परिप्रश्न से पहले की गई कार्रवाई		अन्य मान्य स्पष्टीकरण			
				एससीएन		एएसएमटी-10											
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
4	अतिरिक्त आईएसडी क्रेडिट	26	23.08	3	1.88	3	0.78			1	5.07			2	1.26	9	8.99
5	वित्तीय विवरणों के साथ समाधान न किए गए इनपुट कर क्रेडिट (जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ)	16	307.72									2	34.28			2	34.28
6	अयोग्य इनपुट कर क्रेडिट (जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी)	13	88.26									1	37.06			1	37.06
7	कर का अल्प- भुगतान (जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर)	16	140.11	3	17.63					2	30.62	1	10.54	3	35.39	9	94.18
8	उत्क्रम प्रभार पर कर का अल्प- भुगतान	30	252.83	4	67.73	0	0			1	7.56					5	75.29
9	अभुक्त कर देयता	66	2,339.92	24	1,402.92	2	36.85									26	1439.77

क्रम सं.	सीमित लेखापरीक्षा - जोखिम पैरामीटर	विभाग को जारी किए गए नमूना मामले		अनुपालन संबंधी विचलन						लेखापरीक्षा द्वारा विभाग का उत्तर स्वीकार कर लिया गया						कुल	
				विभाग ने उन मामलों को भी स्वीकार कर लिया है जिनमें अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है				विभाग का उत्तर बिना दस्तावेज़ी साक्ष्य और टिप्पणियों के बिना था		आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ		परिप्रश्न से पहले की गई कार्रवाई		अन्य मान्य स्पष्टीकरण			
				एससीएन		एएसएमटी-10											
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
10	ई-वे बिल देयता की तुलना में कर का अल्प-भुगतान	43	1,360.72	2	324.43	3	138.76	0	0			1	47.54	5	73.70	11	584.43
11	निर्दिष्ट टर्नओवर पार करने के बाद भी कम प्रशमन उगाही	5	0							1	0					1	0.00
12	प्रशमन उगाही के अंतर्गत ई-कॉमर्स लाभार्थी	5	0	2	3.27											2	3.27
13	जीएसटीआर- 3बी फाइल नहीं किया गया है परंतु जीएसटीआर1/2ए उपलब्ध है	26	334.96	5	247.50	2	23.60					2	48.39			9	319.49
14	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अल्प-भुगतान	79	46.88	15	6.09	0	0									15	6.09
	कुल	**434**	**6,957.76**	**67**	**2,552.24**	**14**	**237.29**	**8**	**86.79**	**5**	**43.25**	**7**	**177.81**	**14**	**127.05**	**115**	**3,224.43**

अनुलग्नक 1.27
(पैराग्राफ 1.4.6.2(बी) में संदर्भित)
कमियों का सारांश (टर्नओवर मामले)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीमित लेखापरीक्षा - जोखिम पैरामीटर	विभाग को जारी किए गए नमूना मामले		अनुपालन संबंधी विचलन						लेखापरीक्षा द्वारा विभाग का उत्तर स्वीकार कर लिया गया						कुल	
				विभाग ने उन मामलों को भी स्वीकार कर लिया है जिनमें अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है				विभाग का उत्तर बिना किसी दस्तावेज़ी साक्ष्य और टिप्पणियों के था		आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ		परिप्रश्न से पहले की गई कार्रवाई		अन्य मान्य स्पष्टीकरण			
				एससीएन		एएसएमटी-10											
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	टीडीएस/टीसीएस घोषणा के माध्यम से पहचाने गए करयोग्य मूल्य को छिपाना	16	757.49	2	20.5	3	36.58									5	57.08
2	बिल न किए गए मूल्य के अल्प-प्रकटीकरण के कारण करयोग्य मूल्य को छिपाना	13	252.85	2	14.26											2	14.26
3	करयोग्य टर्नओवर की कम रिपोर्टिंग	24	1,0921.59	3	69.65	0	0	0	0					2	1,836.81	5	1,906.46
	कुल	**53**	**11,931.93**	**7**	**104.41**	**3**	**36.58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1,836.81**	**12**	**1,977.80**

अनुलग्नक 1.28
(पैराग्राफ 1.4.6.2(बी) में संदर्भित)
प्रत्येक आयाम के अंतर्गत एक मामला जहाँ विभाग ने एएसएमटी-10/एससीएन के रूप में सुधारात्मक कार्रवाई की है

क्रम सं.	आयाम	जीएसटीआईएन	वर्ष	वार्ड	बेमेल (₹ करोड़ में)	की गई कार्रवाई
1	इनपुट कर क्रेडिट बेमेल (जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए)	07XXXXXXXXXX1जेडएच	2018-19	12	33.18	डीआरसी-07 19-04-2024 को जारी किया गया
2	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर जमा किए बिना इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाया गया	07XXXXXXXXXX1जेडसी	2019-20	2	10.04	एएसएमटी-10 23.08.2023 को जारी किया गया
3	परिसीमन अवधि के बाद फाइल किए गए जीएसटीआर-3बी पर इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाया गया	07XXXXXXXXXX1जेडजी	2018-19	98	24.12	डीआरसी-01ए 20.11.2023 को जारी किया गया
4	अतिरिक्त आईएसडी क्रेडिट	07XXXXXXXXXX1जेडके	2019-20	96	0.45	डीआरसी-01 17.11.2023 को जारी किया गया
5	कर का अल्प- भुगतान (जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर)	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	2019-20	101	5.4	डीआरसी-01 31.01.2024 को जारी किया गया
6	उत्क्रम प्रभार पर कर का अल्प- भुगतान	07XXXXXXXXXX1जेडआई	2020-21	88	7.30	डीआरसी-07 11-11-2024 को जारी किया गया
7	अभुक्त कर देयता	07XXXXXXXXXX1जेडयू	2019-20	79	76.86	डीआरसी-07 19-08-2024 को जारी किया गया
8	ई-वे बिल देयता की तुलना में कर का अल्प-भुगतान	07XXXXXXXXXX4जेडजी	2019-20	77	96.33	डीआरसी-07 18-08-2024 को जारी किया गया
9	प्रशमन उगाही के अंतर्गत ई-कॉमर्स लाभार्थी	07XXXXXXXXXX1जेडबी	2020-21	84	0	डीआरसी-01 21.05.2025 को जारी किया गया
10	जीएसटीआर- 3बी फाइल नहीं किया गया है परंतु जीएसटीआर1/2ए उपलब्ध है	07XXXXXXXXXX2जेडटी	2019-20	41	16.77	एएसएमटी-10 21.07.2023 को जारी किया गया
11	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अल्प-भुगतान	07XXXXXXXXXX1जेड5	2018-19	101	1.12	डीआरसी-01 18.10.2023 को जारी किया गया
12	टीडीएस/टीसीएस घोषणा के माध्यम से पहचाने गए करयोग्य मूल्य को छिपाना	07XXXXXXXXXX1जेड3	2019-20	3	34.47	डीआरसी-07 17.08.2024 को जारी किया गया
13	बिल न किए गए मूल्य के अल्प-प्रकटीकरण के कारण करयोग्य मूल्य को छिपाना	07XXXXXXXXXX2जेडओ	2018-19	52	5.48	डीआरसी-01 06.11.2023 को जारी किया गया
14	करयोग्य टर्नओवर की कम रिपोर्टिंग	07XXXXXXXXXX2जेडके	2019-20	28	15	डीआरसी-01 01.11.2023 को जारी किया गया

अनुलग्नक 1.29
(पैराग्राफ 1.4.6.2 (सी)(i)(ए) में संदर्भित)
करदाताओं की सूची जिन्हें एससीएन जारी किए गए

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वर्ष	वार्ड	विचलन राशि (₹ करोड़ में)
1	07XXXXXXXXX1जेडई	2018-19	93	69.16
2	07XXXXXXXXX1जेडएच	2018-19	12	70.17
3	07XXXXXXXXX1जेडजी	2018-19	98	51.39
4	07XXXXXXXXX1जेडसी	2018-19	93	44.69
5	07XXXXXXXXX1जेडजेड	2018-19	4	60.49
6	07XXXXXXXXX1जेड9	2019-20	27	31.85
7	07XXXXXXXXX1जेडएस	2019-20	84	15.18
8	07XXXXXXXXX1जेडएस	2018-19	84	1.78
9	07XXXXXXXXX1जेडआई	2019-20	34	136.08
10	07XXXXXXXXX1जेड7	2018-19	96	0.73
11	07XXXXXXXXX1जेड7	2019-20	96	0.16
12	07XXXXXXXXX1जेडके	2019-20	96	0.99
13	07XXXXXXXXX6जेडसी	2019-20	11	30.21
14	07XXXXXXXXX1जेडआई	2020-21	88	12.48
15	07XXXXXXXXX1जेडटी	2020-21	84	11.39
16	07XXXXXXXXX1जेड6	2018-19	23	13.65
17	07XXXXXXXXX1जेडएच	2019-20	93	84.24
18	07XXXXXXXXX1जेडएच	2018-19	93	4.98
19	07XXXXXXXXX1जेडपी	2019-20	10	13.48
20	07XXXXXXXXX1जेडपी	2018-19	10	247.34
21	07XXXXXXXXX2जेडआर	2019-20	92	27.48
22	07XXXXXXXXX2जेडआर	2018-19	92	62.9
23	07XXXXXXXXX1जेडयू	2018-19	79	139.74
24	07XXXXXXXXX1जेडयू	2019-20	79	129.32
25	07XXXXXXXXX1जेडक्यू	2018-19	78	69.95
26	07XXXXXXXXX1जेडक्यू	2019-20	78	0.29
27	07XXXXXXXXX1जेडई	2019-20	65	69.63
28	07XXXXXXXXX1जेडएफ	2018-19	78	74.39
29	07XXXXXXXXX1जेडएफ	2019-20	78	0.38
30	07XXXXXXXXX1जेडई	2018-19	65	138.36
31	07XXXXXXXXX1जेड7	2019-20	59	51.5

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वर्ष	वार्ड	विचलन राशि (₹ करोड़ में)
32	07XXXXXXXXX1जेड3	2019-20	59	9.06
33	07XXXXXXXXX1जेड3	2020-21	59	96.01
34	07XXXXXXXXX1जेडपी	2018-19	16	10.95
35	07XXXXXXXXX1जेडपी	2019-20	16	48.69
36	07XXXXXXXXX1जेडआई	2019-20	84	7.73
37	07XXXXXXXXX1जेडआई	2018-19	84	42.43
38	07XXXXXXXXX2जेडआर	2019-20	84	18.87
39	07XXXXXXXXX2जेडआर	2018-19	84	29.26
40	07XXXXXXXXX1जेडओ	2018-19	84	25.94
41	07XXXXXXXXX4जेडजी	2019-20	77	186.06
42	07XXXXXXXXX1जेडक्यू	2018-19	101	0.01
43	07XXXXXXXXX1जेडक्यू	2020-21	101	6.56
44	07XXXXXXXXX1जेडक्यू	2019-20	101	11.06
45	07XXXXXXXXX1जेडपी	2020-21	65	1.98
46	07XXXXXXXXX1जेड3	2018-19	32	65.7
47	07XXXXXXXXX4जेडएन	2018-19	75	41.14
48	07XXXXXXXXX1जेड0	2019-20	37	81.67
49	07XXXXXXXXX1जेडयू	2018-19	71	27.43
50	07XXXXXXXXX1जेडएच	2018-19	66	31.56
51	07XXXXXXXXX1जेड5	2018-19	101	1.12
52	07XXXXXXXXX1जेड5	2019-20	101	0.41
53	07XXXXXXXXX1जेडक्यू	2018-19	101	0.29
54	07XXXXXXXXX1जेडक्यू	2020-21	101	0.02
55	07XXXXXXXXX1जेडक्यू	2019-20	101	0.45
56	07XXXXXXXXX1जेडX	2019-20	43	0.32
57	07XXXXXXXXX1जेडX	2018-19	43	0.83
58	07XXXXXXXXX1जेड2	2020-21	60	0.15
59	07XXXXXXXXX1जेड2	2018-19	60	0.52
60	07XXXXXXXXX1जेड2	2019-20	60	0.41
61	07XXXXXXXXX1जेडएच	2019-20	88	0.1
62	07XXXXXXXXX1जेडएच	2018-19	88	0.54
63	07XXXXXXXXX1जेडएच	2020-21	88	0.07
64	07XXXXXXXXX1जेडपी	2018-19	62	0.38
65	07XXXXXXXXX1जेडपी	2019-20	62	0.48
66	07XXXXXXXXX1जेडबी	2020-21	84	1.29
67	07XXXXXXXXX1जेड वी	2019-20	59	138.37

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वर्ष	वार्ड	विचलन राशि (₹ करोड़ में)
	कुल			**2,552.24**
	करदाताओं की सूची जिन्हें एससीएन जारी किए गए (टर्नओवर मामले)			
1	07XXXXXXXXX1जेडके	2018-19	101	3.29
2	07XXXXXXXXX2जेडओ	2018-19	52	10.97
3	07XXXXXXXXX2जेडके	2019-20	28	24.54
4	07XXXXXXXXX2जेडके	2018-19	28	25.96
5	07XXXXXXXXX2जेडके	2020-21	28	19.15
6	07XXXXXXXXX1जेड5	2019-20	51	6.65
7	07XXXXXXXXX1जेड3	2019-20	3	13.85
	कुल			**104.41**
	कुल योग			**2,656.65**

अनुलग्नक 1.30
(पैराग्राफ 1.4.6.2 (सी)(i)(ए) में संदर्भित)
करदाताओं की सूची जिन्हें एएसएमटी-10 जारी किए गए

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वर्ष	वार्ड	विचलन राशि (₹ करोड़ में)
1	07XXXXXXXXXX1जेडसी	2018-19	2	4.17
2	07XXXXXXXXXX1जेडसी	2020-21	2	6.48
3	07XXXXXXXXXX1जेडसी	2019-20	2	10.04
4	07XXXXXXXXXX1जेडएम	2019-20	105	16.61
5	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	2020-21	2	0.35
6	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	2018-19	106	0.27
7	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	2019-20	106	0.16
8	07XXXXXXXXXX1जेडई	2019-20	64	13.56
9	07XXXXXXXXXX1जेडई	2018-19	64	23.29
10	07XXXXXXXXXX1जेड1	2019-20	41	85.01
11	07XXXXXXXXXX1जेडआर	2020-21	91	5.05
12	07XXXXXXXXXX1जेडक्यू	2018-19	78	48.70
13	07XXXXXXXXXX2जेडटी	2019-20	41	16.77
14	07XXXXXXXXXX2जेडटी	2018-19	41	6.83
	कुल			**237.29**
	(करदाताओं की सूची जिन्हें टर्नओवर मामलों में एएसएमटी 10 जारी किए गए)			
क्रम सं.	**जीएसटीआईएन**	**वर्ष**	**वार्ड**	**विचलन राशि (₹ करोड़ में)**
1	07XXXXXXXXXX1जेड5	2020-21	51	4.06
2	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	2019-20	100	6.58
3	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	2018-19	100	25.94
	कुल			**36.58**
	कुल योग			**273.87**

अनुलग्नक 1.31
(पैराग्राफ 1.4.6.2 (सी)(i)(बी) में संदर्भित)
उन मामलों की सूची जहाँ विभाग का उत्तर बिना सहायक दस्तावेज़ या उसकी टिप्पणियों के था

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वर्ष	वार्ड	बेमेल राशि (₹ करोड़ में)
1	07XXXXXXXXX1जेडओ	2019-20	206	15.70
2	07XXXXXXXXX1जेडओ	2020-21	206	20.55
3	07XXXXXXXXX1जेडओ	2018-19	206	13.89
4	07XXXXXXXXX1जेडजेड	2020-21	206	13.02
5	07XXXXXXXXX1जेडजेड	2018-19		2.99
6	07XXXXXXXXX1जेड2	2020-21	206	4.02
7	07XXXXXXXXX1जेड2	2018-19		7.62
8	07XXXXXXXXX1जेड2	2019-20		9.00
कुल				**86.79**

अनुलग्नक 1.32
(पैराग्राफ 1.4.6.2(सी)(ii) में संदर्भित)
आंकड़ा प्रविष्टि में त्रुटि करने वाले करदाताओं की सूची

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वर्ष	वार्ड	विचलन राशि (₹ करोड़ में)
1	07XXXXXXXXX1जेड5	2018-19	203	5.07
2	07XXXXXXXXX1जेड9	2018-19	86	24.42
3	07XXXXXXXXX1जेडपी	2020-21	40	0.00
4	07XXXXXXXXX1जेडएच	2019-20	5	7.56
5	07XXXXXXXXX1जेड5	2019-20	11	6.20
कुल				**43.25**

अनुलग्नक 1.33

(पैराग्राफ 1.4.6.2(सी)(ii) में संदर्भित)

उन करदाताओं की सूची जहाँ लेखापरीक्षा परिप्रश्न जारी होने से पहले कार्रवाई की गई

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वर्ष	वार्ड	विचलन राशि (₹ करोड़ में)
1	07XXXXXXXXXX2जेडटी	2019-20	201	12.72
2	07XXXXXXXXXX1जेडके	2019-20	100	21.56
3	07XXXXXXXXXX1जेड1	2018-19	206	38.51
4	07XXXXXXXXXX1जेड1	2019-20	206	9.88
5	07XXXXXXXXXX1जेड9	2018-19	75	47.54
6	07XXXXXXXXX1Xजेडजेड	2018-19	98	10.54
7	07XXXXXXXXXX1जेडयू	2020-21	16	37.06
कुल				**177.81**

अनुलग्नक 1.34

(पैराग्राफ 1.4.6.2(सी)(iii) में संदर्भित)

उन मामलों की सूची जहाँ करदाताओं के पास वैध स्पष्टीकरण था

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वर्ष	वार्ड	बेमेल राशि (₹ करोड़ में)
1	07XXXXXXXXX1जेडके	2019-20	105	5.34
2	07XXXXXXXXX1जेडके	2018-19	105	9.68
3	07XXXXXXXXX1जेडके	2020-21	105	0.82
4	07XXXXXXXXX1जेड6	2019-20	98	0.63
5	07XXXXXXXXX1जेडजी	2018-19	206	0.63
6	07XXXXXXXXX1जेडके	2020-21	48	9.43
7	07XXXXXXXXX1जेडके	2018-19	48	17.39
8	07XXXXXXXXX1जेडके	2019-20	48	8.57
9	07XXXXXXXXX1जेडआर	2018-19	91	13.44
10	07XXXXXXXXX1जेडबी	2019-20	89	0.86
11	07XXXXXXXXX1जेडएच	2018-19	86	14.69
12	07XXXXXXXXX1जेडएच	201920	86	5.40
13	07XXXXXXXXX1जेडआर	201920	91	32.17
14	07XXXXXXXXX1जेडओ	201819	59	8.00
	कुल			**127.05**
	उन मामलों की सूची जहाँ करदाताओं के पास टर्नओवर मामलों की वैध स्पष्टीकरण था			
क्रम सं.	**जीएसटीआईएन**	**वर्ष**	**वार्ड**	**बेमेल राशि (₹ करोड़ में)**
1	07XXXXXXXXX1जेड7	2019-20	40	1,040.53
2	07XXXXXXXXX1जेड7	2018-19	40	796.28
	कुल			**1,836.81**

अनुलग्नक 1.35
(पैराग्राफ 1.4.6.3(ए)(I)(ए) में संदर्भित)
ब्याज का गैर-भुगतान

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	विलंब से फाइल किए गए मासिक रिटर्न की संख्या	विलंब दिनों में	नकद में जमा किया गया कर	ब्याज	पहले से दत्त ब्याज	देय ब्याज	विभाग का उत्तर
1	07XXXXXXXXXX1जेडआर	56	2018-19	2	62 से 94	2,23,099	9,491	0	9,491	कोई उत्तर नहीं मिला
2	07XXXXXXXXXX1जेडआर	56	2019-20	2	22 से 53	41,89,631	1,07,931	0	1,07,931	कोई उत्तर नहीं मिला
3	07XXXXXXXXXX1जेडआर	56	2020-21	1	5	2,55,308	629	0	629	कोई उत्तर नहीं मिला
4	07XXXXXXXXXX1जेडएम	61	2018-19	2	55 से 78	35,38,472	30,726	0	30,726	कोई उत्तर नहीं मिला
5	07XXXXXXXXXX1जेडएम	61	2019-20	2	17 से 199	30,06,779	92,970	0	92,970	कोई उत्तर नहीं मिला
6	07XXXXXXXXXX1जेडएम	61	2020-21	9	10 से 208	7,52,483	7,054	0	7,054	कोई उत्तर नहीं मिला
7	07XXXXXXXXXX1जेडई	91	2020-21	4	14 से 78	1,48,59,411	3,32,629	0	3,32,629	कोई उत्तर नहीं मिला
8	07XXXXXXXXXX1जेडएल	201	2019-20	1	37	30,70,688	56,029	0	56,029	कोई उत्तर नहीं मिला
9	07XXXXXXXXXX2जेडक्यू	202	2018-19	6	7 से 69	94,14,05,993	1,43,83,198	0	1,43,83,198	कोई उत्तर नहीं मिला
10	07XXXXXXXXXX2जेडक्यू	202	2019-20	3	26 से 155	51,50,82,052	2,60,03,340	0	2,60,03,340	कोई उत्तर नहीं मिला
11	07XXXXXXXXXX2जेडक्यू	202	2020-21	1	34	10,47,97,442	17,57,152	0	17,57,152	कोई उत्तर नहीं मिला
12	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	204	2018-19	4	8 से 38	7,03,89,409	6,06,527	0	6,06,527	कोई उत्तर नहीं मिला
13	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	204	2019-20	8	4 से 37	6,10,32,665	6,51,902	0	6,51,902	कोई उत्तर नहीं मिला
14	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	204	2020-21	7	11 से 55	4,21,24,749	5,06,750	0	5,06,750	कोई उत्तर नहीं मिला
15	07XXXXXXXXXX1जेड7	205	2019-20	1	64	22,90,296	36,143	25,983	10,160	कोई उत्तर नहीं मिला
16	07XXXXXXXXXX1जेड7	205	2020-21	1	34	4,45,482	3,735	1,704	2,031	कोई उत्तर नहीं मिला
								कुल	**4,45,58,519**	

अनुलग्नक 1.36
(पैराग्राफ 1.4.6.3(ए)II में संदर्भित)
उत्क्रम प्रभार प्रक्रिया (आरसीएम) के अंतर्गत आईटीसी का अधिक लाभ उठाना

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	जीएसटीआर-3बी तालिका 6.1 बी के अनुसार आरसीएम के अंतर्गत दत्त कर	जीएसटीआर-3बी तालिका 4ए (2) + 4 ए (3) के अनुसार आरसीएम के अंतर्गत लाभ उठाया गया आईटीसी	आरसीएम के अंतर्गत लाभ उठाया गया अतिरिक्त आईटीसी	विभाग का उत्तर
1	07XXXXXXXXX1जेडएम	1	2018-19	99,33,622	1,07,50,440	8,16,818	डीआरसी-07 जारी किया गया
2	07XXXXXXXXX1जेडएल	63	2020-21	4,34,688	1,10,99,284	1,06,64,596	एएसएमटी10 02-06-2025 को जारी किया गया
3	07XXXXXXXXX1जेडएम	98	2018-19	73,764	7,28,228	6,54,464	विभाग ने करदाता का उत्तर अपनी टिप्पणियों के साथ भेजा, तथापि दस्तावेज़ी साक्ष्य नहीं दिए गए।
4	07XXXXXXXXX1जेड6	202	2020-21	18,90,90,102	19,35,48,019	44,57,917	कोई उत्तर नहीं मिला
5	07XXXXXXXXX1जेडआई	202	2020-21	6,26,190	7,57,819	1,31,629	कोई उत्तर नहीं मिला
6	07XXXXXXXXX2जेडक्यू	202	2018-19	143,13,71,182	147,00,93,569	3,87,22,387	कोई उत्तर नहीं मिला
7	07XXXXXXXXXX2जेडक्यू	202	2019-20	211,48,35,496	211,97,31,391	48,95,895	कोई उत्तर नहीं मिला
8	07XXXXXXXXXX2जेडआई	202	2019-20	2,26,14,156	3,95,34,337	1,69,20,181	कोई उत्तर नहीं मिला
9	07XXXXXXXXXX2जेडआई	202	2020-21	2,04,33,620	2,43,95,574	39,61,954	कोई उत्तर नहीं मिला
10	07XXXXXXXXXX1जेडएम	202	2018-19	6,87,693	8,32,374	1,44,681	कोई उत्तर नहीं मिला
11	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	203	2018-19	67,500	66,15,521	65,48,021	कोई उत्तर नहीं मिला
12	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	203	2019-20	1,66,358	9,90,872	8,24,514	कोई उत्तर नहीं मिला
13	07XXXXXXXXXX1जेड1	204	2018-19	89,26,055	90,89,274	1,63,219	कोई उत्तर नहीं मिला
14	07XXXXXXXXXX1जेडसी	208	2020-21	2,66,992	5,43,382	2,76,390	कोई उत्तर नहीं मिला
15	07XXXXXXXXXX2जेडजेड	206	2019-20	3,31,80,616	3,45,57,365	13,76,749	कोई उत्तर नहीं मिला
					कुल	**9,05,59,415**	

अनुलग्नक 1.37
(पैराग्राफ 1.4.6.3(ए)II में संदर्भित)
इनपुट सेवा वितरण (आईएसडी) के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	आईएसडी के अंतर्गत प्राप्त आईटीसी (तालिका (4ए4-4बी2) जीएसटीआर-3बी	आईएसडी (जीएसटीआर-2ए) के अंतर्गत उपलब्ध आईटीसी	आईएसडी के अंतर्गत लाभ उठाया गया अतिरिक्त आईटीसी	विभाग का उत्तर
1	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	202	2018-19	5,81,243	0	5,81,243	कोई उत्तर नहीं मिला
2	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	202	2019-20	47,48,884	0	47,48,884	कोई उत्तर नहीं मिला
3	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	202	2020-21	8,45,941	0	8,45,941	कोई उत्तर नहीं मिला
4	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	203	2018-19	2,46,03,380	1,65,40,016	80,63,364	कोई उत्तर नहीं मिला
5	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	203	2019-20	4,18,55,727	3,44,39,763	74,15,964	कोई उत्तर नहीं मिला
6	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	203	2020-21	1,89,29,045	1,15,16,268	74,12,777	कोई उत्तर नहीं मिला
7	07XXXXXXXXXX1जेडपी	203	2018-19	56,73,50,363	3,26,56,680	53,46,93,683	कोई उत्तर नहीं मिला
8	07XXXXXXXXXX1जेडपी	203	2019-20	77,21,72,626	18,24,02,507	58,97,70,119	कोई उत्तर नहीं मिला
9	07XXXXXXXXXX1जेडपी	203	2020-21	102,83,05,074	0	102,83,05,074	कोई उत्तर नहीं मिला
10	07XXXXXXXXXX1जेडएल	203	2018-19	32,18,94,262	31,55,34,428	63,59,834	कोई उत्तर नहीं मिला
11	07XXXXXXXXXX1जेडएल	203	2019-20	14,99,17,660	14,01,18,630	97,99,030	कोई उत्तर नहीं मिला
12	07XXXXXXXXXX1जेडएल	203	2020-21	35,62,62,290	1,69,69,246	33,92,93,044	कोई उत्तर नहीं मिला
13	07XXXXXXXXXX1जेडयू	204	2020-21	17,77,03,380	3,95,35,437	13,81,67,943	कोई उत्तर नहीं मिला
14	07XXXXXXXXXX1जेड3	205	2020-21	73,90,920	0	73,90,920	कोई उत्तर नहीं मिला
15	07XXXXXXXXXX1जेडआर	206	2018-19	4,25,57,334	0	4,25,57,334	कोई उत्तर नहीं मिला
16	07XXXXXXXXXX1जेडआर	206	2019-20	1,42,84,332	0	1,42,84,332	कोई उत्तर नहीं मिला
17	07XXXXXXXXXX1जेडआर	206	2020-21	7,29,44,757	0	7,29,44,757	कोई उत्तर नहीं मिला

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	आईएसडी के अंतर्गत प्राप्त आईटीसी (तालिका (4ए4-4बी2) जीएसटीआर-3बी	आईएसडी (जीएसटीआर-2ए) के अंतर्गत उपलब्ध आईटीसी	आईएसडी के अंतर्गत लाभ उठाया गया अतिरिक्त आईटीसी	विभाग का उत्तर
18	07XXXXXXXXXX1जेड4	206	2019-20	20,73,991	0	20,73,991	कोई उत्तर नहीं मिला
19	07XXXXXXXXXX1जेड4	206	2020-21	14,93,94,784	0	14,93,94,784	कोई उत्तर नहीं मिला
20	07XXXXXXXXXX1जेडटी	208	2018-19	7,82,801	615369	1,67,432	कोई उत्तर नहीं मिला
					कुल	**296,42,70,450**	

अनुलग्नक 1.38
(पैराग्राफ 1.4.6.3(ए)II में संदर्भित)
आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	जीएसटीआर-3बी में प्राप्त आईटीसी तालिका 4 ए (5)+ तालिका 4डी	जीएसटीआर-9 तालिका 8सी में प्राप्त आईटीसी	कुल प्राप्त आईटीसी	जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी (आईएसडी के अंतर्गत आईटीसी को छोड़कर)	आईटीसी का बेमेल (जीएसटीआर 2ए की तुलना में जीएसटीआर-3बी में प्राप्त आईटीसी तालिका 4ए5+तालिका 4डी+जीएसटीआर-9 तालिका 8सी)	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9 (7-8)	
1	07XXXXXXXXXX1जेडएम	1	2020-21	2915265722	156847342	3072113064	2879569106	192543958	डीआरसी-01 जारी किया गया
2	07XXXXXXXXXX1जेडएस	2	2020-21	9682862	39338	9722200	9594422	127778	कोई उत्तर नहीं मिला
3	07XXXXXXXXXX3जेडएफ	2	2018-19	55804106	0	55804106	24437424	31366682	कोई उत्तर नहीं मिला
4	07XXXXXXXXXX3जेडएफ	2	2020-21	22353282	0	22353282	15477268	6876014	कोई उत्तर नहीं मिला
5	07XXXXXXXXXX1जेड0	45	2019-20	41873942	0	41873942	41290056	583886	कोई उत्तर नहीं मिला
6	07XXXXXXXXXXX1जेडआर	56	2018-19	25071410	711044	25782454	8310640	17471814	कोई उत्तर नहीं मिला
7	07XXXXXXXXXX1जेडआर	56	2019-20	10523586	8750746	19274332	8345818	10928514	कोई उत्तर नहीं मिला
8	07XXXXXXXXXX1जेड8	61	2019-20	8451106	15500	8466606	8374757	91849	कोई उत्तर नहीं मिला
9	07XXXXXXXXXX1जेड3	61	2018-19	83541395	0	83541395	13453061	70088334	कोई उत्तर नहीं मिला
10	07XXXXXXXXXX1जेड3	61	2020-21	170261799	5757949	176019748	95352384	80667364	कोई उत्तर नहीं मिला
11	07XXXXXXXXXX1जेडआई	62	2018-19	49836214	1551104	51387318	50879088	508230	कोई उत्तर नहीं मिला
12	07XXXXXXXXXX1जेडआई	62	2019-20	33099794	33473	33133267	32391939	741328	कोई उत्तर नहीं मिला

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	जीएसटीआर-3बी में प्राप्त आईटीसी तालिका 4 ए (5)+ तालिका 4डी	जीएसटीआर-9 तालिका 8सी में प्राप्त आईटीसी	कुल प्राप्त आईटीसी	जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी (आईएसडी के अंतर्गत आईटीसी को छोड़कर)	आईटीसी का बेमेल (जीएसटीआर 2ए की तुलना में जीएसटीआर-3बी में प्राप्त आईटीसी तालिका 4ए5+तालिका 4डी+जीएसटीआर-9 तालिका 8सी)	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9 (7-8)	
13	07XXXXXXXXXX1जेडएल	63	2018-19	51499199	0	51499199	35618891	15880309	कोई उत्तर नहीं मिला
14	07XXXXXXXXXX1जेडएल	63	2020-21	63386643	0	63386643	58988298	4398345	कोई उत्तर नहीं मिला
15	07XXXXXXXXXX1जेडएन	70	2019-20	49608517	0	49608517	46775019	2833498	कोई उत्तर नहीं मिला
16	07XXXXXXXXXX1जेड2	72	2020-21	29824545	0	29824545	0	29824545	डीआरसी-07 17.02.2025 को जारी किया गया (₹ 55148442/- के लिए)
17	07XXXXXXXXXX1जेडई	91	2019-20	520856474	0	520856474	500093377	20763097	डीआरसी-07 27.08.2024 को जारी किया गया (₹ 2144424/-+1962030 के लिए)
18	07XXXXXXXXXX1जेडए	92	2020-21	59888836	17440	59906276	59600275	306001	डीआरसी-01 21.05.2025 को धारा 74 के तहत जारी किया गया (₹ 348741/- के लिए)
19	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	94	2020-21	4961508	1107172	6068680	4320574	1748106	कोई उत्तर नहीं मिला
20	07XXXXXXXXXX2जेडआर	94	2019-20	41750703	53248	41803951	37663380	4140571	कोई उत्तर नहीं मिला
21	07XXXXXXXXXX1जेड4	95	2018-19	1466095	0	1466095	643446	822649	2 ए में बिल ऑफ़ एंट्री पर विदेशों से माल के आयात

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	जीएसटीआर-3बी में प्राप्त आईटीसी तालिका 4 ए (5)+ तालिका 4डी	जीएसटीआर-9 तालिका 8सी में प्राप्त आईटीसी	कुल प्राप्त आईटीसी	जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी (आईएसडी के अंतर्गत आईटीसी को छोड़कर)	आईटीसी का बेमेल (जीएसटीआर 2ए की तुलना में जीएसटीआर-3बी में प्राप्त आईटीसी तालिका 4ए5+तालिका 4डी+जीएसटीआर-9 तालिका 8सी)	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9 (7-8)	
									के कारण 3बी और 2बी का बेमेल हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया, परंतु अपने उत्तर के समर्थन में दस्तावेज़ी साक्ष्य भी नहीं दिए।
22	07XXXXXXXXXX1जेड4	100	2019-20	40155253	115709	40270962	24737860	15533102	कोई उत्तर नहीं मिला
23	07XXXXXXXXXX1जेडएस	103	2019-20	10377688	165600	10543288	10101844	441444	कोई उत्तर नहीं मिला
24	07XXXXXXXXXX1जेडजे	105	2018-19	13760152	0	13760152	5234457	8525695	कोई उत्तर नहीं मिला
25	07XXXXXXXXXX1जेडजे	105	2019-20	9604733	0	9604733	6704491	2900243	कोई उत्तर नहीं मिला
26	07XXXXXXXXXX1जेडजे	105	2020-21	15863419	600177	16463596	15666563	797033	कोई उत्तर नहीं मिला
27	07XXXXXXXXXXजेडएफ	201	2019-20	760868480	3600	760872080	760710609	161471	कोई उत्तर नहीं मिला
28	07XXXXXXXXXX2जेडई	203	2018-19	113511129	73520437	187031566	164215355	22816210	कोई उत्तर नहीं मिला
29	07XXXXXXXXXX2जेडई	203	2019-20	193082736	0	193082736	61492091	131590645	कोई उत्तर नहीं मिला
30	07XXXXXXXXXX2जेडक्यू	202	2018-19	5791333317	0	5791333317	3335043416	2456289900	कोई उत्तर नहीं मिला
31	07XXXXXXXXXX2जेडक्यू	202	2019-20	5693071108	0	5693071108	4865580952	827490156	कोई उत्तर नहीं मिला
32	07XXXXXXXXXX2जेडक्यू	202	2020-21	3189847549	0	3189847549	2553942919	635904630	कोई उत्तर नहीं मिला

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	जीएसटीआर-3बी में प्राप्त आईटीसी तालिका 4 ए (5)+ तालिका 4डी	जीएसटीआर-9 तालिका 8सी में प्राप्त आईटीसी	कुल प्राप्त आईटीसी	जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी (आईएसडी के अंतर्गत आईटीसी को छोड़कर)	आईटीसी का बेमेल (जीएसटीआर 2ए की तुलना में जीएसटीआर-3बी में प्राप्त आईटीसी तालिका 4ए5+तालिका 4डी+जीएसटीआर-9 तालिका 8सी)	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9 (7-8)	
33	07XXXXXXXXXX1जेडएम	202	2018-19	21972207	0	21972207	17463023	4509184	कोई उत्तर नहीं मिला
34	07XXXXXXXXXX1जेडएम	202	2020-21	26359619	833017	27192636	20876664	6315972	कोई उत्तर नहीं मिला
35	07XXXXXXXXXX1जेड6	202	2018-19	1288099912	814232	1288914144	893144482	395769662	कोई उत्तर नहीं मिला
36	07XXXXXXXXXX1जेड6	202	2019-20	2491986289	67066480	2559052769	1485987552	1073065217	कोई उत्तर नहीं मिला
37	07XXXXXXXXXX1जेडआई	202	2019-20	15789722	7331438	23121160	15839428	7281732	कोई उत्तर नहीं मिला
38	07XXXXXXXXXX1जेड5	203	2018-19	485374451	33389982	518764433	440595444	78168989	कोई उत्तर नहीं मिला
39	07XXXXXXXXXX1जेड5	203	2019-20	469625907	28525285	498151192	453351009	44800183	कोई उत्तर नहीं मिला
40	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	203	2020-21	101992257	7736258	109728515	99293580	10434935	कोई उत्तर नहीं मिला
41	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	203	2020-21	109413443	1123505	110536949	87800343	22736606	कोई उत्तर नहीं मिला
42	07XXXXXXXXXX1जेडएच	204	2018-19	55651963	0	55651963	38134262	17517701	कोई उत्तर नहीं मिला
43	07XXXXXXXXXX1जेडएच	204	2020-21	40891550	0	40891550	29369113	11522437	कोई उत्तर नहीं मिला
44	07XXXXXXXXXX1जेड8	204	2019-20	7364811	706308	8071119	7885894	185225	कोई उत्तर नहीं मिला
45	07XXXXXXXXXX1जेड8	204	2020-21	7146097	271565	7417662	6325886	1091776	कोई उत्तर नहीं मिला
46	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	204	2019-20	489857300	563132	490420432	470376314	20044119	कोई उत्तर नहीं मिला
47	07XXXXXXXXXX1जेडयू	204	2018-19	571187801	24134798	595322599	573685202	21637398	कोई उत्तर नहीं मिला
48	07XXXXXXXXXX1जेडयू	204	2019-20	547011123	30907995	577919118	531805054	46114064	कोई उत्तर नहीं मिला
49	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	204	2018-19	2102385253	0	2102385253	1854323115	248062138	कोई उत्तर नहीं मिला
50	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	204	2019-20	1713596766	164158333	1877755099	1819372643	58382456	कोई उत्तर नहीं मिला

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	जीएसटीआर-3बी में प्राप्त आईटीसी तालिका 4 ए (5)+ तालिका 4डी	जीएसटीआर-9 तालिका 8सी में प्राप्त आईटीसी	कुल प्राप्त आईटीसी	जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी (आईएसडी के अंतर्गत आईटीसी को छोड़कर)	आईटीसी का बेमेल (जीएसटीआर 2ए की तुलना में जीएसटीआर-3बी में प्राप्त आईटीसी तालिका 4ए5+तालिका 4डी+जीएसटीआर-9 तालिका 8सी)	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9 (7-8)	
51	07XXXXXXXXXX2जेड4	204	2019-20	117491581	34850040	152341621	115872689	36468931	कोई उत्तर नहीं मिला
52	07XXXXXXXXXX2जेड4	204	2020-21	122488927	29962918	152451846	113334327	39117518	कोई उत्तर नहीं मिला
53	07XXXXXXXXXX1जेडसी	205	2018-19	3078067816	44650034	3122717850	3059783730	62934120	कोई उत्तर नहीं मिला
54	07XXXXXXXXXX1जेडसी	205	2019-20	2658331779	59893162	2718224941	2656129540	62095401	कोई उत्तर नहीं मिला
55	07XXXXXXXXXX1जेडसी	205	2020-21	1539184041	18231165	1557415206	1487760317	69654889	कोई उत्तर नहीं मिला
56	07XXXXXXXXXX1जेडआर	206	2018-19	2024885018	256829697	2281714715	1650560541	631154174	कोई उत्तर नहीं मिला
57	07XXXXXXXXXX1जेडआर	206	2019-20	1682501264	3092475031	4774976295	1640283889	3134692406	कोई उत्तर नहीं मिला
58	07XXXXXXXXXX1जेडआर	206	2020-21	3694774417	491555000	4186329417	1996698744	2189630673	कोई उत्तर नहीं मिला
59	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	207	2019-20	7474828784	613183093	8088011877	7638748677	449263200	कोई उत्तर नहीं मिला
60	07XXXXXXXXXX1जेडवी	207	2019-20	13064655	0	13064655	12265542	799113	कोई उत्तर नहीं मिला
61	07XXXXXXXXXX1जेडसी	208	2018-19	42513217	4646570	47159787	39575970	7583817	कोई उत्तर नहीं मिला
62	07XXXXXXXXXX1जेडटी	208	2019-20	27088171	1633165	28721336	28206676	514660	कोई उत्तर नहीं मिला
							कुल	**1334,67,12,094**	

अनुलग्नक 1.38(ए)
(पैराग्राफ 1.4.6.3(ए)II में संदर्भित)
आईटीसी का बेमेल (जीएसटीआर-9 तालिका 8डी)

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	2ए के अनुसार आईटीसी (जीएसटीआर-9 तालिका 8ए)	जीएसटीआर-9 तालिका 6बी और 6एच के कुल योग के अनुसार आईटीसी (जीएसटीआर-9 तालिका 8बी)	वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त आवक आपूर्ति जिसपर आईटीसी का लाभ अगले वित्त वर्ष में उठाया गया (जीएसटीआर-9 तालिका 8सी)	जीएसटीआर-9 तालिका 8डी के अनुसार लिए गए आईटीसी का बेमेल	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-(6+7))	
1	07XXXXXXXXXX1जेडएम	1	2018-19	2498283053	2512459975	46834072	61010994	कोई उत्तर नहीं मिला
2	07XXXXXXXXXX1जेडएम	1	2019-20	2974416104	2844575875	182966751	53126522	कोई उत्तर नहीं मिला
3	07XXXXXXXXXX1जेड8	61	2018-19	4691114	4824784	0	133670	कोई उत्तर नहीं मिला
4	07XXXXXXXXXX1जेड8	61	2020-21	6149094	6265003	25000	140907	कोई उत्तर नहीं मिला
5	07XXXXXXXXXX1जेडआई	62	2020-21	18584680	19662244	721790	1799353	कोई उत्तर नहीं मिला
6	07XXXXXXXXXX1जेडएल	63	2019-20	69394158	72286217	0	2892058	एएसएमटी-10 02-06-2025 को जारी किया गया
7	07XXXXXXXXXX1जेड8	64	2019-20	19350874	19482675	0	131800	एएसएमटी-10 जारी किया गया, आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि समय सीमा समाप्त हो चुकी है
8	07XXXXXXXXXX1जेडएन	70	2020-21	125391912	136696386	-11068060	236412	कोई उत्तर नहीं मिला
9	07XXXXXXXXXX1जेड1	73	2018-19	11938605	76223655	0	64285050	कोई उत्तर नहीं मिला

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	2ए के अनुसार आईटीसी (जीएसटीआर-9 तालिका 8ए)	जीएसटीआर-9 तालिका 6बी और 6एच के कुल योग के अनुसार आईटीसी (जीएसटीआर-9 तालिका 8बी)	वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त आवक आपूर्ति जिसपर आईटीसी का लाभ अगले वित्त वर्ष में उठाया गया (जीएसटीआर-9 तालिका 8सी)	जीएसटीआर-9 तालिका 8डी के अनुसार लिए गए आईटीसी का बेमेल	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-(6+7))	
10	07XXXXXXXXXX1जेड1	73	2019-20	6919519	175255117	375105	168710696	कोई उत्तर नहीं मिला
11	07XXXXXXXXXX1जेड1	73	2020-21	5882107	105043633	0	99161526	कोई उत्तर नहीं मिला
12	07XXXXXXXXXX1जेडई	91	2018-19	436055279	441535710	0	5480431	कोई उत्तर नहीं मिला
13	07XXXXXXXXXX1जेडई	91	2020-21	6461432	33909011	0	27447580	कोई उत्तर नहीं मिला
14	07XXXXXXXXXX1जेडए	92	2018-19	71953052	71687406	354309	88665	डीआरसी-01 22.05.2025 को धारा 74 के तहत ₹ 88,665/- के लिए जारी किया गया
15	07XXXXXXXXXX1जेडए	92	2019-20	54284253	54532247	351824	599818	डीआरसी-07 12.07.2024 को ₹ 23,652/- के लिए जारी किया गया
16	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	94	2019-20	1159748	1250388	39646	130286	कोई उत्तर नहीं मिला
17	07XXXXXXXXXX1जेडएम	98	2019-20	6870249	10247373	98202	3475325	कोई उत्तर नहीं मिला
18	07XXXXXXXXXX1जेड4	100	2018-19	718807	1653686	0	934879	कोई उत्तर नहीं मिला
19	07XXXXXXXXXX1जेडएस	103	2020-21	14608378	15041211	599466	1032299	कोई उत्तर नहीं मिला
20	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	201	2018-19	829831548	829840613	0	9065	कोई उत्तर नहीं मिला
21	07XXXXXXXXXX1जेडपी	201	2020-21	79227579	89396304	-682357	9486368	कोई उत्तर नहीं मिला
22	07XXXXXXXXXX2जेडई	203	2020-21	105162277	172449954	16584475	83872151	कोई उत्तर नहीं मिला
23	07XXXXXXXXXX1जेड6	202	2020-21	425278890	428229594	60564745	63515449	कोई उत्तर नहीं मिला
24	07XXXXXXXXXX1जेडआई	202	2018-19	22113536	30373769	7554128	15814361	कोई उत्तर नहीं मिला

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	2ए के अनुसार आईटीसी (जीएसटीआर-9 तालिका 8ए)	जीएसटीआर-9 तालिका 6बी और 6एच के कुल योग के अनुसार आईटीसी (जीएसटीआर-9 तालिका 8बी)	वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त आवक आपूर्ति जिसपर आईटीसी का लाभ अगले वित्त वर्ष में उठाया गया (जीएसटीआर-9 तालिका 8सी)	जीएसटीआर-9 तालिका 8डी के अनुसार लिए गए आईटीसी का बेमेल	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-(6+7))	
25	07XXXXXXXXXX1जेडआई	202	2020-21	13214173	17270863	3265147	7321837	कोई उत्तर नहीं मिला
26	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	202	2018-19	25395855	32322740	6169260	13096145	कोई उत्तर नहीं मिला
27	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	202	2019-20	26071602	30354270	2037499	6320166	कोई उत्तर नहीं मिला
28	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	202	2020-21	38097381	49224866	-6564309	4563177	कोई उत्तर नहीं मिला
29	07XXXXXXXXXX1जेडएल	202	2020-21	6691693	16189043	14984	9512334	कोई उत्तर नहीं मिला
30	07XXXXXXXXXX1जेडएम	202	2019-20	8005086	8052539	0	47453	कोई उत्तर नहीं मिला
31	07XXXXXXXXXX1जेडओ	202	2018-19	147946990	170055285	0	22108296	कोई उत्तर नहीं मिला
32	07XXXXXXXXXX1जेडओ	202	2019-20	49995481	66898192	59275253	76177964	कोई उत्तर नहीं मिला
33	07XXXXXXXXXX1जेडओ	202	2020-21	42557388	89563942	6185050	53191604	कोई उत्तर नहीं मिला
34	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	203	2019-20	27270411	19454787	13559076	5743450	कोई उत्तर नहीं मिला
35	07XXXXXXXXXX1जेडई	203	2019-20	42424490	54579686	1397900	13553096	कोई उत्तर नहीं मिला
36	07XXXXXXXXXX1जेडई	203	2020-21	54990268	44864047	23094468	12968245	कोई उत्तर नहीं मिला
37	07XXXXXXXXXX1जेडपी	203	2018-19	395679555	381992267	20784516	7097228	कोई उत्तर नहीं मिला
38	07XXXXXXXXXX1जेडपी	203	2019-20	112018689	114438996	7976913	10397220	कोई उत्तर नहीं मिला
39	07XXXXXXXXXX1जेडपी	203	2020-21	501393762	534852180	40725948	74184365	कोई उत्तर नहीं मिला
40	07XXXXXXXXXX1जेडएच	204	2019-20	47924070	52745127	0	4821057	कोई उत्तर नहीं मिला
41	07XXXXXXXXXX1जेड8	204	2018-19	6415889	8124780	0	1708891	कोई उत्तर नहीं मिला
42	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	204	2018-19	623174569	640092444	0	16917875	कोई उत्तर नहीं मिला

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	2ए के अनुसार आईटीसी (जीएसटीआर-9 तालिका 8ए)	जीएसटीआर-9 तालिका 6बी और 6एच के कुल योग के अनुसार आईटीसी (जीएसटीआर-9 तालिका 8बी)	वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त आवक आपूर्ति जिसपर आईटीसी का लाभ अगले वित्त वर्ष में उठाया गया (जीएसटीआर-9 तालिका 8सी)	जीएसटीआर-9 तालिका 8डी के अनुसार लिए गए आईटीसी का बेमेल	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-(6+7))	
43	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	204	2020-21	316840720	327249477	0	10408757	कोई उत्तर नहीं मिला
44	07XXXXXXXXXX2जेड4	204	2018-19	82409319	80760115	9363288	7714084	कोई उत्तर नहीं मिला
45	07XXXXXXXXXX1जेड3	205	2020-21	20350041	21058787	0	708746	कोई उत्तर नहीं मिला
46	07XXXXXXXXXX2जेडजेड	206	2018-19	66733688	67826975	-679635	413652	कोई उत्तर नहीं मिला
47	07XXXXXXXXXX2जेडजेड	206	2019-20	32599335	35842721	5514150	8757536	कोई उत्तर नहीं मिला
48	07XXXXXXXXXX2जेडजेड	206	2020-21	143244136	151379838	4479607	12615310	कोई उत्तर नहीं मिला
49	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	207	2018-19	441923128	404733477	44925592	7735941	कोई उत्तर नहीं मिला
50	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	207	2020-21	4058755054	4442822512	122773988	506841446	कोई उत्तर नहीं मिला
51	07XXXXXXXXXX1जेडवी	207	2018-19	61923697	61785777	596014	458094	कोई उत्तर नहीं मिला
52	07XXXXXXXXXX1जेडटी	208	2020-21	1732805	3153916	10138	1431249	कोई उत्तर नहीं मिला
53	07XXXXXXXXXX1जेड3	208	2018-19	191756039	197648338	11518827	17411127	कोई उत्तर नहीं मिला
54	07XXXXXXXXXX1जेड3	208	2019-20	190914229	189366752	14609300	13061823	कोई उत्तर नहीं मिला
55	07XXXXXXXXXX1जेडएच	209	2018-19	91270488	109975413	0	18704957	कोई उत्तर नहीं मिला
56	07XXXXXXXXXX1जेडएच	209	2019-20	109519053	109451041	13257463	13189451	कोई उत्तर नहीं मिला
57	07XXXXXXXXXX1जेडएच	209	2020-21	170488738	178844762	15807367	24163391	कोई उत्तर नहीं मिला
						कुल	**164,68,61,632**	

अनुलग्नक 1.38(बी)

(पैराग्राफ 1.4.6.3(ए)II में संदर्भित)

आईटीसी का बेमेल (जीएसटीआर-9 तालिका 6जे)

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	जीएसटीआर-9 की तालिका 6आई के अनुसार उपलब्ध आईटीसी	जीएसटीआर-9 की तालिका 6ए के अनुसार प्राप्त आईटीसी	आर9 6जे के अनुसार प्राप्त आईटीसी का बेमेल (केवल ऋणात्मक (-) मूल्य)	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7(5-6)	
1	07XXXXXXXXXX1जेडएस	2	2019-20	10743439	10800649	57210	कोई उत्तर नहीं मिला
2	07XXXXXXXXXX1जेडडी	52	2020-21	934115684	1022365903	88250220	डीआरसी-07 दिनांक 27-02-2025 को ₹ 8,93,4776/- के लिए जारी किया गया।
3	07XXXXXXXXXX1जेड3	61	2019-20	3908857	3920362	11506	कोई उत्तर नहीं मिला
4	07XXXXXXXXXX1जेड8	64	2018-19	26440542	26549610	109068	एएसएमटी-10 दिनांक 05.10.2023 को जारी किया गया था, समयावधि समाप्त होने के कारण आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
5	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	94	2018-19	5663167	5981408	318241	कोई उत्तर नहीं मिला
6	07XXXXXXXXXX2जेडआर	94	2018-19	57216118	62895614	5679496	कोई उत्तर नहीं मिला
7	07XXXXXXXXXX2जेडआर	94	2020-21	866922	920170	53248	कोई उत्तर नहीं मिला
8	07XXXXXXXXXX1जेड4	100	2020-21	114416375	128894138	14477763	कोई उत्तर नहीं मिला
9	07XXXXXXXXXX1जेड2	115	2018-19	3222354006	3256737545	34383539	डीआरसी-07 दिनांक 30-04-2024 जारी किया गया (₹ 13,45,553/-+11,93,924/- के लिए)
10	07XXXXXXXXXX1जेड2	115	2020-21	1663498651	1665873540	2374889	डीआरसी- 07 दिनांक 28-02-2025 जारी किया गया (₹ 8,34,285/- के लिए)
11	07XXXXXXXXXX1जेडपी	201	2019-20	70725931	77018777	6292846	कोई उत्तर नहीं मिला

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	जीएसटीआर-9 की तालिका 6आई के अनुसार उपलब्ध आईटीसी	जीएसटीआर-9 की तालिका 6ए के अनुसार प्राप्त आईटीसी	आर9 6जे के अनुसार प्राप्त आईटीसी का बेमेल (केवल ऋणात्मक (-) मूल्य)	विभाग का उत्तर
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7(5-6)**	
12	07XXXXXXXXXX1जेडएल	202	2018-19	120250276	133806206	13555930	कोई उत्तर नहीं मिला
13	07XXXXXXXXXX1जेडएल	202	2019-20	66238235	128290388	62052153	कोई उत्तर नहीं मिला
14	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	203	2018-19	185947005	187946906	1999901	कोई उत्तर नहीं मिला
15	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	203	2019-20	138260651	144405170	6144519	कोई उत्तर नहीं मिला
16	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	203	2018-19	127523133	141656043	14132910	कोई उत्तर नहीं मिला
17	07XXXXXXXXXX1जेडएल	203	2020-21	1032972196	1069748168	36775972	कोई उत्तर नहीं मिला
18	07XXXXXXXXXX1जेडयू	204	2020-21	672741499	708367375	35625876	कोई उत्तर नहीं मिला
19	07XXXXXXXXXX1जेड3	205	2019-20	89449584	91227028	1777444	कोई उत्तर नहीं मिला
20	07XXXXXXXXXX1जेडआर	206	2018-19	3170749441	3261174719	90425278	कोई उत्तर नहीं मिला
21	07XXXXXXXXXX1जेडआर	206	2019-20	4421708304	4615033015	193324711	कोई उत्तर नहीं मिला
22	07XXXXXXXXXX1जेडआर	206	2020-21	4851880918	4932097119	80216201	कोई उत्तर नहीं मिला
23	07XXXXXXXXXX1जेडसी	208	2019-20	43858699	48505269	4646570	कोई उत्तर नहीं मिला
24	07XXXXXXXXXX1जेडसी	208	2020-21	32609923	34858730	2248807	कोई उत्तर नहीं मिला
					कुल	**69,49,34,298**	

अनुलग्नक 1.38(सी)
(पैराग्राफ 1.4.6.3(ए)II में संदर्भित)
आईटीसी का बेमेल (जीएसटीआर-9सी तालिका 12एफ)

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों या खाता बही के अनुसार लिया गया आईटीसी (जीएसटीआर-9सी तालिका 12डी)	वार्षिक रिटर्न में दावा किया गया आईटीसी (जीएसटीआर-9सी तालिका 12ई)	जीएसटीआर-9सी तालिका 12एफ के अनुसार प्राप्त आईटीसी का बेमेल 12एफ (केवल धनात्मक (+) मूल्य)	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	
1	07XXXXXXXXXX1जेडएस	103	2018-19	12456798	12521985	65187	कोई उत्तर नहीं मिला
2	07XXXXXXXXXX1जेडएल	203	2019-20	862199235	898975207	36775972	कोई उत्तर नहीं मिला
			कुल			3,68,41,159	

अनुलग्नक 1.39
(पैराग्राफ 1.4.6.3(ए)II में संदर्भित)
करयोग्य और छूट प्राप्त/शून्य आपूर्तियों के लिए सामान्य इनपुट के बदले में आईटीसी का अल्प/गैर-उत्क्रम

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	कुल टर्नओवर (गैर-जीएसटी आपूर्तियों को छोड़कर)	टर्नओवर (छूट प्राप्त/शून्य आपूर्ति)	जीएसटीआर-3बी तालिका 4बी (1) के अनुसार उत्क्रम	उत्क्रमण किया जाने वाला आईटीसी	अल्प/ गैर-उत्क्रम	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-7)	
1	07XXXXXXXXXX1जेडएम	1	2020-21	22085411110	141014235	285314	19675371	19390057	डीआरसी-01जारी किया गया
2	07XXXXXXXXXX1जेड8	61	2018-19	48493556	5534655	0	551325	551325	कोई उत्तर नहीं मिला
3	07XXXXXXXXXX1जेड8	61	2019-20	72635833	7812416	0	931069	931069	कोई उत्तर नहीं मिला
4	07XXXXXXXXXX1जेडआई	62	2018-19	370641783	647950	0	129436	129436	कोई उत्तर नहीं मिला
5	07XXXXXXXXXX1जेडआई	62	2019-20	247724569	13847056	9008	2464810	2455802	कोई उत्तर नहीं मिला
6	07XXXXXXXXXX1जेडआई	62	2020-21	149435391	13686637	301426	2646968	2345542	कोई उत्तर नहीं मिला
7	07XXXXXXXXXX1जेडए	92	2020-21	432541108	989380	13382	138293	124910	कोई उत्तर नहीं मिला
8	07XXXXXXXXXX1जेडपी	203	2018-19	12064705322	5561172	180479	2646833	2466354	कोई उत्तर नहीं मिला
9	07XXXXXXXXXX1जेडपी	203	2019-20	15836391664	6438283	140004	3222516	3082512	कोई उत्तर नहीं मिला
10	07XXXXXXXXXX1जेडपी	203	2020-21	15289638367	6107276	133332	4167499	4034167	कोई उत्तर नहीं मिला
11	07XXXXXXXXXX1जेडएम	202	2019-20	692547273	350096389	0	37181092	37181092	कोई उत्तर नहीं मिला
12	07XXXXXXXXXX1जेडओ	202	2018-19	3108227962	4817519967	24446303	166024735	141578432	कोई उत्तर नहीं मिला
13	07XXXXXXXXXX1जेडओ	202	2019-20	2208469961	2686016495	0	120776367	120776367	कोई उत्तर नहीं मिला
14	07XXXXXXXXXX1जेडओ	202	2020-21	2284153386	2591119110	0	90999349	90999349	कोई उत्तर नहीं मिला
15	07XXXXXXXXXX1जेडई	203	2019-20	1124161411	109556762	0	10410360	10410360	कोई उत्तर नहीं मिला

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	कुल टर्नओवर (गैर-जीएसटी आपूर्तियों को छोड़कर)	टर्नओवर (छूट प्राप्त/शून्य आपूर्ति)	जीएसटीआर-3बी तालिका 4बी (1) के अनुसार उत्क्रम	उत्क्रमण किया जाने वाला आईटीसी	अल्प/ गैर-उत्क्रम	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-7)	
16	07XXXXXXXXX1जेड5	203	2018-19	3879607887	2620766	0	173519	173519	कोई उत्तर नहीं मिला
17	07XXXXXXXXX1जेड5	203	2019-20	4361357496	34868125	94317	2498070	2403753	कोई उत्तर नहीं मिला
18	07XXXXXXXXX2जेडई	203	2020-21	1955727083	8162801	0	4838095	4838095	कोई उत्तर नहीं मिला
19	07XXXXXXXXX1जेडपी	201	2018-19	1001734094	144241006	1706986	63419557	61712571	कोई उत्तर नहीं मिला
20	07XXXXXXXXX1जेडपी	201	2019-20	357055539	93038190	3509747	122058426	118548679	कोई उत्तर नहीं मिला
21	07XXXXXXXXX1जेडपी	201	2020-21	561544972	88276357	4099427	83643776	79544349	कोई उत्तर नहीं मिला
22	07XXXXXXXXX1जेडएच	204	2019-20	831411143	2180994	0	186943	186943	कोई उत्तर नहीं मिला
23	07XXXXXXXXX1जेड8	204	2018-19	572394912	16230845	950236	1063817	113581	कोई उत्तर नहीं मिला
24	07XXXXXXXXX1जेड8	204	2019-20	662881136	63318467	2985373	3885700	900327	कोई उत्तर नहीं मिला
25	07XXXXXXXXX1जेडएक्स	204	2018-19	2796362411	221841157	0	50758630	50758630	कोई उत्तर नहीं मिला
26	07XXXXXXXXX1जेडएक्स	204	2019-20	2167224890	189092139	0	42804036	42804036	कोई उत्तर नहीं मिला
27	07XXXXXXXXX1जेडयू	204	2018-19	4256410138	11952439	1919390	2020166	100777	कोई उत्तर नहीं मिला
28	07XXXXXXXXX1जेडयू	204	2019-20	4321750428	9761083	1405150	1558804	153654	कोई उत्तर नहीं मिला
29	07XXXXXXXXX1जेडवाई	204	2018-19	15917825801	240662992	663117	41517211	40854094	कोई उत्तर नहीं मिला
30	07XXXXXXXXX1जेडवाई	204	2019-20	18419472097	282446083	0	35318530	35318530	कोई उत्तर नहीं मिला
31	07XXXXXXXXX1जेडसी	205	2018-19	21714987750	1742259084	8647752	244129046	235481294	कोई उत्तर नहीं मिला
32	07XXXXXXXXX1जेडसी	205	2019-20	19328578682	2004212537	11758740	274969160	263210420	कोई उत्तर नहीं मिला
33	07XXXXXXXXX1जेडसी	205	2020-21	12033157320	1233731902	5625510	157828504	152202994	कोई उत्तर नहीं मिला
34	07XXXXXXXXX1जेडआर	206	2018-19	205995764285	192993743429	0	667816198	667816198	कोई उत्तर नहीं मिला
35	07XXXXXXXXX1जेडआर	206	2019-20	228659179102	214936938734	0	3488976933	3488976933	कोई उत्तर नहीं मिला

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	कुल टर्नओवर (गैर-जीएसटी आपूर्तियों को छोड़कर)	टर्नओवर (छूट प्राप्त/शून्य आपूर्ति)	जीएसटीआर-3बी तालिका 4बी (1) के अनुसार उत्क्रम	उत्क्रमण किया जाने वाला आईटीसी	अल्प/ गैर-उत्क्रम	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-7)	
36	07XXXXXXXXXX1जेडआर	206	2020-21	261965441917	248623763423	0	1429084062	1429084062	कोई उत्तर नहीं मिला
37	07XXXXXXXXXX2जेडजेड	206	2018-19	24282724347	21756754393	0	117631344	117631344	कोई उत्तर नहीं मिला
38	07XXXXXXXXXX2जेडजेड	206	2019-20	25518298082	23937337431	0	134364093	134364093	कोई उत्तर नहीं मिला
39	07XXXXXXXXXX2जेडजेड	206	2020-21	21936552048	21160140164	0	318834315	318834315	कोई उत्तर नहीं मिला
40	07XXXXXXXXXX1जेड4	206	2018-19	10525575250	9592306312	0	248726248	248726248	कोई उत्तर नहीं मिला
41	07XXXXXXXXXX1जेड4	206	2019-20	15640824356	13882554747	0	148053879	148053879	कोई उत्तर नहीं मिला
42	07XXXXXXXXXX1जेड4	206	2020-21	14312849871	12800276010	0	66860132	66860132	कोई उत्तर नहीं मिला
43	07XXXXXXXXXX1जेड3	208	2018-19	249546195898	248886351521	156265703	371190339	214924636	कोई उत्तर नहीं मिला
44	07XXXXXXXXXX1जेड3	208	2019-20	296674381999	295852437412	138699550	351018000	212318450	कोई उत्तर नहीं मिला
45	07XXXXXXXXXX1जेड3	208	2020-21	345391003481	344248238275	62856355	292268375	229412020	कोई उत्तर नहीं मिला
46	07XXXXXXXXXX1जेडके	208	2018-19	1040812454	39208082	0	2547351	2547351	कोई उत्तर नहीं मिला
47	07XXXXXXXXXX1जेडके	208	2019-20	499846218	1543219	0	247635	247635	कोई उत्तर नहीं मिला
48	07XXXXXXXXXX1जेडसी	208	2018-19	715171549	108398741	0	6797086	6797086	कोई उत्तर नहीं मिला
49	07XXXXXXXXXX1जेडसी	208	2019-20	1240571004	48431044	0	1628565	1628565	कोई उत्तर नहीं मिला
50	07XXXXXXXXXX1जेडसी	208	2020-21	761411466	62056385	0	3116705	3116705	कोई उत्तर नहीं मिला
कुल								**881,71,02,672**	

अनुलग्नक 1.40
(पैराग्राफ 1.4.6.3(ए)II में संदर्भित)
कर योग्य और छूट प्राप्त/शून्य आपूर्तियों के लिए उपयोग की गई पूंजीगत वस्तुओं के बदले में आईटीसी का अल्प/गैर-उत्क्रमण

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	कुल टर्नओवर (गैर-जीएसटी आपूर्तियों को छोड़कर) (जीएसटीआर-9 तालिका 5एन-5एफ)	टर्नओवर (छूट प्राप्त/शून्य आपूर्ति) (जीएसटीआर-9 तालिका 5डी+5ई)	जीएसटीआर-9 तालिका 7डी के अनुसार उत्क्रमण	उत्क्रमण किया जाने वाला आईटीसी	अल्प/गैर-उत्क्रमण	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-7)	
1	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	204	2019-20	18419472097	282446083	0	462423	462423	कोई उत्तर नहीं मिला
2	07XXXXXXXXXX1जेडसी	205	2019-20	19328578682	2004212537	0	4553883	4553883	कोई उत्तर नहीं मिला
3	07XXXXXXXXXX1जेडसी	205	2020-21	12033157320	1233731902	0	1546163	1546163	कोई उत्तर नहीं मिला
4	07XXXXXXXXXX1जेडआर	206	2018-19	205995764285	192993743429	0	47010504	47010504	कोई उत्तर नहीं मिला
5	07XXXXXXXXXX1जेडआर	206	2019-20	228659179102	214936938734	0	61376582	61376582	कोई उत्तर नहीं मिला
6	07XXXXXXXXXX1जेडआर	206	2020-21	261965441917	248623763423	0	66820111	66820111	कोई उत्तर नहीं मिला
7	07XXXXXXXXXX2जेडजेड	206	2019-20	25518298082	23937337431	0	18805251	18805251	कोई उत्तर नहीं मिला
8	07XXXXXXXXXX2जेडजेड	206	2020-21	21936552048	21160140164	0	8704630	8704630	कोई उत्तर नहीं मिला
9	07XXXXXXXXXX1जेड3	208	2019-20	296674381999	295852437412	3157124	6296754	3139630	कोई उत्तर नहीं मिला
10	07XXXXXXXXXX1जेड3	208	2020-21	345391003481	344248238275	0	7086761	7086761	कोई उत्तर नहीं मिला
							कुल	**21,95,05,938**	

अनुलग्नक 1.41
(पैराग्राफ 1.4.6.3(ए)III में संदर्भित)
कर देयता का बेमेल

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	जीएसटीआर-9 के अनुसार कर देयता (तालिका 4एन-4जी+10-11)	जीएसटीआर-1 के अनुसार कर देयता	जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-1 में दर्शाई गई कर देयता की अधिकतम सीमा	(जीएसटीआर-3बी तालिका 6.1ए + जीएसटीआर-9 तालिका 14) के अनुसार दत्त कर	कर देयता का अल्प भुगतान	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)	
1	07XXXXXXXXXX1जेडएम	1	2018-19	3146602000	3145853302	3146602000	3142868019	3733981	डीआरसी-07 जारी किया गया
2	07XXXXXXXXXX1जेडआर	56	2018-19	28207866	28599274	28599274	28180699	418575	कोई उत्तर नहीं मिला
3	07XXXXXXXXXX1जेडएम	61	2019-20	22681752	22301077	22681752	22373969	307783	कोई उत्तर नहीं मिला
4	07XXXXXXXXXX1जेडएम	61	2020-21	1098518	1166706	1166706	1104127	62579	कोई उत्तर नहीं मिला
5	07XXXXXXXXXX1जेडआई	62	2019-20	28049643	27105620	28049643	25403680	2645963	कोई उत्तर नहीं मिला
6	07XXXXXXXXXX1जेडई	91	2019-20	525812243	533515788	533515788	531021052	2494736	डीआरसी-07 दिनांक 27.08.2024 को जारी किया गया (₹ 1,55,840+51,52,017 के लिए)
7	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	94	2018-19	17043000	17091939	17091939	17050235	41704	कोई उत्तर नहीं मिला
8	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	94	2019-20	30390444	31534637	31534637	30663738	870899	कोई उत्तर नहीं मिला
9	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	94	2020-21	23888046	22743853	23888046	23614749	273297	कोई उत्तर नहीं मिला
10	07XXXXXXXXXX2जेडआर	94	2018-19	535660969	94053932	535660969	84523381	451137588	कोई उत्तर नहीं मिला
11	07XXXXXXXXXX1जेडएम	98	2018-19	30655084	30389460	30655084	30393566	261518	कोई उत्तर नहीं मिला

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	जीएसटीआर-9 के अनुसार कर देयता (तालिका 4एन-4जी+10-11)	जीएसटीआर-1 के अनुसार कर देयता	जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-1 में दर्शाई गई कर देयता की अधिकतम सीमा	(जीएसटीआर-3बी तालिका 6.1ए + जीएसटीआर-9 तालिका 14) के अनुसार दत्त कर	कर देयता का अल्प भुगतान	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)	
12	07XXXXXXXXXX1जेडएल	201	2019-20	140905282	142326426	142326426	140905259	1421167	कोई उत्तर नहीं मिला
13	07XXXXXXXXXX1जेड6	202	2019-20	1831330549	2091645557	2091645557	1845374686	246270871	कोई उत्तर नहीं मिला
14	07XXXXXXXXXX1जेडआई	202	2019-20	33861874	28973553	33861874	23437734	10424140	कोई उत्तर नहीं मिला
15	07XXXXXXXXXX1जेडआई	202	2020-21	29166044	26613591	29166044	28298743	867301	कोई उत्तर नहीं मिला
16	07XXXXXXXXXX2जेडक्यू	202	2019-20	6130176698	7017687379	7017687379	6478006260	539681119	कोई उत्तर नहीं मिला
17	07XXXXXXXXXX2जेडआई	202	2020-21	274124926	275581462	275581462	274124925	1456537	कोई उत्तर नहीं मिला
18	07XXXXXXXXXX1जेडएन	203	2018-19	3489626	3489626	3489626	3482324	7302	कोई उत्तर नहीं मिला
19	07XXXXXXXXXX1जेडएन	203	2020-21	268655151	131747258	268655151	131747259	136907892	कोई उत्तर नहीं मिला
20	07XXXXXXXXXX1जेड5	203	2018-19	697744702	697694566	697744702	697710286	34416	कोई उत्तर नहीं मिला
21	07XXXXXXXXXX1जेड5	203	2019-20	778650367	778403523	778650367	778403504	246863	कोई उत्तर नहीं मिला
22	07XXXXXXXXXX1जेडपी	203	2018-19	2248019355	2248596112	2248596112	2248171172	424940.1	कोई उत्तर नहीं मिला
23	07XXXXXXXXXX1जेडपी	203	2019-20	2826017966	2826027939	2826027939	2826017963	9976	कोई उत्तर नहीं मिला
24	07XXXXXXXXXX1जेडपी	203	2020-21	2702698964	3180351096	3180351096	2702647196	477703900	कोई उत्तर नहीं मिला
25	07XXXXXXXXXX2जेडई	203	2020-21	349826584	350210464	350210464	349198391	1012073	कोई उत्तर नहीं मिला
26	07XXXXXXXXXX1जेडएच	204	2018-19	145104193	143759853	145104193	144938867	165326	कोई उत्तर नहीं मिला
27	07XXXXXXXXXX1जेडएच	204	2019-20	149340614	150241030	150241030	144334535	5906495	कोई उत्तर नहीं मिला
28	07XXXXXXXXXX1जेड8	204	2018-19	35940227	35775582	35940227	35903354	36873	कोई उत्तर नहीं मिला
29	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	204	2018-19	693876238	735742285	735742285	693748959	41993326	कोई उत्तर नहीं मिला
30	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	204	2019-20	528210620	529177396	529177396	528335552	841844	कोई उत्तर नहीं मिला

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	जीएसटीआर-9 के अनुसार कर देयता (तालिका 4एन-4जी+10-11)	जीएसटीआर-1 के अनुसार कर देयता	जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-1 में दर्शाई गई कर देयता की अधिकतम सीमा	(जीएसटीआर-3बी तालिका 6.1ए + जीएसटीआर-9 तालिका 14) के अनुसार दत्त कर	कर देयता का अल्प भुगतान	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)	
31	07XXXXXXXXXX1जेडयू	204	2018-19	763974112	763979499	763979499	763974106	5393	कोई उत्तर नहीं मिला
32	07XXXXXXXXXX1जेडयू	204	2019-20	775151815	775200799	775200799	775123913	76886	कोई उत्तर नहीं मिला
33	07XXXXXXXXXX1जेडयू	204	2020-21	680946334	681042676	681042676	680946009	96667	कोई उत्तर नहीं मिला
34	07XXXXXXXXXX2जेड4	204	2018-19	1323106202	1322977592	1323106202	1320840642	2265560	कोई उत्तर नहीं मिला
35	07XXXXXXXXXX1जेडसी	205	2019-20	3304467579	3302412928	3304467579	3303256568	1211011	कोई उत्तर नहीं मिला
36	07XXXXXXXXXX1जेडसी	205	2020-21	1842610586	1843235206	1843235206	1842467240	767966	कोई उत्तर नहीं मिला
37	07XXXXXXXXXX1जेडआर	206	2018-19	3530627854	3531032472	3531032472	3530524753	507719	कोई उत्तर नहीं मिला
38	07XXXXXXXXXX2जेडजेड	206	2018-19	454146149	453159169	454146149	454026126	120023	कोई उत्तर नहीं मिला
39	07XXXXXXXXXX2जेडजेड	206	2019-20	284573793	284573476	284573793	282465678	2108115	कोई उत्तर नहीं मिला
40	07XXXXXXXXXX1जेडपी	207	2018-19	394350921	354497967	394350921	354497967	39852954	कोई उत्तर नहीं मिला
41	07XXXXXXXXXX1जेड1	207	2018-19	255125656	255003257	255125656	128966269	126159387	कोई उत्तर नहीं मिला
42	07XXXXXXXXXX1जेड1	207	2019-20	283560003	283560010	283560010	47248621	236311389	कोई उत्तर नहीं मिला
43	07XXXXXXXXXX1जेड1	207	2020-21	223463511	223463503	223463511	47248621	176214890	कोई उत्तर नहीं मिला
44	07XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	207	2020-21	3144372598	3156463430	3156463430	3144332138	12131292	कोई उत्तर नहीं मिला
45	07XXXXXXXXXX1जेड3	208	2019-20	142559643	132879706	142559643	117846190	24713453	कोई उत्तर नहीं मिला
							कुल	**255,02,03,689**	

अनुलग्नक 1.42

(पैराग्राफ 1.4.6.3(ए)III में संदर्भित)

उत्क्रम प्रभार प्रक्रिया (आरसीएम) के अंतर्गत कर देयता के भुगतान में बेमेल

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	(जीएसटीआर-9 तालिका 4जी) के अनुसार आरसीएम के अंतर्गत कर देयता	(जीएसटीआर -2ए) के अनुसार आरसीएम के अंतर्गत कर देयता	जीएसटीआर-3बी जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1डी के अनुसार आरसीएम के अंतर्गत कर देयता	आरसीएम के अंतर्गत कर देयता स्तंभ (5, 6 और 7) का अधिकतम	आरसीएम के अंतर्गत जीएसटीआर-3बी 6.1बी के अनुसार चुकाई गई कर देयता	आरसीएम के अंतर्गत कर देयता का अल्प-भुगतान	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	
1	07XXXXXXXXXX1जेडएम	61	2019-20	295680	24389	68058	295680	68058	227622	कोई उत्तर नहीं मिला
2	07XXXXXXXXXX2जेडक्यू	202	2018-19	1431371182	2237519	1336771182	1431371182	1336771182	94600000	कोई उत्तर नहीं मिला
3	07XXXXXXXXXX2जेडक्यू	202	2019-20	2120079206	5547226	2114835496	2120079206	2114835496	5243710	कोई उत्तर नहीं मिला
4	07XXXXXXXXXX1जेडएल	203	2018-19	54440756	276841	60592314	60592314	54440756	6151558	कोई उत्तर नहीं मिला
5	07XXXXXXXXXX1जेडएल	203	2019-20	52935040	131668	53521699	53521699	52935040	586659	कोई उत्तर नहीं मिला
6	07XXXXXXXXXX1जेड7	205	2019-20	157464	191544	154130	191544	154130	37414	कोई उत्तर नहीं मिला
7	07XXXXXXXXXX1जेड7	205	2020-21	63874	135282	53994	135282	53994	81288	कोई उत्तर नहीं मिला
								कुल	10,69,28,251	

अनुलग्नक 1.43
(पैराग्रफ 1.4.6.3(ए)III में संदर्भित)
आई-जीएसटीआर-9सी तालिका 9आर के अनुसार दत्त कर में बेमेल

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	जीएसटीआर-9सी की तालिका 9क्यू में वित्तीय विवरण के अनुसार दत्त कर	जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर में वार्षिक रिटर्न के अनुसार दत्त कर	दत्त कर का बेमेल (जीएसटीआर-9सी तालिका 9एस)	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7(5-6)	
1	07XXXXXXXXXX1जेडएल	202	2018-19	76063112	75804230	258882	कोई उत्तर नहीं मिला
2	07XXXXXXXXXX1जेडपी	207	2018-19	631992700	631599633	393067	कोई उत्तर नहीं मिला
3	07XXXXXXXXXX1जेड3	208	2018-19	36433960	-161927436	198361396	कोई उत्तर नहीं मिला
					कुल	19,90,13,345	
आईआई- जीएसटीआर-9सी तालिका 9क्यू और जीएसटीआर-9 तालिका 9 के अनुसार दत्त कर में बेमेल							
क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	जीएसटीआर-9सी की तालिका 9क्यू में वार्षिक रिटर्न के अनुसार दत्त कर	जीएसटीआर-9 तालिका 9 के अनुसार दत्त कर	कर का बेमेल	
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)	
1	07XXXXXXXXXX1जेड1	73	2018-19	81425915	80644354	781561	कोई उत्तर नहीं मिला
2	07XXXXXXXXXX1जेड4	206	2019-20	433133228	432240203	893025	कोई उत्तर नहीं मिला
					कुल	1674586	
					कुल योग	20,06,87,931	

अनुलग्नक 1.44
(पैराग्राफ 1.4.6.4 (i) में संदर्भित)
टर्नओवर में कमी

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	टर्नओवर का समायोजन जीएसटीआर-9सी (तालिका-5ओ) (केवल ऋणात्मक (-) मूल्य)	विभाग का उत्तर
1	07XXXXXXXXXX1जेड3	61	2020-21	41433171	कोई उत्तर नहीं मिला
2	07XXXXXXXXXX1जेडएल	63	2020-21	34141999	एएसएमटी-10 दिनांक 02-06-2025 को जारी किया गया
3	07XXXXXXXXXX1जेड8	64	2018-19	1823325	एएसएमटी-10 जारी किया गया, आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि समय सीमा समाप्त हो चुकी है
4	07XXXXXXXXXX1जेड8	64	2020-21	8106630	एएसएमटी-10 जारी किया गया, आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि समय सीमा समाप्त हो चुकी है
5	07XXXXXXXXXX1जेडए	92	2018-19	3046500	डीआरसी-01 दिनांक 22.05.2025 को धारा 74 के तहत जारी किया गया (₹ 5,48,370/- 18 *प्रतिशत* की दर से)
6	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	94	2018-19	2916984	कोई उत्तर नहीं मिला
7	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	94	2019-20	4197211	कोई उत्तर नहीं मिला
8	07XXXXXXXXXX1जेडवाई	94	2020-21	11196462	कोई उत्तर नहीं मिला
9	07XXXXXXXXXX1जेडपी	201	2018-19	62518865	कोई उत्तर नहीं मिला
10	07XXXXXXXXXX1जेडपी	201	2020-21	79790708	कोई उत्तर नहीं मिला
11	07XXXXXXXXXX1जेडआई	202	2019-20	2488728	कोई उत्तर नहीं मिला
12	07XXXXXXXXXX2जेडआई	202	2019-20	103425586	कोई उत्तर नहीं मिला
13	07XXXXXXXXXX1जेडओ	202	2019-20	7530846	कोई उत्तर नहीं मिला
14	07XXXXXXXXXX1जेड5	203	2020-21	25359434167	कोई उत्तर नहीं मिला
15	07XXXXXXXXXX1जेडपी	203	2018-19	535037375	कोई उत्तर नहीं मिला
16	07XXXXXXXXXX1जेडपी	203	2019-20	155592223	कोई उत्तर नहीं मिला

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	टर्नओवर का समायोजन जीएसटीआर-9सी (तालिका-5ओ) (केवल ऋणात्मक (-) मूल्य)	विभाग का उत्तर
17	07XXXXXXXXXX1जेडपी	203	2020-21	1614182178	कोई उत्तर नहीं मिला
18	07XXXXXXXXXX1जेडएच	204	2018-19	2158047	कोई उत्तर नहीं मिला
19	07XXXXXXXXX1जेडएच	204	2019-20	40422162	कोई उत्तर नहीं मिला
20	07XXXXXXXXX1जेडयू	204	2018-19	11433055	कोई उत्तर नहीं मिला
21	07XXXXXXXXX1जेडयू	204	2019-20	1093465	कोई उत्तर नहीं मिला
22	07XXXXXXXXX2जेड4	204	2019-20	3314032402	कोई उत्तर नहीं मिला
23	07XXXXXXXXX2जेड4	204	2020-21	4291063617	कोई उत्तर नहीं मिला
24	07XXXXXXXXX1जेड3	205	2018-19	15775418	कोई उत्तर नहीं मिला
25	07XXXXXXXXX1जेड3	205	2019-20	1833428	कोई उत्तर नहीं मिला
26	07XXXXXXXXX1जेड3	205	2020-21	11219512	कोई उत्तर नहीं मिला
27	07XXXXXXXXX1जेडटी	208	2019-20	17388076	कोई उत्तर नहीं मिला
			कुल	**3573,32,82,140**	

अनुलग्नक 1.45
(पैराग्राफ 1.4.6.4 (i) में संदर्भित)
पिछले वर्ष के बिल न किए गए राजस्व को शामिल न करने के कारण टर्नओवर में कमी

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में बिल न किया गया राजस्व (जीएसटीआर-9सी तालिका 5एच)	वित्त वर्ष 2019-20 के जीएसटीआर-9सी की तालिका 5बी में दर्शाया गया बिल न किया गया राजस्व	टर्नओवर की कम रिपोर्टिंग	विभाग का उत्तर
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 (5-6)**	
1	07XXXXXXXXXX1जेड1	73	2018-19	105124904	0	105124904	कोई उत्तर नहीं मिला
2	07XXXXXXXXXX1जेडआर	56	2018-19	10529046	0	10529046	कोई उत्तर नहीं मिला
	07XXXXXXXXXX1जेडआर		2019-20	3862619	0	3862619	कोई उत्तर नहीं मिला
					कुल	**11,95,16,569**	

अनुलग्नक 1.46
(पैराग्राफ 1.4.6.4 (i) में संदर्भित)
टर्नओवर का बेमेल

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	वित्त वर्ष	जीएसटीआर-9सी की तालिका 7ई के अनुसार कर योग्य टर्नओवर	वार्षिक रिटर्न के अनुसार करयोग्य टर्नओवर (जीएसटीआर-9सी तालिका 7एफ)	समाधान न किया गया टर्नओवर जीएसटीआर-9सी तालिका 7जी (ऋणात्मक (-) मूल्य)	विभाग का उत्तर
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7(5-6)**	
1	07XXXXXXXXXX1जेड3	208	2018-19	1885402933	659844377	1225558556	कोई उत्तर नहीं मिला
2	07XXXXXXXXXX1जेड8	204	2019-20	624043436	600744987	23298449	कोई उत्तर नहीं मिला
					कुल	**124,88,57,005**	

अनुलग्नक 2.1

(पैराग्राफ 2.1.1 में संदर्भित)

विभागों और संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) का नाम	अन्य संस्थाओं (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण आदि) के नाम	सार्वजनिक उपक्रमों/अन्य संस्थाओं का कुल योग
1	2	3	4	5=3+4
1.	लोक निर्माण विभाग	-	-	-
2.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	-	-	-
3.	शहरी विकास	1. शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम लिमिटेड	1. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड 2. दिल्ली जल बोर्ड	3
4.	विद्युत विभाग	1. इंद्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड 2. प्रगति पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3. दिल्ली पॉवर कंपनी लिमिटेड 4. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	1. दिल्ली विद्युत नियामक आयोग	5
5.	पर्यटन विभाग	1. दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम	1. दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी	2
6.	पुरातत्व विभाग	-	-	-
7.	दिल्ली अभिलेखागार	-	-	-
8.	कला, संस्कृति और भाषा	-	1. हिंदी अकादमी 2. पंजाबी अकादमी 3. उर्दू अकादमी 4. संस्कृत अकादमी 5. सिंधी अकादमी 6. साहित्य कला परिषद	8

क्रम सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) का नाम	अन्य संस्थाओं (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण आदि) के नाम	सार्वजनिक उपक्रमों/अन्य संस्थाओं का कुल योग
			7. डॉ. गोस्वामी गिरधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्यालय प्रतिष्ठान 8. भोजपुरी और मैथिली अकादमी	
9.	व्यापार एवं कर विभाग	-	-	-
10.	राज्य आबकारी और व्यय	-	-	-
11.	वित्त विभाग	1. दिल्ली वित्तीय निगम	1. दिल्ली कल्याण समिति	2
12.	योजना विभाग	-	-	-
13.	अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय	-	-	-
14.	गृह विभाग	-	-	-
15.	कानून, न्याय और विधायी मामलों का विभाग	-	1. दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए)	1
16.	रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय	-	-	--
17.	अभियोजन निदेशालय	-	-	-
18.	सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय	-	-	-
19.	राजस्व विभाग	-	1. दिल्ली वक्फ बोर्ड 2. दिल्ली हज समिति	2
20.	मुख्य निर्वाचन कार्यालय	-	-	-
21.	विधान सभा सचिवालय	-	-	-
22.	सामान्य प्रशासनिक विभाग	-	-	-
23.	प्रशासनिक सुधार विभाग	-	-	-
24.	उपराज्यपाल सचिवालय	-	-	-
25.	लोकायुक्त	-	-	-

क्रम सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) का नाम	अन्य संस्थाओं (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण आदि) के नाम	सार्वजनिक उपक्रमों/अन्य संस्थाओं का कुल योग
26.	लोक शिकायत आयोग	-	-	-
27.	सूचना एवं प्रचार विभाग	-	-	-
28.	भूमि एवं भवन विभाग	-	1. रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (आरईआरए)	1
29.	उद्योग विभाग	1. दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम	-	1
30.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1. जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड	-	1
31.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	-	1. यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान 2. मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान 3. दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान 4. दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन-आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक और आम आदमी मोहल्ला सोसाइटी के लिए जीआईए (सोसाइटी 2020-21 से अस्तित्व में आई) 5. दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (जीआईए) (राज्य का हिस्सा)-एनयूएचएम और डीएसएचएम 6. राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी जीटीबी अस्पताल 7. मौलाना आज़ाद दंत विज्ञान संसथान 8. सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, जनकपुरी 9. चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय	14

क्रम सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) का नाम	अन्य संस्थाओं (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण आदि) के नाम	सार्वजनिक उपक्रमों/अन्य संस्थाओं का कुल योग
			10. चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली आयुर्वेदिक चरक संस्थान	
			11. केंद्रीकृत दुर्घटना और अभिघातजन्य सेवाएँ (सीएटीएस)	
			12. रोगी कल्याण समिति (जीआईए)	
			13. इंद्रप्रस्थ व्यावसायिक एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य समिति (आईवीपीएसएस)	
			14. दिल्ली एड्स नियंत्रण सोसायटी	
32.	सामाजिक कल्याण विभाग	-	-	
33.	महिला एवं बाल विकास विभाग	-	1. दिल्ली महिला आयोग	2
			2. दिल्ली राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	
34.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1. दिल्ली एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक एवं दिव्यांगजन वित्तीय एवं विकास निगम (डीएसएफडीसी)	-	1
35.	शिक्षा विभाग	-	1. सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा मिशन (यूईईएम) (जीआईए)	3
			2. राज्य शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (जीआईए)	
			3. दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	
36.	उच्चतर शिक्षा निदेशालय	-	1. गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीआईए)	15

क्रम सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) का नाम	अन्य संस्थाओं (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण आदि) के नाम	सार्वजनिक उपक्रमों/अन्य संस्थाओं का कुल योग
			2. डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय (जीआईए)	
			3. नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी (जीआईए)	
			4. अदिति महाविद्यालय (जीआईए)	
			5. महाराजा अग्रसेन कॉलेज (जीआईए)	
			6. महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन (जीआईए)	
			7. दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज (जीआईए)	
			8. शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ (जीआईए)	
			9. शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज फॉर विमेन (जीआईए)	
			10. केशव महाविद्यालय (जीआईए)	
			11. भास्कराचार्य कॉलेज फॉर एप्लाइड साइंस (जीआईए)	
			12. भगिनी निवेदिता कॉलेज (जीआईए)	
			13. भीम राव अंबेडकर कॉलेज (जीआईए)	
			14. आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज (जीआईए)	
			15. दिल्ली दाय, अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान (जीआईए)	
37.	प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय	-	1. नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जीआईए)	6

क्रम सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) का नाम	अन्य संस्थाओं (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण आदि) के नाम	सार्वजनिक उपक्रमों/अन्य संस्थाओं का कुल योग
			2. इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योकिकी संसथान दिल्ली (ऋण) 3. दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जीआईए) 4. दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग (जीआईए) 5. स्वरोज़गार सोसायटी (जीआईए) 6. इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय (जीआईए)	
38.	सेवा विभाग	1. इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड (आईसीएसआईएल)	-	1
39.	श्रम विभाग	-	1. दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (उपकर संग्रहण) 2. दिल्ली श्रमिक कल्याण बोर्ड (जीआईए)	2
40.	रोज़गार निदेशालय	-	-	
41.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग	1. दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (डीएससीएससी)	-	1
42.	विकास विभाग	-	1. पशु कल्याण सलाहकार बोर्ड (जीआईए)	1
43.	कृषि विपणन निदेशालय	-	-	-
44.	बाट और माप निदेशालय	-	-	-
45.	रजिस्ट्रार सहकारी समितियां	-	-	-
46.	वन और वन्य-जीव विभाग	-	-	-
47.	खाद्य सुरक्षा विभाग	-	-	-

क्रम सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) का नाम	अन्य संस्थाओं (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण आदि) के नाम	सार्वजनिक उपक्रमों/अन्य संस्थाओं का कुल योग
48.	पर्यावरण विभाग	-	1. दिल्ली पार्क और गार्डन सोसाइटी 2. महात्मा गांधी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संस्थान (पूर्व में महात्मा गांधी एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना एवं विकास संस्थान)	2
49.	परिवहन विभाग	1. दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) 2. दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीटीआईडीसी)	1. डीटीसी पेंशन ट्रस्ट 2. डीटीसी ईपीएफ ट्रस्ट	4
कुल				**78**

अनुलग्नक 2.2

(पैराग्राफ 2.1.5 में संदर्भित)

31 मार्च 2023 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को दिए गए लेखाओं का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	सीएजी को लेखाओं की संपरीक्षा सौंपने की अवधि	जिस वर्ष तक के लेखे दिए गए	जिस वर्ष के लिए लेखे देय हैं	लेखाओं की प्रस्तुति में विलंब की अवधि (31 मार्च 2023 तक)
1	दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी)	सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 19(2) के अनुसार।	2021-22	सौंप दिया गया है	-
2	दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू)	सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 20(1) के अनुसार। 2017-18 से 2020-21	2020-21	सौंप दिया गया है	-
3	इंदिरा गांधी दिल्ली महिला प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू)	सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 20(1) के अनुसार। 2013-14 से 2017-18	2017-18	सौंप दिया गया है	-
4	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनएसयूटी)	सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 20(1) के अनुसार। 2017-18 से 2021-22	2021-22	सौंप दिया गया है	-
5	इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईआईटी-दिल्ली)	सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 20(1) के अनुसार। 2018-19 से 2022-23	2021-22	सौंप दिया गया है	-
6	दिल्ली औषधि विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (डीपीएसआरयू)	सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार। 2015-16 से 2020-21	2015-16 से 2020-21	सौंप दिया गया है	-
7	दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यू डब्ल्यूबी)	सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 19(2) के अनुसार।	2021-22	सौंप दिया गया है	-
8	दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)	सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 19 (3) के अनुसार। मानित सौंपना	2017-18	2018-19 से 2021-22	4 वर्ष

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	सीएजी को लेखाओं की संपरीक्षा सौंपने की अवधि	जिस वर्ष तक के लेखे दिए गए	जिस वर्ष के लिए लेखे देय हैं	लेखाओं की प्रस्तुति में विलंब की अवधि (31 मार्च 2023 तक)
9	दिल्ली कल्याण समिति (डीकेएस)	सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 20(1) के अनुसार। 2014-15 से 2023-24	2020-21	2021-22	1 वर्ष
10	दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए)	सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 19(2) के अनुसार।	2018-19	2019-20 से 2021-22	3 वर्ष
11	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी)	सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार। 2010-11 से 2014-15	2013-14	2014-15	1 वर्ष
12	डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय (एयूडी)	सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार। मानित सौंपना	2021-22	सौंप दिया गया है	-
13	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू)	सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार। मानित सौंपना	2021-22	सौंप दिया गया है	-
14	डीटीसी ईपीएफ ट्रस्ट	सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 20(1) के अनुसार। 2020-21 से 2024-25	2021-22	सौंप दिया गया है	-
15	डीटीसी ईएसपीटी	सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 20(1) के अनुसार। 2020-21 से 2024-25	2020-21	2021-22	1 वर्ष
16	दिल्ली कौशल उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू)	सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 20(1) के अनुसार। 2020-21 से 2024-25	कोई लेखा प्राप्त नहीं हुआ	2020-21 और 2021-22	2 वर्ष

अनुलग्नक 2.3
(पैराग्राफ 2.3.5.1 में संदर्भित)
2021-22 के ट्रू-अप के अनुसार बीआरपीएल और बीवाईपीएल के विनियामक परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

2021-22 के लिए ट्रू अप याचिका के अनुसार कुल अनभिज्ञात विनियामक परिसंपत्तियां	बीवाईपीएल			बीआरपीएल		
	मूलधन	वहन लागत	कुल	मूलधन	वहन लागत	कुल
एपीटीईएल निर्णयों का प्रभाव, जो माननीय उच्चतम न्यायलय के दिनांक 1/12/2021 के आदेश के द्वारा अंतिम रूप प्राप्त कर चुके हैं	4,067	6,383	10,451	6,177	10,311	16,490
माननीय उच्चतम न्यायलय के दिनांक 18/10/2022 के निर्णय और आदेश का प्रभाव	842	1,215	2,057	1,309	1,860	3,169
कार्यान्वयन हेतु माननीय आयोग के समक्ष लंबित मुद्दों का प्रभाव	412	1,421	1,833	501	1,425	1,926
अपील में चुनौती दिए गए और माननीय एपीटीईएल के समक्ष अधिनिर्णय के लिए लंबित मुद्दों का प्रभाव	1,869	3,437	5,306	3,630	6,966	10,596
कुल	**7,191**	**12,457**	**19,647**	**11,617**	**20,563**	**32,180**

अनुलग्नक 2.4
(पैराग्राफ 2.6.2 में संदर्भित)
नमूना चयन में चयनित निविदाओं की संख्या

2017-18 से 4-5-2023 तक की अवधि के लिए			
निविदा का प्रकार	**बनाई गई निविदाओं की संख्या**	**चयन की जाने वाली निविदाओं की संख्या**	**नमूना चयन का आधार**
खुली निविदा	1,54,838	212 (209+3)	कुल जोखिम आधारित भारांक के अनुसार 209 निविदाएं (सांख्यिकीय सलाहकार की सिफारिश के अनुसार उच्च जोखिम वाली निविदाओं के अलावा मध्यम जोखिम और कम जोखिम वाली निविदाएं भी चुनी गईं) और नीचे टिप्पणी (आई) के अनुसार आई एंड एफसी की 3 शीर्ष निविदाएं।
सीमित निविदा	716	50	कुल जोखिम आधारित भारांक के अनुसार 50 निविदाएं (सांख्यिकीय सलाहकार की सिफारिश के अनुसार उच्च जोखिम वाली निविदाओं के अलावा माध्यम जोखिम और कम जोखिम वाली निविदाएं भी चुनी गईं)।
वैश्विक निविदाएं	55	10	कुल जोखिम आधारित भारांक के अनुसार 9 निविदाएं चुनी गईं। 'क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला' से 1 निविदा चुनी गई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वैश्विक निविदा वाले 4 संगठनों में से प्रत्येक से 1 निविदा चुनी जाए।
खुली सीमित	22	15	कुल जोखिम आधारित भारांक के अनुसार 15 निविदाएं।
एकल निविदा	एकल निविदाओं को ऑफ़लाइन संसाधित किया जाता है	13	लेखापरीक्षा की प्रारंभिक अभ्युक्ति के अनुसार, उपर्युक्त अवधि के लिए, जीई-पीएनआईसी प्रणाली का प्रयोग करते हुए कोई भी 'एकल निविदा' नहीं बुलाई गई और एकल निविदाएं ऑफ़लाइन बुलाई जा रही थीं। यह डाटा में भी दिखता है, जहाँ 2014 के बाद कोई भी 'एकल निविदा' नहीं है। इसलिए, 287 ऑनलाइन निविदाओं की सूची के अलावा, 13 ऑफ़लाइन एकल निविदा फ़ाइलों को फ़ील्ड दौरे के दौरान निर्णयात्मक आधार पर लेखापरीक्षा के लिए लिया जाएगा।
	1,55,631	**300* (297+3)**	

*उपर्युक्त के अलावा, लेखापरीक्षा के दौरान कुछ और ऑफलाइन/ऑनलाइन निविदाएं भी देखी गईं।

नोट:

(आई) डाटा विश्लेषण और नमूना चयन के दौरान, यह देखा गया कि रा.रा.क्षे. दिल्ली में 5 विभागों (अर्थात पीडब्ल्यूडी, डीजेबी, एनडीएमसी, आई एंड एफसी, डीयूएसआईबी) ने कुल निविदाओं (चयनित अवधि के लिए) के 90 *प्रतिशत* से अधिक कवर किया। नमूना में 4 विभागों की निविदाएं चयनित की गईं। तथापि, नमूना आकार के नियंत्रण आदि के कारण सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (आई एंड एफसी) विभाग की कोई भी निविदा नमूना में नहीं चुनी गई। इसलिए, सीडीएमए के दिशानिर्देशों के अनुसार आई एंड एफसी की तीन निविदाओं को उन्हें दिए गए उच्चतम कुल जोखिम आधारित भारांक के आधार पर चुना गया।

अनुलग्नक 2.5
(पैराग्राफ 2.6.2 में संदर्भित)
चयनित टीआईए

क्रम सं.	चयनित टीआईए
1	132 इको टास्क फोर्स
2	अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली
3	भगवान महावीर अस्पताल
4	कला महाविद्यालय
5	दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय
6	डीडीयू अस्पताल
7	दिल्ली जल बोर्ड ईई(उत्तर पश्चिम)-आईआई
8	दिल्ली जल बोर्ड |ईई-वेस्ट-आई
9	दिल्ली पार्क और गार्डन सोसाइटी
10	दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय
11	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड
12	दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड
13	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, इंजीनियरिंग विभाग, एसई-आई, डीडी-आईआई
14	व्यापार और कर विभाग
15	स्वास्थ्य सेवा निदेशालय
16	डीटीटीडीसी, गैर- इंजीनियरिंग, कॉर्पोरेट
17	उप- वन संरक्षक (उत्तर)
18	न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रोहिणी
19	जीटीबी अस्पताल
20	आईपीजीसीएल-पीपीसीएल, सीएस आईआईआई
21	आईपीजीसीएल-पीपीसीएल, सीएस, सीएस-आई
22	आईपीजीसीएल-पीपीसीएल, सीएस, सीएस-आईआई
23	आईपीजीसीएल-पीपीसीएल, एमएम, एमएम- आईआई
24	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, जोन- आईआई, बाढ़ सर्किल- आईआई, सिविल डिवीजन-वीआईआईआई
25	उपराज्यपाल सचिवालय
26	मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज
27	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, सिविल- आईआईआई एस/पी
28	नई दिल्ली नगर परिषद, बागवानी
29	एनएसआईटी
30	एनएसआईटी, इंजीनियरिंग सेल
31	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/बी1-बी14/ईई/बी142
32	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/बी1-बी14/ईई/बी142/एई/बी1421
33	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/बी2-बी24/ईई/बी242(एन)/एई/ बी2422 (एन)
34	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/बी2-बी24/ईई/बी242(एन)/एई/ बी2423 (एन)

क्रम सं.	चयनित टीआईए
35	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/बी2-बी24/ईई/बी244(एन)
36	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/बी2-बी24/ईई/बी244(एन)/एई/ बी2442 (एन)
37	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/बी2-बी24/ईई/बी244(एन)/एई/ बी2445 (एन)
38	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/एफ1-एफ12/ईई/एफ121
39	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/एम1-एम11/ईई/एम111
40	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/एम1-एम11/ईई/एम113 (नया)
41	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/एम1-एम11/ईई/एम114
42	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/एम1-एम12/ईई/ एम122 (नया)
43	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/एम1-एम15/ईई/एम152
44	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/एम1-एम15/ईई/एम152/एई/एम1521
45	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/एम2-एम23/ईई/एम231/एई/एम2311
46	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/एम2-एम23/ईई/एम232
47	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/एम2-एम23/ईई/एम233
48	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/एम3-एम32/ईई/एम321
49	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/एम3-एम32/ईई/एम323
50	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/एम3-एम35/ईई/एम351
51	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/एम4-एम41/ईई/एम411
52	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/एम4-एम42/ईई/एम422
53	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/एम4-एम42/ईई/एम422/ईई/एम4222
54	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/एम4-एम45/ईई/एम451
55	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/एम4-एम45/ईई/एम451/एई/एम4512
56	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/एम4-एम45/ईई/एम451/एई/एम4513
57	लोक निर्माण विभाग/सीई/एसई/एम4-एम45/ईई/एम453
58	क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला
59	एससीईआरटी (दिल्ली)

अनुलग्नक 2.6
(पैराग्राफ 2.6.4 (ii) में संदर्भित)
समान ईमेल आईडी वाले अनेक बोलीदाताओं के पंजीकरण का विवरण

ई-मेल आईडी की संख्या	प्रत्येक ईमेल आईडी पर पंजीकृत बोलीदाताओं की संख्या
5,647	2 से 10
9	11 से 20
1	21 से 30
1	31 से 39

अनुलग्नक 2.7

(पैराग्राफ 2.7 में संदर्भित)

2020-23 के दौरान एक्सिस बैंक से केनरा बैंक खाते में अंतरित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

निधि के अंतरण और प्राप्ति की तिथि	अंतरित राशि	निधि के अंतरण और प्राप्ति की तिथि	अंतरित राशि
02.04.2020	20.00	03.08.2021	25.00
21.07.2020	20.00	12.10.2021	30.00
10.09.2020	20.00	01.03.2022	50.00
12.10.2020	30.00	05.07.2022	04.00
09.12.2020	20.00	06.07.2022	10.00
19.02.2021	40.00	27.09.2022	10.00
18.05.2021	20.00	17.10.2022	15.00

अनुलग्नक 2.8

(पैराग्राफ 2.7 में संदर्भित)

अधिशेष निधियों के निवेश में विलंब के कारण ब्याज की संभावित हानि का विवरण

(राशि ₹ में)

माह	प्रारंभिक शेष	नामे	जमा	अंतिम शेष	एक माह तक निवेश नहीं की गई राशि#	बचत खाते पर प्राप्त ब्याज दर	श्रेणी आई और श्रेणी आईआई निवेश पर वित्त वर्ष-वार औसत दर*	निवेश न करने के कारण प्राप्त कम ब्याज दर	कम प्राप्त ब्याज की राशि$
अप्रैल 2020	4926210811	2032724529	1577229034	4470715316	2893486282	6.00	8.34	2.34	5642298
मई 2020	4470715316	2484213767	468201911	2454703459	1986501549	5.50	8.34	2.84	4701387
जून 2020	2454703459	2025222461	35545736	465026734	429480998	4.00	8.34	4.34	1553290
जुलाई 2020	465026734	200000000	21924354	286951088	265026734	4.00	8.34	4.34	958513
अगस्त 2020	286951088	0	110087800	397038888	286951088	4.00	8.34	4.34	1037806
सितंबर 2020	397038888	200000118	1005829625	1202868395	197038770	4.00	8.34	4.34	712624
अक्टूबर 2020	1202868395	300000000	42128557	944996952	902868395	4.00	8.34	4.34	3265374
नवंबर 2020	944996952	326168504	280385000	899213448	618828448	4.00	8.34	4.34	2238096
दिसंबर 2020	899213448	200000000	151675176	850888624	699213448	4.00	8.34	4.34	2528822
जनवरी 2021	850888624	0	12,600,000	863488624	850888624	4.00	8.34	4.34	3077381
फरवरी 2021	863488624	587700000	73786655	349575280	275788624	4.00	8.34	4.34	997436
मार्च 2021	349575280	200300000	848113760	997389040	149275280	4.00	8.34	4.34	539879
अप्रैल 2021	997389040	0	32602500	1029991540	997389040	3.50	8.15	4.65	3864883
मई 2021	1029991540	200000000	47570000	877561540	829991540	3.50	8.15	4.65	3216217
जून 2021	877561540	590	417353	877978303	877560950	3.50	8.15	4.65	3400549

माह	प्रारंभिक शेष	नामे	जमा	अंतिम शेष	एक माह तक निवेश नहीं की गई राशि#	बचत खाते पर प्राप्त ब्याज दर	श्रेणी आई और श्रेणी आईआई निवेश पर वित्त वर्ष-वार औसत दर*	निवेश न करने के कारण प्राप्त कम ब्याज दर	कम प्राप्त ब्याज की राशि$
जुलाई 2021	877978303	0	37881744	915860047	877978303	3.50	8.15	4.65	3402166
अगस्त 2021	915860047	250000000	55562800	721422847	665860047	3.50	8.15	4.65	2580208
सितंबर 2021	721422847	0	97280000	818702847	721422847	3.50	8.15	4.65	2795514
अक्टूबर 2021	818702847	300000000	49085662	567788509	518702847	3.50	8.15	4.65	2009974
नवंबर 2021	567788509	0	21560000	589348509	567788509	3.50	8.15	4.65	2200180
दिसंबर 2021	589348509	0	143369647	732718156	589348509	3.50	8.15	4.65	2283725
जनवरी 2022	732718156	0	27003427	759721583	732718156	3.50	8.15	4.65	2839283
फरवरी 2022	759721583	51436350	396739129	1105024363	708285233	3.50	8.15	4.65	2744605
मार्च 2022	1105024363	973863170	302201930	433363123	131161193	3.50	8.15	4.65	508250
अप्रैल 2022	433363123	0	36151840	469514963	433363123	3.50	8.15	4.65	1679282
मई 2022	469514963	0	69327500	538842463	469514963	3.50	8.15	4.65	1819370
जून 2022	538842463	431459229	103677154	211060388	107383234	3.50	8.15	4.65	416110
जुलाई 2022	211060388	140013334	24925959	95973013	71047054	3.50	8.15	4.65	275307
अगस्त 2022	95973013	6859	50667500	146633654	95966154	3.50	8.15	4.65	371869
सितंबर 2022	146633654	100016503	101410073	148027224	46617151	3.50	8.15	4.65	180641
अक्टूबर 2022	148027224	150016265	46855626	44866585	0	3.50	8.15	4.65	0
नवंबर 2022	44866585	118	27702500	72568967	44866467	3.50	8.15	4.65	173858
दिसंबर 2022	72568967	14253	153779947	226334661	72554714	3.50	8.15	4.65	281150
जनवरी 2023	226334661	14535	21575001	247895127	226320126	3.50	8.15	4.65	876990

माह	प्रारंभिक शेष	नामे	जमा	अंतिम शेष	एक माह तक निवेश नहीं की गई राशि#	बचत खाते पर प्राप्त ब्याज दर	श्रेणी आई और श्रेणी आईआई निवेश पर वित्त वर्ष-वार औसत दर*	निवेश न करने के कारण प्राप्त कम ब्याज दर	कम प्राप्त ब्याज की राशि$
फरवरी 2023	247895127	15668	41692500	289571959	247879459	3.50	8.15	4.65	960533
मार्च 2023	289571959	81358654	319943719	528157024	208213305	3.50	8.15	4.65	806827
कुल					**1979,72,81,164**				**6,69,40,395**
कोविड महामारी की अवधि को हटाने के बाद (अप्रैल से जून 2020) ब्याज की संभावित हानि									**5,50,43,420**

नोट: # प्रारंभिक शेष में से माह के दौरान डेबिट की गई राशि को घटाकर।

* डीटीसी ईपीएफ ट्रस्ट द्वारा अर्जित ब्याज की औसत दर 2020-21 के लिए (अधिकतम 9.53 *प्रतिशत* और न्यूनतम 7.14 *प्रतिशत*, औसत 8.34 *प्रतिशत* आता है), 2021-22 के लिए (अधिकतम 9.53 *प्रतिशत* और न्यूनतम 6.77 *प्रतिशत*, औसत 8.15 *प्रतिशत* आता है) और 2022-23 के लिए (अधिकतम 9.53 *प्रतिशत* और न्यूनतम 6.77 *प्रतिशत*, औसत 8.15 *प्रतिशत* आता है)।

$ एक माह तक निवेश नहीं की गई राशि x कम प्राप्त ब्याज की दर/100) को 12 से भाग दें।

अनुलग्नक 2.9
(पैराग्राफ 2.8 में संदर्भित)
बिजली के बढ़े हुए शुल्क के भुगतान का विवरण

बिल की अवधि	वृद्धि बिल संख्या 1- खपत किया गया यूनिट	बढ़े हुए बिलों पर प्रति यूनिट भुगतान की गई अतिरिक्त लागत	परिहार्य लागत	बिल की अवधि	वृद्धि बिल संख्या 2 - यूनिट्स खपत किया गया यूनिट	बढ़े हुए बिलों पर प्रति यूनिट भुगतान की गई अतिरिक्त लागत	परिहार्य लागत	बिल की अवधि	वृद्धि बिल संख्या 3- खपत किया गया यूनिट	बढ़े हुए बिलों पर प्रति यूनिट भुगतान की गई अतिरिक्त लागत	परिहार्य लागत
निलोठी एसपीएस				**निलोठी एसपीएस**				**निलोठी एसपीएस**			
07.06.2021 से 09.06.2021	68405	2.25	153911	09.12.2021 से 10.01.2022 तक	582020	2.25	1309545	09.04.2022 से 11.05.2022 तक	580440	2.25	1305990
10.06.2021 से 09.07.2021	688720	2.25	1549620	11.01.2022 से 07.02.2022 तक	566400	2.25	1274400	12.05.2022 से 11.06.2022 तक	692380	2.25	1557855
10.07.2021 से 09.08.2021	842560	2.25	1895760	08.02.2022 से 13.03.2022 तक	582900	2.25	1311525	12.06.2022 से 17.07.2022 तक	626600	2.25	1409850
10.08.2021 से 09.09.2021	755300	2.25	1699425	14.03.2022 से 08.04.2022 तक	412620	2.25	928395	18.07.2022 से 11.08.2022 तक	527900	2.25	1187775
10.09.2021 से 09.10.2021	896960	2.25	2018160					12.08.2022 से 12.09.2022	553720	2.25	1245870

बिल की अवधि	वृद्धि बिल संख्या 1- खपत किया गया यूनिट	बढ़े हुए बिलों पर प्रति यूनिट भुगतान की गई अतिरिक्त लागत	परिहार्य लागत	बिल की अवधि	वृद्धि बिल संख्या 2 - यूनिट्स खपत किया गया यूनिट	बढ़े हुए बिलों पर प्रति यूनिट भुगतान की गई अतिरिक्त लागत	परिहार्य लागत	बिल की अवधि	वृद्धि बिल संख्या 3- खपत किया गया यूनिट	बढ़े हुए बिलों पर प्रति यूनिट भुगतान की गई अतिरिक्त लागत	परिहार्य लागत
10.10.2021 से 12.11.2021	704840	2.25	1585890					13.09.2022 से 11.10.2022 तक	568120	2.25	1278270
13.11.2021 से 08.12.2021	693740	2.25	1560915					12.10.2022 से 27.10.2022 तक	390880	2.25	879480
								28.10.2022 से 26.11.2022	405840	2.25	913140
केशोपुर एसपीएस				**केशोपुर एसपीएस**				**केशोपुर एसपीएस**			
07.06.2021 से 28.06.2021	32707	2.25	73591	28.11.2021 से 27.12.2021	19900	2.25	44775	27.03.2022 से 27.04.2022	77760	2.25	174960
29.06.2021 से 27.07.2021	40200	2.25	90450	28.12.2021 से 28.01.2022	13780	2.25	31005	28.04.2022 से 27.05.2022	99600	2.25	224100
28.07.2021 से 27.08.2021	5700	2.25	12825	29.01.2022 से 28.02.2022	5480	2.25	12330	28.05.2022 से 27.06.2022	122080	2.25	274680
28.08.2021 से 27.09.2021	6560	2.25	14760	01.03.2022 से 26.03.2022 तक	3900	2.25	8775	28.06.2022 से 27.07.2022	35120	2.25	79020
28.09.2021 से 27.10.2021	20720	2.25	46620					28.07.2022 से 27.08.2022	6360	2.25	14310

बिल की अवधि	वृद्धि बिल संख्या 1- खपत किया गया यूनिट	बढ़े हुए बिलों पर प्रति यूनिट भुगतान की गई अतिरिक्त लागत	परिहार्य लागत	बिल की अवधि	वृद्धि बिल संख्या 2 - यूनिट्स खपत किया गया यूनिट	बढ़े हुए बिलों पर प्रति यूनिट भुगतान की गई अतिरिक्त लागत	परिहार्य लागत	बिल की अवधि	वृद्धि बिल संख्या 3- खपत किया गया यूनिट	बढ़े हुए बिलों पर प्रति यूनिट भुगतान की गई अतिरिक्त लागत	परिहार्य लागत
28.10.2021 से 27.11.2021	10560	2.25	23760					28.08.2022 से 27.09.2022	11200	2.25	25200
								28.09.2022 से 27.10.2022	5300	2.25	11925
								28.10.2022 से 27.11.2022	5660	2.25	12735
कुल	**47,66,972**	**2.25**	**1,07,25,687**	**कुल**	**2187000**	**2.25**	**49,20,750**		**47,08,960**	**2.25**	**1,05,95,160**
	कुल भुगतान किए गए बढ़े हुए बिल (संख्या 1 और 2) - ₹ 1,07,25,687 + ₹ 49,20,750						**15646437**				

नोट: भुगतान किए गए बढ़े हुए बिल सं. 1 और 2 का मौद्रिक प्रभाव एनडीएचटी श्रेणी के अंतर्गत ₹ 8.50 प्रति यूनिट दर और सार्वजनिक उपयोगिता श्रेणी के अंतर्गत ₹ 6.25 के बीच के अंतर के आधार पर निकाला गया है। इसमें विभिन्न कर, अधिभार, छूट और सब्सिडी शामिल नहीं हैं, क्योंकि इन्हें बिजली के बिलों में लगातार नहीं जोड़ा जाता है और इस के कारण होने वाला मौद्रिक प्रभाव उत्क्रम परिकलन द्वारा निकालना संभव नहीं है।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/new-delhi/hi